

जैन विश्वभारती संस्थान
लाड्नूं - ३४१३०६ (राज.)

दूरस्थ शिक्षा निटेशालय



बोणिज्य स्नातक-प्रथम वर्ष
Bachelor of Commerce-First Year

चतुर्थ पत्र

Paper-IV

कर प्रक्रिया एवं व्यवहार
Tax Procedure and Practice

COPYRIGHT
Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

Written By :

Dr. Dr. K.K. Gupta (Section-A,B,C Hindi)
Dr. Apoorva Mathur (Section-D (Hindi))

Edition : 2015

Printed Copies : 200

Published By: Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

अनुक्रमणिका (Contents)	
खण्ड-अ	करारोपण का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, करों के वर्गीकरण, कृषि आय एवं प्रकार, सीमा शुल्कः अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य
खण्ड-ब	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करारोपण का अर्थ, भेद एवं भारतीय कृषि में करारोपण
खण्ड-स	केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम के उद्देश्य, विशेषताएं
खण्ड-द	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003

वर्ग (Section) A

अध्याय (Chapter) 1

करारोपण (Taxation)

करारोपण का अर्थ (Meaning of Taxation)

सरकार द्वारा थोपा गया ऐसा अनिवार्य भुगतान जिसके बदले में निश्चित प्रतिफल देने का वचन नहीं दिया जाता है, कर कहलाता है। सरकार को अपने दायित्व निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति या तो पुराने करों में वृद्धि करके या फिर नये कर लगाकर की जा सकती है। सरकार द्वारा कर लगाने की प्रक्रिया को करारोपण कहा जाता है।

विभिन्न विद्वानों ने कर की परिभाषा इस प्रकार दी है:

- (1) **सैलिगमैन**— “कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार व्यक्तियों से ऐसे खर्चों की पूर्ति के लिए लेती है जो सामान्य हित में किये जाते हैं, जिसका सम्बन्ध विशेष लाभ की प्राप्ति से नहीं होता है।”
- (2) **डाल्टन**— “कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है जिसका सम्बन्ध करदाता को बदले में दी गई सुविधाओं की मात्रा से नहीं होता है और इसे किसी कानूनी अपराध के दण्ड स्वरूप नहीं लगाया जाता है।”

कर की विशेषताएं (Features of Tax):

- (1) कर वैधानिक सत्ता द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है।
- (2) कर एक अनिवार्य अंशदान है जिसको नहीं चुकाने वाले को रूप से दण्डित किया जा सकता है, किन्तु यह दण्ड स्वरूप नहीं होता है।
- (3) करदाता को कर भुगतान में कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। करदाता की क्रय शक्ति कर की सीमा तक कम हो जाती है परन्तु करदाता को इसके बदले में कोई लाभ नहीं मिलता है।
- (4) कर से प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक एवं सामूहिक हित के लिए किया जाता है।
- (5) कर के भुगतान का दायित्व व्यक्तियों का निजी कर्तव्य होता है।

करारोपण के उद्देश्य (Objectives of Taxation)

(1) आय प्राप्त करना (Earning Revenue)—

सरकार को अपने नियमित एवं नियोजित विकास व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन करों के माध्यम से ही एकत्रित करने पड़ते हैं। अतः करारोपण का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु आय प्राप्त करना है।

(2) अनावश्यक उपभोग पर नियन्त्रण (Control on Unnecessary Consumption)—

सरकार कई बार जानबूझ ऐसी वस्तुओं जिनका उपभोग कार्यकुशलता, स्वास्थ्य तथा नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, पर ऊँची दरों से कर लगाती है। उदाहरण के लिए हानिकारक एवं विलासिता की वस्तुओं पर लगाये जाने वाले करों का मुख्य उद्देश्य आय प्राप्ति की बजाय इनके उपभोग पर अंकुश लगाना होता है। शराब, सिगरेट, आयातित मँहगी कारें, सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री, चरस गॉजा, भौंग आदि पर कर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये लगाये जाते हैं।

(3) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)—

सरकार उचित कर प्रणाली के माध्यम से देश में राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा विकास वृद्धि के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से सरकार अनावश्यक उपभोग पर रोक लगा कर बचत और विनियोगों को प्रोत्साहन दे सकती है। उपभोग व्यय की कटौती, पैंजी निर्माण को बढ़ा कर देश में उत्पादन एवं आय के स्तर को ऊँचा उठाती है। सरकार आयातित माल पर ऊँचे करों के माध्यम से देश के उधोग-धन्धों को संरक्षण प्रदान कर उत्पादन एवं औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित कर सकती है। इन सबका शुद्ध प्रभाव देश में उत्पादन, रोजगार व आय में वृद्धि के रूप में होता है।

(4) आय व धन के वितरण की विषमताओं को कम करने के लिए

(To Reduce Disparities in the Distribution of Income and Wealth)–

सामाजिक न्याय की दृष्टि से समाज में आय व धन के वितरण में व्याप्त विषमताओं को कम किया जाना अत्यावश्यक है अतः सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली के माध्यम से उच्च आय वर्ग के लागों पर अधिक कर लगा कर उससे प्राप्त आय को गरीब लोगों के कल्याण पर खर्च करती है। निम्न आय वर्ग को यातो कर से मुक्त रखा जाता है या फिर इन पर न्यूनतम दर से कर लगाया जाता है। समाज में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण एवं एकाधिकारिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण के लिए भी करारोपण उपयुक्त अस्त्र का कार्य करता है।

(5) संरक्षण एवं प्रशुल्क नीति की सफलता (Success of Protection Policy)–

देश में नवजात शिशु उधोगों को विदेशी वयस्क उधोगों की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए भी आयातित माल पर ऊँची दर से कर लगाये जाते हैं। अतः करारोपण का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य देश में नये-नये उधोगों की स्थापना एवं विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना भी है।

(6) साधनों का स्थानान्तरण (Transfer of Resources)–

कभी-कभी सरकार सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से स्थान विशेष पर साधनों के प्रयोग पर रोक लगाती है तथा किसी दूसरे स्थान पर उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहती है। अतः वह प्रथम स्थान पर कर लगा कर साधनों के प्रयोग को रोकती है तथा दूसरे स्थान पर करों में छूट देकर साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह नीति अपनाई जाती है।

(7) मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण (Check on Inflation)–

आजकल अधिकांश सरकारें विभिन्न राजनीतिक आर्थिक दबावों के कारण मुद्रा प्रसार की आग से झुलस रही है। अतः प्रत्यक्ष करारोपण के माध्यम से जनता के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करके वस्तुओं की मॉग में कमी के माध्यम से मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगाया जाता है। नये कर जनता की जेब खाली कर उन्हें कम खर्च करने के लिए विवश कर देते हैं।

भारतीय कर प्रणाली (Indian Tax System)

भारत में कर लगाने का अधिकार संविधान में निम्न तीन सरकारों को दिया गया है:

- (i) केन्द्र सरकार को
- (ii) राज्य सरकार को, तथा
- (iii) स्थानीय निकायों को।

भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची में उन मामलों का वर्णन किया गया है जिन पर संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं को कानून बनाने का अधिकार है।

संविधान की सातवी अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है:

सूची I (List I):

इस सूची को संघ सूची (Union List) कहा जाता है। संघ सूची में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। संसद द्वारा बनाये गये ऐसे कर-कानून के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को ही कर लगाने का एवं कर की वसूली करके उपयोग में लेने का अधिकार होता है। कुछ करों के सम्बन्ध में

प्राप्त राशि का राज्यों के साथ बंटवारा भी किया जाता है तथा कुछ करों की सम्पूर्ण राशि राज्यों को ही उपलब्ध करवा दी जाती है।

सूची II (List II):

इस सूची को राज्य सूची (State List) कहा जाता है। राज्य सूची में वर्णित मामलों के संबंध में केवल राज्य की विधान सभाओं को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस सूची में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में करारोपण का अधिकार भी राज्य सरकारों को ही होता है।

सूची III (List III):

इस सूची को समवर्ती सूची (Concurrent List) कहा जाता है। इस सूची में वर्णित मामलों पर संसद एवं राज्य की विधान सभाओं, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है।

संविधान के अनुच्छेद 271 (Article 271) के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार के कर पर अधिभार (Surcharge) लगा सकती है। इस अधिभार की संग्रहित राशि केन्द्र सरकार की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा की जाती है।

यदि किसी कर के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाये हैं तो केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून लागू होंगे।

केन्द्र सरकार के करारोपण के अधिकार

(Powers of Taxation of Central Government)

केन्द्र सरकार को करारोपण के सौपे गये अधिकार निम्न प्रकार से हैं:

(A) ऐसे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाते हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा ही वसूल कर

उपयोग में लिये जाते हैं:

- (i) निगम कर (Corporate Tax)
- (ii) सीमा-शुल्क (Customs Duty)
- (iii) व्यय कर (Expenditure Tax)
- (iv) विनियम-पत्रों पर कर (Tax on Bills of Exchange)
- (v) चैक एवं प्रतिज्ञापत्रों पर कर (Tax on Cheques and Promissory Notes)
- (vi) साख पत्रों पर कर (Tax on Letter of Credits)
- (vii) बीमा पॉलिसियों, अंशों के हस्तान्तरणों आदि के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क (Stamp duty on insurance policies transfer of shares , etc.)

(B) ऐसे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किये जाते हैं, लेकिन इनकी सम्पूर्ण

प्राप्तियाँ राज्यों को सौंप दी जाती हैं—

- (1) समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।
- (2) वायदा बाजारों (Future Markets) में शेयर बाजारों के सौदों पर स्टाम्प शुल्क को छोड़कर अन्य पर कर।
- (3) रेलों के किराये और भाड़ों पर कर
- (4) रेलमार्ग, समुद्री मार्ग या वायुमार्ग द्वारा आने-जाने वाले माल एवं यात्रियों पर सीमान्त कर (Terminal Tax)

(5) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पति पर आस्ति या सम्पदा कर (Estate Duty)

(C) ऐसे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित किये जाते हैं, लेकिन इनकी प्राप्तियाँ केन्द्र और राज्यों के मध्य बांटी जाती हैं—

- (1) मानव उपभोग में काम में आने वाली मदिरा, अफीम, भाँग एवं अन्य मादक औषधियों व मादक पदार्थों को छोड़कर भारत में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं पर उत्पादन कर,
- (2) कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयों पर कर।

(D) ऐसे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, किन्तु इनका संग्रह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा राज्य ही अपने पास इन्हें रखते हैं—

- (1) अन्तर्राजीय व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर,
- (2) औषधि सम्बन्धी सामग्रियों और श्रृंगार—सामग्रियों पर उत्पादन कर,
- (3) कुछ स्टाम्प शुल्क।

राज्य सरकार के करारोपण के अधिकार

(Powers of Taxation of State Government)

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों द्वारा लगाये जाने तथा संग्रह किये जाने वाले प्रमुख कर निम्न हैं—

- (1) राज्य में वस्तुओं के विक्रय पर मूल्य संवर्द्धन कर (Value Added Tax)।
- (2) कुछ किस्म के दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क।
- (3) मार्ग—कर (Toll Tax)।
- (4) विलासिता व आराम की वस्तुओं पर कर।
- (5) जुआ—कर।
- (6) बाजी—कर (betting tax)।
- (7) मनोविनोद कर।
- (8) मनोरंजन कर।
- (9) व्यवसायों, व्यापारों, धन्धों व रोजगारों पर कर।
- (10) गाड़ियों, जानवरों तथा नावों पर कर।
- (11) सड़कों तथा आन्तरिक जल—मार्गों द्वारा ले जाये जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर।
- (12) समाचार—पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर कर।
- (13) समाचार—पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के विक्रय अथवा क्रय पर कर।
- (14) बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कर।
- (15) किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, उपभोग, प्रयोग अथवा विक्री के लिए आने वाले माल के प्रवेश पर कर।
- (16) मानव उपभोग के काम में लाई जाने वाली शराब पर, अफीम, भाँग तथा अन्य नशीली दवाओं व नशीले पदार्थों के उत्पादन पर लगायें जाने वाले कर, परन्तु इन वस्तुओं की सहायता से बनने वाले चिकित्सा व श्रृंगार सम्बन्धी सामग्री को छोड़कर।
- (17) खनिज सम्बन्धी अधिकारों पर कर, किन्तु खनिज विकास के सम्बन्ध में संसद द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त के अधीन ही ऐसे कर लगाये जा सकते हैं।

- (18) भूमि तथा भवन कर।
- (19) कृषि भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले कर।
- (20) कृषि आय पर कर।
- (21) भू-राजस्व तथा मालगुजारी।

(3) स्थानीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर

(Local Government Taxes)

- (1) चुंगी, (Octroi) सीमा प्रवेश पर कर।
- (2) सीवरेज कर (Sewerage Tax)।
- (3) गृह कर (House Tax)।

करों का वर्गीकरण

(Classification of Taxes)

करों का वर्गीकरण कर प्रणाली के प्रकार तथा करों के प्रकार के सन्दर्भ में किया जा सकता है।
कर प्रणाली के सन्दर्भ में करों को दो भागों में बांटा जा सकता है—

- (i) एकल-कर प्रणाली (Single Tax System); तथा
- (ii) बहु-कर प्रणाली (Multiple Tax System)


करों के प्रकार के सन्दर्भ में करों को निम्नांकित दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

(अ) भुगतान के आधार पर:

- (i) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)।
 - (ii) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)।
- (ब) कर की दरों के आधार पर:
- (i) आनुपातिक कर (Proportionate Tax)।
 - (ii) प्रगतिशील कर (Progressive Tax)।

करों के वर्गीकरण को निम्न चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है:

करों का वर्गीकरण



कर प्रणाली के सन्दर्भ में करों का वर्गीकरण

(Classification of Taxes in Reference to Taxation System)

कर प्रणाली दो प्रकार की होती हैं:

- (i) एकल कर प्रणाली (Single Tax System) तथा
- (ii) बहु कर प्रणाली (Multiple Tax System)

(i) एकल कर प्रणाली (Single Tax System):

इस कर प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु सरकार केवल एक ही कर लगाकर अपनी समस्त आय प्राप्त करती है। प्राचीन समय में केवल भूमि पर ही कर लगाया जाता था। सरकार की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व (Land Revenue) ही होता था। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि पर कर लगाने से उधोगों को हानि नहीं होती है। परन्तु समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने भूमि के स्थान पर केवल आय एवं सम्पत्ति पर कर लगाने का सुझाव दिया था। एकल कर प्रणाली से वर्तमान कल्याणकारी सरकारों के बढ़े हुए व्ययों की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है। इस प्रणाली में लोचता एवं समानता का गुण न होने के कारण यह प्रणाली व्यवहारिक नहीं है।

(ii) बहु कर प्रणाली (Multiple Tax System):

इस कर प्रणाली के अन्तर्गत सरकार अपनी समस्त सार्वजनिक आय के लिए केवल एक ही कर पर निर्भर नहीं रहती है, वरन् आय प्राप्ति हेतु सरकार अनेक कर लगाती है। करों की बहुलता के कारण ही इसे बहु-कर प्रणाली कहा जाता है।

नोट:-

'एकल बिन्दु कर ' तथा 'बहु बिन्दु कर ' का आशय एकल कर प्रणाली एवं बहु-कर प्रणाली से भिन्न है। किसी व्यवहार के विभिन्न चरणों में से केवल एक बिन्दु पर ही करारोपण को एकल बिन्दु कर कहा जाता है। यह कर उस व्यवहार के प्रथम बिन्दु पर या अन्तिम बिन्दु पर निर्धारित आधार पर लगाया जाता है। एक बार कर लगाने के पश्चात् अन्य बिन्दुओं पर कर नहीं लगाया जाता है। बहु-बिन्दु कर का तात्पर्य व्यापारिक व्यवहार के विभिन्न स्तरों पर करारोपण करने की प्रक्रिया से है। जैसे— अन्तर्राज्यीय विक्रय कर एकल बिन्दु कर है जबकि मूल्य संवर्द्धन कर (VAT) बहु-बिन्दु कर है।

भुगतान के आधार पर करों का वर्गीकरण

(Classification of Tax on the Basis of Payment)

भुगतान के आधार पर करों को दो भागों में बांटा जा सकता है:

- (i) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
- (ii) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

(i) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)—

प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसका भार वही व्यक्ति वहन करता है जो इसका भुगतान करता है अर्थात् इसमें कराघात (Impact) और करापात (Incidence) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार के कर व्यक्तियों की आय एवं सम्पत्ति पर लगाये जाते हैं। प्रत्यक्ष करों की मुख्य विशेषता यह होती है कि कर का तत्कालिक मौद्रिक भार और वास्तविक भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे करों के अन्तर्गत आय कर, उपहार कर, सम्पत्ति कर, निगम कर, व्यय कर, मृत्यु कर आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

(ii) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)—

अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान करने वाले और वास्तविक एवं अन्तिम भार उठाने वाले व्यक्ति अलग-अलग होते हैं। इस प्रकार कें करों में कर विवर्तन (Tax Shifting) आसानी से किया जा सकता

है। “ अप्रत्यक्ष करों की मुख्य विशेषता यह होती है कि इनमें कराधात और करापात (Impact and Incidence) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। मनोरजन कर, उत्पादन कर, आयात-निर्यात कर, बिक्री कर, चुंगी आदि अप्रत्यक्ष करों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उत्पादन कर में कराधात (Impact) तो उत्पादनकर्ता पर पड़ता है अर्थात् कर का मौद्रिक भार उसके द्वारा उठाया जाता है, जबकि करापात (Incidence) उस वस्तु के वास्तविक उपभोक्ता पर पड़ता है।

प्रत्यक्ष करों के गुण (Merits of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष करों में निम्नांकित गुण पाये जाते हैं:

(i) **न्यायपूर्ण (Equitable)**— प्रत्यक्ष कर करदाता की आय या सम्पदा से सम्बन्धित होते हैं जो करदाता की क्षमतानुसार लगाये जाते हैं। अमीर को प्रत्यक्ष करों का अधिक भार वहन करना होता है जबकि गरीब को शून्य या बहुत ही कम। अतः प्रत्यक्ष करों में समानता एवं न्यायशीलता का गुण पाया जाता है।

(ii) **उत्पादकता (Productivity)**—

प्रत्यक्ष करों में उत्पादकता का गुण पाया जाता है। जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ती है उसी अनुपात में स्वतः ही प्रत्यक्ष करों की राशि में भी वृद्धि हो जाती है।

(iii) **सामाजिक चेतना (Social Awakening)**—

प्रत्यक्ष कर समाज में जन चेतना जाग्रत करने का काम करते हैं। करदाता यह महसूस करता है कि जिस प्रकार कर चुकाना उसका दायित्व है, ठीक उसी प्रकार से कर से प्राप्त आय के उपयोग के बारे में जानना उसका अधिकार है। इस प्रकार की भावना से प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं को बल मिलता है।

(iv) **सुविधाजनक (Convenient)**—

इस प्रकार के करों की वसूली सुविधाजनक रहती है क्योंकि इन्हें आय प्राप्ति के समय ही काट लिया जाता (Deduction at Source) है।

(v) **मितव्ययतापूर्ण (Economical)**—

प्रत्यक्ष करों का सीधा भुगतान करदाता द्वारा सरकार को किया जाता है। अतः इनकी वसूली का खर्च बहुत कम होता है।

(vi) **निश्चितता (Certainty)**—

इनमें निश्चितता का गुण पाया जाता है क्योंकि करदाता और सरकार दोनों को ही कर की राशि का पहले से ही पता होता है।

(vii) **लोच (Elasticity)**—

प्रत्यक्ष करों को आसानी से आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है जिससे सरकार को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई नहीं होती है। अतः इनमें लोच का गुण पाया जाता है।

(viii) **समाज में धन का समान वितरण (Equal Distribution of Wealth in Society)**—

इन करों से समाज में धन का समान वितरण किया जाना सम्भव होता है। धनवान से कर की वसूली कर गरीब के लिए कर का उपयोग किया जाना सम्भव हो पाता है।

प्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Direct Taxes)

(i) **असुविधाजनक (Inconvenient)**—

प्रत्यक्ष कर प्रणाली बहुत जटिल होती है इसलिए करदाता को कर विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। हिसाब-किताब के झंझटों के कारण यह कर करदाता की दृष्टि से असुविधाजनक माने जाते हैं।

(ii) **मनमाना कर-निर्धारण (Arbitrary Assessment)**—

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से कर-निर्धारण किये जाने के कारण यह कर अलोकप्रिय माने जाते हैं।

(iii) करों की चोरी (Tax Evasion)—

प्रत्यक्ष करों में करवंचना की समस्या अधिक तीव्र होती है क्योंकि इन्हें करदाता द्वारा रखे गये लेखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अतः ऐसे करों को करदाता की ईमानदारी पर आधारित कर माना जाता है। करों की दर अधिक ऊँची होने पर कर चोरी की समस्या और भी बढ़ सकती है।

(iv) अनुत्पादक (Non-Productive)—

अलग-अलग व्यक्तियों से कर वसूल करने में व्यय अधिक होता है इसलिए यह कर अनुत्पादक कर माने जाते हैं। भारत में आय कर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

(v) उत्पादन पर बुरा प्रभाव (Bad Effect on Production)—

प्रत्यक्ष को लगाने से करदाता की खर्च करने योग्य आय में कमी आती है जिससे समाज की बचत, विनियोग तथा उत्पादन की शक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(vi) सीमित क्षेत्र (Limited Scope)—

प्रत्यक्ष करों का क्षेत्र भी सीमित होता है क्योंकि ये केवल एक निश्चित आय वर्ग के लोगों पर ही लगाये जा सकते हैं। सामान्य जनता का इस प्रकार के करों में नगण्य हिस्सा होता है। उदाहरणार्थ भारत की सामान्य जनता की आयकर में भागीदारी नहीं के बराबर है।

अप्रत्यक्ष करों के गुण (Merits of Indirect Taxes):

(i) सुविधाजनक (Convenient)—

अप्रत्यक्ष कर सीधा जनता से वसूल नहीं किये जाते हैं। यह कर वस्तु एवं सेवा से सम्बन्धित होते हैं एवं पंजीकृत व्यापारियों से वसूल किये जाते हैं। व्यापारी कर की राशि को सेवा या वस्तु के मूल्य में जोड़कर वसूल कर लेते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति अप्रत्यक्ष करों के भुगतान की समस्या का सामना नहीं करता है।

(ii) लोकप्रिय (Populor)—

अप्रत्यक्ष कर सेवा या मूल्य में जोड़कर वसूल किये जाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को इन करों का भुगतान एक-मुश्त करना पड़ता है। कर-भुगतान में कष्ट न होने के कारण यह कर अधिक लोकप्रिय हैं। जैसे-भारत में वर्तमान में सेवा कर (Service Tax) के फैलते हुए कदम।

(iii) लोचशीलता (Elasticity)—

अप्रत्यक्ष करों को बेलोचदार मांग वाली वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं पर लगाकर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इन करों की दरों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

(iv) करवंचना कठिन (Difficult to Evade Tax)—

अप्रत्यक्ष कर की राशि कीमत में शामिल होने के कारण इनकी चोरी आसानी से नहीं की जा सकती है।

(v) सामाजिक लाभ (Social Benefits)—

अप्रत्यक्ष करों को सामाजिक दृष्टि से हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं पर लगा कर उनके उपभोग को रोका जा सकता है या सीमित किया जा सकता है जिससे सामाजिक कल्याण बढ़ता है। शराब, अफीम, गॉजा तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं पर ऊँचे कर लगा कर इनके उपभोग एवं उत्पादन को निरुत्साहित किया जा सकता है।

(vi) व्यापक क्षेत्र (Large Scope)—

अप्रत्यक्ष कर समाज के हर व्यक्ति द्वारा चुकाये जाते हैं; अतः इनका क्षेत्र अति व्यापक होता है।

(vii) न्यायशीलता (Justified)–

अप्रत्यक्ष कर सामान्यतया उन वस्तुओं पर ज़ँची दर से लगाये जाते हैं जिनका उपभोग समाज के उच्च आय वर्ग के द्वारा किया जाता है तथा उन वस्तुओं पर कम दर से लगाये जाते हैं जिनका उपभोग आम जनता द्वारा किया जाता है। अतः इनमें न्यायशीलता का गुण होता है।

अप्रत्यक्ष करों के अवगुण

(Demerits of Indirect Taxes)–

अप्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं:

(i) अनिश्चितता (Uncertainty)–

अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय का पूर्वानुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। ये कर वस्तु की कीमत में जोड़ दिये जाते हैं, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उसकी मॉग कम हो जाती है। मूल्य वृद्धि होने के कारण मॉग में होने वाली कमी का आसानी से अनुमान लगाना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। अतः ये कर आय प्राप्ति की दृष्टि से अनिश्चित होते हैं।

(ii) अन्यायपूर्ण (Unjust)–

अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी (Regressive) होने के कारण अन्यायपूर्ण होते हैं। इन करों का बोझ अमीर और गरीब सभी पर समान पड़ता है जबकि गरीब के लिए धन की सीमान्त उपयोगिता अमीर की तुलना में कहीं अधिक होती है। अप्रत्यक्ष कर करदाता की योग्यतानुसार नहीं लगाये जाते हैं। इस प्रकार ये समाज में आर्थिक विषमता की खाई को चौड़ा करते हैं।

(iii) अमितव्ययतापूर्ण (Uneconomical)–

अप्रत्यक्ष करों की वसूली की लागत प्रत्यक्ष करों की तुलना में काफी अधिक आती है क्योंकि इनके करदाताओं की संख्या और क्षेत्र का दायरा अधिक विस्तृत होता है।

(iv) वस्तु की कीमत में अनावश्यक वृद्धि (Unnecessary Price Rise)–

वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था में अनेक मध्यस्थों की उपस्थिति के कारण व्यापारी इन करों की आड़ में कर अनुपात से कहीं अधिक कीमते बढ़ा देते हैं।

(v) सामाजिक चेतना का अभाव (Lack of Social Consciousness)–

प्रत्यक्ष करों के चुकाने वाले को करदाता होने का अहसास होता है परन्तु अप्रत्यक्ष करों के भुगतान करने वाले को पता नहीं रहता कि उसने कब और कितना कर चुकाया?

कर की दरों के आधार पर वर्गीकरण

(Classification on the Basis of Tax Rates)

कर की दरों के आधार पर करों को निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है:

(1) आनुपातिक कर (Proportional Tax)–

यह वह कर है जिसकी दर सभी करदाताओं के लिए समान होती है अर्थात् उन्हें अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत भाग कर के रूप में चुकाना पड़ता है। आनुपातिक कर की मुख्य विशेषता यह है कि आय के समस्त स्तरों पर कर की दर एक समान रहती है तथा आय में होने वाले परिवर्तन का कर की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार आय कर की दर 30 प्रतिशत निश्चित करती है तो 500 रुपये आय वाले व्यक्ति को 150 रुपये तथा 20,000 रुपये आय वाले व्यक्ति को 6,000 रुपये कर के रूप में चुकाने होंगे। इस प्रकार दोनों आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए कर का अनुपात एक समान रहता है। इस प्रणाली में व्यक्ति की आय के साथ-साथ कर की राशि तो बढ़ जाती है किन्तु कर की दर यथावत बनी रहती है।

आनुपातिक कर प्रणाली के गुण

(Merits of Proportional Tax System):

(i) सरल:

यह कर प्रणाली अत्यन्त सरल है क्योंकि कर की दर सबके लिए समान रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसे सरलता से समझ सकता है।

(ii) निश्चितता:

प्रत्येक व्यक्ति को चुकाये जाने वाली कर राशि का पूर्व ज्ञान रहता है। अतः इसमें निश्चितता का गुण विद्यमान है।

(iii) सापेक्षिक स्थित पर प्रभाव नहीं:

इससे करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह पूर्ववर्त बनी रहती है।

(iv) उत्पादक:

यह लोगों की आर्थिक कार्य करने एवं अधिक बचत करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। अनुपातिक कर प्रणाली के दोष

(Demerits of Propotional Tax System):

(i) अन्यायपूर्ण:

यह प्रणाली समानता एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि इसमें सभी को समान दर से कर चुकाना पड़ता है। गरीबों के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अमीरों से अधिक होने के कारण उनकों अधिक त्याग करना पड़ता है।

(ii) सामाजिक विषमता:

आनुपातिक कर समाज में आय व धन के वितरण की विषमता की खाई को चौड़ा करते हैं।

(iii) अपर्याप्त साधन:

आधुनिक सरकारों के बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति इस प्रणाली से सम्भव नहीं है।

2. प्रगतिशील कर (Progressive Tax)—

ये कर होते हैं जिनके अन्तर्गत करदाता की आय में वृद्धि के साथ-साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। आय की वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ाये जाने के कारण इसे प्रगतिशील कर प्रणाली कह कर सम्बोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1,50,000 रुपये से 3,00,000 रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत कर तथा 3,00,000 रुपये से अधिक परन्तु 5,00,000 रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत कर लगाये जाते हैं तो यह व्यवस्था प्रगतिशील कर व्यवस्था कहलायेगी।

प्रगतिशील कर प्रणाली के गुण

(Merits of Progressive Tax System):

(i) कर देय क्षमता के आधार पर:

इसके अन्तर्गत कर करदाता की करदेय क्षमता के अनुसार लगाये जाते हैं। जैसे कम आय पर कम दर से कर तथा अधिक आय पर अधिक दर से कर लगाये जाते हैं।

(ii) आर्थिक विषमता को हटाना:

यह कर प्रणाली आर्थिक विषमताओं को दूर करती है।

(iii) न्यायोचित:

यह एक न्यायशील प्रणाली है क्योंकि यह कर भार के सीमान्त त्याग की समानता पर आधारित है।

(iv) लोचपूर्णः

यह प्रणाली लोचपूर्ण है क्योंकि कर की दरों में आवश्यक परिवर्तन कर आवश्यकतानुसार राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

(v) मितव्ययीः

इसमें करों को एकत्र करने का व्यय कम आता है, क्योंकि करों की दरों में वृद्धि से कर को एकत्र करने का व्यय नहीं बढ़ता है। अतः यह मितव्ययी हैं।

(vi) उत्पादकः

यह प्रणाली समाज की आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि सरकार की आय बढ़ने से कुल प्रभावी मॉग में वृद्धि के कारण आय व रोजगार का स्तर ऊँचा उठता है।

प्रगतिशील कर प्रणाली के दोष

(Demerits of Progressive Tax System):

(i) असंगतः

सरकार करों की दरों को मनमाने ढंग से निर्धारित करती है जिसका कोई तर्कसम्मत आधार नहीं होता है।

(ii) विकास दर में अवरोधः

ऊँची आय पर अधिक दर से कर लगाने की वजह से समाज में मेहनत एवं बचत को आधार लगता है। जिससे पूँजी निर्माण और विकास का क्रम अवरुद्ध होता है।

(iii) कर चोरी की सम्भावना:

इसमें कर चोरी की सम्भावना अधिक होती है क्योंकि अधिक आय अधिक कर चोरी का कारण बनती है तथा भ्रष्टाचार फैलने की सम्भावना अधिक होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न (Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिएः

(1) भारत में कर लगाया जाता हैः

- (अ) केन्द्र सरकार द्वारा
- (ब) राज्य सरकार द्वारा
- (स) स्थानीय सत्ता द्वारा
- (द) उपयुक्त सभी द्वारा।

()

(2) कर की विशेषता है कि::

- (अ) यह सरकार द्वारा लगाया जाता है।
- (ब) कर के बदले निश्चित प्रतिफल देने का वचन नहीं दिया जाता है
- (स) कर के बदले निश्चित प्रतिफल देने का वचन दिया जाता है
- (द) उपयुक्त अ तथा ब दोनों ही।

()

(3) करारोपण का उद्देश्य है—

- (अ) सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु आय प्राप्त करना
(ब) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना
(स) आय व धन के वितरण की विशेषताओं को कम करना
(द) उपयुक्त तीनों ही। ()

(4) भारतीय संविधान की संधि सूचि से संबंधित मद संबंधित है:

- (अ) केन्द्र सरकार से
(ब) राज्य सरकार से
(स) स्थानीय सता से
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं ()

(5) आयकर.....है तथा धनकरहै

- (अ) (i) प्रत्यक्ष कर (ii) अप्रत्यक्ष कर
(ब) (i) प्रत्यक्ष कर (ii) प्रत्यक्ष कर
(स) (i) अप्रत्यक्ष कर (ii) प्रत्यक्ष कर
(द) (i) अप्रत्यक्ष कर (ii) अप्रत्यक्ष कर ()

(6) एकल कर प्रणाली में.....

- (अ) सरकार द्वारा सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु केवल एक ही कर लगाया जाता है।
(ब) सरकार द्वारा सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति हेतु केवल एक बार ही कर लगाया जाता है।
(स) कर केवल एक बिन्दु पर लगाया जाता है।
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं ()

(7) बहु— बिन्दु कर प्रणाली में.....

- (अ) सरकार द्वारा कई कर लगाये जाते हैं।
(ब) एक ही व्यक्ति पर कई कर लगाये जाते हैं।
(स) व्यवहार के विभिन्न स्तरों पर कर लगाये जाते हैं।
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं। ()

(8) प्रत्यक्ष का वह कर है.....

- (अ) जिसका कराधाता एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है।
(ब) जिसका कराधाता एवं करापात अलग—अलग व्यक्ति पर पड़ता है।
(स) जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो।
(द) उपयुक्त में कोई नहीं। ()

(9) अप्रत्यक्ष कर वह कर है

- (अ) जिसका कराधाता एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है।
(ब) जिसका कराधाता एवं करापात अलग—अलग व्यक्ति पर पड़ता है।
(स) जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो।
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं। ()

(10) आनुपातिक कर वह कर है—

- (अ) जो प्रत्येक व्यक्ति पर आनुपातिक लगाया जाता है।
(ब) कर की एक ही दर होती है जो सभी पर समानरूप से लागू होती है।
(स) जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक बांटा जाता है।
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं।

उत्तर— [1 (द) 2 (द) 3 (द) 4 (अ) 5 (ब) 6 (अ) 7 (स) 8 (अ) 9 (ब) 10 (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions): (अधिकतम सीमा: 50 शब्द)

1. करारोपण से आपका क्या आशय है?
2. की की कोई दो विशेषताएं लिखिए।
3. करारोपण के चार उद्देश्य लिखिए।
4. प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं?
5. प्रत्यक्ष करों के कोई चार गुण लिखिए।
6. अप्रत्यक्ष करों से आप क्या समझते हैं?
7. अप्रत्यक्ष करों के कोई चार गुण लिखिए।
8. प्रगतिशील कर से क्या तात्पर्य है?
9. आनुपातिक कर का अर्थ लिखिए।

(स) निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Answer Type Questions):

1. करों के विभिन्न प्रकार लिखिए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के गुण दोष बताइए।
2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
 - (i) प्रत्यक्ष कर
 - (ii) अप्रत्यक्ष कर
 - (iii) प्रगतिशील कर
 - (iv) आनुपातिक कर।

वर्ग (Section) A

अध्याय (Chapter) 2

भारत में कृषि आय पर कर

(Agriculture income taxation in India)

परिचय

(Introduction)

भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय 'भारतीय आयकर अधिनियम 1961' की धारा 10(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय आयकर से मुक्त मानी गयी है इसलिए इसे करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय पर कर लगाने के लिए केवल राज्य विधान—मण्डल (विधान—संभाए) ही कानून बना सकती है। संसद को भारतीय कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। अभी तक किसी भी राज्य के विधानमण्डल ने भारतीय कृषि आय पर कर लगाने से सम्बन्धित कानून पारित नहीं किया है।

वित्त अधिनियम, 1973 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1974—1975 से किसी व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा देय आयकर की गणना करते समय कुल आय में 'शुद्ध कृषि आय' को जोड़कर एक विशेष विधि से आयकर की गणना की जाती है। भारत में स्थित कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाली आयकर मुक्त नहीं होती है। यह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। इसी प्रकार विदेश में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय भी भारत में कर—मुक्त नहीं होती है। यह भारत में केवल साधारण निवासी (Ordinarily resident in India) करदाता के लिए कर योग्य होती है।

कृषि आय की परिभाषा: (Definition of Agriculture income):

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1A) के अनुसार कृषि आय का तात्पर्य निम्नांकित आयों से है:

- (1) भारत में स्थित किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 2(14)(iii)(a) एवं (b) में वर्णित भूमि हस्तान्तरण से होने वाली किसी आय को भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (2) उपरोक्त प्रकार की भूमि (अर्थात् ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है एवं कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है) से प्राप्त आय जो कृषि करने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो।
- (3) उपरोक्त प्रकार की भूमि से लगे हुए किसी मकान की आय जिसका प्रयोग किसान द्वारा अथवा भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने अथवा भण्डार गृह के रूप में अथवा बाह्य—भवन के रूप में किया जाता है। इसके लिए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

- (i) ऐसी भूमि पर भारत में कोई लगान या अन्य कोई स्थानीय कर लगता हो जो सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं वसूल किया जाता हो; एवं
- (ii) यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानीय कर नहीं लगता है तो वह भूमि ऐसी नगर पालिका अथवा कन्टोनमैन्ट बोर्ड की सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए जिसकी आबादी 10,000 अथवा अधिक हो।

यदि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी नगरपालिका या कन्टोनमैन्ट बोर्ड के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना जारी करती है तो यह भूमि उस अधिसूचना में उल्लेखित दूरी के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिए। यह दूरी अधिक से अधिक 8 किलोमीटर हो सकती है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार कर—मुक्त कृषि आय के लिए निम्नांकित तीन बातें होना आवश्यक हैं:

- (i) आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो;
- (ii) भूमि भारत में स्थित हो; तथा
- (iii) भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया हो।

(i) आय कृषि भूमि से उत्पन्न हो—

भूमि का होना कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आय वही कर मुक्त होगी जो कि भूमि से सम्बन्धित होंगी। भूमि कृषि आय का सन्निकट एवं प्रभावपूर्ण स्रोत होना चाहिए न कि गौण या अप्रत्यक्ष स्रोत। जैसे— यदि कोई व्यक्ति जीवन—पर्यन्त वार्षिकी की राशि (Amount of Life Annuity) के बदले अपनी कृषि भूमि का हस्तान्तरण करता है तो इस प्रकार होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जायेगी क्योंकि इसके लिए आय का मूल स्रोत जीवन—पर्यन्त वार्षिकी का अनुबन्ध है न कि भूमि। सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है वह कृषि आय नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से भूमि के किराये की बकाया राशि पर मिला ब्याज भी कृषि आय नहीं होता है क्योंकि उसका सन्निकट कारण किराये की बकाया राशि है न कि भूमि। यदि भूमि पर कृषि कार्य करके उपज उत्पन्न की जाती है तो उसके विक्रय करने से पहले होने वाला लाभ कृषि आय माना जाएगा।

(ii) भूमि भारत में स्थित हों—

विदेशी भूमि पर कृषि से होने वाली आय भारत में साधारण निवासी करदाता के कर योग्य होती है। केवल भारत में स्थित भूमि से होने वाली कृषि आय ही कर—मुक्त होती है।

(iii) भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना—

भूमि पर जब तक कृषि कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भूमि की आय कर—मुक्त नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि गत वर्ष (Previous Year) में भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया हो। यदि कोई भूमि गत वर्ष से पहले कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जाती थी लेकिन गत वर्ष में कृषि के बजाय अन्य किसी कार्य में प्रयुक्त की गई है तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्य से तात्पर्य है भूमि का जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल को काटना आदि। इस सम्बन्ध में आयकर कमिशनर बनाम राजा विनय कुमार साहस राय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके अन्तर्गत कृषि कार्यों को निम्नांकित दो भागों में बँटा गया है—

(अ) प्राथमिक कार्य (Preliminary Work)— प्राथमिक कार्य के अन्तर्गत जमीन से पौधा बाहर निकलने से पूर्व किये गये कार्य आते हैं, जैसे—भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना इत्यादि।

(ब) सहायक कार्य (Secondary Work)— सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर निकलने के बाद किये गये कार्य सम्प्लिकेशन माने जाते हैं। इसके अन्तर्गत गुडाई, निराई, सिंचाई, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसल कटाई आदि कार्य आते हैं।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार भूमि पर प्राथमिक कार्यों को सम्पन्न किये बिना यदि केवल बाद के कार्य किये जाते हैं तो ऐसी आय कृषि—आय नहीं कहलायेगी। उदाहरणार्थ— स्वतः ही उगे पेड़—पौधे, घास इत्यादि से प्राप्त आय—कृषि आय नहीं मानी जावेगी क्योंकि इसमें प्राथमिक कार्य मानव द्वारा नहीं किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीद कर बाजार में बेच देता है तो इस कार्य से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जावेगी क्योंकि उसने कृषि भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया है।

स्पष्टीकरण:— वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा जोड़े गये स्पष्टीकरण के अनुसार नरसी में उगाये गये पौधों एवं पौध से होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा, भले ही आधारभूत कृषि क्रियाएं की गई हों अथवा नहीं।

कृषि आय के प्रकार (Types of Agriculture income)—

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कृषि आय को निम्नांकित पाँच भागों में वर्गीकृत किया गया है—

(1) भूमि से प्राप्त किराया—

यदि कोई भू-स्वामी अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो इसके प्रतिफल के बदले प्राप्त होने वाली राशि भूमि का किराया कहलाती है तथा ऐसी आय को कृषि आय माना जाता है। किराया मुद्रा अथवा वस्तु किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है।

(2.) भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय—

यदि भूमि पर किसी भी व्यक्ति (भू-स्वामी, किरायेदार, भूमि गिरवी रखने वाला या अन्य कोई व्यक्ति) के द्वारा कृषि क्रिया करने के कारण जो आय प्राप्त होती है वह कृषि आय कहलायेगी। कृषि क्रिया से तात्पर्य भूमि जोतने, बीज बोने, फसल उगाने आदि क्रियाओं के करने से है। कृषि कार्यों से उत्पन्न उप-पदार्थों से होने वाली आय भी कृषि आय मानी जाती है, जैसे —कृषि कार्यों के लिए रखे गये पशुओं से प्राप्त दूध, मक्खन आदि।

(3.) भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय—

कुछ उपज इस प्रकार की होती है जिसे विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्रियाएँ करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की क्रियाएँ यदि साधारण होती हैं तो इनसे होने वाली आय को कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी क्रियाओं में तम्बाकू को सुखाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जटूट के पौधे से रेशे अलग करना आदि आते हैं। लेकिन कपास से बिनौले अलग करना सरसों से तेल निकालना आदि आय कृषि आय में सम्मिलित नहीं मानी जाती हैं।

विक्रय—योग्य बनाने की क्रियाओं से आय निम्न शर्तें पूरी करने पर ही कर—मुक्त होती हैं—

- (1) ऐसी क्रियाएँ पैदावार को विक्रय करने के लिए आवश्यक हैं तथा
- (2) इन्हें उस क्षेत्र के कृषकों द्वारा साधारणतया किया जाता हो।

(4.) कृषक द्वारा कृषि की उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय—

किसान द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई अथवा किराये के रूप में प्राप्त कृषि उपज को बाजार में बेचने या अपनी स्वयं की दुकान में बेचने से होने वाली आय कृषि—आय कहलाती है। लेकिन कृषक को अन्य व्यक्ति की उपज बेचने से होने वाली आय—कृषि नहीं मानी जाती है।

(5) कृषि कार्य में प्रयुक्त मकान की आय—

कृषि कार्य में प्रयुक्त मकान की आय निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही कृषि—आय मानी जाती है:

- (अ) मकान कृषि भूमि पर बना हुआ हो या उसके बिल्कुल निकट स्थित हो;
- (ब) मकान कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में हो;
- (स) मकान का उपयोग कृषक के रहने के लिए या कृषि उत्पाद के भण्डार—गृह या बाहरी भवन के रूप में होता हो;
- (द) मकान जिस भूमि पर स्थित हो उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो, जो कि सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं संग्रहित किया जाता हो। यदि उस भूमि पर स्थानीय कर नहीं लगता है तो भूमि निम्नलिखित क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए—

10,000 या अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र में।

10,000 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र की सीमाओं से 8 किलोमीटर की परिधि में जिसकी केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाए। घोषणा

(6) अन्य कृषि आय—

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित आयों को भी कृषि आय माना जाता है:

- (i) कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास अथवा जंगल को किराये पर देने से आय।
- (ii) फल अथवा फूलों की खेती से आय।

(iii) यदि किसी भूमि को गिरवी रखकर ऋण दिया गया हो तो गिरवी रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया।

प्राप्त

(iv) कृषि कार्य में संलग्न फर्म द्वारा साझेदारों को पूँजी पर दिया गया ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारों के लिए कृषि आय माना जायेगा बशर्ते कि फर्म को ऐसे ब्याज अथवा पारिश्रमिक की कटौती स्वीकृत व्यय के रूप में मिली हो।

(v) करदाता द्वारा उगाये गये जंगल अथवा वृक्षों की लकड़ी, फल आदि की बिक्री से आय

(vi) खड़ी फसल की ओलावृष्टि अथवा अन्य किसी प्रकार से हुई हानि के संबंध में बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि को भी कृषि आय माना जाता है।

गैर-कृषि आय (Non-Agricultural Income):

निम्नलिखित आयें कृषि आय जैसी प्रतीत होती हैं लेकिन ये आयें कृषि आय नहीं मानी जाती हैं क्योंकि इनमें भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होता है अथवा आय भूमि से प्रत्यक्ष रूप से कमाई नहीं जाती है:

- (i) भूमि पर अपने आप उगे पेड़—पौधों व जंगलों से होने वाली आय;
- (ii) हाट बाजार के काम में आने वाली भूमि से होने वाली आय;
- (iii) कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होनी वाली आय;
- (iv) मुर्गीपालन व पशुपालन से होने वाली आय;
- (v) ईट के भट्टों से होने वाली आय;
- (vi) खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली रॉयल्टी;
- (vii) कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक;
- (viii) कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम के किराये की आय;
- (ix) डेयरी फार्म से होनी वाली आय;
- (x) तालाब के सिंधाड़ों से प्राप्त होने वाली आय;
- (xi) समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय;
- (xii) कृषि कार्यों में लगी कम्पनी से प्राप्त होने वाला लाभांशः
- (xiii) खड़ी फसल को खरीद कर शेष कृषि कार्य करने से होने वाली आय;
- (xiv) कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन;
- (xv) कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने पर प्राप्त होने वाला इनाम।

उदाहरण (Illustration) 1.

क्या निम्नलिखित आय कृषि आय हैं या नहीं ? स्पष्ट करें।

- (क) मोहित अपने किरायेदार की कृषि उपज को बेचने से कमीशन के रूप में 15,000 रु. कमाता है।
- (ख) नरेश तम्बाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से 50,000 रु. प्राप्त करता है।
- (ग) महेन्द्र अपनी भूमि पर पैदा हुए गन्नों की उपज से चीनी बना कर उसे बेचने से 95,000 रु. कमाता है।
- (घ) मोहन ने अपनी भूमि कृषि के काम में आने वाले पशुओं को चराने के लिए किराये पर दी जिससे उसे 10,000 रु. का किराया प्राप्त हुआ।

हल (Solution):

- (क) मोहित को कमीशन के रूप में 15,000 रु. कृषि—आय नहीं है क्योंकि इस आय का कृषि भूमि से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(ख) तम्बाकू के सूखे पत्तों की बिक्री से हुई आय सामान्यतः कृषि आय मानी जाती है। तम्बाकू के पत्ते पहले सुखाये जाते हैं, ताकि बाजार में विक्रय किये जा सकें। अतः नरेश के लिए यह कृषि-आय मानी जायेगी।

(ग) गन्ने की बिक्री से प्राप्त आय कृषि आय है, क्योंकि गन्ना बिक्री-योग्य उपज है और वह चीनी मिल को बेचा जा सकता है। लेकिन जहाँ कृषक बाजार के अभाव में गन्ने को सीधे नहीं बेच सकता है और गुड़ या शक्कर ही बाजार में बिक सकती है तो स्वयं के खेत में पैदा किये गये गन्ने से बनाये गुड़ और शक्कर से प्राप्त आय कृषि-आय मानी जाएगी। अतः महेन्द्र के लिए यह कृषि-आय मानी जायेगी।

(घ) मोहन के लिए यह आय कृषि-आय मानी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 2.

निम्न विवरण से कृषि आय की गणना कीजिए—

कृषि भूमि से प्राप्त किराया 75,000 रु. कृषि उपज की बिक्री 1,32,500 रु. चाय बागान में साझेदार की हैसियत से मिलने वाला वेतन 1,20,000 रु। इसके सम्बन्ध में निम्न व्यय किये गये: (अ) बीज क्रय 13,000 रु. (ब) मजदूरी एवं सिचाई व्यय 32,500 रु. तथा (स) ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि औजार पर ह्यस 23,000 रु।

From the following particulars calculate agriculture income:

Rent from agricultural land Rs. 75,000; Sale of agricultural produce Rs. 1,32,500; Salary as a partner in a Tea Garden unit Rs. 1,20,000, Relevant expenses are:

- (a) Purchase of Seeds Rs. 13,000 (b) Labour and irrigation expenses
Rs. 32,500 and (C) Depreciation on tractors, and other
Agricultural tools and implements Rs. 23,000

हल (Solution):

Computation of Agricultural Income

(A) Income	Rs.
(i) Rent from Agricultural Land	75,000
(ii) Sale of Agricultural Produce	1,32,500
(iii) Salary as partner from Tea Garden (60% of Rs. 1,20,000)	72,000
Total	2,79,500
(B) Less Expenses:	
(i) Purchase of Seeds	13,000
(ii) Labour and irrigation	32,500
(iii) Depreciation on Plant & Machinery	23,000
Net Agricultural Income	68,000
[(A) – (B)]	2,11,000

कृषि आय की गणना

(अ) आय:

- (i) कृषि भूमि से प्राप्त किराया
- (ii) कृषि उपज की विक्री
- (iii) चाय बागान से साझेदार के रूप में वेतन
(120000 रु. x 60%)

	रूपये	
	75,000	
	1,32,500	
	72,000	
	<u>2,79,500</u>	
योग (अ)		
	रूपये	
	13,000	
	32,500	
	23,000	
	<u>68,000</u>	
शुद्ध कृषि आय [(अ)-(ब)]		2,11,000

घटाओं : (ब) स्वीकृत व्ययः

- (i) बीज का क्रय
- (ii) मजदूरी एवं सिंचाई व्यय
- (iii) प्लाण्ट व मशीनरी पर ह्यस

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income):

कुछ आय अंशतः कृषि से संबंधित मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक कार्यों से सम्बन्धित अंशतः कृषि आय को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है:

- (1) चाय के उत्पादन से आय।
- (2) रबड़ के उत्पादन से आय।
- (3) कॉफी उत्पादन से आय।
- (4) स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम लेने वाले निर्माताओं की आय।

(1) चाय के उत्पादन से आय—

चाय के उत्पादन में दो क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं:

(i) चाय को उगाना, तथा (ii) चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को उगाने की क्रिया कृषि से सम्बन्धित क्रिया मानी जाती है जबकि विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है, इसलिए चाय बागान की आय को दो भागों में बांटा जाता है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय व 40% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाये जाते हैं। यदि करदाता को चाय बोर्ड से अनुदान (Subsidy) प्राप्त होती है और यह अनुदान आयकर अधिनियम की धारा 10(30) के अनुसार कर—मुक्त है तो इसे चाय उगाने की लागत में से नहीं घटाया जायेगा। इस प्रावधान का लाभ निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करने पर ही करदाता को दिया जाता है—

- करदाता ने स्वयं चाय उगाई हो तथा
- करदाता ने स्वयं ने ही निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न की हो।

यदि करदाता ने स्वयं चाय नहीं उगाई हो तथा केवल इसे संग्रहित व एकत्रित करने का ही कार्य किया हो तो उसकी चाय की आय का 60% भाग कृषि आय नहीं माना जावेगी वरन् सम्पूर्ण आय को व्यापारिक आय

माना जायेगा। ओला-वृष्टि से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि कृषि आय मानी जाएगी। यदि कोई साझेदार चाय उत्पादन में लगी फर्म या संस्था से वेतन तथा लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी राशि का 60% भाग कृषि आय माना जायेगा और शेष 40% भाग ही व्यावसायिक आय माना जावेगा।

उदाहरण (Illustration): 3

एक चाय कम्पनी ने वर्ष 2008–09 में 25 लाख रु. का लाभ कमाया। कम्पनी स्वयं के बागानों में चाय के पौधे उगाती है और चाय की पत्तियों की आगे की प्रक्रिया अपनी ही फैक्ट्री में करती है। कृषि आय और गैर-कृषि आय की गणना कीजिए। यदि किसी वर्ष में समस्त उत्पादन जलकर नष्ट हो जाता है और बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है, तो क्या यह प्राप्ति कृषि-आय होगी?

A Tea Company earned a profit of Rs.25 Lakhs during the year 2008–09. The company grows tea plants in its own gardens and processes the tea leaves in its own factory. Find out its agricultural income and non-agricultural income. If in a particular year, whole production is destroyed and it gets compensation from the insurance company. Whether the compensation received will be treated as an agricultural income?

हल (Solution):

आयकर अधिनियम के अनुसार चाय बागानों की आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है और शेष 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाती है। अतः इस स्थिति में दोनों प्रकार की आयों की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:

कुल लाभ	25,00,000 रुपये
उपरोक्त लाभों का 60% कृषि आय ($25,00,000 \times 60\%$)	15,00,000 रुपये
शेष 40% भाग गैर कृषि आय मानते हुए व्यापारिक आय मानी जाएगी	10,00,000 रुपये
बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाली राशि का 60% भाग कृषि व शेष 40% भाग व्यापारिक आय माना जावेगा।	

(2) रबड़ के उत्पादन से आय—

भारत में रबड़ के पौधों एवं पौधों से सेन्ट्रीफ्यूज्ड, लेटेक्स, सेनेक्स तथा लेटेक्स आधारित क्रेप्स अथवा ब्राउन क्रेप्स आदि उत्पाद बनाकर बेचने से होने वानी कुल आय का 65% भाग कृषि आय तथा 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। कुल आय की गणना चाय के उत्पादन से आय की गणना की भाँति ही की जाएगी।

(3) कॉफी उत्पादन से आय—

भारत में कॉफी के पौधों एवं पौधों से प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय का 75% भाग कृषि आय तथा 25% भाग व्यापारिक आय या कर योग्य आय माना जाता है। यदि कोई करदाता जो भारत में कॉफी का उत्पादन, निर्माण, भूनना (roasted) एवं जमीन में रखने (grounded) जैसी क्रियाओं को करके विक्रय करते हैं चाहे विकोरी अथवा अच्य कोई खुशबूदार तत्व मिलाया हो अथवा नहीं, तब कुल आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है तथा 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाती है। ऐसी आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों का लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जायेगा जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाये जाते हैं। यदि करदाता कॉफी बोर्ड से कोई अनुदान (Subsidy) प्राप्त करता है और यह अनुदान धारा 13(31) के अनुसार कर-मुक्त है तो इसे कॉफी उगाने की लागत में से घटाया नहीं जायेगा।

(4) स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम लेने वाले निर्माताओं की आय—

कुछ आयें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ तत्व कृषि से सम्बन्धित होते हैं और कुछ व्यापार से सम्बन्धित। उदाहरण के लिए, ऐसी चीनी मिलों की आय जो अपने स्वयं के खेत पर गन्ना उगाती हैं अथवा ऐसी आटा या तेल मिलों की आय जो अपने स्वयं के खेत पर गेहूँ अथवा तिलहन उगाती हैं। इनकी कुल आय में एक अंश कृषि-आय का होता है तथा शेष आय व्यापारिक आय या कर-योग्य आय का। कर-योग्य का अंश मालूम करने के लिए करदाता द्वारा अपने फार्म पर उत्पादित माल का, जिसे उसने स्वयं ने ही कच्चे माल के रूप में काम में

लिया है, बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, अतः ऐसे माल को पैदा करने के अथवा कृषि करने के व्ययों को नहीं घटाया जाता है।

यहाँ बाजार मूल्य से आशय निम्नलिखित से है—

- (अ) यदि वह उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो उसका औसत बाजार मूल्य;
- (ब) यदि वह उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न राशियों के योग का उस वस्तु का उचित बाजार मूल्य माना जाता है—
 - (i) कृषि सम्बन्धी व्यय;
 - (ii) भूमि लगान व किराया; और
 - (iii) आय-कर अधिकारी की दृष्टि से लाभ की उचित मात्रा।

उदाहरण (Illustration): 4

गांगानगर शुगर मिल ने वित्तीय वर्ष 2008–09 में 50,000 किंवटल गन्ने को पेरा इसमें से 16,000 किंवटल गन्ने का उत्पादन स्वयं के फार्म पर किया जिसकी लागत 1,16,00,000 रु. हैं। शेष गन्ने को बाजार से निम्नलिखित मूल्य पर क्रय किया:

20,000 किंवटल 900 रु. प्रति किंवटल की दर से
 4,000 किंवटल 1200 रु. प्रति किंवटल की दर से
 10,000 किंवटल 1100 रु. प्रति किंवटल की दर से।

गत वर्ष 2008–09 के दौरान मिल ने कुल लाभ 75,00,000 रु. अर्जित किया। कृषि-आय तथा कर-योग्य व्यापारिक आय की गणना कीजिए।

Ganganagar Sugar Mills crushed 50,000 quintals of sugarcane during the financial year 2008–2009 out of which 16,000 quintals of sugarcane was produced on its own farm at a cost of Rs. 16,00,000. The remaining sugarcane was purchased from the open market at the following prices:

20,000 quintals @ Rs. 900 per quintal.

4,000 quintals @ Rs.1200 per quintal

10,000 quintals @ Rs.1100 per quintal

During the previous year 2008–09 the factory earned a total profit of Rs. 75,00,000. You are required to determine exempted agricultural income and taxable business income.

हल (Solution):

बाजार से क्रय किये गये गन्ने की लागत:

रुपये

20,000 किंवटल 900 रु. प्रति किंवटल की दर से	1,80,00,000
4,000 किंवटल 1200 रु. प्रति किंवटल की दर से	48,00,000
10,000 किंवटल 1100 रु. प्रति किंवटल की दर से	1,10,00,000
	—————
	3,38,00,000

औसत बाजार मूल्य 3,38,00,000

प्रति किंवटल = $\frac{34,000}{3,38,00,000}$ = 994.12 रु. या 994 रु.।

स्वयं के फार्म पर उत्पादित गन्ने का बाजार मूल्य ($16,000 \times 994$) 1,59,04,000

घटाओं: स्वयं के फार्म पर उत्पादित गन्ने कर लागत	<u>1,16,00,000</u>
कृषि आय	<u>43,04,000</u>
कुल लाभ कमाया गया	<u>75,00,000</u>
घटाओं: कृषि आय (कर—मुक्त)	<u>43,04,000</u>
कर—योग्य व्यापारिक आय	<u>31,96,000</u>

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर दायित्व निर्धारित करने के लिए कृषि आय को कुल आय के साथ जोड़ना

(Aggregation of agricultural Income for determination of Tax Liability under Income Tax Act)

यद्यपि भारतीय कृषि आय आयकर अधिनियम की धारा 10(1) में स्पष्टः कर से मुक्त है परन्तु आय कर निर्धारण के उद्देश्य से यह माना जाता है कि जिन व्यक्तियों को कृषि से आय होती है उन व्यक्तियों की कर चुकाने की क्षमता उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है जिनकी कृषि आय नहीं होती। अतः व्यष्टि करदाता एवं हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता की दशा में कृषि आय होने पर तथा निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होने पर कर दायित्व का निर्धारण करने हेतु कृषि आय को ध्यान में रखा जाता है:

- (i) करदाता व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार हो अर्थात् फर्म एवं कम्पनी की दशा में कर—निर्धारण करते समय कृषि आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है;
- (ii) ऐसे करदाता की अन्य कर—योग्य आय निर्धारित न्यूनतम कर—योग्य सीमा से अधिक हो; तथा
- (iii) ऐसे करदाता की शुद्ध कृषि आय भी 5,000 रु. से अधिक हो।

उपर्युक्त तीनों शर्तों की पूर्ति होने पर शुद्ध आयकर के दायित्व की गणना निम्नलिखित तीन चरणों में की जाती है:

प्रथम चरण: सर्वप्रथम करदाता की आकस्मिक आय एवं दीर्घकालीन पूँजीगत लाभों को छोड़ते हुए अन्य आय में कृषि आय को जोड़कर कुल आय पर कर की गणना की जाती है।

द्वितीय चरण: तत्पश्चात् 1,50,000 रु. (वरिष्ठ नागरिक के दशा में 2,25,000 रु. तथा 65 वर्ष से कम आयु वाली महिला की दशा में 1,80,000 रु.) में कृषि आय को जोड़कर कुल आय पर कर की गणना की जाती है।

अन्तिम चरण: पहले चरण में ज्ञात कर दायित्व में से दूसरे चरण में ज्ञात कर दायित्व को घटा दिया जाता है एवं शेष राशि ही सकल कर दायित्व मानी जाती है।

उदाहरण (Illustration): 5

श्री घनश्याम दास की गत वर्ष 2008–09 के लिए विविध साधनों से कर—योग्य आय 4,90,000 रु. थी। इस अवधि के लिए उनकी भारत में कृषि कार्य से आय 62,000 रु. थी। कर—निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिए उनका कर—दायित्व ज्ञात कीजिए यदि कर की दरें निम्न प्रकार हों;

कर—योग्य आय	कर की कर
प्रथम 1,50,000 रु. तक	शून्य
अगले 1,50,000 रु. पर	10%
अगले 2,00,000 रु. पर	20%
शेष आय पर	3%

शिक्षा उपकर: कुल देय कर का 3% हो तो बताइए कि क्या कृषि आय से कर—दायित्व प्रभावित होगा?

Taxable Income of Shri Ghanshyam Das was Rs. 4,90,000 from different sources during the previous year 2008–09. His Income from agriculture operations in India for the period was Rs. 62,000. Compute his tax liability for the Assessment year 2009–10, if the rate of Income Tax were as given below.

Taxable Income	Rate of Tax
On first Rs. 1,50,000	NIL
On next Rs. 1,50,000	10%
On next Rs. 2,00,000	20%
On balance	3%

Education Cess is 3% on total tax liability

State whether the Agricultural Income effects the tax liability?

हल (Solution):

Computation of Tax Liability of Shri Ghanshyam Das For the A.Y. 2009–10

(Taxable Income) कर–योग्य आय + (Agriculturea Income) कृषि आय Aggregatea Income सामूहिक आय	Rs.	Rs.
		4,90,000
		62,000
		5,52,000
Step I.: कुल आय 5,52,000 रु. पर कर का निर्धारण (Tax on Total Income Rs. 5,52,000)		
On first	Rs. 1,50,000- NIL	NIL
On Next	Rs 1,50,000- 10%	15,000
On Next	Rs. 2,00,000- 20%	40,000
On balance	Rs. 52,000 30%	15,600
Step II कृषि आय + न्यूनतम कर–योग्य आय सीमा 1,50,000 के योग $(62,000 + 1,50,000)$ अर्थात् 2,12,000 पर कर (Tax on sum of Agricultural Income and Minimum Taxable Income i.e.) Rs. $(62,000 + 150000) = Rs. 2,12,000$		70,600
On first	Rs. 1,50,000 NIL	NIL
On Balance	Rs. 62,000 10%	6,200
शिक्षा उपकर से पूर्व कर दायित्व		6,200

Tax Liability (before Education Cess)		63,400
Add: Education Cess 3%		
शिक्षा उपकर 3%		1,902
कुल कर दायित्व Total Tax Liability		62,302

(अ) कृषि आय के समायोजन के बिना कर—दायित्व

(Tax Liability Without Adjustment of Agriculture Income): कर की दर		रुपये
प्रथम	1,50,000 रुपये पर	NIL
अगले	1,50,000 रुपये पर	10%
शेष आय	1,90,000 रुपये पर	20%
कुल आय पर कर		53,000
जोड़ो: शिक्षा उपकर 3%		1,590
कुल कर दायित्व		54,590

कृषि आय के समायोजन के कारण कर—दायित्व में वृद्धि:

$$(62,302 - 54,590) = 7,712 \text{ रुपये}$$

नोट:— यदि कृषि आय जोड़ने के बाद तथा उसे जोड़ने से पूर्व 'कर की दर' का खण्ड (Slab) नहीं बदलता है तो कृषि आय के कारण कर—दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु यदि कर की दर का खण्ड (Slab of Tax rate) बदलता है तो कर—दायित्व प्रभावित होगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए

(1) भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार है:

(अ) केन्द्र सरकार को (ब) राज्य सरकार को (स) संसद को (द) राज्य के विधान मण्डल को। ()

(2) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कृषि आय कर मुक्त होती है:

(अ) भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि से आय

(ब) भारत में शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि से आय।

(स) भारत तथा विदेश में स्थित किसी भी कृषि भूमि से आय।

(द) उपयुक्त (अ) तथा (ब) दोनों। ()

(3) भारत में कर—मुक्त कृषि आय के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं:

(अ) आय कृषि भूमि से उत्पन्न होती हो;

(ब) भूमि भारत में स्थित हो;

(स) भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया हो;
(द) उपयुक्त तीनों ही दशाओं में

()

(4) भारत में चाय के उत्पादन से होने वाली आय काकृषि आय होता है।

(अ) 60% भाग (ब) 40% भाग (स) 65% भाग (द) 35% भाग ()

(5) भारत में कॉफी का शुद्धिकरण करने के बाद विक्रय करने से होने वाली आय काकृषि आय होता है।

(अ) 60% भाग (ब) 25% भाग (स) 75% भाग (द) 65% भाग ()

(6) भारत में रबड़ का उत्पादन करके विक्रय करने से होने वाली आय काभाग कर—मुक्त कृषि आय तथाकर—योग्य व्यापारिक आय माना जाता है।

(अ) (i) 65% भाग (ii) 35%

(ब) (i) 35% भाग (ii) 65%

(स) (i) 60% भाग (ii) 40%

(द) (i) 40% भाग (ii) 60% ()

उत्तर: [1 (द) 2 (द) 3 (द) 4 (अ) 5 (स) 6 (अ)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

1. चार प्रकार के कृषि आय के नाम लिखिए।

2. अंशतः कृषि आयों में से कोई दो आयों के नाम लिखिए।

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Answer Type Questions):

1. 'कृषि आय कर' के सम्बन्ध में एक सक्षिप्त लेख लिखिए। ऐसी पाँच आयों के नाम लिखिए जो भूमि से सम्बन्धित हैं लेकिन कृषि आय नहीं है।

2. किन्हीं तीन अंशतः कृषि आयों पर टिप्पणी लिखिए।

(द) क्रियात्मक प्रश्न (Numerical Questions)

1. निम्नलिखित आय कृषि—आय मानी जाती हैं अथवा नहीं? आय—कर की दृष्टि से विवेचना कीजिए:

(i) भारत में किसी ऐसी भूमि को किराये पर उठाने से प्राप्त आय जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है।

(ii) ऊटी (भारत) में चाय बागानों से आय।

(iii) भूमि पर स्वतः उगे पेड़—पौधों से होने वाली आय।

(iv) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश जिसकी सम्पूर्ण आय 'कृषि आय' है।

(v) कृषि कार्यों के लिए ड्रेक्टर आदि किराये पर देने से आय।

Whether the following incomes are treated as agricultural incomes? Discuss from the income tax point of view:

(i) Income received from letting out of a land situated in India, which is being used for agricultural operations.

(ii) Income from tea gardens in ooty (India).

- (iii) Income from trees and plant grown by nature on the land.
- (iv) Devidend received from an Indian company, the entire income of which is agricultural income.
- (v) Income from letting of tractors etc. for agricultural purposes.

उत्तर— (i) है (ii) है (iii) नहीं (iv) नहीं (v) नहीं।

2. निम्नलिखित आय कृषि-आय है अथवा नहीं? आय-कर के दृष्टिकोण से लगभग 20 शब्दों में विवेचना कीजिए:

- (i) कृषि कार्यों में लगी हुई फर्म के साझेदार द्वारा पूँजी पर प्राप्त ब्याज।
- (ii) स्वामी द्वारा किरायेदार की फसल को बेचने पर प्राप्त कमीशन।
- (iii) ढाका (बंगलादेश) में चाय के बगीचों से आय।
- (iv) कृषि कार्यों में प्रयुक्त पशुओं को चराने के लिए पट्टे पर दी गई भूमि से आय।
- (v) साहूकार द्वारा कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त ब्याज।
- (vi) सिंचाई के लिए दिये गये पानी के मूल्य के बदले प्राप्त कृषि उत्पाद के विक्रय से आय।
- (vii) अपनी भूमि पर पैदा गन्नों से गुड़ बनाकर बेचने से आय।
- (viii) फसल को भण्डार करने हेतु किराये पर उठाई गई भूमि से प्राप्त किराया।
- (ix) आटा मिल के लिए प्रयोग में आ रही भूमि का किराया।
- (x) नेपाल में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त किराया।

Whether the following incomes are treated as agricultural incomes? Discuss from the income tax point of view in about twenty words:

- (i) Interest on capital received by a partner from the firm engaged in agricultural operations.
- (ii) Commission earned by the landlord for selling agricultural produce of his tenant.
- (iii) Income from tea garden in Dhaka (Bangladesh).
- (iv) Income from land leased for grazing the cattle used for agricultural purpose.
- (v) Interest received by a money lender in the form of agricultural products.
- (vi) Income on sale of agricultural produce received by way of price for water supplied to land.
- (vii) Income from sale of gur converted from sugarcane raised on one's own field.
- (viii) Rent of land let out for storing agricultural produce.
- (ix) Rent of land used for a flour mill.
- (x) Rent received from agricultural land situated in Nepal.

उत्तर— (i) है (ii) नहीं (iii) नहीं (iv) है (v) नहीं (vi) नहीं (vii) हां (viii) नहीं
 (ix) नहीं (x) नहीं।

वर्ग (Section) B

अध्याय (Chapter) 3

सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962: परिचय एवं परिभाषाएं (CUSTOMS ACT, 1962 Introduction and Definitions)

सीमा शुल्क का अर्थ (Meaning of Customs Duty)

किसी देश की सीमा के भीतर किसी दूसरे देश से माल आने पर या देश की सीमा से माल बाहर जाने पर लगाये जाने वाले शुल्क को सीमा शुल्क (Customs Duty) कहा जाता है।

विस्तृत अर्थ में सीमा—शुल्क से तात्पर्य उन सभी प्रकार के तटकरों से हैं जिनमें आयात—कर निर्यात कर एवं मार्गवर्ती कर (Transit Duty) शामिल होते हैं। परन्तु तटकरों की सूची में आयात कर (Import Duty) सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः सीमा—शुल्क का संबंध प्रायः आयात कर से ही लगाया जाता है।

संक्षिप्त इतिहास (Brief History)

सीमा—शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वर्तमान सीमा—शुल्क अधिनियम संसद द्वारा 1962 में पारित किया गया तथा इसे 1 फरवरी 1963 से लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान सम्पर्ण भारत में लागू होते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आयात—निर्यात शुल्क का संग्रहण करना है। इस अधिनियम में 17 अध्याय एवं 161 धाराएं हैं।

इस अधिनियम में सीमा—शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके अधिकार, सीमा—शुल्क स्टेशनों की स्थापना, शुल्क का उद्ग्रहण, आयातित माल एवं निर्यात माल की निकासी, माल का गोदानीकरण, ड्यूटी ड्रा बैंक, तलाशी, जब्ती एवं गिरफतारी, अपील एवं पुनर्विचार आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

इसके बाद भी सीमा—शुल्क कानून के अनेक ऐसे पहल हैं जिनका इस अधिनियम में या तो उल्लेख ही नहीं है अथवा बहुत ही संक्षेप में उल्लेख है जैसे विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क एवं उनकी दरें, माल के मूल्यांकन संबंधी नियम आदि।

भारत में आयात—निर्यात के संबंध में कानूनी जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों का ज्ञान होना आवश्यक है:

1. सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962
 2. सीमा—शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
 3. धारा 156 के अन्तर्गत बनाये गये निम्नांकित महत्वपूर्ण नियम:
 - (i) सीमा—शुल्क मूल्यांकन(आयातित माल की कीमत निर्धारण) नियम, 2007
 - (ii) सहायक सामग्री (शर्त) नियम, 1963
 - (iii) यात्री सामान नियम, 1998
 - (iv) सीमा—शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी ड्रा बैंक नियम, 1995
 4. धारा 157 के अन्तर्गत केन्द्रीय बोर्ड ऑफ एक्साइज एवं कस्टम्स (CBEC) के द्वारा बनाये गये निम्नांकित महत्वपूर्ण विनियम (Regulations):
 - (i) आयात प्रतिवेदन (प्रारूप) विनियम, 1976
- (Import Report (Form) Regulations, 1976)

- (ii) निर्यात प्रतिवेदन (प्रारूप) विनियम, 1976
(Export Report (Form) Regulations, 1976)
- (iii) आयात माल सूची (हवाई जहाज) विनियम, 1976
(Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976)
- (iv) आयात माल सूची (जहाज) विनियम, 1971
(Import Manifest (Vessels) Regulations, 1971)
- (v) निर्यात माल सूची (हवाई जहाज) विनियम, 1976
(Export Manifest (Aircraft) Regulations, 1976)
- (vi) निर्यात माल सूची (जहाज) विनियम, 1976
(Export Manifest (Vessels) Regulations, 1976)

सीमा-शुल्क की प्रकृति (Nature of Customs Duty)

सीमा-शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा माल के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। इसे माल का केता माल की लागत में सम्मिलित कर लेता है। इस कर का भार वस्तु के अन्तिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है।

विदेश से देश में आने वाले माल पर जब सीमा-शुल्क को वसूल किया जाता है तब इस कर को आयात-शुल्क कहा जाता है। जब देश से बाहर जाने वाले माल पर सीमा-शुल्क वसूल किया जाता है, तब इसे निर्यात शुल्क कहा जाता है।

सीमा-शुल्क के उद्देश्य (Objects of Customs Duty)

सीमा-शुल्क को अपनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. केन्द्रीय सरकार के राजस्व प्राप्ति का स्रोत-

सीमा-शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य कुछ भी हो परन्तु इससे केन्द्रीय सरकार को राजस्व की प्राप्ति अवश्य होती है।

2. घरेलू उधोगों को संरक्षण प्रदान करना-

भारत में स्थापित लघु उधोगों एवं कुटीर उधोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विदेश से आने वाले माल पर सीमा-शुल्क लगाया जाता है। इससे विदेशी माल भारतीय बाजार में मंहगा हो जाता है तथा देशी माल सस्ता होने के कारण विदेशी माल की तुलना में भारतीय माल की मांग बढ़ जाती है।

3. निर्यात घटाने के लिए-

यदि निर्यात को घटाना जनता तथा देशहित में हो तो निर्यात-शुल्क बढ़ाकर विदेश में ऐसे माल को मंहगा किया जा सकता है। इससे भारतीय माल की विदेश में मांग कम हो जावेगी तथा माल की पूर्ति देश में बढ़ जावेगी एवं मूल्य भी कम हो जावेगें।

4. विदेशी मुद्रा का अपव्यय रोकने के लिए-

विलासिता की वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर भारत में उनको और भी अधिक मंहगा किया जा सकता है। इससे उन वस्तुओं के आयात में कमी आ सकती है तथा विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है।

5. वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए-

सीमा—शुल्क वस्तुओं की तस्करी को बढ़ाने एवं घटाने का एक साधन है। यदि सीमा—शुल्क की दरें ऊँची होगी तो तस्करी को बढ़ावा मिलेगा तथा यदि शुल्क की दरें कम होगी तो तस्करी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 में बहुत से ऐसे शब्दों की परिभाषा दी गई है जिनका प्रयोग अधिनियम में उसी अर्थ में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें निम्नलिखित हैं—

1. न्यायिक प्राधिकारी (Adjudicating Authority) [धारा 2(1)]-

सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (1) के अनुसार न्यायिक प्राधिकारी से आशय किसी भी ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई निर्णय अथवा आदेश देने के लिये सक्षम हो, परन्तु केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क एवं सीमा—शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, सीमा—शुल्क आयुक्त (अपील्स) अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

2. अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) [धारा 2 (1B)]-

अपीलेट ट्रिब्यूनल से आशय सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अन्तर्गत गठित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल से है। इसे संक्षेप में CESTAT कहा जाता है।

3. कर—निर्धारण (Assessment) [धारा 2(2)]-

कर—निर्धारण से आशय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से होता है। कर—निर्धारण में निम्न को भी सम्मिलित माना जाता है—

(i) अस्थाई अथवा आरजी कर—निर्धारण

(ii) पुनः कर—निर्धारण एवं

(iii) कर निर्धारण संबंधी ऐसा कोई आदेश जिसमें निर्धारित शुल्क की राशि शुन्य हो।

4. यात्री सामान (Baggage)[धारा 2(3)]-

“यात्री सामान (Baggage) में साथ न ले जाया जा रहा सामान भी सम्मिलित है परन्तु इसमें मोटर गाड़ियों सम्मिलित नहीं हैं।”

वास्तव में देखा जाये तो यात्री सामान की उक्त परिभाषा यात्री सामान को परिभाषित ही नहीं करती है। यह केवल यह बताती है कि इसमें कौनसा सामान सम्मिलित होगा तथा कौनसा सामान सम्मिलित नहीं होगा। अतः यात्री सामान की परिभाषा को भली प्रकार समझने के लिये हमें सीमा—शुल्क अधिनियम की धारा 2(22) में परिभाषित माल की परिभाषा पर विचार करना होगा।

धारा 2(22) के अनुसार माल में यात्री सामान भी शामिल है।” अतः यात्री सामान से आशय किसी यात्री के ऐसे सामान से है जो माल की परिभाषा में आता है तथा जिस पर सीमा—शुल्क देय है। ऐसा सामान यात्री के साथ भी हो सकता है अथवा यात्री के रवाना होने के पूर्व अथवा बाद में भी इसे विदेश से किसी यात्री के सामान के रूप में भेजा जा सकता है। परन्तु यदि ऐसा माल सीमा—शुल्क से कर—मुक्त है तो इसे यात्री सामान नहीं कहा जायेगा।

स्पष्टीकरण—

यात्री सामान (Baggage) एवं माल पर सीमा—शुल्क का निर्धारण अलग—अलग नियमों के अनुसार किया जाता है। यात्री सामान पर सीमा—शुल्क लगाने के लिये अलग नियम बनाये गये हैं।

5. प्रवेश बिल (Bill of Entry)[धारा 2(4)]-

यह एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रलेख है जो माल के आयातकर्ता द्वारा उचित प्रारूप में भर कर उचित अधिकारी को माल की निकासी के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

6. निर्यात बिल (Bill of Export)[धारा 2(5)]—

यदि कोई निर्यातकर्ता थल मार्ग से किसी माल का निर्यात करता है तो उसे माल की निकासी के पूर्व उचित अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है जिसे निर्यात बिल कहते हैं।

7. बोर्ड (Board) [धारा 2(6)]—

बोर्ड से आशय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड से है जिसका गठन Central Board of Revenue Act, 1963 के अधीन किया गया हो।

8. तटीय माल (Coastal Goods) [धारा 2(7)]—

तटीय माल से आशय ऐसे माल से है जो भारत में एक बन्दरगाह (Port) से दूसरे बन्दरगाह पर जलयान (Vessel) से ले जाया जाता है परन्तु इसमें आयातित माल शामिल नहीं है। तटीय माल पर सीमा-शुल्क देय नहीं होता है।

आयातित माल एवं तटीय माल में अन्तर

(Difference between Imported goods and coastal goods)

यदि विदेश से भारतीय सीमा में माल आ जाता है तथा माल पर आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसे भारत में किसी अन्य बन्दरगाह पर भेजा जाता है तो ऐसे माल को तटीय माल कहा जाता है।

यदि विदेश से भारतीय सीमा में आये माल को आयात शुल्क के भुगतान किये बिना भारत में दूसरे बन्दरगाह पर भेज दिया जाता है तो ऐसे माल को आयातित माल कहा जाता है।

तटीय माल पर सीमा शुल्क देय नहीं होता है परन्तु आयातित माल पर सीमा-शुल्क देय होता है।

उदाहरण के लिए, यदि करांची (पाकिस्तान) से कुछ माल मुम्बई बन्दरगाह पर आयात किया गया। इसे सीमा-शुल्क स्टेशन के क्षेत्र में जहाजी तट पर ही रखा गया तथा इसकी निकासी नहीं करवायी गयी। इसे दूसरे जहाज से बिना सीमा-शुल्क के भुगतान किये कोचीन के बन्दरगाह पर भेज दिया गया। इस स्थिति में कोचीन के बन्दरगाह पर माल की निकासी आयातीत माल की निकासी मानी जावेगी तथा इस पर सीमा-शुल्क (आयात-शुल्क) देय होगा। यदि मुम्बई बन्दरगाह पर माल की निकासी करवाने के पश्चात् माल को कोचीन भेजा जाता है तो मुम्बई बन्दरगाह पर आयातित माल की निकासी मानी जावेगी तथा कोचीन बन्दरगाह पर “तटीय माल” की निकासी मानी जावेगी।

9. वाहन (Conveyance) [धारा 2(11)]—

वाहन में जलयान, वायुयान एवं गाडियाँ सम्मिलित हैं।

10. सीमा-शुल्क क्षेत्र (Customs Area) [धारा 2 (11)]—

सीमा-शुल्क क्षेत्र से आशय सीमा-शुल्क स्टेशन के क्षेत्र से होता है तथा इसमें ऐसा क्षेत्र भी सम्मिलित है जहाँ आयातित माल अथवा निर्यात किये जाने वाला माल सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा इसकी निकासी की अनुमति प्रदान किये जाने के पूर्व सामान्यतः रखा जाता है।

11. शुल्क योग्य माल (Dutiable Goods) [धारा 2(14)]—

शुल्क योग्य माल से आशय ऐसे माल से है जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमा-शुल्क देय है तथा जिस पर ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी वस्तु को शुल्क योग्य उसी दशा में कहा जायेगा जबकि वह वस्तु इस अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार “माल” की परिभाषा में आती है तथा उसका उल्लेख सीमा-शुल्क टैरिफ में भी किया गया है।

12. माल के सम्बन्ध में प्रविष्टि (Entry) [धारा 2(16)]—

माल के संबंध में प्रविष्टि से आशय प्रवेश बिल (Bill of Entry) जहाजी बिल (Shipping bill) अथवा निर्यात बिल (Bill of Exports) में की जाने वाली प्रविष्टि से होता है। यदि माल का आयात

अथवा निर्यात डाक द्वारा (by post) किया जाता है तो धारा 82 में वर्णित प्रविष्टि भी इस धारा के लिये प्रविष्टि मानी जाती है।

13. निर्यात (Export) [धारा 2 (18)]—

निर्यात से आशय माल को भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने से है। धारा 2 (27) के अनुसार भारत में भारत की जलीय सीमा भी सम्मिलित है। धारा 2 (19) के अनुसार निर्यात माल से आशय ऐसे माल से है जिसे भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाता है। निर्यात किये जाने वाला जैसे ही भारत की जलीय सीमा को पार कर लेता है, निर्यात पूर्ण हुआ माना जाता है।

14. निर्यातकर्ता (Exporter) [धारा 2(20)]—

किसी माल के संबंध में निर्यातकर्ता में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो संबंधित माल के निर्यात के लिये प्रवेश से लेकर उसके उस माल के वास्तव में निर्यात कर दिये जाने के दौरान किसी भी समय उस मान का स्वामी रहा है अथवा स्वयं को निर्यातकर्ता प्रदर्शित करता है।

15. विदेश जाने वाला जलयान या हवाई जहाज

(Foreign-going vessel or aircraft) [धारा 2(21)]—

कोई जलयान या वायुयान जो भारत में किसी बन्दरगाह अथवा हवाई अडडे तथा भारत से बाहर किसी बन्दरगाह अथवा हवाई अडडे के मध्य माल अथवा यात्रियों को लाने—ले जाने में किसी भी समय लगाया जाये चाहे वह भारत में किसी मध्यवर्ती बन्दरगाह अथवा हवाई अडडे से होकर जाये अथवा नहीं विदेश जाने वाला जलयान या वायुयान कहलाता है। इसमें निम्न भी शामिल हैं—

- (i) किसी विदेशी सरकार का नौ सैनिक अभ्यास में भाग लेने वाला नौ—सैनिक यान,
- (ii) भारत की क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर मछली पकड़ने अथवा अन्य गतिविधियों में संलग्न कोई जलयान,
- (iii) कोई भी जलयान या वायुयान जो किसी भी अन्य उददेश्य से भारत के बाहर किसी स्थान पर पहुंच रहा हो।

16. माल (Goods) [धारा 2 (22)]— इस धारा के अनुसार माल में निम्न शामिल हैं—

- (i) जलयान, वायुयान तथा गाड़ियाँ
- (ii) जलयान या वायुयान में प्रयोग होने वाला स्टोर्स (Stores)
- (iii) यात्री सामान
- (iv) मुद्रा तथा विनिमय साध्य प्रपत्र
- (v) अन्य किसी प्रकार की चल सम्पत्ति

17. आयात (Import) [धारा 2(23)]—

आयात से आशय भारत के बाहर के किसी स्थान से माल को भारत में लाने से है। इस प्रकार कोई माल भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में लाया जाता है तो वह आयात कहलायेगा चाहे ऐसा माल वाणिज्यिक माल (Commercial Goods) हो अथवा अन्य किसी उपयोग के लिये हो।

18. आयातित माल (Imported Goods) [धारा 2(25)]—

आयातित माल से आशय ऐसे माल से है जो भारत के बाहर से भारत में लाया गया हो परन्तु इसमें ऐसा माल सम्मिलित नहीं है जिसकी घरेलू उपयोग के लिये निकासी हो चुकी हो। इस प्रकार जो माल सीमा—शुल्क अवरोध (Customs barrier) पर होता है तथा जो गोदाम (Ware House) में रख दिया जाता है वह माल

आयातित माल कहलाता है। जब इस माल को घरेलू प्रयोग के लिए सीमा—शुल्क अवरोध से बाहर निकाल दिया जाता है तब वह माल आयातित माल नहीं कहलाता है।

19. आयातकर्ता (Importer) [धारा 2(26)]—

आयातकर्ता से आशय उस व्यक्ति से है जो माल के आयात तथा उसकी घरेलू निकासी के बीच किसी भी समय उसका मालिक है अथवा अपने आपको मालिक प्रदर्शित करता है।

20. आयात माल सूची अथवा आयात प्रतिवेदन

(Import Manifest or Import Report)[धारा 2(24)]—

आयात माल सूची अथवा आयात प्रतिवेदन से आशय इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत सुपुर्द की जाने वाली माल सूची अथवा प्रतिवेदन से है। इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आयातित माल को ले जाने वाले जलयान अथवा वायुयान के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अथवा इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में निर्दिष्ट अन्य किसी व्यक्ति द्वारा एक आयात माल सूची तथा थल मार्ग से परिवहन की दशा में आयात प्रतिवेदन उचित अधिकारी को सुपुर्द किया जाता है।

21. भारतीय सीमा—शुल्क सागर क्षेत्र (Indian Customs Waters) [धारा 2 (28)]—

भारतीय सीमा—शुल्क सागर क्षेत्र से आशय The Territorial Waters Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones] Act, 1976 धारा 5 में वर्णित भारत के निकटवर्ती क्षेत्र (Contiguous Zone) की सीमा तक समुद्र में फैली हुई जल राशि से है तथा इसमें खाड़ी, ज्वार—भाटा, नदी, बन्दरगाह (bay,gulf,harbour,creek or river) शामिल हैं।

22. बाजार मूल्य (Market Price) [धारा 2 (30)]— बाजार मूल्य से आशय भारत में सामान्य व्यापार के दौरान किसी माल के थोक मूल्य से है।

23. प्रभारी व्यक्ति (Person in Charge) [धारा 2 (31)]— प्रभारी व्यक्ति से आशय निम्न से है—

- (अ) जलयान के संबंध में— जलयान का मास्टर,
- (ब) हवाई जहाज के संबंध में— हवाई जहाज का कमाण्डर अथवा वायुयान का प्रभारी पायलट
- (स) रेलगाड़ी के संबंध में—रेलगाड़ी का कन्डक्टर, गार्ड या गाड़ी का मुख्य निर्देशन करने वाला अन्य व्यक्ति
- (द) अन्य किसी वाहन के संबंध में—वाहन का चालक अथवा अन्य प्रभारी व्यक्ति।

24. निषिद्ध माल (Prohibited Goods) [धारा 2 (33)]— कोई भी ऐसा माल जिसका आयात अथवा निर्यात इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा तत्कालीन किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो, निषिद्ध माल कहलाता है। परन्तु इसमें ऐसा माल सम्मिलित नहीं है जिसके बारे में ऐसी शर्तें जो आयात अथवा निर्यात किये जाने की अनुमति प्रदान करने के लिये पूरी की जानी चाहियें, पूरी कर दी गई हों।

25. उचित अधिकारी (Proper officer) [धारा 2(34)]— इस अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के संबंध में उचित अधिकारी से आशय किसी भी ऐसे अधिकारी से है जिसे बोर्ड द्वारा अथवा सीमा—शुल्क के आयुक्त द्वारा इन कार्यों को करने के लिये अधिकृत कर दिया गया हो।

26. शिपिंग बिल (Shipping Bill) [धारा 2 (37)]— शिपिंग बिल से आशय धारा 50 में सन्दर्भित शिपिंग बिल से है। यदि कोई निर्यातकर्ता जल मार्ग अथवा वायु मार्ग से किसी माल का निर्यात करता है तो उसे माल की निकासी के पूर्व उचित अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है जिसे शिपिंग बिल कहते हैं। इस बिल के नीचे निर्यातकर्ता शिपिंग बिल में दिये गये विवरण की सत्यता के संबंध में घोषणा करता है।

27 स्टोर्स अथवा यान सामग्री (Stores) [धारा 2(38)]— स्टोर्स से आशय ऐसे माल से है जो जलयान अथवा वायुयान में प्रयुक्त होता है तथा जिसमें ईधन, स्पेयरपार्ट तथा अन्य उपकरण शामिल हैं चाहे वे तुरन्त काम में लेने के लिये हों अथवा नहीं।

28. तस्करी (Smuggling) [धारा 2(39)]— किसी माल के संबंध में तस्करी से आशय किसी ऐसे कार्य को करने अथवा नहीं करने से है जो उस माल को धारा 111 अथवा धारा 113 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य बना देता है।

29. टैरिफ मूल्य (Tariff Value) [धारा 2(40)]— किसी माल के संबंध में टैरिफ मूल्य से आशय धारा 14(2) के अन्तर्गत उसके लिये निर्धारित किसे गये टैरिफ मूल्य से है। इस मूल्य के अनुसार ही सीमा-शुल्क की वसूली की जाती है।

30. मूल्य (Value) [धारा 2(41)]— किसी माल के संबंध में मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से होगा जिसका निर्धारण सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14(1) अथवा धारा 14(2) के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो।

31. वाहन (Vehicle) [धारा 2(42)]— वाहन से आशय थल यातायात के लिये प्रयोग की गई किसी भी प्रकार की सवारी से है तथा इसमें रेल भी शामिल है।

32. भण्डारगृह अथवा गोदाम (Warehouse) [धारा 2(43)]— गोदाम से आशय धारा 57 के अन्तर्गत नियुक्त किये गये गोदाम अथवा धारा 58 के अन्तर्गत लाइसेन्स शुदा गोदाम से है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिएः

(1) सीमा शुल्क लगाया जाता है:

- (अ) विदेश से आयात किये गये माल पर।
 - (ब) विदेश को निर्यात किये गये माल पर
 - (स) अन्तर्राज्यीय विक्रय पर
 - (द) उपयुक्त अ तथा ब पर।
- ()

(2) सीमा शुल्क एक है।

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (अ) प्रत्यक्ष कर | (ब) अप्रत्यक्ष कर |
| (स) उपयुक्त अ तथा ब दोनों ही | (द) उपयुक्त में कोई नहीं |
- ()

(3) विदेश से देश में आने वाले माल पर जब सीमा शुल्क वसूल किया जाता है तो इसे कहा जाता है:

- (अ) तटकर
 - (ब) आयात कर
 - (स) निर्यात कर
 - (द) अन्तर्राज्यीय विक्रय कर
- ()

(4) प्रवेश बिल (Bill of Entry) भरा जाता है:

- (अ) निर्यातकर्ता द्वारा
 - (ब) आयातकर्ता द्वारा
 - (स) अन्तर्राज्यीय विक्रेता द्वारा
 - (द) उपयुक्त सभी द्वारा
- ()

(5) निर्यात बिल (**Bill of Export**) प्रस्तुत किया जाता है:

- (अ) वायु मार्ग से माल का निर्यात करने पर
- (ब) जल मार्ग से माल का निर्यात करने पर
- (स) थल मार्ग से माल का निर्यात करने पर
- (द) थल मार्ग से माल का आयात करने पर।

()

(6) तटीय माल का तात्पर्य है:

- (अ) विदेश से जलयान द्वारा लाये जाने वाला माल।
- (ब) विदेश से वायुयान द्वारा लाये जाने वाला माल
- (स) किसी देश में एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह पर जलयान से ले जाये जाने वाले माल को जिसमें आयातित माल सम्मिलित होता है।
- (द) किसी देश में एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह पर जलयान से ले जाये जाने वाले माल को जिसमें आयातित माल सम्मिलित नहीं होता है।

()

(7) सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य है—

- (अ) भारत में सामान्य व्यापार के दौरान माल का खुदरा मूल्य।
- (ब) भारत में सामान्य व्यापार के दौरान माल का थोक मूल्य।
- (स) भारत में विशिष्ट दशाओं में माल का थोक मूल्य
- (द) भारत में विशिष्ट दशाओं में माल का खुदरा मूल्य

()

(8) सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 'वाहन का आशय है—

- (अ) थल यातायात के लिए प्रयुक्त कोई भी सवारी, जिसमें रेल शामिल नहीं है
- (ब) थल यातायात के लिए प्रयुक्त कोई भी सवारी, जिसमें रेल शामिल है
- (स) वायु यातायात के लिए प्रयुक्त कोई भी सवारी।
- (द) जल यातायात के लिए प्रयुक्त कोई भी सवारी।

()

(9) भारत में सीमा—शुल्क अधिनियम, 1962 लागू हुआ:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (अ) 1 जनवरी 1962 से | (ब) 1 फरवरी 1963 से |
| (स) 1 अप्रैल 1962 से | (द) 1 अप्रैल 1963 से |
- ()

उत्तरः— [1 (द) 2 (ब) 3 (ब) 4 (ब) 5 (स) 6 (द) 7 (ब) 8 (ब) 9 (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (**Short Answer Type Questions**):

1. सीमा शुल्क का अर्थ बताइए।
2. सीमा शुल्क की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए।
3. सीमा शुल्क के कोई चार उद्देश्य बताइए।

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (**Essay Answer Type Questions**):

1. सीमा शुल्क का अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
2. तटीय माल से आप क्या समझते हैं। आयातित माल एवं तटीय माल में अन्तर स्पष्ट कीजिए। _____

वर्ग (Section) B

अध्याय (Chapter) 4

सीमा—शुल्क प्राधिकारी एवं उनके अधिकार .

(Customs Duty Authorities And Their Powers)

सीमा—शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा सीमा—शुल्क विभाग का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिये निम्न प्राधिकारियों की व्यवस्था की गयी है—

1. उत्पाद—शुल्क एवं सीमा—शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड
(Central Board of Excise and Customs)
2. सीमा—शुल्क अधिकारी
(Officer of Customs)
3. सीमा—शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये अपेक्षित अन्य अधिकारी
(Other Officers Required to Assist Officers of Customs)
4. अन्य विभाग के अधिकारियों को अधिकार सौंपना।
(Entrustment of Function to Officers of Other Departments)

1. उत्पाद—शुल्क एवं सीमा—शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड

(Central Board of Excise and Customs):

सीमा—शुल्क अधिनियम की धारा 2(6) में “बोर्ड” (Board) की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड से आशय उत्पाद—शुल्क एवं सीमा—शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड से है जिसका गठन राजस्व का केन्द्रीय मण्डल, अधिनियम, 1963 (Central Board of Revenue Act, 1963) के अधीन किया गया हो।

उत्पाद—शुल्क एवं सीमा—शुल्क का प्रशासन एवं नियन्त्रण इस बोर्ड के पास है तथा प्रशासन के संबंध में यह बोर्ड सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। इस बोर्ड में 5 से 7 तक सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड के अधिकार (Powers of Board)

1. सीमा—शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार
 2. अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में शर्तें एवं सीमाएँ लगाने का अधिकार
 3. सीमा—शुल्क पतन, सीमा—शुल्क हवाई पतन आदि के निर्धारण का अधिकार
 4. ऐसे स्थानों की घोषणा का अधिकार जहाँ गोदामीकरण स्टेशन बनाये जायेंगे
 5. सीमा—शुल्क अधिकारियों को सूचना जारी करने का अधिकार
 6. यात्री सामान के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार
 7. सीमा—शुल्क आयुक्त के किसी आदेश पर बोर्ड को पुनर्विचार करने का अधिकार
 8. बोर्ड का विधि—विधान अथवा विनियम (Regulations) बनाने का सामान्य अधिकार
2. सीमा—शुल्क अधिकारी (Officers of Customs) [धारा—3]:

सीमा—शुल्क अधिकारियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

1. सीमा—शुल्क मुख्य आयुक्त [Chief Commissioners of Customs]
2. सीमा—शुल्क आयुक्त [Commissioners of Customs]
3. सीमा—शुल्क आयुक्त (अपील) [Commissioners of Customs Appeal]
4. सीमा—शुल्क संयुक्त आयुक्त [Joint Commissioners of Customs]
5. सीमा—शुल्क उप आयुक्त [Deputy Commissioners of Customs]
6. सीमा—शुल्क सहायक आयुक्त [Assistant Commissioners of Customs]
7. सीमा—शुल्क के ऐसे अन्य अधिकारी जिनको इस अधिनियम के उददेश्यों के लिये नियुक्त किया गया है। [Other officers of customs]

अन्य व्यक्तियों की सीमा—शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्ति— निम्न व्यक्तियों को बोर्ड/केन्द्रीय सरकार ने सीमा—शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है—

- (1) भारत में किसी भी स्थान पर सीमा—शुल्क विभाग में मूल्यांकक (Appraisers), जॉचकर्ता (Examiners), अधीक्षक सीमा—शुल्क (रोकथाम करने वाले) [Superintendents Customs (Preventive)], रोकथाम करने वाले अधिकारी (Preventive Officers), महिला तलाशी कर्ता (Women Searchers), मन्त्रालियक (कार्यालय के) अधिकारी तथा चतुर्थ श्रेणी अधिकारी (Ministerial Officers and Class IV Officers),
- (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक (Superintendents), निरीक्षक (Inspectors), महिला तलाशीकर्ता (Women Searchers), कार्यालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Ministerial Staff and Class IV Staff), जिनकी नियुक्ति सीमा—शुल्क बन्दरगाह (Customs Port), सीमा—शुल्क हवाई अड्डा (Customs airport), थल सीमा—शुल्क स्टेशन (Land Customs Station), तटीय बन्दरगाह (Coastal Port), सीमा—शुल्क रोक—थाम पोस्ट (Customs Preventive Post), सीमा—शुल्क इन्टेलीजेन्स पोस्ट (Customs Intelligence Post) अथवा सीमा—शुल्क गोदाम (Customs Warehouse) पर की गई हो।
- (3) भारत में किसी भी स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क विभाग के अधीक्षक (Superintendents) एवं निरीक्षक (Inspectors)
- (4) राजस्व व गुप्तचर निदेशालय के सभी अधिकारी।
- (5) नशा नियन्त्रण ब्यूरो (Narcotics) के सभी अधिकारी।
- (6) केन्द्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो के सभी खुफिया अधिकारी।

3. सीमा—शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये अपेक्षित अन्य अधिकारी (Other Officers Required to Assist Officers of Customs) [धारा 151]—

इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये निम्न अधिकारियों को सीमा—शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिये अधिकृत किया गया है तथा उन्हे इस कार्य हेतु अधिकार भी दिये गये हैं—

- (a) केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क विभाग के अधिकारी;
- (b) नौ सेना के अधिकारी;
- (c) पुलिस के अधिकारी;
- (d) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति किसी बन्दरगाह

अथवा हवाई अडडे पर की गई है;

(e) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय सता के अन्य ऐसे अधिकारी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस आशय के लिये निर्देशित किया गया हो।

धारा 151(e) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार ने निम्न विभाग के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये अधिसूचित किया है तथा अधिकार प्रदान किये हैं—

1. एनफोर्समेण्ट (Enforcement) निदेशालय के विभिन्न अधिकारियों को जिनमें उप-निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य एनफोर्समेण्ट अधिकारी, एनफोर्समेण्ट अधिकारी एवं सहायक एनफोर्समेण्ट अधिकारी शामिल हैं।
2. बिहार राज्य में नियुक्त केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के अधिकारी (Officers of Central Reserve Police)
3. केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस बल के सदस्य (Members of the Central Reserve Police Force)
4. निम्न स्थानों पर नियुक्त भारतीय रेलवे के अधिकारी तथा रेलवे संरक्षण (Protection) बल के अधिकारी—

(A) भारत— नैपाल सीमा पर 50 किलोमीटर की ओडाई में,

(B) न्यूजलंपाईगुड़ी, तथा हावड़ा, बरौनी, कटिहार, लखनऊ तथा बरेली रेलवे स्टेशन पर गढ़रा (Garhara) ट्रान्सिप्मेंट यार्ड (Transhipment yard) पर।

4. अन्य विभाग के अधिकारियों को अधिकार सौंपना (Entrustment of Function to Officers of Other Departments) [धारा-6]—

इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने निम्न अधिकारियों को सीमा-शुल्क से संबंधित कुछ कार्यों को सौंपा है:

(i) धारा 105(1) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त अथवा उप-आयुक्त कोकिसी परिसर की तलाशी लेने के कार्य अथवा अधिकार को राजस्व गुप्तचर निदेशालय, नई दिल्ली (Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi) में कार्यरत सह-निदेशक अथवा उप-निदेशक एवं सहायक आयुक्त को सौंपा गया है।

(ii) त्रिपुरा राज्य में नियुक्त केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस बल (Central Reserve Police Force or CRPF) के कुछ अधिकारियों को धारा 100 से 110 तक से संबंधित कुछ अधिकारों को सौंपा गया है।

(iii) सीमा-सुरक्षा बल (Border Security Force) के अधिकारियों को चाहे वे कहीं भी नियुक्त हों धारा 100 से 110 तक से संबंधित कुछ अधिकारों को सौंपा गया है।

(iv) संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप समूह के प्रशासक (Administrator of the Union Territory of Lakshadweep Islands) कैलेक्टर तथा विकास आयुक्त (Collector-Cum Development Commissioner) तथा द्वीपसमूह के पुलिस आयुक्त (Superintendent Police of the Islands) को सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त एवं उप आयुक्त के निर्दिष्ट कार्य सौंपे गये हैं।

(v) तट सुरक्षा अधिनियम, 1978 (Coast Guard Act, 1978) के तहत गठित तट सुरक्षा (Coast Guard) के अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों (Subordinate officers) को धारा 100 से 110 तक के कार्यों में से कुछ कार्य सौंपे गये हैं।

(vi) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) के अधिकारियों को चाहे वे कहीं भी नियुक्त हों धारा 100 से 110 तक से संबंधित कुछ अधिकारों का सौंपा गया है।

(vii) मिजोरम, मणीपुर, नागालैण्ड एवं अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त पुलिस अधिकारियों को धारा 100 से 110 तक से संबंधित कुछ अधिकारों को सौंपा गया है।

(viii) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नियुक्त पुलिस अधिकारियों को धारा 100 से 110 तक (धारा 105,108, एवं 109 को छोड़कर) से संबंधित कुछ अधिकार सौंपे गये हैं।

सीमा—शुल्क अधिकारियों के अधिकार (Powers of Customs Officers)

सीमा—शुल्क अधिकारियों को इस बात के लिये आश्वस्त होने के लिये व्यापक अधिकार दिये गये हैं कि सीमा—शुल्क की चोरी नहीं हो पाये तथा शुल्क की राशि सही तरीके से वसूल हो सकें। संक्षेप में उनको निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं—

1. भारत में प्रवेश कर रहे या भारत छोड़कर जा रहे संदेहास्पद व्यक्तियों की तलाशी लेने का अधिकार [धारा—100]:

2. कुछ अन्य दशाओं में संदेहास्पद व्यक्तियों की तलाशी लेने का अधिकार [धारा—101]: सीमा—शुल्क आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सीमा—शुल्क अधिकारी के पास यदि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने निम्न वस्तुओं में से जब्त करने योग्य कोई वस्तु अपने पास छिपा रखी है अथवा उससे संबंधित प्रपत्र छिपा रखे हैं तो वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है—

(अ) सोना (Gold)

(ब) हीरे—जवाहरात (Diamonds)

(स) सोना अथवा हीरे—जवाहरात से बनी वस्तुएँ (Manufactures of gold or diamonds)

(द) घड़ियाँ (Watches)

(य) अन्य किसी वर्ग की वस्तुएँ जो केन्द्र सरकार ने राजकीय गजट के द्वारा अधिसूचित कर दी हों।

3. छिपाये गये माल की खोज करने के लिये सन्देहास्पद व्यक्तियों के शरीरों का स्क्रीन या एक्स—रे कराने का अधिकार [धारा—103]

4. गिरफ्तार करने का अधिकार [धारा—104]:

सीमा—शुल्क आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिकृत सीमा—शुल्क अधिकारों के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने भारत अथवा भारतीय सीमा—शुल्क सागर क्षेत्र में धारा 132 अथवा 133 अथवा धारा 135 अथवा धारा 135A अथवा धारा 136 के तहत दण्डनीय कोई अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

5. परिसर की तलाशी लेने का अधिकार [धारा—105]:

6. वाहनों को रोकने एवं तलाशी लेने का अधिकार [धारा—106]:

7. माल एवं लेखों के निरीक्षण करने का अधिकार [धारा—106A]:

8. व्यक्तियों की जाँच करने का अधिकार [धारा—107]:

9. गवाही देने तथा प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार [धारा—108]:

10. थल मार्ग द्वारा आयातित माल की निकासी की अनुमति देने वाले आदेश को प्रस्तुत करवाने का अधिकार [धारा—109]:

11. माल, प्रपत्र एवं वस्तुएँ कब्जे में लेने का अधिकार [धारा—110]:

12. जब्त किये गये माल, दस्तावेज एवं वस्तुओं को अस्थाई रूप से छोड़ने का अधिकार [धारा—110A]:

13. माल के नमूने लेने का अधिकार [धारा—144]:

14. कुछ माल अथवा वस्तुएँ जब्त करने का अधिकार

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए

(1) सीमा शुल्क विभाग का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है:

- (अ) प्रत्यक्ष करों का बोर्ड।
- (ब) उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड।
- (स) अप्रत्यक्ष करों का बोर्ड।
- (द) सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त।

()

(2) सीमा शुल्क विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है।

- (अ) सीमा शुल्क आयुक्त
- (ब) सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त
- (स) सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)
- (द) अधीक्षक

()

(3) सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है:

- (अ) संसद द्वारा
- (ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा
- (स) केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा
- (द) बोर्ड के सदस्यों द्वारा

()

उत्तर [1 (ब) 2 (ब) 3 (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

1. सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को प्रभारी रूप से लागू करने के लिए किन प्राधिकारियों की व्यवस्था की गयी है।
2. उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड के कोई चार अधिकारों के नाम लिखिए।
4. किन्हीं चार सीमा शुल्क अधिकारियों के पदों के नाम लिखिए

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Answer Type Questions):

1. उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. सीमा-शुल्क अधिकारियों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक लेख लिखिए।

वर्ग (Section) B

अध्याय (Chapter) 5

अर्थ—दण्ड एवं अभियोजन

(Penalties and Prosecutions)

सीमा—शुल्क अधिनियम एवं नियमों में अनेक प्रकार के अपराधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अपराधी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये भी अलग—अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं। दण्ड की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रावधानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. माल एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती (Confiscation of goods and other things)
2. अर्थ दण्ड लगाना (Imposition of Penalties)
3. अभियोजन या सजा देना (Prosecutions)

माल एवं अन्य वस्तुओं को जब्त करना

(Confiscation of Goods and other things)

I. अनुचित रूप से आयातित माल की जब्ती

(Confiscation of improperly imported goods) [धारा—111]:

भारत के बाहर किसी स्थान से लाया गया निम्न माल जब्ती के योग्य माना जाता है—

1. जल मार्ग अथवा वायुमार्ग से आयात किया गया कोई भी ऐसा माल , जिसको ऐसे माल को उतारने के लिये धारा 7(a) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये सीमा—शुल्क बन्दरगाह अथवा सीमा—शुल्क हवाई अड्डे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उतार दिया गया है अथवा उतारने का प्रयास किया गया है।
2. थल मार्ग अथवा आन्तरिक जल मार्ग से आयात किया गया कोई भी ऐसा माल जो ऐसे माल के आयात के लिये धारा 7(c) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट मार्ग (route) के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग से आयात किया गया है।
3. कोई भी शुल्क योग्य या निर्दिष्ट माल, जिससे एक सीमा—शुल्क बन्दरगाह के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उतारने के उद्देश्य से किसी खाड़ी अथवा ज्वारभाटा नदी (bay,gulf,creek or river) में लाया गया है।
4. इस अधिनियम अथवा अन्य किसी कानून के द्वारा लगाये गये किसी प्रतिबन्ध के बावजूद किसी माल का आयात किया गया है अथवा आयात करने का प्रयास किया गया है अथवा भारतीय सीमा—शुल्क सागर क्षेत्र में आयात के उद्देश्य से लाया गया है।
5. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल, जो किसी भी वाहन में किसी भी विधि से छिपाया हुआ मिला है।
6. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल, जिसका उल्लेख आयात सूची अथवा आयात प्रतिवेदन में किया जाना चाहिये परन्तु जिसका इनमें उल्लेख नहीं किया गया है।
7. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल, जिसको धारा 32 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी वाहन से उतारा गया है। परन्तु इसमें भूल से उतारा गया कोई माल सम्मिलित नहीं है बशर्ते कि इसे धारा 45(2) के अन्तर्गत रखे गये अभिलेखों में शामिल किया गया है।
8. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल?, जिसको धारा 33 या धारा 34 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उतारा गया है अथवा उतारने का प्रयास किया गया है।

9. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल जो किसी पैकेट में किसी भी विधि से माल को उतारने से पूर्व अथवा बाद में छिपाया हुआ मिला हो।
10. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल, जिसको उचित अधिकारी की अनुमति के बिना अथवा ऐसी अनुमति की शर्तों के विपरीत किसी सीमा-शुल्क क्षेत्र से या किसी गोदाम से हटा लिया गया है अथवा हटाने का प्रयास किया गया है।
11. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल, जिसे थल मार्ग से आयात किया गया है तथा जिसके संबंध में धारा 109 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले माल की निकासी की अनुमति देने वाला आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा जो उस आदेश में दिये गये विशिष्टिकरण के साथ किसी महत्वपूर्ण विवरण से मेल नहीं खाता है।
12. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल जो इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि में शामिल नहीं है अथवा शामिल मात्रा से अधिक है या यात्री सामान (baggage) की दशा में धारा 77 के अन्तर्गत की गई घोषणा में शामिल नहीं है अथवा शामिल मात्रा से अधिक है।
13. कोई भी माल, जो मूल्य के संबंध में या किसी अन्य मामले में इस संबंध में की गई प्रविष्टि से मेल नहीं खाता अथवा यात्री सामान (baggage) की दशा में धारा 77 के अन्तर्गत की गई घोषणा से मेल नहीं खाता अथवा माल के अन्तर-पोत अन्तरण (Transhipment) की दशा में धारा 54(1) के अन्तर्गत की गई घोषणा से मेल नहीं खाता।
14. कोई भी शुल्क योग्य माल अथवा निर्दिष्ट माल जिसका गमन धारा 52 से 56 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करके (अर्थात् बिना अनुमति अथवा बिना शुल्क चुकाये) किया गया है अथवा इस प्रकार से गमन किये जाने का प्रयास किया गया है, चाहे ऐसा गमन या गमन का प्रयास अन्तर-पोत अन्तरण (Transhipment) के साथ किया गया हो अथवा बिना उसके किया गया हो।
15. ऐसा आयातित माल जो कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर शुल्क मुक्त है, परन्तु न तो इन शर्तों की पूर्ति की गई है और न ही शर्तों की पूर्ति नहीं करने के लिये उचित अधिकारी की अनुमति ली गई है।
16. कोई भी अधिसूचित मालजिसके संबंध में अध्याय IVA(धारा 11A से धारा 11G तक) के प्रावधानों तथा इनसे संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया है।

II. अनुचित रूप से निर्यात किये जाने वाले माल की जब्ती

(Confiscation of goods attempted to be improperly exported) [धारा-113]:

अग्र प्रकार के निर्यात माल जब्ती के योग्य होगे—

- (1) कोई भी माल जिसे निर्धारित सीमा-शुल्क बन्दरगाह या सीमा-शुल्क हवाई अडडे के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से समुद्री मार्ग अथवा वायुमार्ग द्वारा निर्यात किये जाने का प्रयास किया गया है।
- (2) कोई भी माल जिसे धारा 7(a) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में निर्यात के लिये निर्दिष्टि मार्ग (route) के अतिरिक्त अन्य किसी थल मार्ग या आन्तरिक जल मार्ग द्वारा निर्यात किये जाने का प्रयास किया गया है।
- (3) कोई भी माल, जिसे निर्धारित थल सीमा-शुल्क स्टेशन अथवा सीमा-शुल्क बन्दरगाह के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से निर्यात किये जाने के लिये किसी थल सीमा अथवा भारत के समुद्री तक के पास या किसी खाड़ी या ज्वारभाटा नदी (bay,gulf,creek or tidalriver) के पास लाया गया हो।
- (4) कोई भी ऐसा माल जिसका निर्यात इस अधिनियम अथवा अन्य किसी कानून के द्वारा निर्दिष्ट होने के बावजूद भी निर्यात करने का प्रयास किया गया है अथवा जिसे निर्यात करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क क्षेत्र में लाया गया है।
- (5) कोई भी माल, जो किसी ऐसे पैकेट में छिपाया हुआ मिला है जिसे निर्यात के उद्देश्य से किसी सीमा-शुल्क क्षेत्र की सीमाओं में लाया गया है।

- (6) कोई भी माल, जिसे गैर अनुमोदित स्थान से बिना सीमा-शुल्क अधिकारी की देखरेख के लादा गया है अथवा लादने का प्रयास किया गया है।
- (7) कोई भी माल, जिसे उचित अधिकारी की अनुमति के बिना भारत से बाहर भेजने के लिये किसी भी वाहन पर लादा गया है अथवा लादने का प्रयास किया गया है अथवा किसी जहाज में लादने के लिये जलावतरण (Water Borne) किया गया है अथवा जलावतरण करने का प्रयास किया गया है।
- (8) कोई भी माल, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि (Entry) में अथवा यात्री सामान (baggage) की दशा में धारा 77 के अन्तर्गत की गई घोषणा में शामिल नहीं किया गया है अथवा शामिल की गई मात्रा से अधिक है।
- (9) कोई भी निर्यात के लिये प्रविष्टि माल जो इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि के विवरण से मेल नहीं खाता अथवा यात्री सामान (baggage) की दशा में धारा 77 में की गई घोषणा के विवरण से मेल नहीं खाता।
- (10) शुल्क-वापसी (Duty Drawback) के दावे के अन्तर्गत निर्यात के लिये प्रविष्टि कोई माल जो धारा 75 के अन्तर्गत शुल्क-वापसी की दर के निर्धारण के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्यातकर्ता या निर्माता के द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना के महत्वपूर्ण विवरण से मेल नहीं खाता।
- (11) कोई भी माल जिस पर आयात- शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तथा जो धारा 74 के अन्तर्गत शुल्क-वापसी के दावे के साथ निर्यात के लिये प्रविष्ट हुआ है।
- (12) कोई भी माल जिसकी निर्यात के लिये निकासी की गई हो परन्तु जो निर्यातक उसके प्रतिनिधि या उसके कर्मचारी द्वारा जानबूझकर किये गये किसी कार्य, लापरवाही अथवा किसी चूक के कारण निर्यात के लिये लादा ही नहीं गया अथवा निर्यात के लिये लादे जाने के बाद बिना उचित अधिकारी की अनुमति के वापस उतार लिया गया।
- (13) कोई भी निदिष्ट माल जिसके संबंध में अध्याय IVB (धारा 11H से धारा 11M तक) के प्रावधानों अथवा इस अध्याय के उददेश्यों की पूर्ति हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन हुआ हो।

III. वाहनों की जब्ती

(Confiscation of Conveyances) [धारा—155]:

- (1) कोई भी जलयान जो भारतीय सीमा-शुल्क सागर क्षेत्र (Indian Customs Waters) में है या कोई भी वायुयान जो भारत में है अथवा कोई भी अन्य वाहन जो सीमा-शुल्क क्षेत्र में है एवं इस विधि से बनाया गया है जिससे उसके भीतर माल को छुपाया जा सके।
- (2) कोई भी वाहन जिसमें से सम्पूर्ण माल अथवा उसका कुछ भाग फैक दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो जिससे कि सीमा-शुल्क अधिकारी उसे जब्त न कर सकें।
- (3) कोई भी वाहन जिसे धारा 106 के अन्तर्गत तलाशी लेने के लिये ठहरने अथवा उतरने के लिये कहा गया हो परन्तु वह बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के ऐसा नहीं करता।
- (4) कोई भी वाहन जिसमें से गोदाम से निर्यात हेतु निकाले गये माल को अथवा शुल्क-वापसी के दावे के तहत निर्यात हेतु निकासित (Cleared) अन्य माल को बिना उचित अधिकारी की अनुमति के उतार दिया गया हो।
- (5) आयातित माल को लेकर आ रहा कोई भी वाहन जो भारत में प्रवेश कर चुका हो तथा बाद में पता चले कि सम्पूर्ण अथवा अधिकांश माल गायब है। परन्तु यदि जलयान अथवा हवाई जहाज का मास्टर माल की हानि अथवा कभी का सही हिसाब दे दे तो उस वाहन को जब्त नहीं किया जायेगा।
- (6) कोई भी ऐसा वाहन अथवा पशु जो माल की तस्करी में परिवहन के साधन के रूप में काम में लाया जा रहा है अथवा जिसमें तस्करी का माल लदा हुआ है, तो ऐसे वाहन अथवा पशु को जब्त कर लिया जायेगा। परन्तु वाहन अथवा पशु का मालिक यदि यह सिद्ध कर देता है कि उस वाहन या पशु से तस्करी का माल

बिना उसकी या उसके प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मिलिभगत के ले जाया जा रहा था तो उस वाहन अथवा पशु को जब्त नहीं किया जायेगा।

परन्तु ऐसा वाहन यदि माल अथवा यात्रियों को लाने ले जाने के लिये किराये पर दिया जाता है तो वाहन के मालिक को यह विकल्प दिया जायेगा कि वाहन को जब्त होने से बचाने के लिये जुर्माना दे दे। जुर्माने की राशि उस माल के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी, जिसकी तस्करी की जानी थी अथवा जिसकी तस्करी की गई है।

IV पार्सल एवं उसकी अन्तर्वस्तुओं की जब्ती

(Confiscation of Packages and their Contents) [धारा-118]:

यदि किसी पार्सल (Package) में आयात किया गया कोई माल जब्त करने योग्य है तो वह पार्सल तथा उसमें आयात किया गया अन्य माल भी जब्त करने योग्य होगा।

यदि किसी माल को निर्यात करने के उददेश्य से किसी पार्सल में सीमा-शुल्क क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लाया गया है तथा वह जब्त करने योग्य है तो वह पार्सल तथा उसमें रखा हुआ अन्य माल भी जब्त करने योग्य होगा।

V. तस्करी के माल को छिपाने के लिये काम में लिये गये माल की जब्ती

(Confiscation of goods used for concealing smuggled goods) [धारा-119]:

तस्करी के माल को छिपाने के लिये काम में लाया गया अन्य कोई माल भी जब्त कर लिया जायेगा। परन्तु इस धारा के उददेश्यों के लिये माल में वाहन शामिल नहीं है। अर्थात् तस्करी का माल अन्य माल में छिपाकर किसी वाहन से ले जाया जा रहा है तो इस धारा के अन्तर्गत अन्य माल को तो जब्त कर लिया जायेगा परन्तु वाहन को जब्त नहीं किया जायेगा।

VI. तस्करी के माल की जब्ती चाहे भले ही माल का स्वरूप बदल गया हो

(Confiscation of smuggled goods even if there is a change in the form of goods) [धारा-120]:

(1) तस्करी के माल को जब्त किया जा सकता है, चाहे भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया हो।

(2) यदि तस्करी के माल को अन्य माल के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि तस्करी का माल उससे अलग नहीं किया जा सके तो सम्पूर्ण माल को ही जब्त कर लिया जायेगा।

परन्तु ऐसे माल का स्वामी यदि यह सिद्ध कर देता है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी या उसके पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि उस माल में तस्करी किया गया माल भी शामिल है तो उस माल का केवल उतना भाग ही जब्त किया जायेगा जिसका मूल्य तस्करी के माल के मूल्य के बराबर है।

VII. तस्करी के माल की विक्रय-राशि को जब्त करना

(Confiscation of sale proceeds of smuggled goods) [धारा-121]:

यदि तस्करी के माल को ऐसे व्यक्ति के द्वारा बेच दिया जाता है जिसको इस बात की जानकारी है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह माल तस्करी का है तो उस माल की विक्रय राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

अर्थ—दण्ड

(Penalties)

यदि कोई व्यक्ति निम्नांकित में से कोई भी भूल या चूक करता है तो उस व्यक्ति पर निर्धारित अर्थ—दण्ड लगाया जा सकता है:

1. माल आदि का अनुचित आयात

(Improper importation of goods) [धारा-112]:

(अ) यदि कोई व्यक्ति किसी माल के संबंध में ऐसा कोई काम करता है अथवा कोई ऐसा काम नहीं करता है तथा उसके वह काम करने से अथवा नहीं करने से संबंधित माल धारा 111 के अन्तर्गत जब्ती के लिये दायी हो जाता है अथवा ऐसा काम करने अथवा नहीं करने के लिये अन्य किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित (Abets) करता है, अथवा नहीं करने के लिये अन्य किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित (Abets) करता है, अथवा

(ब) यदि कोई व्यक्ति के कब्जे में ऐसा आयातित माल है जिसके विषय में वह जानता है अथवा उसके पास जानने का उचित कारण है कि ऐसा माल धारा 111 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य है फिर भी वह ऐसे माल के ले जाने, हटाने, जमा कराने, बन्दरगाह पर ले जाने (Harbouring), रखने, छिपाने, क्रय-विक्रय करने अथवा अन्य किसी प्रकार से व्यवहार करने में किसी प्रकार से संबंधित है तो उस पर निम्न अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है:

- (i) यदि ऐसे माल का आयात निषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है तो ऐसे माल के मूल्य के बराबर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (ii) यदि माल प्रतिबन्धित नहीं है परन्तु शुल्क योग्य है तो शुल्क की अपवंचन की गई राशि के बराबर,
- (iii) यदि प्रवेश बिल में बताये गये अथवा यात्री सामान के लिये घोषित मूल्य इनके वास्तविक मूल्य से अधिक है तो दोनों मूल्यों के अन्तर के बराबर अर्थदण्ड लगाया जाता है
- (iv) यदि माल प्रतिबन्धित है तथा उसका मूल्य भी अधिक बताया गया है अर्थात उपरोक्त उप-वाक्यांश (i) एवं (iii) में वर्णित दोनों चूक एक साथ की गई हों तो माल के मूल्य के बराबर अथवा दोनों मूल्यों के अन्तर के बराबर, दोनों में जो भी अधिक हो अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (v) यदि माल प्रतिबन्धित नहीं है परन्तु शुल्क योग्य है तथा उसका मूल्य भी अधिक बताया गया है अर्थात उप-वाक्यांश (ii) एवं (iii) में वर्णित दोनों चूक एक साथ की गई हों तो शुल्क की अपवंचन की गई राशि के बराबर अथवा दोनों मूल्यों के अन्तर के बराबर, दोनों में जो भी अधिक हो अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

प्रत्येक दशा में न्यूनतम अर्थ-दण्ड की राशि 5,000 रुपये निर्धारित की गई है अर्थात उपर्युक्त परिस्थितियों में वर्णित अर्थ-दण्ड की राशि 5,000 रुपये से कम हो तो अर्थ-दण्ड की राशि 5,000 रुपये होगी।

2. माल का अनुचित रूप से निर्यात का प्रयास

(Attempt to export goods improperly) [धारा-114]:

यदि कोई व्यक्ति किसी माल के संबंध में जिसे वह निर्यात करने का प्रयास कर रहा है कोई ऐसा काम करता है अथवा किसी काम को करने में भूल करता है जिसके करने अथवा नहीं करने से ऐसा माल धारा 113 के अन्तर्गत जब्ती के योग्य हो जाता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा काम करने अथवा नहीं करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति पर अग्रलिखित अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है:

- (1) प्रतिबन्धित (Prohibited) माल के संबंध में अर्थदण्ड— निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य का तीन गुना या इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य दोनों में जो भी अधिक हो।
- (2) शुल्क योग्य माल (प्रतिबन्धित नहीं हो) के संबंध में अर्थदण्ड— शुल्क के अपवंचन के बराबर अथवा 5,000 रुपये दोनों में जो भी अधिक हो।
- (3) अन्य किसी माल के संबंध में—माल के निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो।

3. कम शुल्क लगने अथवा शुल्क न लगने के मामले में अर्थ—दण्ड

(Penalty for short levy or non levy of duty) [धारा—114A]:

यदि मिलिभगत या जानबूझकर दिये गये मिथ्या कथन अथवा तथ्यों की छिपावट के कारण से कोई सीमा—शुल्क नहीं लगा है अथवा कम लगा है, ब्याज नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है अथवा शुल्क अथवा ब्याज गलती से वापस कर दिया गया है तो धारा 28 (2) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क अथवा ब्याज का भुगतान करने के लिये दायी व्यक्ति पर इस धारा के अन्तर्गत शुल्क या ब्याज की राशि के बराबर अर्थ—दण्ड भी लगाया जायेगा।

परन्तु धारा 28(2) में निर्धारित शुल्क अथवा ब्याज की राशि एवं धारा 28AB में उस पर देय ब्याज की राशि, ऐसे शुल्क का निर्धारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश की सूचना मिलने की तिथि के 30 दिन के भीतर चुका दी जाती है तो अर्थ—दण्ड की राशि इस प्रकार निर्धारित शुल्क अथवा ब्याज के 25 प्रतिशत के बराबर होगी।

परन्तु इस प्रकार घटाये गये अर्थ—दण्ड का लाभ उसी दशा में मिलेगा जब करदाता अर्थ—दण्ड की राशि का भुगतान भी उक्त सूचना मिलने की अवधि से 30 दिन के भीतर कर देता है।

यदि शुल्क या ब्याज की देय राशि को आयुक्त (अपील), अपीलेट ट्रिब्यूनल, अथवा किसी न्यायालय द्वारा घटा दिया जाता है अथवा बढ़ा दिया जाता है तो इस धारा के अन्तर्गत देय अर्थ—दण्ड की राशि को भी उसी प्रकार समायोजित कर दिया जायेगा।

यदि शुल्क या ब्याज की देय राशि को आयुक्त (अपील), अपीलेट ट्रिब्यूनल, अथवा न्यायालय द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो करदाता को घटे हुये अर्थ—दण्ड का लाभ उसी दशा में मिल सकेगा जबकि वह बढ़ाई गई शुल्क की राशि अथवा ब्याज की राशि धारा 28AB के अन्तर्गत बढ़ी हुईराशि पर देय ब्याज की राशि तथा बढ़ी हुई राशि के 25 प्रतिशत के बराबर अर्थ—दण्ड की राशि का भुगतान भी ऐसे बढ़ातरी के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कर देता है।

यदि इस धारा के अन्तर्गत अर्थ—दण्ड लगा दिया जाता है तो धारा 112 अथवा धारा 114 के अन्तर्गत अर्थ—दण्ड नहीं लगाया जायेगा।

4. मिथ्या अथवा सामग्री के उपयोग पर अर्थ—दण्ड

(Penalty for use of false and incorrect material) [धारा—114AA]:

इस अधिनियम के उददेश्यों के लिये किये गये किसी व्यवसाय संबंधी व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा किसी इसादे से ऐसे किसी घोषणा पत्र, कथन अथवा दस्तावेज को तैयार करता है, हस्ताक्षर करता है अथवा उपयोग करता है अथवा तैयार करने, हस्ताक्षर करने अथवा उपयोग करने का कारण बनता है, जिससे कोई महत्वपूर्ण तथ्य मिथ्या अथवा गलत है तो ऐसा व्यक्ति अर्थ—दण्ड के लिये दायी होगा। अधिकतम अर्थ—दण्ड माल के मूल्य के पाँच गुने तक लगाया जा सकता है।

5. माल का हिसाब नहीं देने पर अर्थ—दण्ड

(Penalty for not accounting for goods) [धारा—116]:

यदि कोई माल भारत में आयात किये जाने के लिये किसी वाहन में लादा जाता है अथवा कोई माल इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक वाहन से उतारकर दूसरे वाहन पर लादा गया है अथवा तटर्वती माल किसी वाहन में ले जाया गया है परन्तु उस माल को भारत में उसके गन्तव्य स्थान पर नहीं उतारा जाता है अथवा कम मात्रा में उतारा जाता है तथा वाहन का प्रभारी व्यक्ति सीमा—शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त को माल नहीं उतारने अथवा कम मात्रा में उतारने का संतोषप्रद कारण नहीं बताता है तो वाहन के प्रभारी व्यक्ति पर निम्न अर्थ—दण्ड लगाया जा सकता है—

(अ) आयात के उददेश्य से लाये जा रहे माल की दशा में जितना माल नहीं उतारा गया अथवा कम उतारा गया, उस माल पर जो आयात—शुल्क की राशि देय होती उस राशि के दुगुने तक का अर्थदण्ड:

(ब) तटीय माल की दशा में न उतारे गये अथवा कम मात्रा में उतारे गये माल पर जो निर्यात शुल्क देय होता उस शुल्क की राशि के दुगुने तक का अर्थ—दण्ड।

6. अर्थ—दण्ड की राशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की दशा में

(In case Penalty is not expressly mentioned) [धारा-117]:

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की अवहेलना करता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अवहेलना करने के लिये दुष्प्रेरित (Abets) करता है अथवा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं करता है जो उसे अपने दायित्व के रूप में पालन करना चाहिये था तथा ऐसी अवहेलना अथवा दायित्व की विफलता के लिये अधिनियम में अर्थ—दण्ड के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हो तो उस व्यक्ति पर 9 मई, 2008 तक अधिकतम 10,000 रुपये तक का अर्थ—दण्ड लगाया जा सकता है। परन्तु 10 मई, 2008 से अधिकतम एक लाख रुपये तक का अर्थ—दण्ड लगाया जा सकता है।

अपराध एवं अभियोजन (Offences and Prosecutions)

1. झूठी घोषणा करने अथवा झूठे दस्तावेज प्रयोग करने आदि के लिये सजा

(Prosecution for making false declaration or Using false documents etc.) [धारा-132]:

यदि कोई व्यक्ति सीमा—शुल्क संबंधी किसी व्यावसायिक सौदे में किसी ऐसी घोषणा कथन अथवा दस्तावेज आदि पर हस्ताक्षर करता है अथवा उनका उपयोग करता है जिनके बारे में वह जानता है अथवा जानने का उसके पास कारण है कि किसी महत्वपूर्ण विवरण के संबंध में ऐसी घोषणा कथन अथवा दस्तावेज झूठा है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी किसी घोषणा कथन अथवा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने अथवा इनका प्रयोग करने के लिये प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर जुर्माना किया जा सकता है अथवा उसे सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

2. सीमा—शुल्क अधिकारी के काम में बाधा डालना

(Obstruction of officer of Customs) [धारा-133]:

यदि कोई व्यक्ति, किसी सीमा—शुल्क अधिकारी द्वारा उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में जान—बूझकर बाधा डालता है तो उस व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसे सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. एक्स—रे करवाने से इनकार करना (Refusal to be X-rayed) [धारा-134]:

यदि कोई व्यक्ति धारा 103 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद भी किसी रेडियोलोजिस्ट को अपने शरीर का स्क्रीन करने अथवा एक्स—रे करने के लिये मना करता है अथवा उसको रोकता है अथवा धारा 103 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसके शरीर में छिपायें गये जब्त योग्य माल को बाहर निकालने के लिये रजिस्टर्ड चिकित्सक की सलाह व निगरानी में की जा रही उचित कार्यवाही के लिये मना करता है अथवा उसको रोकता है तो उस व्यक्ति को 6 माह तक की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसे सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

4. शुल्क की अपवंचना तथा निषिद्ध माल (Evasion of duty and prohibition of goods) [धारा-135]:

(अ) यदि कोई व्यक्ति जान—बूझकर (i) किसी माल पर कपटपूर्ण तरीके से शुल्क का अपवंचन करता है, अथवा (ii) शुल्क के अपवंचन का प्रयास करता है अथवा (iii) प्रतिबन्धित माल का आयात अथवा निर्यात करता है, अथवा (iv) मूल्य की घोषणा गलत करता है, अथवा

(ब) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा आयातित माल है जिसके बारे में वह जानता है अथवा उसके पास वह जानने का प्रयाप्त कारण है कि ऐसा माल धारा 111 अथवा धारा 113 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य है अथवा ऐसे माल के ले जाने, हटाने, जमा करने आश्रय देने (harbouring) रखने, छिपाने, क्य—विक्रय करने अथवा अन्य कोई व्यवहार करने से संबंधित है अथवा

(स) यदि कोई व्यक्ति ऐसे माल को निर्यात करने का प्रयास करता है जिसके बारे में वह जानता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह माल धारा 113 के अन्तर्गत जब्त करने योग्य है अथवा

(द) इस अधिनियम के तहत माल के निर्यात के संबंध में दी गई शुल्क मुक्ति अथवा शुल्क वापसी (drawback) को कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे निम्न सजा दी सकती है—

(1) निम्न अपराधों के संबंध में उसे 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है एवं जुर्माना भी किया जा सकता है—

(A) किसी माल के संबंध में अपराध जिसका बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है, अथवा

(B) यदि 30 लाख रुपये से अधिक की शुल्क वंचना की जाती है अथवा शुल्क वंचना का प्रयास किया जाता है, अथवा

(C) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी प्रतिबन्धित माल के संबंध में अपराध किया जाता है अथवा

(D) उपर्युक्त वाक्यांश (द) में वर्णित अपराध में शुल्क वापसी अथवा शुल्क मुक्ति से संबंधित राशि 30 लाख रुपये से अधिक है।

परन्तु एक वर्ष से कम की सजा विशिष्ट तथा पर्याप्त कारण होने पर ही दी जायेगी तथा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इनका उल्लेख किया जायेगा।

(ii) अन्य किसी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है अथवा जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

विशेष एवं पर्याप्त कारण हो तो 3 वर्ष से कम अवधि की सजा भी दी जा सकती है, परन्तु ऐसे कारणों का उल्लेख न्यायालय को अपने फैसले में करना होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त अपराध की पुनरावृति करता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सामान्यतः अपराध की पुनरावृति करने पर एक वर्ष से कम अवधि क सजा नहीं दी जायेगी। परन्तु यदि विशिष्ट एवं पर्याप्त कारण हो तो एक वर्ष से कम अवधि की भी सजा दी जा सकती है परन्तु ऐसे कारणों का उल्लेख न्यायालय को अपनें फैसले में करना होगा।

निम्न को विशेष एवं पर्याप्त कारण नहीं माना जायेगा—

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त पर पहली बार अपराध सिद्ध किया गया है

(ii) इसी अपराध के लिये अभियुक्त पर जुर्माना लगा दिया गया है अथवा संबंधित माल को जब्त कर लिया गया है अथवा उसके विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही की गई है।

(iii) अभियुक्त मुख्य अपराधी नहीं था तथा वह केवल माल वाहक के रूप में ही कार्य कर रहा था अथवा अपराध के करने में गौण पक्षकार था।

(iv) अभियुक्त की उम्र।

(5) प्रतिबन्धित माल के निर्यात की तैयारी

(Preparation for export of prohibited goods) [धारा-135A]:

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करके किसी माल के निर्यात की तैयारी करता है तथा मामले की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोका गया तो वह ऐसा अपराध अवश्य करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अथवा जुर्माना किया जा सकता है अथवा सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(6) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपराध

(Offences by officers of Customs) [धारा-136]:

(1) यदि सीमा—शुल्क का कोई अधिकारी सीमा—शुल्क के अपवंचन में अथवा किसी प्रतिबन्धित माल को लाने—ले जाने के संबंध में कोई समझौता करता है अथवा कोई कार्य करता है अथवा किसी कार्य को करने से दूर रहता है अथवा कुछ छिपाता है अथवा अन्य किसी व्यक्ति को कपटपूर्ण तरीके से निर्यात में सहयोग करता है अथवा सीमा—शुल्क के वंचन में सहयोग करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर जुर्माना किया जा सकता है अथवा सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(2) यदि सीमा—शुल्क का कोई अधिकारी:

(अ) किसी व्यक्ति की तलाशी इस उददेश्य से लेता है कि उसने जब्त करने योग्य कोई माल अथवा उससे संबंधित दस्तावेज अपने पास छिपा रखे हैं जबकि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(ब) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जबकि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता कि धारा 135 में वर्णित किसी अपराध के लिये दोषी है।

(स) किसी स्थान की तलाशी लेता है अथवा अन्य किसी सीमा—शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने के लिये अधिकृत करता है जबकि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता कि धारा 105 में वर्णित कोई माल, दस्तावेज अथवा वस्तुएँ उस स्थान पर छिपाई गई हैं तो ऐसे अधिकारी को 6 माह के कारावास की सजा दी जा सकती है अथवा 1,000 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसे दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

(3) यदि कोई सीमा—शुल्क अधिकारी नियमों की अवहेलना करके किसी माल के संबंध में कोई ऐसी सूचना प्रकट करता है जो उसे कार्यालयीन हैसियत (Official Capacity) के कारण ज्ञात है तो उसे 6 माह तक के कारावास की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर 1,000 रु. तक जुर्माना किया जा सकता है अथवा सजा एवं जुर्माने दोनों से दण्डित किया जा सकता है। परन्तु यदि उसने ऐसी सूचना अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में सद्भावना से प्रकट की है अथवा किसी कानून के अनुपालना में प्रकट की है, तो उसके कोई सजा नहीं दी जायेगी।

(7) कम्पनियों द्वारा अपराध या जुर्म (Offences by Companies) [धारा—140]:

यदि कोई जुर्म कम्पनी के द्वारा किया जाता है तो ऐसी दशा में कम्पनी के कार्यों की देखभाल के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को तथा स्वयं कम्पनी को भी दोषी माना जायेगा तथा दोनों पर ही कार्यवाही की जायेगी। इस धारा के लिये कम्पनी से अभिप्राय किसी भी नियमित संस्था से है जिसमें फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय को भी सम्मिलित किया गया है। फर्म की दशा में संचालक से आशय फर्म के साझेदार से है।

यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने का उचित प्रयास किया था तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अपराध किसी संचालक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से किया गया था अथवा उसकी लापरवाही के कारण हुआ तो संबंधित अधिकारी को दोषी माना जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए

(1) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है:

(अ) माल को जब्त करके

(ब) अर्थदण्ड लगाकर

(स) सजा देकर

(द) उपयुक्त सभी प्रकार से

()

(2) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये जाने का प्रावधान है:

- (अ) केवल माल को
- (ब) माल को छिपाने के लिए लाये गये अन्य माल को।
- (स) तस्करी का माल लाने वाले वाहन को।
- (द) उपयुक्त सभी को।

()

उत्तर [1 (द) 2 (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 115 के वाहनों की जब्ती से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
2. माल को जब्ती के बदले जुर्माना चुकाने के विकल्प के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
3. माल का अनुचित रूप से आयात करने पर कितना अर्थ-दण्ड लगाया जाता है ?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Answer Type Questions):

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत माल एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
 2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 'अर्थदण्ड लगाने' से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
-

वर्ग (Section): B
अध्याय (Chapter) 6
कर दायित्व एवं माल का मूल्यांकन
(Tax Liability and Valuation of Goods)

सीमा शुल्क दायित्व
(Liability to Customs Duty)

सीमा-शुल्क दायित्व से आशय भारत में आयात होने वाले माल अथवा भारत से निर्यात किये जाने वाले माल पर शुल्क के भुगतान के लिये उत्तरदायी होने से है। सीमा-शुल्क दायित्व सम्बन्धी प्रावधानों में दो प्रकार के प्रावधानों का अध्ययन करना होता है: (i) यह देखना कि कोई व्यक्ति सीमा शुल्क के भुगतान के लिये उत्तरदायी है अथवा नहीं। दूसरे यदि वह भुगतान के लिये उत्तरदायी है तो उसके दायित्व की मात्रा अथवा सीमा अथवा राशि का निर्धारण करना।

सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 12 को इस आशय के लिये प्रभारी धारा (Charging Section) माना जाता है। परन्तु इसके साथ ही धारा 15, धारा 16 एवं अन्य कुछ धाराओं के अध्ययन के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यक्ति कब सीमा-शुल्क के भुगतान के लिये दायी है अथवा कब नहीं है। इसी प्रकार दायित्व की मात्रा का निर्धारण सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14 तथा टैरिफ अध्ययन 1975 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण
(Levy of Customs Duty)

शुल्क योग्य माल (Dutiable Goods)[धारा 12]:

सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनके लिये इस अधिनियम में अथवा प्रभावी किसी अन्य कानून में कोई विपरीत प्रावधान हो, भारत में आयात किये गये अथवा भारत से निर्यात किये गये मालों पर सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण ऐसी दरों से होगा, जो सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) या प्रभावी अन्य किसी कानून के अन्तर्गत निर्दिष्ट कर दी गयी है।

इस धारा के प्रावधान सरकारी माल पर भी उसी प्रकार से लागू होगे, जिस प्रकार से गैर-सरकारी माल पर लागू होते हैं।

शुल्क योग्य माल की उपर्युक्त परिभाषा के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

- (1) सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण भारत में आयात किये गये माल अथवा भारत से निर्यात किये गये माल पर किया जाता है।
- (2) सीमा-शुल्क की दरें सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में दी गई हैं।
- (3) इस अधिनियम में या किसी अन्य कानून में ऐसी भी कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें सीमा-शुल्क नहीं लगाया जाता है।

1. आयातित माल पर कर दायित्व (Tax liability on imported Goods):—

यहाँ पर अध्ययन की विषय वस्तु यह निर्धारित करना है कि आयातित माल पर दायित्व किस समय उत्पन्न होता है तथा उस समय माल किस स्थान पर होता है। दूसरे शब्दों में शुल्क योग्य घटना (Taxable events) घटित होने का समय और स्थान निर्धारण करना है।

1. आयातित माल के सम्बन्ध में शुल्क योग्य घटना (Taxable event in case of imported Goods):—

आयातित माल के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क का दायित्व उत्पन्न होने के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ रही हैं। पहली विचारधारा के अनुसार जैसे ही माल लाने वाला जलदाय भारतीय जलीय क्षेत्र को पार कर लेता है, आयात पूर्ण हो जाता है तथा करदाता आयात शुल्क के भुगतान के लिये उत्तरदायी हो जाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार आयात उस समय पूर्ण माना जाता है जब माल सीमा शुल्क अवरोध (barrier) को पार कर लेता है। इस विचारधारा के अनुसार आयातकर्ता को सीमा-शुल्क के भुगतान के लिये उत्तरदायी ठहराने के लिये माल का सीमा-शुल्क बैरियर पर पहुँचना आवश्यक है।

इस विषय में Garden Silk Mills V/s Union of India के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय विचारधारा को स्वीकार किया है। इस निर्णय के अनुसार भारत में माल का आयात उस समय प्रारम्भ होता है जब माल भारत की जलीय सीमा में प्रवेश करता है तथा यह उस समय पूर्ण होता है जब माल सीमा-शुल्क अवरोध (Customs barrier) को पार कर लेता है। इस निर्णय के अनुसार आयात माल पर कर दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब वह सीमा-शुल्क अवरोध (Customs barrier) पर पहुँचता है तथा घरेलू उपयोग के लिये निकासी हेतु प्रवेश बिल (bill of entry) प्रस्तुत किया जाता है। यदि माल को सीमा-शुल्क गोदाम में रख दिया जाता है तो सीमा-शुल्क दायित्व उस समय उत्पन्न होगा जब माल की गोदाम से निकासी के लिये प्रवेश बिल (bill of entry) प्रस्तुत किया जाता है।

2. आयातित माल पर शुल्क की मात्रा का निर्धारण

(Determination of amount of duty on imported Goods)—

जब किसी आयातित माल के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह माल शुल्क योग्य है तो अगला कदम यह निर्धारण करना होता है कि शुल्क की मात्रा कितनी होगी? इस सम्बन्ध में दो बातें तय की जाती हैं। प्रथम तो विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने की दर निश्चित करना तथा दूसरे शुल्क की दर निश्चित करना। मुद्रा को परिवर्तन करने की दर (exchange rate) बदलती रहती है अतः वह तिथि निर्धारण करना जिस तिथि की विनिमय दर का प्रयोग किया जायेगा। इसी प्रकार शुल्क की दर भी दो तिथियों की अलग-अलग हो सकती है, अतः यह निर्धारित करना की कौनसी तिथि की दर का प्रयोग किया जाये? इस सम्बन्ध में धारा 15 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है।

आयात किये गये माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि

(Date of determination of rate of duty and tariff valuation in case of imported Goods)[धारा-15]:

किसी आयात किये गये माल पर शुल्क मूल्यांकन निम्न प्रकार लागू होंगे—

(अ) यदि माल का प्रवेश धारा 46 के अन्तर्गत सीधो घरेलू उपभोग के लिये हुआ है तो जिस दिन ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रवेश बिल (Bill of entry) धारा 46 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है, उसी तिथि की प्रभावी शुल्क की दर लगेगी तथा उसी तिथि का टैरिफ मूल्यांकन (विनिमय दर सहित) लागू होगा। परन्तु जलयान या वायुयान के आने से पूर्व ही यदि प्रवेश बिल प्रस्तुत कर दिया गया है तो जिस दिन जलयान का प्रवेश हुआ है या वायुयान का आगमन हुआ है, प्रवेश बिल उस दिन का माना जायेगा। दूसरे शब्दों में प्रवेश बिल प्रस्तुत करने की तिथि अथवा जलयान के प्रवेश की तिथि जो बाद की हो, उस तिथि की शुल्क दर एवं उसी तिथि का टैरिफ मूल्यांकन (विनिमय दर सहित) लागू होगा।

(ब) ऐसे माल की दशा में जिसकी निकासी गोदाम से धारा 68 के तहत की जाती है तो शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन (विनिमय दर सहित) उस तिथि की लागू होगी, जिस तिथि को इस धारा के तहत ऐसे माल के सम्बन्ध में घरेलू उपभोग के लिये प्रवेश बिल प्रस्तुत किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार यदि किसी माल को गोदाम में रखने की अवधि समाप्त हो जाये परन्तु उस अवधि की समाप्ति तक उस माल को नहीं हटाया जाये तो यह मान लिया जायेगा कि ऐसे माल की निकासी उस दिन हो गई थी जिस दिन उसकी समाप्त हुई थी तथा उसी दिन की शुल्क की दर एवं मूल्यांकन उस माल पर लागू होंगे।

(स) अन्य किसी दशा में शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन (विनिमय दर सहित) उस तिथि की लगेंगी जिस तिथि को शुल्क का भुगतान किया जाता है।

टिप्पणी—

जलयान के प्रवेश की तिथि अथवा वायुयान के आगमन की तिथि वह तिथि होती है जिस दिन सीमा-शुल्क प्राधिकारी उसका प्रवेश अथवा आगमन अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं।

3. आयातित माल का मूल्यांकन (Valuation of Imported Goods)—

इस सम्बन्ध में धारा 14 के प्रावधान एवं मूल्यांकन नियम 1988 के प्रावधान लागू होते हैं जिनका वर्णन आगे इसी अध्याय में किया गया है।

4. आयात शुल्क की दरें एवं देय शुल्क की राशि की गणना

(Rates of Import duty and Computation of amount of duty payable)—

इस सम्बन्ध में टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधान लागू होते हैं।

5. आयात शुल्क दायित्व के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान

(Other provisions regarding Import Duty Liability)—

(अ) भारत से निर्यात के बाद माल का पुनः आयात

(Reimportation of goods after having exported from India)[धारा-20]—

यदि कोई माल भारत से निर्यात किये जाने के बाद पुनः आयात किया जाता है तो ऐसे माल पर आयात शुल्क देय होगा।

ऐसा माल उन सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा जिनके अधीन उसी किस्म एवं मूल्य का माल आयात किये जाने पर होता।

(ब) परित्यक्त, टूटा हुआ, फैंका हुआ अथवा बहता हुआ माल

(Goods Derelict, Wreck, Jetsam or Floatsam)[धारा-21]—

भारत में लाये गये अथवा आने वाले उन सभी मालों के साथ जिनको त्याग दिया गया है समुद्र में फैंक दिया गया है अथवा जो समुद्र में प्रवाहित हो गये हैं अथवा टूट गये हैं, वैसा ही व्यवहार किया जायेगा मानो कि उनका भारत में आयात किया गया है तथा उन पर आयात शुल्क भी देय होगा। परन्तु यदि उचित अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दिया जाता है कि ऐसा माल इस अधिनियम के अन्तर्गत बिना शुल्क आयात किया जा सकता है तो उस माल पर शुल्क नहीं लगेगा।

(स) चोरी गये माल पर शुल्क (Duty on Pilfered Goods)[धारा-13]—

यदि आयातित माल की उत्तराई के बाद परन्तु उचित अधिकारी द्वारा घरेलू उपयोग के लिये निकासी का आदेश देने से पूर्व अथवा गोदाम में जमा कराने के आदेश देने से पूर्व उसमें से कुछ माल चोरी हो जाता है तो आयातकर्ता चोरी गये माल के सम्बन्ध में आयात शुल्क के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा। परन्तु यदि चोरी गया माल आयातकर्ता को उपलब्ध करा दिया जाता है तो वह माल के सम्बन्ध में आयात शुल्क के भुगतान के लिये दायी हो जायेगा।

(द) क्षतिग्रस्त या बिगड़े हुये माल पर शुल्क में छूट

(Abatement of duty on damaged or deteriorated Goods)[धारा-22]—

यदि सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त इस तथ्य से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि—

1. कोई भी आयातित माल उत्तराई के पूर्व अथवा उत्तराई के दौरान किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बिगड़ गया हो, अथवा

2. कोई भी आयातित माल (उस माल को छोड़कर जिसका गोदामीकरण किया गया है) भारत में उसकी उत्तराई के बाद परन्तु धारा 17 के अन्तर्गत उसकी जाँच किये जाने से पूर्व किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा बिगड़ गया है; अथवा
3. कोई भी गोदामित माल (Warehoused goods) घरेलू उपयोग के लिये उसकी निकासी से पूर्व किसी भी समय किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है तो आयातकर्ता द्वारा ऐसे माल पर निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा—

क्षति या बिगड़ाव से पूर्व माल पर शुल्क

$$\text{देय शुल्क} = \frac{\text{क्षति या बिगड़ाव से पूर्व माल का मूल्य}}{\text{क्षति या बिगड़ाव से पूर्व माल का मूल्य}} \times \text{क्षतिग्रस्त या बिगड़े हुये माल का मूल्य}$$

क्षतिग्रस्त या बिगड़े हुये माल का मूल्य, उस माल के स्वामी की इच्छानुसार निम्न विधियों में से किसी भी एक विधि के द्वारा ज्ञात किया जायेगा—

(i) ऐसे माल का मूल्य उचित अधिकारी के द्वारा ज्ञात किया जायेगा;

(ii) ऐसे माल को उचित अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक नीलामी या टेण्डर द्वारा या स्वामी की सहमति से बेचा जा सकता है तथा सकल विक्रय राशि ऐसे माल का मूल्य मान जायेगा।

इस धारा की छूट उन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं होगी जब माल आयातकर्ता या उसके कर्मचारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर किये गये किसी कार्य, लापरवाही या चूक के कारण क्षतिग्रस्त हुआ हो अथवा बिगड़ गया हो।

(य) खोये हुये, नष्ट हुये या त्यागे गये माल पर शुल्क में छूट

(Remission of duty on lost, destroyed or abandoned goods)[धारा-23]—

यदि कोई आयातित माल घरेलू उपयोग के लिये निकासी से पूर्व किसी भी समय खो गया है अथवा नष्ट हो गया है तथा सीमा—शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो वे ऐसे माल पर शुल्क वसूल नहीं करेंगे।

यदि किसी आयातित माल का स्वामी धारा 47 के अन्तर्गत घरेलू उपयोग के लिये उस माल की निकासी का आदेश दिये जाने से पूर्व अथवा धारा 60 के अन्तर्गत उस माल को गोदाम में जमा कराने का आदेश दिये जाने से पूर्व किसी भी समय उस माल पर अपना स्वत्व (title) छोड़ देता है तो ऐसा करने के बाद वह उस माल पर शुल्क चुकाने के लिये दायी नहीं होगा।

परन्तु इस अधिनियम अथवा प्रभावी किसी अन्य अधिनियम के तहत ऐसे किसी माल के संबंध में अपराध किया गया प्रकट होता है तो ऐसे माल के मालिक को अधिकार त्यागने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी—

इस धारा के अन्तर्गत कम मात्रा में चोरी किया गया अथवा खोया हुआ माल (Pilferage) नहीं आता है क्योंकि उसे धारा 13 के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(फ) शुल्क से मुक्ति देने का अधिकार

(Power to grant exemption from duty)[धारा-25]—

यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके सामान्य रूप से या तो बिना शर्त (absolutely) अथवा ऐसी शर्तों के साथ (जो निकासी के पूर्व अथवा बाद में पूरी की जानी हो) जिनको अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो, किसी भी माल को पूर्णतः अथवा अशांतः सीमा शुल्क से मुक्त कर सकती है।

यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा सामरिक महत्व के किसी माल को अथवा गुप्त प्रकृति के किसी माल को अथवा

पुण्यार्थ उद्देश्य के किसी भी माल को जिस पर सीमा शुल्क देय है, शुल्क के भुगतान से मुक्त कर सकती है परन्तु ऐसी कर-मुक्ति के कारणों का उल्लेख आदेश में किया जाना आवश्यक है।

II निर्यात माल पर कर दायित्व (Tax Liability on Export Goods)

1. निर्यात माल के सम्बन्ध में शुल्क योग्य घटना

(Taxable event in case of Export goods):

निर्यात माल के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क का दायित्व उत्पन्न होने के सम्बन्ध में भी दो विचारधाराएँ रही हैं। पहली विचारधारा के अनुसार जैसे ही माल ले जाने वाला जलयान भारत के भू-खण्ड (Land mass) को छोड़ता है अर्थात् सीमा शुल्क अवरोध (Customs barrier) को पार कर लेता है, निर्यात पूर्ण हो जाता है तथा करदाता निर्यात शुल्क चुकाने के लिये दायी हो जाता है तथा साथ ही निर्यात संवर्द्धन तथा डियूटी ड्रा बैंक आदि के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी हो पाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार निर्यात उस समय प्रारम्भ होता है जब माल ले जाने वाला जहाज सीमा-शुल्क अवरोध (Customs barrier) पार कर लेता है तथा उस समय पूर्ण होता है जब जहाज भारतीय जलीय क्षेत्र (Indian Territorial water) को पार कर लेता है। इस विचारधारा के अनुसार यदि जहाज सीमा शुल्क अवरोध से रवाना होने के बाद भारतीय जलीय क्षेत्र में ढूब जाता है तो निर्यातकर्ता निर्यात शुल्क चुकाने के लिये दायी नहीं होगा तथा निर्यात लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं होगा।

इस विषय में Collector of Customs Vs Sun Exports के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय विचारधारा को स्वीकार किया है। इस निर्णय के अनुसार निर्यात उस समय पूर्ण हुआ माना जाता है जब माल भारतीय जलीय सीमा को पार कर लेता है तथा सम्पत्ति क्रेता को हस्तान्तरित हो जाती है।

इस विषय में VM Salgaocar V. UOI के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की डबल बैच द्वारा दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि निर्यात उस समय पूर्ण होता है जब माल भारतीय जलीय क्षेत्र को पार कर लेता है। इस मामले में निर्यातक द्वारा कच्चे लोहे के निर्यात के लिये जहाजी बिल 8.3.1985 को प्रस्तुत किया गया तथा बाह्य प्रविष्टि 11.3.1985 को स्वीकृत की गई। 3,00,000 रुपये का निर्यात शुल्क चुका दिया गया। माल लादना प्रारम्भ हो गया इसी दौरान 17.3.1985 की अधिसूचना द्वारा कच्चे लोहे को निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। जहाज ने वास्तव में भारतीय जलीय क्षेत्र को 25.3.1985 को पार किया। यह निर्णय दिया गया कि निर्यात के समय माल शुल्क मुक्त था और इसलिये कोई शुल्क दायित्व नहीं है। जमा करायें गये निर्यात शुल्क को वापस करने का आदेश दे दिया गया।

2. निर्यात माल के सम्बन्ध में शुल्क की मात्रा का निर्धारण-

जब किसी निर्यात माल के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह माल शुल्क योग्य है तो अगला कदम यह निर्धारण करना होता है कि शुल्क की मात्रा कितनी होगी? इस सम्बन्ध में शुल्क की दर कौनसी तिथि को लागू की जाय, इसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि दो तिथियों की शुल्क दर भिन्न हो सकती है। इस सम्बन्ध में धारा 16 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है।

निर्यात माल के लिये शुल्क दर एवं टैरिफ मूल्य निर्धारण करने की तिथि

(Date for determination of rate of duty and tariff valuation of export goods)[धारा-16]—

निर्यात माल पर शुल्क की दर तथा प्रशुल्क मूल्यांकन (Tariff Valuation) निम्न प्रकार लागू होगे—

(अ) यदि धारा 50 के अन्तर्गत जहाजी बिल (जलयान या वायुयान द्वारा माल भेजने की दशा में) अथवा निर्यात बिल (थल मार्ग से माल भेजने की दशा में) प्रस्तुत किया गया है, तो जिस दिन धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात के लिये माल की निकासी तथा लदवाने की अनुमति देने का आदेश उचित अधिकारी ने दिया है, उस दिन का टैरिफ मूल्यांकन होगा तथा उसी दिन की प्रभावी शुल्क दर लगेगी।

(ब) अन्य किसी माल की दशा में जिस दिन शुल्क का भुगतान होगा उस विधि को टैरिफ मूल्यांकन होगा तथा उसी तिथि की शुल्क दर लगेगी।

3. निर्यात माल का मूल्यांकन (Valuation of Export Goods)–

इस सम्बन्ध मे धारा 14 के प्रावधान लागू होगे। धारा 14 के प्रावधानों को आगे इसी अध्याय में विस्तार से समझाया गया है।

4. निर्यात शुल्क की दरें (Rates of export duty)–

निर्यात किये जाने वाले माल पर निर्यात शुल्क की दरों का निर्धारण भी टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। इस सम्बन्ध में टैरिफ अधिनियम में अलग से Schedule-II दी गई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि भारत में अधिकांश माल को निर्यात शुल्क से मुक्त किया गया है। केवल कुछ वस्तुओं पर ही निर्यात शुल्क लगाया गया है।

सीमा—शुल्क निर्धारण के लिये माल का मूल्यांकन

(Valuation of Goods for the purposes of assessment of Customs Duty)

सीमा—शुल्क निर्धारण के लिये माल का मूल्यांकन सीमा—शुल्क अधिनियम की धारा 14(1) एवं इस आशय के लिये बनाये गये नियमों के तहत किया जाता है।

सीमा शुल्क प्रायः 'मूल्य' के सन्दर्भ में देय होता है, जिसे निर्धारण योग्य मूल्य (Assessable Value) या सीमा शुल्क मूल्य (Customs Value) के नाम से पुकारा जाता है। 'मूल्य' से हमारा आशय—

- (अ) बोर्ड द्वारा निर्धारित टैरिफ मूल्य, अथवा
- (ब) सीमा—बोर्ड अधिनियम की धारा 14(1) में परिभाषित मूल्य से होता है।

(अ) बोर्ड द्वारा निर्धारित टैरिफ मूल्य (Tariff Value determined by the Board)–

यदि बोर्ड उचित समझता है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी वर्ग के आयातित माल अथवा निर्यात माल के लिये टैरिफ मूल्य निर्धारित कर सकता है। यदि किसी माल के लिये ऐसा टैरिफ मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो ऐसे मूल्य के आधार पर ही प्रभावी दरों से शुल्क की गणना की जाती है।

(ब) सीमा—बोर्ड अधिनियम की धारा 14(1) में परिभाषित मूल्य

(Value defined in Section 14(1) of the Customs Act)–

सीमा—शुल्क अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार निर्धारित "सीमा शुल्क मूल्य" ही प्रायः सीमा शुल्क की गणना के लिये प्रयोग किया जाता है। इसें सीमा शुल्क मूल्य अथवा निर्धारण योग्य मूल्य कहते हैं। धारा 14(1) में सीमा शुल्क के उद्देश्यों के लिये मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. आयातित माल अथवा निर्यात किये जाने वाले मान का मूल्य उस माल का संव्यवहार मूल्य (transaction value) होगा। संव्यवहार मूल्य से आशय माल के लिये वास्तव में चुकाई गई अथवा चुकाई जाने वाली कीमत से होगा। यह कीमत सामान्यतः क्रय—विक्रय का अनुबन्ध करते समय तय की गई कीमत होती है।
2. ऐसा मूलय माल के भारत में आयात के समय एवं स्थान पर सुपुर्दगी के समय पर अथवा भारत से निर्यात के समय एवं स्थान पर सुपुर्दगी के समय का होगा। संव्यवहार मूल्य में सुपुर्दगी के समय एवं स्थान के व्ययों को भी मूल्यांकन के लिये सम्मिलित किया जायेगा। जैसे उत्तराई व ढुलाई व्यय (Landing Charges)।
3. क्रेता एवं विक्रेता एक—दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिये।
4. विक्रय के लिये कीमत ही एक मात्र प्रतिफल होना चाहिये।

5. संव्यवहार मूल्य में आयातित माल के संबंध में देय अन्य व्यय जैसे—कमीशन दलाली, इंजीनियरिंग व्यय, अभिकल्पना कार्य व्यय, रायलटी, लाइसेन्स फीस, परिवहन लागत, बीमा लागत तथा उठाई—धराई व्ययों को भी नियमों के अनुसार जोड़ने का स्पष्ट उल्लेख इस धारा में किया जाता है।
6. ऐसी कीमत की गणना उस तिथि को प्रभावी विनिमय दर से की जायेगी जिस तिथि को धारा 46 के अन्तर्गत प्रवेश बिल प्रस्तुत किया गया है अथवा धारा 50 के अन्तर्गत जहाजी बिल अथवा निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है।
7. विनिमय दर या तो बोर्ड (CBE & C) द्वारा निर्धारित होनी चाहिये अथवा बोर्ड द्वारा निर्देशित विधि से ज्ञात की गई हो।

उपर्युक्त मापदण्ड अथवा शर्तों की पूर्ति के अलावा मूल्यांकन नियमों में दी गई शर्तों का पूरा होना भी आवश्यक है। यदि नियमों में दी गई शर्तें पूरी नहीं होती हो तो संव्यवहार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा तथा नियमों में दी गई अन्य विधियों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। इस आशय के लिये केन्द्रीय सरकार ने सीमा—शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 [Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules 2007]— सीमा शुल्क मूल्यांकन (निर्यात माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 [Customs Valuation (Determination of Value of Export Goods) Rules 2007] बनाये हैं। अतः मूल्यांकन के प्रावधानों को अगले पृष्ठों में धारा 14(1) एवं इन नियमों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर समझाया गया है।

आयातित माल के सीमा शुल्क मूल्य की गणना करने सम्बन्धी प्रावधान

(Provisions for Computation of Customs Value of Imported Goods)

आयातित माल पर सीमा शुल्क की वसूली के पूर्व उस माल का सीमा शुल्क मूल्य अथवा निर्धारण योग्य मूल्य (Customs Value or Assessable Value) की गणना आवश्यक है। इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं—

(1) आयातित माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा

(Transaction value shall be the value of Imported goods)—

आयातित माल का मूल्य ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा। संव्यवहार मूल्य ऐसा मूल्य है जिसका वास्तव में क्रेता ने भुगतान किया है अथवा भुगतान करेगा। क्रय—विक्रय का अनुबन्ध होने एवं माल के भारतीय बन्दरगाह तक पहुँचने के समय में काफी अन्तर होता है। इस दौरान माल के मूल्य में कमी या वृद्धि होना सम्भव है। आयातित माल के मूल्यांकन में मूल्यों की ऐसी कमी या वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण अधिकारी इस आधार पर संव्यवहार मूल्य को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं कि भारतीय बन्दरगाह पर माल के पहुँचने तक मूल्यों में काफी वृद्धि हो चुकी है। संव्यवहार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन विक्रय किये गये मालों का ही होगा, उपहार में भेजे गये माल अथवा मुफ्त नमूनों के रूप में भेजे गये माल का मूल्यांकन संव्यवहार मूल्य के आधार पर नहीं होगा क्योंकि इनमें मूल्य का भुगतान नहीं होता है।

(2.) कीमत सुपुर्दगी के समय एवं आयात के स्थान की होनी चाहिये

(Price should be for delivery at the time and place of importation)—

संव्यवहार मूल्य तो प्रसंविदा मूल्य होता है, परन्तु आयात शुल्क माल की सुपुर्दगी के समय के मूल्य (Assessable Value) पर वसूल किया जाता है। इसमें न केवल जहाज के भारतीय जलीय क्षेत्र में प्रवेश करने तक के व्ययों को सम्मिलित किया जाता है अपितु माल को जहाज से उतारने एवं सीमा शुल्क स्टेशन से बाहर लाने तक के व्ययों (Landing Charges) को भी सम्मिलित किया जाता है। इस संबंध में नियम 10(2) के प्रावधान निम्न प्रकार है—

(i) आयातित माल को आयात के स्थान तक लाने की परिवहन लागत शुल्क योग्य मूल्य में शामिल की जायेगी। यदि ऐसी राशि ज्ञात है तो व्यय की वास्तविक राशि को सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु वायु मार्ग से आयात करने की दशा में वास्तविक राशि FOB मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी। यदि अधिक हो तो FOB मूल्य

का 20% ही सम्मिलित किया जायेगा। यदि परिवहन लागत की राशि ज्ञात नहीं है तो चाहे माल परिवहन के किसी भी साधन से आयात किया गया हो, भाड़े की राशि FOB मूल्य का 20% ही शामिल की जायेगी।

(ii) माल के बीमें की राशि को सीमा-शुल्क मूल्य के निर्धारण के लिये मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा। यदि वास्तविक व्यय की राशि ज्ञात हो तो वास्तविक व्यय की राशि सम्मिलित की जायेगी। परन्तु वास्तविक व्यय की राशि ज्ञात नहीं हो तो FOB मूल्य का 1.125% राशि शामिल की जायेगी।

(iii) सुपुर्दगी के लिये उत्तराई एवं दुलाई व्यय की सीमा शुल्क मूल्य के निर्धारण के लिये मूल्य में सम्मिलित किये जायेंगे। इस संबंध में नियम 10(2) में भाड़ा एवं बीमा सहित लागत (CIF) मूल्य का 1% जोड़ने का प्रावधान है।

(3.) माल का क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से संबंधित नहीं हाने चाहिये

(Buyer and seller should not be related)—

संव्यवहार मूल्य को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक है कि क्रेता एवं विक्रेता एक-दूसरे से संबंधित नहीं हों। यदि जॉच करने पर यह पाया जाये कि इन संबंधों के होते हुये भी माल के मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा है तो सीमा-शुल्क अधिकारी संव्यवहार मूल्य को स्वीकार कर सकते हैं।

(4) माल की कीमत ही विक्रय के लिये एक मात्र प्रतिफल है

(Price is sole consideration for sale)—

माल की कीमत ही विक्रय के लिये एक मात्र प्रतिफल होना चाहिये। यदि आयातकर्ता ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कीमत के अलावा अन्य कोई प्रतिफल निर्यातक को दिया है तो उसे सीमा-शुल्क मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

(5) कुछ लागतों अथवा सेवाओं को मूल्य में सम्मिलित करना

(Inclusion of certain Costs and Services in Customs Value)—

मूल्यांकन नियम 10(1) के अनुसार निम्नलिखित लागतों एवं सेवाओं को आयातित माल का संव्यवहार मूल्य निर्धारण करने के लिये वास्तव में चुकाये गये मूल्य अथवा देय-मूल्य में सम्मिलित किया जाता है—

(i) कमीशन एवं दलाली (Commission and Brokerage)—

सौदे से संबंधित कमीशन एवं दलाली को बीजक मूल्य में सम्मिलित किया जाता है चाहे इसका भुगतान विदेश में विदेशी मुद्रा में किया गया हो अथवा विदेशी निर्यातकर्ता के रथानीय एजेण्ट को भारतीय मुद्रा में भारत में किया गया हो। परन्तु क्रय कमीशन को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। क्रय कमीशन से आशय ऐसे कमीशन से है जो आयातकर्ता द्वारा विदेश में उसके प्रतिनिधि को माल क्रय करने एवं मूल्य निर्धारण करवाने के लिये दी गई सेवाओं के लिये दिया जाता है।

(ii) कन्टेनर्स की लागत—

कन्टेनर्स की लागत को सीमा-शुल्क मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। यदि इसे बीजक मूल्य में पूर्व में सम्मिलित नहीं किया गया हो तो बाद में सीमा-शुल्क मूल्य निर्धारण करते समय सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु कन्टेनर स्थायी एवं पुनः प्रयोग में आने वाला हो तथा आयातकर्ता 6 माह के भीतर लौटाने को सहमत हुआ हो तो उसकी लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) पैकिंग की लागत—

यह श्रम लागत हो अथवा साप्रगी की लागत, दोनों को ही शामिल किया जायेगा।

(iv) क्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये माल का मूल्य—

यदि क्रेता ने माल के उत्पादन अथवा निर्यात के संबंध में बिना मूल्य के अथवा कम मूल्य पर माल की आपूर्ति की है तो ऐसी लागत को मूल्य में सम्मिलित किया जाना चाहिये। ऐसा माल प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, परन्तु इसका मूल्य पूर्व में सम्मिलित नहीं किया गया हो, तभी सम्मिलित किया जायेगा। ऐसा माल निम्न में से हो सकता है—

- (अ) ऐसे माल से सम्बन्धित सामग्री, हिस्से, पुर्जे तथा इसी प्रकार की अन्य मदों का मूल्य।
- (ब) औजार, डाई, सॉचे एवं ऐसी ही अन्य मदें जिनका उपयोग आयातित माल के उत्पादन में किया गया हो।
- (स) ऐसे आयातित माल के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री का मूल्य।
- (द) आयातित माल के उत्पादन में आवश्यक इंजिनियरिंग (engineering), विकासात्मक (development), कलात्मक कार्य (art work), अभिकल्पना कार्य (Design work) तथा योजनाओं एवं स्केचेज (Plans and sketches) का मूल्य जिनको भारत के बाहर अन्य किसी स्थान पर अपनाया गया हो।

इनके मूल्य को इसलिये जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि इनकी आपूर्ति आयातकर्ता द्वारा नहीं की जाती तो ऐसे व्यय विक्रेता द्वारा किये जाते और उसकी कीमत अधिक होती।

(v) रायलटी एवं लाइसेन्स शुल्क (Royalties and Licence fee)–

यदि क्रेता ने आयातित माल के संबंध में रायलटी एवं लाइसेन्स शुल्क अलग से चुकाया है तथा इनको पूर्व में भी कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है तो इनको सम्मिलित किया जायेगा। ऐसी रायलटी अथवा लाइसेन्स शुल्क का भुगतान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी रूप में किया जा सकता है परन्तु ऐसा भुगतान माल को भारत में निर्यात की शर्त पर किया जाता है।

(vi) उत्तरवर्ती बिक्री का कोई भाग विदेशी निर्यातकर्ता को देय होगा

(Any part of subsequent sale if payable to foreign supplier)–

यदि आयातित माल को बेचने से प्राप्त राशि का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी निर्यातकर्ता को देय है तो ऐसी राशि मूल्य निर्धारण के लिए जोड़ी जायेगी। ऐसा उस दशा में होता है जब कोई एजेण्ट या वितरक माल भारत में आयात करके भारत में बेचता है तो विक्रय मूल्य का एक भाग विदेशी विक्रेता को दिया जा सकता है।

(vii) विदेशी विक्रेता को किये गये अन्य भुगतान

(Other payments made to the foreign seller)–

यदि क्रेता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की शर्त के रूप में विदेशी विक्रेता को कोई भुगतान किया है तो ऐसा भुगतान निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि ऐसे भुगतान से सामान्य विक्रय मूल्य घटा दिया गया है। एक विदेशी विक्रेता ने भारत में एक क्रेता से उसके क्षेत्र में अन्य किसी ग्राहक को माल न बेचने के लिये सहमत होने की फीस अलग से वसूल की यह निर्णय दिया गया कि ऐसी राशि विक्रय की शर्त के रूप में चुकाई गई है और इसे निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

(6) कुछ व्ययों को मूल्य में सम्मिलित नहीं करना

(Certain charges to be excluded from Valuation)–

निम्न व्ययों को लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

(i) आयात के बाद स्थापना आदि के व्यय

(Post importation expenses for installation, erection etc.)–

प्लाण्ट एवं मशीनरी को आयात करने के बाद इनके निर्माण, स्थापना, एकत्रीकरण, रखरखाव एवं तकनीकी सहायता के लिये किये गये व्ययों को निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि ये व्यय आयात के बाद के हैं जबकि निर्धारण योग्य मूल्य माल की सुपुर्दगी के समय का मूल्य होता है।

(ii) आयात के बाद परिवहन की लागत

(Cost of transport after importation)–

आयातित माल की सुपुर्दगी लेने के पश्चात् माल को आयातकर्ता के व्यापारगृह अथवा कारखाने तक ले जाने की परिवहन लागत को सीमा-शुल्क मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) भारत में देय शुल्क एवं कर

(Duties and taxes in India)–

आयातित माल के संबंध में भारत में देय किसी भी प्रकार के शुल्क (सीमा शुल्क सहित) एवं करों को माल के निर्धारण योग्य मूल्य (Assessable value) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत से अभिप्राय आयातित माल के लिये दी गई कीमत से है। अतः क्रेता के द्वारा विक्रेता को किया गया लाभांश का भुगतान एवं अन्य भुगतान आयातित माल से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसे भुगतानों को भी सीमा शुल्क मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(7.) विनिमय की अधिसूचित दर का प्रयोग

(Use of notified rate of exchange)–

आयातित माल की दशा में निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात करने के लिये विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलना आवश्यक है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर अथवा बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर (जो भी प्रश्न में दी गई हो) का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 1.

Ascertain assessable value for customs purposes of a consignment imported from U.S.A. if the FOB price of the goods is \$ 30,000 Freight and insurance charges are not known and the exchange are notified by the Central Board of Excise and Customs is \$1 = 52.60.

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किये गये एक प्रेषण का सीमा शुल्क के उद्देश्यों के लिये निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिये यदि माल का जहाज पर मूल्य (FOB price) 30,000 डालर हो। भाड़ा एवं बीमा व्यय ज्ञात नहीं हैं तथा उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर 1 डालर = 52.60 रुपये है।

हल (Solution):

Computation of Assessable Value of Consignment

	\$
FOB Price of Consignment	30,000.00
Add: Freight@ 20% of FOB price ($30,000 \times 20\%$)	6,000.00
Add: Insurance charges@ 1.125% of FOB price $(\$ 30,000 \times 1.125\%)$	337.50
CIF Value	36,337.50
Exchange rate: \$1= Rs. 52.60 Rs.	
CIF value in Indian rupees ($36,337.50 \times 52.60$)	19,11,352.50
Add: Landing charges@ 1% of CIF value $(19,11,352.50 \times 1\%)$	19,113.52
Assessable Value	19,30,466.02
Assessable Value (Rounded off)	19,30,466.00

टिप्पणी— यदि वास्तविक व्ययों की जानकारी नहीं हो तो भाड़ा, FOB मूल्य का 20% बीमा व्यय FOB मूल्य का 1.125% एवं उत्तराई एवं डुलाई व्यय (Landing Charges) भाड़ा एवं बीमा सहित मूल्य (CIF) का 1% जोड़ा जाता है।

उदाहरण (Illustration) 2.

Z Ltd. Imported goods from England with CIF price at £ 35,000 by air. The freight comprised in the CIF price is £ 8,900 and insurance charges £ 200. Determine assessable value of goods for the purposes of Customs duty if exchange rate on the date of presentation of bill of entry are as follows:

- (a) rate notified by the Board under section 14(3) (a) (i) of Customs Act, Rs. 52.60.
- (b) RBI reference rate, Rs. 52.54
- (c) Inter bank closing rate, Rs. 52.62
- (d) Rate at which payment was received from importer Rs. 53.12

जैड लिमिटेड ने कुछ माल वायुयान द्वारा इंग्लैण्ड से 35,000 पाउण्ड के भाड़ा एवं बीमा सहित मूल्य (CIF price) पर आयात किया। CIF मूल्य में 8,900 पाउण्ड भाड़े के तथा 200 पाउण्ड बीमे के सम्मिलित थे। सीमा-शुल्क के उद्देश्यों के लिये निर्धारण योग्य मूल्य की गणना कीजिये यदि प्रवेश बिल प्रस्तुत करने की तिथि को विनिमय दर निम्न हो—

- (अ) बोर्ड द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14(3)(a)(i) के तहत अधिसूचित दर 52.60 रूपये
- (ब) भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भित (reference) दर 52.54 रूपये
- (स) अन्तः बैंक बन्द दर 52.62 रूपये:
- (द) दर जिस पर आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त किया गया 53.12 रूपये।

हल (Solution):

वायुमार्ग द्वारा आयात किये जाने की दशा में माल का भाड़ा उसके जहाज पर मूल्य (free on board or FOB price) के 20% से अधिक नहीं हो सकता है। अतः पहले FOB मूल्य ज्ञात किया जायेगा तथा उसके बाद माल का निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात किया जायेगा:

Computation of FOB Price

	£	£
CIF Price		35,000
Less: freight	8,900	
Insurance	200	<u>9,100</u>
FOB Price		<u>26,900</u>

Computation of Assessable Value

	£
FOB Price of the goods imported	26,900
Add: (i) Air freight restricted to 20% of the	
FOB price (26,900x20%)	5,380
(ii) Insurance Charges	200

CIF Value of goods

Conversion rate notified by the Board 1 £= Rs. 52.60	Rs.
CIF value in Indian rupees (32480x52.60)	17,08,448.00
Add: Landing Charges@ 1% of CIF Value	
(17,08,448x1%)	17,084.48
Assessable value of goods	<u>17,25,532.48</u>

Assessable value (Rounded off)	<u>17,25,532.00</u>
--------------------------------	---------------------

टिप्पणी— (i) माल का FOB मूल्य 26,900 पाउण्ड है तथा इसका हवाई भाड़ा 8,900 पाउण्ड है जो FOB मूल्य के 20% से अधिक है। अतः भाड़ा FOB मूल्य का 20% अर्थात् 5,380 पाउण्ड ही लिया गया है।

(ii) उत्तराई एवं ड्रुलाई व्यय (Landing Charges) बीमा एवं भाड़ा सहित मूल्य (CIF) के 1% के बराबर लिये जाते हैं।

उदाहरण (Illustration) 3.

Kakrania Ltd. has imported a machine from Japan at an FOB cost of 3,00,000 Yen (Japanese). The other particulars were as follows:

- (i) Freight from Japan to Indian port 30,000 Yen.
- (ii) Insurance premium paid to insurer in India Rs. 20,000
- (iii) Designing charges paid to consultancy firm in Japan 60,000 Yen.
- (iv) Kakrania Ltd. Spent Rs. 90,000 in India for development work connected with the machine.
- (v) Transportation cost from Indian port to Factory Rs. 35,000.
- (vi) Board has announced exchange rate of 1 Yen = Re. 0.40 by notification under section 14(3). However the exchange rate prevailing in the market was 1 Yen = Rs. 0.4052.
- (vii) The commission payable to the agent in India was @ 5% of FOB price in Indian rupees.

Determine the assessable value of the machine in rupees for the purposes of levy of Customs duty.

ककरानियां लिमिटेड ने जापान से 3,00,000 जापानी येन की 'जहाज पर मुफ्त' (free on board or FOB) लागत पर एक मशीन आयात की है। अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

- (i) जापान से भारतीय बन्दरगाह तक का भाड़ा 30,000 येन।
- (ii) भारत में बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम चुकाया 20,000 रुपये।
- (iii) जापान में परामर्श देने वाली फर्म को डियायनिंग शुल्क के 60,000 येन चुकाये।
- (iv) ककरानियां लिमिटेड ने मशीन से संबंधित विकास कार्य के लिये 90,000 रुपये भारत में चुकाये।
- (v) भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक का परिवहन व्यय 35,000 रुपये।
- (vi) धारा 14(3) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा बोर्ड ने विनिमय दर 1 येन = 0.40 रुपये घोषित की है परन्तु बाजार में विनिमय दर 1 येन = 0.4052 रुपये चल रही है।
- (vii) भारत में एजेंट को देय कमीशन की दर भारतीय रुपये में FOB मूल्य का 5 % थी।

सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से मशीन का निर्धारण योग्य मूल्य रुपयों में निर्धारित कीजिये।

हल (Solution):

Computation of Assessable Value of the Machine

	Yen
FOB Value	3,00,000

Add: Ocean freight	30,000
Add: Design charges paid in Japan	<u>60,000</u>
Cost and Freight (C & F) Price	<u>3,90,000</u>
Rate of exchange applicable 1 Yen = Rs. 0.40	
Cost and Freight (C & F) Price in Indian rupees	Rs.
(390,000x0.40)	1,56,000
Add: Insurance	20,000
Add: Agent's commission @ 5% on FOB Price in rupees	
i.e. 5% of (3,00,000x0.40)	6,000
Cost including freight and insurance (CIF) Price	<u>1,82,000</u>
Add: Landing charges @ 1% of CIF Price	
(i.e. 1,82,000x1%)	1,820
Assessable Value (AV)	<u>1,83,820</u>

टिप्पणी—

- (i) विदेशी विनियम की बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर ही लागू होती है।
- (ii) मशीन के विकास के लिये भारत में किये गये व्यय एवं मशीन को भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक ले जाने के व्यय निर्धारण योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं होते हैं। अतः अनको निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 [Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 2007]

ये नियम आयातित माल के लिये लागू होते हैं बशर्ते शुल्क का भुगतान मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। इन नियमों में मूल्यांकन की अनेक विधियों का उल्लेख किया गया है तथा प्रावधानों के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन सी विधि कब लागू होगी। किसी भी आयातित माल का मूल्यांकन सर्वप्रथम नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यदि आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हों तो फिर नियम 4 से 9 के तहत क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन किया जायेगा।

सीमा शुल्क के लिये मूल्यांकन की विधियां (Methods of Valuation for Customs duty)

सीमा—शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 में आयातित माल के मूल्यांकन के लिये निम्न 6 तरीकों का प्रावधान किया गया है—

- (1) आयातित माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Imported Goods)
- (2) समान माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Identical Goods)
- (3) वैसे ही माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Similar Goods)
- (4) निगमणात्मक मूल्य (Deductive Value)
- (5) संगणित मूल्य (Computed Value)

(6) अवशिष्ट विधि (Residual Value)

(1) आयातित माल का संव्यवहार मूल्य

(Transaction Value of Imported Goods)[नियम-3] –

संव्यवहार मूल्य आयातित माल के लिये वास्तव में चुकाया गया अथवा देय मूल्य होता है, जब माल को भारत के लिये निर्यात किया जाता है। इस मूल्य को नियम 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाता है।

आयातित माल का संव्यवहार मूल्य निम्न परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाता है—

1. विक्रेता ने क्रेता पर माल के उपयोग अथवा हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया हो परन्तु निम्न प्रतिबन्धों को लगाया जा सकता है—

- (अ) भारत में किसी कानून द्वारा अथवा सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध,
- (ब) ऐसा प्रतिबन्ध जिसमें माल के विक्रय को किसी भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित किया गया हो,
- (स) ऐसा प्रतिबन्ध जिसमें वस्तु के मूल्य पर समुचित प्रभाव नहीं पड़ता हो।

2. माल के विक्रय अथव कीमत पर ऐसी कोई शर्त अथवा प्रतिफल का बन्धन नहीं होना चाहिये जिससे कि माल की कीमत की गणना नहीं की जा सके। जैसे— विक्रेता द्वारा माल की कीमत उस माल के साथ दूसरा माल खरीदने पर ही बताना।

3. विक्रेता को क्रेता द्वारा माल के पुनर्विक्रय से प्राप्त राशि का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित नहीं होना चाहिये। परन्तु यदि ऐसी राशि का नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन किया जा सके तो यह शर्त लागू नहीं होगी।

4. क्रेता और विक्रेता संबंधित नहीं होने चाहियें। यदि वे संबंधित हों तो संव्यवहार मूल्य को इस नियम के उपनियम (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्वीकृत किया जायेगा। उप-नियम (3) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

क्रेता एवं विक्रेता संबंधित होने पर भी संव्यवहार मूल्य का स्वीकृत होना—

क्रेता और विक्रेता आपस में संबंधित होने पर भी निम्न दशाओं में संव्यवहार मूल्य को स्वीकृत कर लिया जायेगा—

- (अ) यदि परिस्थितियों की जॉच करने पर यह ज्ञात होता है कि इन संबंधों के होते हुये भी माल के मूल्य पर कोई फर्क नहीं ‘पड़ा’ है।
- (ब) यदि आयातकर्ता यह प्रदर्शित करता है कि माल का घोषित मूल्य जो उसी समय अथवा लगभग उसी समय ज्ञात किये गये निम्न मूल्यों में से किसी एक मूल्य के समान है—
 - (i) समान माल अथवा वैसे ही माल का संव्यवहार मूल्य जो भारत में किसी असम्बन्धित क्रेता को बेचा गया हो,
 - (ii) समान माल का अथवा वैसे ही माल का निगमणात्मक मूल्य
 - (iii) समान माल का अथवा वैसे ही माल का संगणित मूल्य

स्पष्टीकरण—

1. नियम 10 के प्रावधान तथा नियम 3 की टिप्पणी संबंधी समायोजन इस परिस्थिति में भी लागू होंगे।

2. यदि क्रेता एवं विक्रेता संबंधित व्यक्ति हों और नियम 3 लागू नहीं होता हो तो फिर मूल्यांकन अगली विधि से होगा।

3. संबंधित व्यक्ति से आशय (Meaning of Related Person)— इन नियमों के उद्देश्यों के लिये निम्न दशाओं में व्यक्ति संबंधित व्यक्ति माने जायेंगे—

- (i) यदि वे एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी अथवा संचालक हों, अथवा

- (ii) यदि वे व्यापार में वैधानिक रूप से प्रमाणित (Recognised) साझेदार हों, अथवा
- (iii) यदि वे मालिक एवं कर्मचारी हों, अथवा
- (iv) यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 5 प्रतिशत या उससे अधिक दोनों कम्पनियों के मताधिकार वाले अंशों का स्वामी है या उनको नियन्त्रित करता है या उनको धारण करता है, अथवा
- (v) उनमें से कोई एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे का नियन्त्रण करता है, अथवा
- (vi) वे दोनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित होते हैं, अथवा
- (vii) वे दोनों मिलकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति का नियन्त्रण करते हैं, अथवा
- (viii) वे एक ही परिवार के सदस्य हैं।

(2) समान माल के संव्यवहार मूल्य पर आधारित मूल्यांकन विधि

(Valuation method based on Transaction value of Identical Goods)[नियम-4]–

सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 3 के अनुसार यदि आयातित माल का मूल्यांकन संव्यवहार मूल्य के आधार पर किया जाना संभव नहीं हो तो नियम 4 के अन्तर्गत उसी समय भारत में आयातित समान माल के संव्यवहार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। परन्तु ऐसा संव्यवहार मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा के तहत अस्थायी रूप से मूल्यांकित माल का मूल्य नहीं होना चाहिए।

समान माल (Identical Goods)–

- मूल्यांकन नियम 2 (b) के अनुसार समान माल से आशय निम्न प्रकार के आयातित माल से है— (अ) वह माल जो सभी दृष्टि से जिसमें भौतिक लक्षण, किसम तथा प्रतिष्ठा भी शामिल है, मूल्यांकन किये जा रहे माल के समान है सिवाय दिखावट में मामूली अन्तर के जिससे माल के मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
- (ब) ऐसे माल का उत्पादन उसी देश में हुआ हो जिसमें मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन हुआ है।
- (स) ऐसे माल का उत्पादन उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसने मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन किया है। यदि ऐसा माल उपलब्ध नहीं हो तो अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल को समान माल मान लिया जायेगा।

परन्तु ऐसा आयातित माल जिसके संबंध में इन्जीनियरिंग कार्य, विकास कार्य, कलात्मक कार्य, अभिकल्पना कार्य आदि क्रेता द्वारा बिना किसी व्यय के अथवा अपेक्षाकृत कम लागत पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किया गया हो तो उसे समान माल नहीं माना जायेगा।

मूल्यांकन—

इस नियम के अनुसार आयातित माल का मूल्य, ऐसे समान माल के संव्यवहार मूल्य के बराबर होगा जो भारत में निर्यात हतु उसी समय अथवा लगभग उसी समय बेचा गया हो और भारत में आयात किया गया हो।

समान माल के वाणिज्यिक स्तर एवं मात्रा स्तर की तुलना भी आयातित माल से की जायेगी तथा अन्तर होने पर अन्तर का समायोजन करने के बाद जो मूल्य आयेगा उसको मूल्यांकन के लिये लिया जायेगा।

यदि समान माल एवं आयातित माल में परिवहन के माध्यम एवं दूरी में भी अधिक अन्तर हो तो संव्यवहार मूल्य में नियम 10(2) की लगतों को समिलित करते समय परिवहन के माध्यम एवं दूरी संबंधी अन्तर का भी समायोजन किया जायेगा।

यदि समान माल के एक से अधिक संव्यवहार मूल्य उपलब्ध हों तो सबसे कम मूल्य को ही लिया जायेगा।

(3) वैसे ही माल के संव्यवहार मूल्य पर आधारित मूल्यांकन विधि

(Valuation method based on Transaction value of similar Goods)[नियम-5]–

सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 3 के अनुसार यदि आयातित माल का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो तो नियम 5 के अन्तर्गत उसी समय भारत में आयातित वैसे ही माल के संव्यवहार मूल्य के आधार र मूल्यांकन किया जायेगा। परन्तु ऐसा संव्यवहार मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के तहत अस्थायी रूप से मूल्यांकित माल का मूल्य नहीं होना चाहिए।

वैसे ही माल का अर्थ (Similar Goods)— मूल्यांकन नियम 2(f) के अनुसार वैसे ही माल से आशय निम्न प्रकार के आयातित माल से हैं—

(अ) वह माल जो सभी दृष्टि से मूल्यांकन किये जाने वाले माल के समान नहीं हैं परन्तु उसमें समान लक्षण एवं समान तत्वों वाली सामग्री मौजूद है जो उनको वैसे ही कार्य करने योग्य बनाती है तथा जो किस्म, प्रतिष्ठा व ट्रैडमार्क के संबंध में वाणिज्यिक तौर पर अंतः परिवर्तनीय हैं।

(ब) ऐसे माल का उत्पादन उसी देश में हुआ हो जिसमें मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन हुआ है।

(स) ऐसे माल का उत्पादन उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसने मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन किया है। यदि ऐसा माल उपलब्ध नहीं हो तो अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल को वैसा ही माल मान लिया जायेगा।

मूल्यांकन—

इस नियम के अनुसार आयातित माल का मूल्य, वैसे ही माल के संव्यवहार मूल्य के बराबर होगा जो भारत में निर्यात हेतु उसी समय अथवा लगभग उसी समय बेचा गया हो और भारत में आयात किया गया हो।

वैसे ही माल के वाणिज्यिक स्तर एवं मात्रा स्तर की तुलना भी आयातित माल से की जायेगी तथा अन्तर होने पर अन्तर का समायोजन करने के बाद जो मूल्य आयेगा, उसको मूल्यांकन के लिये लिया जायेगा।

यदि वैसे ही माल एवं आयातित माल में परिवहन के माध्यम एवं दूरी में भी अन्तर हो तो संव्यवहार मूल्य में नियम 10(2) की लागतों को सम्मिलित करते समय परिवहन के माध्यम एवं दूरी संबंधी अन्तर का भी समायोजन किया जायेगा।

यदि वैसे ही माल के एक से अधिक संव्यवहार मूल्य उपलब्ध हों तो सबसे कम मूल्य को ही लिया जायेगा।

(4) निगमणात्मक मूल्य पर आधारित मूल्य विधि

(Valuation method based on Deductive Value)[नियम-7]—

यदि संव्यवहार मूल्य उपलब्ध नहीं होने के कारण मूल्यांकन नियम 3 अथवा 4 अथवा 5 के तहत आयातित माल का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो तो नियम 7 के अन्तर्गत ऐसे माल का मूल्यांकन किया जाता है।

आयातित माल के मूल्यांकन के समय घोषणा प्रारूप प्रस्तुत करते समय यदि समान माल अथवा वैसे ही माल भारत में बेचे जाते हैं, तो आयातित माल का मूल्य ऐसे समान माल अथवा वैसे ही माल अथवा आयातित माल जो कि अधिकतम समेकित मात्रा में असम्बन्धित व्यक्तियों को बेचा जाता है, के इकाई मूल्य पर आधारित होगा।

इस इकाई मूल्य में से निम्न को घटाया जायेगा—

- (i) इसी तरह के आयातित माल को भारत में बेचने के संबंध में विक्रय कमीशन, सामान्य व्यय तथा लाभ की राशि जो विक्रय मूल्य में शामिल हो,
- (ii) भाड़ा एवं बीमा की सामान्य लागत एवं इससे संबंधित अन्य लागत जो भारत में व्यय की गई हो,
- (iii) माल के आयात अथवा विक्रय हेतु देय सीमा शुल्क एवं अन्य कर।

यदि जिस समय माल का मूल्यांकन किया जा रहा है उस समय आयातित माल अथवा समान माल अथवा वैसा ही माल भारत में नहीं बेचा जाता है तो आयातित माल का मूल्य उस इकाई कीमत पर आधारित होगा, जिस पर आयातित माल अथवा समान माल अथवा वैसा ही माल आयात होने के बाद सबसे पहले (at the earliest) बेचा

गया हो। परन्तु यह इकाई मूल्य आयात करने के बाद 90 दिन के भीतर जो माल बेचा गया हो उसी का लिया जायेगा तथा उसी में ऊपर वर्णित कटौतियाँ दी जायेंगी।

यदि आयातित माल अथवा समान माल अथवा वैसा ही माल जिस दशा में आयात किया गया था उसी दशा में नहीं बेचा जाता है तो माल का मूल्य उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा, जिस मूल्य पर वह प्रसंस्करण (Processing) के बाद अधिकतम समेकित मात्रा में बेचा जाता है। इस प्रकार से मूल्य निर्धारण करते समय प्रसंस्करण के कारण होने वाली मूल्य बढ़ोतरी तथा ऊपर वर्णित कटौतियाँ की छूट दी जायेगी।

(5) संगणित मूल्य पर आधारित मूल्य विधि

(Valuation method based on Computed Value)[नियम-8]-

यदि आयातित माल का मूल्यांकन नियम 3 से 7 के तहत किया जाना संभव नहीं हो तो नियम 8 के अन्तर्गत मूल्यांकन किया जाता है। यदि आयातकर्ता चाहता है तो उसकी प्रार्थना पर उचित अधिकारी की अनुमति से मूल्यांकन नियम 7 से पहले नियम 8 के अन्तर्गत करवाया जा सकता है।

इस विधि के अन्तर्गत आयातित माल का मूल्य संगणित मूल्य के आधार पर किया जायेगा जो निम्न राशियों के योग के बराबर होगा-

- (i) आयातित माल का उत्पादन करने के लिये सामग्री एवं निर्माण व प्रसंस्करण की लागत अथवा मूल्य
- (ii) जिस माल का मूल्यांकन हो रहा है उसी के समान वर्ग एवं किस्म के माल के विक्रय पर होने वाला लाभ एवं सामान्य व्यय। यह माल निर्यात करने वाले देश में भारत को निर्यात करने के लिये उत्पादित होना चाहिये
- (iii) नियम 10(2) के अन्तर्गत अन्य सभी व्ययों की राशि।

(6) मूल्यांकन की अवशिष्ट विधि

(Residual Method of Valuation)[धारा-9]-

1. यदि आयातित माल का मूल्यांकन पूर्व में वर्णित किसी भी नियम (नियम 3 से 8 तक) से नहीं किया जा सके तो मूल्यांकन नियम 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये उचित तरीके से निर्धारित किया जायेगा जो भारत में उपलब्ध समंकों पर आधारित होगा तथा इन नियमों के सामान्य प्रावधानों तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14(1) के प्रावधानों से मेल खाने वाला होगा।

2. इस नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं किया जायेगा-

- (i) भारत में उत्पादित माल का भारत में विक्रय मूल्य।
- (ii) ऐसी विधि जो दो वैकल्पिक मूल्यों में से उच्चतम मूल्य को सीमा शुल्क के उद्देश्यों के लिये स्वीकृति प्रदान करती है।
- (iii) निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार में माल का मूल्य।
- (iv) उत्पादन लागत, (परन्तु उन संगणित मूल्यों को अपनाया जा सकता है जिनका निर्धारण समान माल अथवा वैसे ही माल के लिये नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो)
- (v) भारत के अलावा अन्य किसी देश को निर्यात माल का मूल्य।
- (vi) न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य।
- (vii) मनमाना (arbitrary) अथवा काल्पनिक (fictitious) मूल्य।

सीमा-शुल्क मूल्यांकन (निर्यात माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 [Customs Valuation (Determination of Value of Export Goods) Rules,2007]

ये नियम निर्यात माल के लिये ही लागू होते हैं बशर्ते शुल्क का भुगतान मूल्य के सन्दर्भ में किया जाता है। इन नियमों में मूल्यांकन की अनेक विधियों का उल्लेख किया गया है तथा प्रावधानों के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौनसी विधि कब लागू होगी। किसी भी निर्यात माल का मूल्यांकन सर्वप्रथम नियम 3 के

प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यदि आवश्यक शर्त पूरी नहीं होती हों तो फिर नियम 4 से नियम 6 के तहत क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन किया जायेगा।

निर्यात माल के मूल्यांकन के लिये निम्न 4 विधियों का प्रावधान किया गया है—

(1) निर्यात माल का संव्यवहार मूल्य

(2) तुलना के द्वारा मूल्यांकन

(3) संगणित मूल्य

(4) अवशिष्ट मूल्य विधि

(1) निर्यात माल का संव्यवहार मूल्य (नियम-3)

(Transaction Value of Export Goods)—

सामान्यतः निर्यात माल का मूल्य इसका संव्यवहार मूल्य ही होगा। संव्यवहार मूल्य का अर्थ वही होगा जो पीछे आयातित माल के लिये दिया गया है। क्रेता एवं विक्रेता के आपस में संबंधित व्यक्ति होने पर भी संव्यवहार मूल्य को स्वीकृत किया जायेगा बशर्ते संबंध की वजह से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। परन्तु नियम 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि संव्यवहार मूल्य को स्वीकृत नहीं किया जाता है तो मूल्यांकन क्रमबद्ध तरीके से नियम 4 से नियम 6 के अनुसार किया जायेगा।

(2) तुलना के द्वारा मूल्यांकन(नियम-4)

(Determination of Value by Comparison)—

इस विधि के अन्तर्गत मूल्यांकन उसी समय अथवा लगभग उसी समय उसी प्रकार के एवं उसी किसी के उसी देश को अथवा अन्य देश को निर्यात किये गये माल के संव्यवहार मूल्य के आधार पर किया जाता है तथा उसमें निम्न कारणों से उचित समायोजन किये जाते हैं—

(i) निर्यात की तिथि एवं स्थान में अन्तर के आधार पर भाड़े एवं बीमा व्ययों में अन्तर,

(ii) माल की मात्रा एवं वाणिज्यिक स्तरों में अन्तर,

(iii) निर्धारण किये जा रहे माल एवं तुलना किये जा रहे माल की संरचना, किसी एवं डिजायन में अन्तर।

(3) संगणित मूल्य (नियम-5)(Computed Value)—

इस विधि के अन्तर्गत निर्यात माल की उत्पादन लागत में डिजायन अथवा ब्राण्ड के कोई व्यय हों तो उनको तथा लाभ की राशि को सम्मिलित किया जाता है। सूत्र रूप में इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

संगणित मूल्य = उत्पादन लागत + ब्राण्ड चार्ज + लाभ की राशि

उत्पादन लागत का निर्धारण लागत लेखांकार अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक के द्वारा जारी किये गये लागत प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(4) अवशिष्ट मूल्य विधि (नियम-6)(Residual Value)— यदि निर्यात माल का मूल्यांकन नियम 4 एवं 5 के अन्तर्गत नहीं किया जा सके तो नियम 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये मूल्य का निर्धारण ऐसे तरीके का प्रयोग करते हुये किया जायेगा जो इन नियमों के सिद्धान्तों एवं सामान्य प्रावधानों के अनुरूप हों। परन्तु निर्यात माल का मूल्य निर्धारण में निर्यात माल की स्थानीय बाजार कीमत एक मात्र आधार नहीं होगी।

सीमा-शुल्क उद्ग्रहण करने के आधार (Basis for levying duties of Customs)

सीमा-शुल्क माल के आयात एवं निर्यात पर देय होता है। सीमा शुल्क का उद्ग्रहण निम्न प्रकार से किया जाता है:

(अ) विशिष्ट शुल्क (Specific duty):

यदि शुल्क का निर्धारण माल की मात्रा, परिणाम, इकाई, आयतन इत्यादि (मूल्य को छोड़कर) के आधार पर देय होता है तो ऐसे शुल्क को विशिष्ट शुल्क कहते हैं। इस विधि में माल के मूल्यांकन की आवश्कता नहीं पड़ती। माल के मूल्य में वृद्धि होने पर भी सरकारी राजस्व में वृद्धि नहीं होती। अतः इस विधि को कम काम में लाया जाता है। विशिष्ट शुल्क को कुछ वस्तुओं के आयात पर ही लगाया जाता है।

(ब) मूल्यांकन शुल्क (Ad Valorem duty):

जब शुल्क का निर्धारण माल के मूल्य के अनुसार किया जाता है तो इसे मूल्यानुसार शुल्क निर्धारण कहा जाता है। इस विधि में शुल्क की दर मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती है इसलिए माल का मूल्यांकन करवाना आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है माल के मूल्यांकन के दो आधार हैं— (i) धारा 14(1) के तहत माल का मूल्यांकन अथवा (ii) सरकार या बोर्ड द्वारा टैरिफ मूल्य का निर्धारण।

अभ्यासार्थ प्रश्न (Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए:

1. सीमा शुल्क का उद्ग्रहण.....पर किया जाता है:

- (अ) भारत में आयात किये गये माल पर
- (ब) भारत से निर्यात किये गये माल पर
- (स) भारत में निर्मित माल पर
- (द) (अ) तथा (ब) दोनों ही दशाओं में।

()

2. सीमा शुल्क की दरें दी गई हैं:

- (अ) सीमा—शुल्क अधिनियम 1962 में
- (ब) सीमा—शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में
- (स) सीमा—शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 में
- (द) उपर्युक्त सभी जगह।

()

3. आयातित माल के संबंध में सीमा—शुल्क का दायित्व उत्पन्न होने का समय है:

- (अ) जब माल लाने वाला जलयान भारतीय जलीय क्षेत्र को पार कर लेता है
- (ब) जब माल सीमा—शुल्क अवरोध को पार कर लेता है
- (स) जब माल गन्तव्य स्थान पर भारत में पहुंच जाता है
- (द) उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) में से कोई भी एक घटना घटने पर।

()

4. यदि आयातित माल पर परिवहन लागत की राशि ज्ञात नहीं हो तो भाड़े के लिए राशि शुल्क योग्य मूल्य में शामिल की जायेगी।

- (अ) F.O.B. मूल्य का 10%
- (ब) F.O.B. मूल्य का 20%
- (स) F.O.B. मूल्य का 1.125%
- (द) कुछ भी नहीं।

()

उत्तर:— [1 (द) 2 (ब) 3 (द) 4 (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

- आयातित माल के संबंध में शुल्क योग्य घटना कब घटित होती है?
- निर्यात माल के संबंध में शुल्क योग्य घटना कब घटित होती है?
- आयातित माल के मूल्यांकन के लिये कब व्यक्ति आपस में संबंधित माने जायेंगे?
- समान माल एवं वैसे ही माल में क्या अन्तर है?
- आयातित माल के मूल्यांकन के लिये अवशिष्ट विधि का प्रयोग कब किया जा सकता है?
- सीमा शुल्क उद्ग्रहण के कौन-कौन से आधार हैं?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

- संव्यवहार मूल्य से आप क्या समझते हैं? किसी आयातित माल के संव्यवहार मूल्य को सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से कब स्वीकार नहीं किया जा सकता है?
- मूल्यांकन नियम, 2007 में दी गई आयातित माल के मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियों को समझाइये।
- आयातित माल के मूल्यांकन की वैकल्पिक विधियों का वर्णन करें यदि प्राथमिक विधि स्वीकार्य नहीं हो।
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत आयातित माल पर कर दायित्व के संबंध में विस्तार से विवेचन कीजिए।
- मूल्यांकन नियम, 2007 में दी गई निर्यात माल के मूल्य निर्धारण की विभिन्न विधियों को समझाइये।

(द) क्रियात्मक प्रश्न (Numerical Questions)

- Ascertain Assessable Value for Customs purposes of a consignment imported from London if the FOB. Price of the goods is £ 20,000 Freight and insurance charges are not known and the exchange rate notified by the Central Board of Excise and Customs is 1 Pound (f) = Rs. £ 65.20

लन्दन से आयात किये गये एक प्रेषण का सीमा शुल्क के उद्देश्यों हेतु निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिये यदि माल का जहाज पर मूल्य (F.O.B price) 20,000 पाउण्ड है। भाड़ा एवं बीमा व्यय ज्ञात नहीं है तथा उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क केकेन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर 1 पाउण्ड = 65.20 रु. है।

- An importer M/s Birla Brothers imported a machine at invoice price of 26,000 dollars. From the following information determine the assessable value of the machine for customs duty:

(i) Packing Charges	\$ 1,800
(ii) Transport Charges by air	\$ 5,800
(iii) Insurance Premium	\$ 1,040
(iv) Transportation Charges from Indian airport to godown	Rs. 18,000

(v) Commission paid to the broker of exporter who arranged the deal	\$ 190
Exchange rate notified by the Board	1\$ = Rs. 47.00

एक आयातक मैसर्स बिरला ब्रदर्स ने एक मशीन आयात की जिसका बीजक मूल्य 26,000 डालर था। निम्न सूचनाओं के अनुसार सीमा शुल्क के लिये मशीन का निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिये:

(i) पैकिंग व्यय	1800 डालर
(ii) हवाई जहाज का भाड़ा	5,800 डालर

(iii) बीमा प्रीमियम	1,040 डालर
(iv) भारतीय हवाई अडडे से गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यय	18,000 रुपये
(v) निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन	190 डालर
बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर: 1 डालर = 47.80 रुपये	
संकेत— चूंकि बीजक मूल्य दिया हुआ है, F.O.B. मूल्य नहीं दिया है, अतः बीजक मूल्य में पैकिंग व्यय एवं दलाल का कमीशन जोड़कर पहले F.O.B. मूल्य ज्ञात करें।	
3. M/s Dhamani & sons has imported a machine from London. The F.O.B. Value of machine is 26,000. Other particulars are as under:	
(i) Air freight	£ 1300
(ii) Insurance premium	£ 300
(iii) Royalty and Licence fee paid by the buyer	£ 100
(iv) The buyer has supplied necessary raw material for production of machine free of cost	£ 280
(v) Commission to Local agent	Rs. 5,000
Exchange rate notified by the Board	Rs. 55.50

Determine Assessable Value.

मैसर्स धामाणी एण्ड सन्स ने लन्दन से एक मशीन का आयात किया है। मशीन का F.O.B. मूल्य 26,000 पाउण्ड है। अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

(i) हवाई जहाज का भाड़ा	1300 पाउण्ड
(ii) बीमा प्रीमियम	300 पाउण्ड
(iii) क्रेता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी एवं लाइसेंस फीस	100 पाउण्ड
(iv) मशीन के उत्पादन के लिये क्रेता ने आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बिना मूल्य के की है	280 पाउण्ड
(v) स्थानीय एजेण्ट को कमीशन बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिये।	5000 रुपये

संकेत— हवाई भाड़ा F.O.B. मूल्य के 20% से कम होने के कारण 300 पाउण्ड ही लिया जायेगा। अन्य सभी व्यय CIF मूल्य में शामिल होंगे।

वर्ग (Section) - B

अध्याय (Chapter) – 7

सीमा–शुल्क की गणना

(Computation of Customs Duty)

सीमा–शुल्क दो प्रकार का होता है, एक आयात–शुल्क (Import duty) एवं दूसरा निर्यात शुल्क (Export duty) वर्तमान में निर्यात शुल्क कुछ वस्तुओं पर ही लगाया जा रहा है। अतः हमारे अध्ययन का विषय मुख्यतः आयात–शुल्क की गणना ही रहेगा। आयात शुल्क की गणना के लिये हमें मुख्यतः निम्न दो बातों के सम्बन्ध में कानून के प्रावधानों का अध्ययन करना होगा—

1. आयात किये गये माल का मूल्यांकन एवं
2. विभिन्न प्रकार के आयात–शुल्क एवं उनकी दरें।

आयात किये गये माल के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रावधानों का अध्ययन पिछले अध्याय में विस्तार से किया जा चुका है। अतः इस अध्याय में सीमा–शुल्क की गणना से पूर्व हमें विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क एवं उनकी दरों का अध्ययन करना होगा। सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (The Customs Tariff Act, 1975) में विभिन्न प्रकार के सीमा–शुल्क एवं उनसे सम्बन्धित दरों का उल्लेख किया गया है।

आयात–शुल्क के प्रकार (Types of import duty)—

सीमा–शुल्क अधिनियम 1962 एवं सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में निम्न प्रकार के आयात–शुल्क के प्रावधान हैं—

1. आधारभूत अथवा मूल सीमा शुल्क (Basis Customs Duty)
2. धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सीमा–शुल्क [Additional Duty of Customs u/s 3(5)]
3. धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा–शुल्क [Additional Duty of Customs u/s 3(5)]
4. संरक्षणात्मक शुल्क (Protective Duties)
5. सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति–शुल्क (Countervailing Duties on Subsidised Articles)
6. सुरक्षा–शुल्क (सेफगार्ड ड्यूटी)[Safeguard Duty]
7. लोक गणराज्य चीन से आयातित उत्पादों पर उत्पाद निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क (Product specific safeguard duty on imports from the People's Republic of China)
8. सस्ती में बेची गई वस्तुओं पर एन्टी–डंपिंग शुल्क (Anti-dumping duty on dumped articles)।

1. आधारभूत सीमा शुल्क (Basis Customs Duty)–

सीमा–शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आधारभूत सीमा–शुल्क माल के मूल्य अथवा शुल्क योग्य मूल्य (Assessable value) के आधार पर लगाया जाता है।

विभिन्न प्रकार के माल पर अलग–अलग दरों से शुल्क का निर्धारण किया जाता है। इन दरों का उल्लेख सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अधिंकाश वस्तुओं पर 5% एवं 10% की दरें लागू की गई हैं। इनमें से सर्वाधिक वस्तुओं पर 10% की दर लागू की गई है। कुछ वस्तुओं पर इससे ऊँची दरों से भी शुल्क लगाया गया है। कहीं–कहीं तो शुल्क की दर 100% या उससे भी अधिक रखी गई है।

भारत सरकार का यदि किसी विदेशी सरकार से इस सम्बन्ध में समझौता हो तो अनूसूची प्रथम में दी गई प्रमाप दरों की तुलना में भारत सरकार उस देश से आयात की जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं पर कम दर से आयात शुल्क लगा सकती है। ऐसी दर अधिमानी दर (**Preferential rate of duty**) कहलाती है। भारत सरकार ऐसी अधिमानी दर को कम अथवा अधिक कर सकती है परन्तु यह प्रथम अनूसूची में दी गई प्रमाप दर से अधिक नहीं हो सकती है।

भारत सरकार ने मारीशस, सिशेल्स, टोंगा, बंगलादेश, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान आदि देशों से ऐसे समझौते किये हैं। इन देशों से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं पर सरकार प्रमाप दर की तुलना में नीची दर से आधारभूत सीमा-शुल्क (Basic Customs Duty) लगाती है।

सारांश (Summary)

शुल्क योग्य मूल्य का निर्धारण:

	रु.
1. जहाज पर चढाने तक का मूल्य (FOB)	xxxx
2. जहाजी भाड़ा (Freight)	xxxx
● भाड़े की वास्तविक राशि ली जायेगी (सामुद्रिक भाड़े की)	
● वास्तविक राशि नहीं दी गई हो तो FOB मूल्य का 20%	
● हवाई भाड़े की दशा में वास्तविक भाड़े की राशि FOB मूल्य के 20% से अधिक हो तो FOB मूल्य का 20% ही लिया जायेगा।	
3. बीमे की राशि	
● बीमे की वास्तविक राशि ली जायेगी	
● बीमे की वास्तविक राशि नहीं दी गई हो तो FOB मूल्य का 1.125% लिया जायेगा।	
4. Cost, Insurance & Freight Value (CIF मूल्य)	xxxx
5. जहाज से माल उतारने एवं सुपुर्दगी के लिये ढुलाई व्यय (charges or Handling charges)	xxxx
(CIFमूल्य का 1% लिया जायेगा।)	(Landing charges or Handling charges)
शुल्क योग्य मूल्य (Assessable value)	xxxx

स्पष्टीकरण –

यदि FOB मूल्य दिया हुआ हो तथा साथ में निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता द्वारा किये गये अन्य व्यय भी दिये गये हों तो उन व्ययों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिये—

- (i) निर्यातकर्ता द्वारा किये गये पैकिंग व्यय जो अतिरिक्त व्यय के रूप में किये गये हों सम्मिलित किये जायेंगे।
- (ii) स्थायी पैकिंग जैसे Container आदि के व्यय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
- (iii) आयातकर्ता द्वारा आयात के सम्बन्ध में चुकाये गये व्यय सम्मिलित किये जायेंगे चाहे

विदेश में किये गये हों अथवा भारत में। ऐसे व्ययों के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(अ) विदेश में मशीन के डिजाइन हेतु किया गया व्यय।

(ब) स्थानीय एजेण्ट को दिया गया कमीशन बशर्ते क्रय कमीशन नहीं हो।

(iv) आयातकता द्वारा भारत में उस माल से संबंधित अन्य व्ययों को शामिल नहीं किया जायेगा। ऐसे कुछ व्यय निम्न हैं—

(अ) बन्दरगाह से कारखाने तक माल ले जाने के परिवहन व्यय।

(ब) मशीन आदि की डिजाइन या विकास के लिये भारत में किया गया व्यय।

(स) मशीन की स्थापना के सम्बन्ध में किया गया व्यय।

टिप्पणी— इन व्ययों को CIF मूल्य के तुरन्त पूर्व सम्मिलित किया गया है अर्थात् इनको सम्मिलित करने के बाद CIF मूल्य आता है। उत्तराई व्यय (Landing charges) इन व्ययों को शामिल करने के बाद लगायें जायेंगे।

2. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क

[Additional Duty of Customs under section 3(1) of the Customs Tariff Act]— टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अनुसार कोई माल भारत में उत्पादित होता है और वैसे ही माल का आयात भी किया जाता है तो उस आयातित माल पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाया जायेगा। यह शुल्क उस माल पर भारत में निर्मित होने पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क (**Excise Duty**) के बराबर होगा। चुंकि यह शुल्क भारत में निर्मित होने वाले माल को आयातित माल की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए लगाया जाता है, अतः इस शुल्क को (**Countervailing Duty**) अथवा (CVD) के नाम से भी पुकारते हैं। यदि उत्पाद-शुल्क माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है तो अतिरिक्त सीमा-शुल्क भी माल के प्रतिशत के रूप में लगाया जायेगा। वर्तमान में भारत में उत्पाद शुल्क की सामान्य दर 14% विशिष्ट मालों पर इसकी दर 24%, 12% तथा 8% पर है।

यदि आयात किये गये माल जैसा माल भारत में उत्पादित नहीं होता है तो जिस वर्ग या श्रेणी में आयातित माल आ रहा है, उस वर्ग या श्रेणी की उत्पाद-शुल्क की दर अतिरिक्त सीमा-शुल्क के लिये लागू की जायेगी। यदि उस वर्ग या श्रेणी में वस्तु की अलग-अलग दरें हैं तो सबसे उच्चतम दर अतिरिक्त सीमा-शुल्क के लिये लागू की जायेगी।

यदि कोई माल उत्पाद-शुल्क से कर मुक्त है तो वह अतिरिक्त सीमा-शुल्क से स्वतः ही मुक्त नहीं हो जायेगा। सरकार को उस माल को अतिरिक्त सीमा-शुल्क से मुक्त करने के लिये अलग अधिसूचना जारी करनी होगी। परन्तु यदि किसी माल पर उत्पाद-शुल्क की दर शून्य है तो उस माल पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की दर भी शून्य होगी।

अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना निम्न राशियों के योग पर की जायेगी—

- धारा 14(1)(2) के अन्तर्गत-निर्धारित शुल्क योग्य मूल्य एवं
- धारा 12 के अन्तर्गत ज्ञात की गई आधारभूत सीमा-शुल्क की राशि
- उस वस्तु पर अन्य किसी कानून के तहत सीमा-शुल्क के रूप में उद्ग्रहित कोई राशि। वर्तमान में ऐसी कोई राशि देय नहीं है।

परन्तु धारा 3(1) के तहत लगाये जाने वाले अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

- (अ) टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क।
- (ब) टैरिफ अधिनियम की धारा 8B व 8C में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क (Safe guard duty)।
- (स) टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति-शुल्क।

(द) टैरिफ अधिनियम की धारा 9A में निर्दिष्ट राशिपातन विरोधी शुल्क

(Anti-dumping duty)।

उपरोक्त राशियों के योग पर उत्पाद-शुल्क की निर्धारित दर से अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना करते समय निर्धारित दर में उसका 2% शिक्षा उपकर (education cess) तथा 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर भी जोड़ा जायेगा तथा उसके बाद जो दर आयेगी उससे अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना की जायेगी। उदाहरण के लिये भारत में किसी वस्तु के निर्माण पर 14% की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है तो यहाँ अतिरिक्त सीमा-शुल्क (CVD) की गणना करने के लिये $14 + (14 \times 2\%) + (14 \times 1\%) = 14 + 2.8 + 1.4 = 14.42$ की दर से अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना की जायेगी। क्योंकि उत्पाद शुल्क की वास्तव में प्रभावी दर 14% के स्थान पर शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित 14.42% होगी।

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दिये गये अतिरिक्त सीमा शुल्क के सम्बन्ध में सैनवैट जमा (CENVAT CREDIT) की प्राप्ति- यद्यपि सीमा शुल्क अधिनियम में सैनवैट जमा का प्रत्यक्ष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है परन्तु अतिरिक्त सीमा शुल्क के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत देय उत्पाद-शुल्क में से सैनवैट जमा प्राप्त की जा सकती है बशर्ते आयातकर्ता एक निर्माता है तथा आयातित सामान का उपयोग अन्तिम उत्पाद के निर्माण में करता है। स्पष्ट है क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी के द्वारा चुकाये गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क (CVD) के सम्बन्ध में सैनवैट जमा प्राप्त नहीं होती है। यह जमा अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दर के बराबर प्राप्त होगी। किसी निर्माता द्वारा उत्पादित माल पर देय उत्पाद शुल्क (Excise duty) में से उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क की ऐसी राशि घटाना सैनवैट जमा कहलाती है जिसके सम्बन्ध में उसे छूट की पात्रता है।

आयातित माल के पैकेट पर अधिकतम फुटकर मूल्य (MRP) अंकित होने की दशा में अतिरिक्त सीमा-शुल्क (CVD) की गणना—

आधारभूत सीमा शुल्क की गणना के लिये तो निर्धारणीय मूल्य की गणना सामान्य विधि से ही की जायेगी। परन्तु धारा 3(1) के तहत लगाये जाने वाले अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना के लिये निर्धारणीय मूल्य पैकेट पर अंकित मूल्य में से उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4A (2) में दी गई उपशमन (Abatement) की छूट को घटा कर ज्ञात किया जायेगा। उदाहरण के लिये किसी पैकेट पर अधिनियम खुदरा मूल्य 250 रु. अंकित है तथा उत्पाद शुल्क के तहत इस पर 40% की उपशमन छूट (Abatement) है तो उस पैकेट का निर्धारणीय मूल्य $250 - (250 \times 40\%) = 150$ रु. होगा। 150 रु. पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर से अतिरिक्त सीमा-शुल्क (CVD) की गणना की जायेगी।

शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर की गणना—

शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (SAH Education Cess) की गणना सीमा-शुल्क की राशि पर 3% की दर से की जाती है। इस आशय के लिये आधारभूत सीमा-शुल्क (BCD) एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) की राशियों का योग कर लिया जाता है तथा योग की राशि पर 3% की दर से उपकर लगाया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 1.

From the following particulars calculate the aggregate of basic customs duty (BCD) and additional duty of customs (CVD) payable:

- (i) Assessable value of imported goods Rs. 3,50,000
- (ii) Basic Customs duty payable @ 20%
- (iii) The imported goods are also produced in India. On such goods Excise duty is liviable @ 14%

State the amount of customs duty for which CENVAT credit can be availed if the importer is a manufacturer.

निम्न सूचनाओं से आधारभूत सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में देय सीमा शुल्क के योग की गणना कीजिए:

(i) आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य 3,50,000₹.

(ii) आधारभूत सीमा-शुल्क की दर 20%

(iii) आयातित माल भारत में भी उत्पादित होता है। उस माल पर भारत में 14% की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है।

यदि आयातकर्ता निर्माता हो तो वह सीमा शुल्क की कितनी राशि के सम्बन्ध में सेनेट जमा प्राप्त कर सकता है?

हल (Solution):

देय सीमा शुल्क की गणना

	रूपये	रूपये
आधार भूत सीमा शुल्क (BCD)	(3,50,000 x 20%)	70,000.00
जोड़ो: अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) [धारा 3(1) के अन्तर्गत]		60,564.00
$(3,50,000 + 70,000) \times 14.42\%$		1,30,564.00
BCD तथा CVD का योग		2,611.28
जोड़ो : (i) शिक्षा उपकर	(130564 x 2%)	1,305.64
(ii) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर		1,34480.92
कुल देय सीमा शुल्क		
पूर्णांकित (Rounded off)		1,34,481.00

यदि आयातकर्ता निर्माता हो तो उसे अतिरिक्त सीमा शुल्क की राशि 60564 ₹. की सेनेट के रूप में प्राप्ति होगी।

3. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क

[Additional Duty of Customs under section 3(5) of the Customs Tariff Act]—

इस शुल्क के लगाये जाने का उद्देश्य भारत में आयातित वस्तुओं जैसी ही वस्तुओं के क्रय, विक्रय या परिवहन पर लगने वाले विक्रय कर, मूल्य सर्वांदित कर, स्थानीय कर या अन्य किसी कर को प्रतिसंतुलित करना है। इस शुल्क की अधिकतम दर 4% हो सकती है। वर्तमान में प्रभावी अधिसूचना के अनुसार ज्वेलरी की वस्तुओं (Articles of Jewellery) पर यह शुल्क 1% की दर से लगाया गया है तथा शेष वस्तुओं पर 4% की दर से लगाया गया है। कुछ वस्तुओं को इस शुल्क से मुक्त भी रखा गया है।

स्पष्टीकरण:—

- चूंकि धारा 3(1) एवं धारा 3(5) दोनों के तहत लगाये जाने वाले शुल्क का नाम अतिरिक्त सीमा-शुल्क रखा गया है, अतः दोनों में अन्तर करने के लिये हमने इस पुस्तक में धारा 3(5) में लगाये जाने वाले

अतिरिक्त सीमा-शुल्क के लिये विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क (Special additional duty or Special CVD) का उल्लेख किया है।

2. यदि प्रश्न में माल के धारा 3(5) के तहत कर मुक्त होने का अथवा शून्य दर होने का उल्लेख नहीं हो तो यह शुल्क हमेशा 4% की दर से प्रश्न में लगाया जायेगा, (ज्वेलरी की वस्तुओं को छोड़कर जिन पर दर 1% है)।
3. धारा 3(1) एवं धारा 3(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धाराएं हैं। ये मूल सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धाराएं नहीं हैं।

राशियों जिन पर विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना की जायेगी—

विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना निम्न राशियों के योग पर की जायेगी—

- (i) धारा 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क योग्य मूल्य (Assessable Value)
- (ii) धारा 12 के अन्तर्गत ज्ञात की गई आधारभूत सीमा-शुल्क की राशि (BCD)
- (iii) टैरिफ अधिनियम की धारा 3(1) के तहत ज्ञात किया गया अतिरिक्त सीमा-शुल्क (CVD)
- (iv) शिक्षा उपकर (Education Cess) एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (SAH Education Cess)
- (v) उस वस्तु पर अन्य किसी कानून के तहत सीमा-शुल्क के रूप में उद्ग्रहित कोई राशि। वर्तमान में ऐसी कोई राशि देय नहीं है।

परन्तु धारा 3(5) के तहत लगाये जाने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

- (अ) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) में निर्दिष्ट शुल्क।
- (ब) टैरिफ अधिनियम की धारा 8B व 8C में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क (Safe guard duty)।
- (स) टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति शुल्क।
- (द) टैरिफ अधिनियम की धारा 9A में निर्दिष्ट राशि पातन विरोधी शुल्क (Anti-dumping duty)

स्पष्टीकरण:—

विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क की राशि पर शिक्षा उपकर (Education Cess) तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (SAH Education Cess) नहीं लगाया जायेगा।

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के तहत दिये गये विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special CVD) के सम्बन्ध में रोनवैट जमा (CENVAT CREDIT) की प्राप्ति—

यदि आयातकर्ता एक निर्माता है तथा आयातित सामान का उपयोग अन्तिम उत्पाद के निर्माण में करता है तो वह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत चुकाई गई विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की सम्पूर्ण राशि की सेनवैट जमा देय उत्पाद शुल्क में से प्राप्त कर सकता है। क्रय-विक्रय करने वाले आयातकर्ता व्यापारी को सेनवैट जमा उपलब्ध नहीं है।

विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की वापसी (Refund of Special CVD)—

यदि आयातकर्ता एक व्यापारी है तथा बिक्री के लिये माल का आयात करता है तो उसे विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special CVD) की चुकाई गई राशि की वापसी मिल सकती है बशर्ते वह अपने क्रेताओं से मूल्यवर्द्धित कर (VAT) अथवा विक्रय कर (Sales Tax) वसूल करता है तथा बीजक पर लिख देता है कि इस माल पर सेनवैट जमा उपलब्ध नहीं होगी।

उदाहरण (Illustration) 2.

From the following particulars calculate the aggregate of basic customs duty (BCD) and additional duty of customs (CVD) and special additional duty of customs (Special CVD) payable:

- (i) Assessable value of imported goods Rs. 14,00,000
- (ii) Basis Customs duty payable @ 20%
- (iii) The imported goods are also produced in India. On such goods
Excise duty is leviable @ 8%
- (iv) Special additional duty of customs is leviable u/s 3(5) @4%

State the amount of customs duty for which the importer can avail
Cenvat Credit or can claim refund of duty if such importer is a trader
and collects VAT from his customers.

निम्नलिखित सूचनाओं से आधारभूत सीमा-शुल्क, अतिरिक्त सीमा-शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में देय सीमा-शुल्क के योग की गणना कीजिए:

- (i) आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य 14,00,000 रु.
- (ii) आधारभूत सीमा-शुल्क की दर 20%
- (iii) आयातित माल भारत में भी उत्पादित होता है। उस माल पर भारत में 8% की दर से उत्पाद शुल्क लगता है।
- (iv) धारा 3(5) के तहत विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क की दर 4%

यदि आयातकर्ता एक व्यापारी है तथा अपने ग्राहकों से मूल्यवर्द्धित कर (VAT) वसूल करता है तो बताइये कि वह कितनी राशि की सेनवैट जमा प्राप्त कर सकता है अथवा शुल्क की वापसी का दावा प्रस्तुत कर सकता है।

हल (Solution):

देय सीमा शुल्क की गणना

	रूपये	रूपये
आधार भूत सीमा शुल्क (BCD)	14,00,000 X 20%)	2,80,000
जोड़ो: अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) [धारा 3(1) के अन्तर्गत] $(14,00,000 + 2,80,000) \times 8.24\%$		1,38,432.00
BCD तथा CVD का योग		4,18,432.00
जोड़ो : (i) शिक्षा उपकर	$(4,18,432 \times 2\%)$	8,368.64
(ii) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर	$(4,18,432 \times 1\%)$	4,184.32
जोड़ो : धारा 3(5) के अन्तर्गत देय अतिरिक्त सीमा शुल्क $(14,00,000 + 4,30,894.96) \times 4\%$		4,30,984.96
कुल देय सीमा शुल्क		73,239.40
पूर्णांकित (Rounded off)		5,04,224.36
		5,04,224.00

आयातकर्ता व्यापारी यदि अपने ग्राहकों से मूल्यवृद्धि कर (VAT) वसूल करता है तो वह 73,239.40 रु. की राशि का दावा प्रस्तुत कर सकता है

4. सुरक्षा शुल्क (Safeguard Duty)–

(i) यदि जॉच करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि कोई वस्तु भारत में इतनी अधिक मात्रा में आयात की जा रही है कि इससे घरेलू उद्योगों को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह गजट में अधिसूचना जारी करके उस वस्तु पर सुरक्षा शुल्क लगा सकती है। (ii) यह शुल्क अन्य सीमा-शुल्कों के अतिरिक्त लगाया जायेगा, अर्थात् इस शुल्क को लगाने अथवा न लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (iii) सुरक्षा शुल्क लगाये जाने की कोई भी अधिसूचना शत-प्रतिशत निर्यात में लगी हुई इकाइयों (100% export oriented units), या मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी इकाई द्वारा आयातित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जब तक कि इन इकाइयों पर इस अधिसूचना को लागू करने का विशिष्ट उल्लेख न किया गया हो। (iv) यदि वह वस्तु किसी अधिसूचित विकासशील देश से आयात की जा रही है तथा उस देश से उस वस्तु का आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो उस वस्तु पर सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जायेगा। यदि वह वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों से आयात की जा रही है तथा उन सभी देशों से उस वस्तु का कुल आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो उस वस्तु पर सुरक्षा शुल्क नहीं लगाया जायेगा। (v) यदि अन्तिम छानबीन में केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उस वस्तु के बढ़े हुये आयातों से घरेलू उद्योगों को कोई गम्भीर खतरा पैदा नहीं हुआ है तो वह सुरक्षा शुल्क नहीं लगायेगी तथा जो सुरक्षा शुल्क अस्थाई रूप से लगाया गया था उसे लौटा दिया जायेगा। (vi) पूर्ण छानबीन करके लगाया गया सुरक्षा शुल्क लगाने की तिथि से चार वर्ष तक लागू रहेगा बशर्ते इस अवधि में सरकार द्वारा इसे हटाया नहीं जाता है। यदि सरकार आवश्यक समझे तो इसे चार वर्ष बाद आगे बढ़ा सकती है परन्तु कुल मिलाकर सुरक्षा शुल्क को इसके प्रथम बार लगाने की तिथि से 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं लगाया जा सकता है।

5. लोक गणराज्य चीन से आयात पर उत्पाद निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क लगाना

(Imposition of product specific safeguard duty on imports from the People's Republic of China)–

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8C के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार उचित जॉच करने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि किसी वस्तु का चीन गणराज्य से आयात इतना अधिक और इन परिस्थितियों में किया जा रहा है जिससे कि घरेलू उद्योग को विघटन का खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करके सुरक्षा शुल्क (safeguard duty) लगा सकती है।

6. सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति-शुल्क

(Countervailing duty on Subsidised Articles)–

जब किसी देश की सरकार अथवा अन्य कोई निकाय (body) अपने देश में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर अर्थात् उनके निर्यात पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता प्रदान करती है या वस्तु के परिवहन के सम्बन्ध में कोई सहायता देती है तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रति-शुल्क लगा सकती है। इस धारा के तहत लगाये गये प्रति-शुल्क की राशि सहायता की राशि से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रति-शुल्क इसको लगाये जाने की तिथि से अधिकतम् 5 वर्ष की अवधि के लिये लगाया जा सकता है। यदि सरकार इस प्रति-शुल्क का जारी रहना आवश्यक समझे तो इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करके इसकी अवधि बढ़ा सकती है।

7. राशिपातन विरोधी-शुल्क [Anti-dumping duty on dumped articles] –

यदि कोई देश भारत को किसी वस्तु का निर्यात ऐसे मूल्य पर करता है जो उस देश में उस वस्तु के सामान्य मूल्य से कम है तो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9A के तहत केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके ऐसी वस्तु पर राशिपातन विरोधी शुल्क (Anti Dumping Duty) लगा सकती है। इस शुल्क की राशि उस देश के सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के अन्तर (margin of dumping) अर्थात्

राशिपातन की सीमा से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के लिये जापान में किसी वस्तु का सामान्य मूल्य भारतीय मुद्रा में 1200 रुपये प्रति इकाई है और उसे भारत को 820 रुपये प्रति इकाई की दर से निर्यात किया जाता है तो ऐसी दशा में भारत की केन्द्रीय सरकार उस माल पर 380 रुपये प्रति इकाई की दर से राशिपातन विरोधी शुल्क (Anti-dumping duty) लगा सकती है।

यह शुल्क इसको लगाये जाने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये लगाया जा सकता है। यदि सरकार आवश्यक समझे तो अधिसूचना जारी करके इसकी अवधि को अगले 5 वर्ष तक और बढ़ा सकती है।

यह सीमा—शुल्क अन्य सीमा शुल्कों से अतिरिक्त होगा परन्तु सरकार सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति शुल्क (Countervailing duty on subsidised articles) एवं राशिपातन विरोधी शुल्क (Anti dumping duty) दोनों एक ही वस्तु पर एक साथ नहीं लगा सकती है।

8. संरक्षणात्मक शुल्क (Protective Duties)—

टैरिफ कमीशन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित टैरिफ कमीशन की इस आशय के लिये की गई सिफारिश पर यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण भारत में स्थापित किसी उद्योग के हितों के संरक्षण के लिये तुरन्त कोई कदम उठाना आवश्यक है तो वह टैरिफ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत संरक्षणात्मक शुल्क (Protective Duties) लगा सकती है। टैरिफ कमीशन द्वारा प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का शुल्क नहीं लगाया जायेगा। यह शुल्क प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट माना जायेगा।

विभिन्न प्रकार के सीमा—शुल्क की गणना करने की प्रक्रिया

1. आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) की गणना:

दिये गये अथवा ज्ञात किये गये शुल्क योग्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में

$$(Assessable value \times \% \text{ of duty}) = (\text{BCD}) \quad \text{xxxx}$$

2. धारा 3(1)के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) की गणना:

शुल्क योग्य मूल्य में आधारभूत शुल्क की राशि को जोड़ कर

योग की राशि पर दिये गये प्रतिशत के रूप में

$$(\text{AV} + \text{BCD}) \times \% \text{ of Additional duty} = (\text{CVD}) \quad \text{xxxx}$$

3. शिक्षा उपकर (education cess) की गणना:

आधारभूत सीमा शुल्क एवं धारा 3(1) के कृत अतिरिक्त सीमा शुल्क

शुल्क की राशि के योग का 2% xxxx

4. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कर (SAH Education Cess) की गणना—

आधारभूत सीमा शुल्क एवं धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क की

राशि के योग का 1% xxxx

5. धारा 3(5) के तहत विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

(Special CVD) की गणना:

शुल्क योग्य मूल्य, आधारभूत सीमा शुल्क,

धारा 3(1) के अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर एवं

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के योग पर

दिये गये प्रतिशत (अक्सर 4%) के रूप में

(Av+BCD+CVD+Education Cess+

SAH Education Cess) x % = Special CVD

xxxx

6. अन्य कोई शुल्क दिया गया हो तो उसकी राशि जैसे सहायता

प्राप्त वस्तुओं पर प्रति शुल्क (Countervailing duty on subsidised articles)

_____ xxxx

देय कुल सीमा—शुल्क

xxxx _____

उदाहरण (Illustration) 3.

A consignment is imported by air. CIF price is US \$ 22,500 Freight is US \$ 4800 and insurance cost is US \$ 600. on the date of presentation of bill of entry, RBI floor rate was US \$ 1=Rs. 48.80 and rate notified by the board was Rs. 48.75 Find out value of the consignment for Customs purposes.

एक प्रेषण वायुमार्ग द्वारा आयात किया गया है। बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्य (CIF price) 22,500 अमेरिकी डालर है। भाड़ा 4800 अमेरिकी डालर तथा बीमा लागत 600 अमेरिकी डालर है। प्रवेश बिल के प्रस्तुत करने की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर (Floor rate) 1 अमेरिकी डालर = 48.80 रुपये थी तथा बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर 48.75 रुपये थी। सीमा—शुल्क के उद्देश्य से प्रेषण का मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल (Solution):

सीमा शुल्क के लिए प्रेषण मूल्य का निर्धारण

	US \$	US \$
बीमा एवं भाड़ा सहित लागत मूल्य (CIF Price)	22,500	
घटाओं : भाड़ा	4,800	
बीमा	600	5,400
जहाज पर चढाने तक का मूल्य (FOB Price)		17,100
जोड़ो : (i) वायुयान का भाड़ा :		3,420
(ii) बीमा व्यय		600
लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (CIF Value)	21,120	
विदेशी मुद्रा की परिवर्तन दर जो कि बोर्ड द्वारा		Rs.
अधिसूचित है : 1 अमेरिकी डालर = 48.75 रु.		
अतः प्रेषण का लागत बीमा एवं भाड़ा मूल्य (रुपयों में)	21120 x 48.75	10,29,600
[CIF Value (in Rs.)]		
जोड़ो: जहाज से माल उतारने के व्यय		
(Landing Charges)		
(यह CIF Value का 1% होता है)	[10,29,600 x 1%]	10,296
सीमा शुल्क के लिए प्रेषण का मूल्य		10,39,896

टिप्पणी :

(i) वायुमार्ग द्वारा आयात किये जाने की दशा में माल का भाड़ा उसके FOB Price का 20% से अधिक नहीं हो सकता है। अतः पहले FOB मूल्य ज्ञात किया गया है तथा उसके पश्चात् प्रेषण का मूल्य ज्ञात किया गया है।

(ii) भाड़े की वास्तविक राशि 4,800 अमेरिकी डालर या माल का जहाज पर मूल्य का 20% अर्थात $17100 \times 20\% = 3420$ अमेरिकी डालर, जो भी कम हो लिया गया है।

(iii) माल के उत्तराइ व्यय के लिए CIF Value का 1% जोड़ा जाता है। इसलिए इसको जोड़ने के बाद प्रेषण का शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 4.

An importer imported goods worth £ 20,000 on FOB basis. The goods were landed on Chennai Port on 30th May 2009. The importer presented his Bill of Entry for home consumption on 4th June 2009. The freight and insurance charges are not known. The other information are as under:

(a) The exchange rates as notified by the Board on different dates were as under:

- (i) on 30th May 2009 1£ = Rs. 63.25
- (ii) on 4th June 2009 1£ = Rs. 63.50

(b) Rate of Basic Customs Duty is 20%

(c) If the goods were produced in India the rate of Central Excise Duty would have been 14%

(d) Additional Customs Duty under section 3(5) of the Customs Tariff Act is also chargeable @ 4% on such goods.

(e) In this consignment, number of articles is 20,000. Maximum retail price Rs. 150 is printed on each article and 40% abatement on M.R.P. is allowed under Central Excise Act on such goods.

Find the amount of Import Duty Payable.

एक आयातकर्ता ने जहाज पर मूल्य (FOB मूल्य) के आधार पर £ 20,000 का माल आयात किया। माल चेन्नई के बन्दरगाह पर 30 मई 2009 को उतारा गया। आयातकर्ता ने घरेलू उपयोग के लिये प्रवेश बिल 4 जून 2009 को प्रस्तुत किया। भाड़ा एवं बीमा व्यय की जानकारी नहीं है। अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार हैं:

(अ) बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर विभिन्न तिथियों को निम्न थी—

- (i) 30 मई 2009 को 1£ = 63.25 रुपये
- (ii) 4 जून 2009 को 1£ = 63.50 रुपये।

(ब) आधारभूत सीमा-शुल्क की दर 20%

(स) यदि यह माल भारत में उत्पादित होता तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर 14% होती।

(द) ऐसे माल पर सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के तहत 4 % की दर से अतिरिक्त सीमा-शुल्क भी देय है।

(य) उक्त प्रेषण में वस्तुओं की संख्या 20,000 है। प्रत्येक वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य 150 रु. अंकित है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत इस वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य में से 40% की उपशमन प्राप्त है। देय आयात शुल्क की राशि ज्ञात कीजिए।

हल (Solution):

नोट: देय आयात शुल्क की राशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माल का निर्धारण मूल्य (Assessable Value) ज्ञात किया जायेगा।

माल के निर्धारण मूल्य (Assessable Value) की गणना

		Rs
आयात माल का जहाज पर मूल्य (FOB Value)	(20000 x 63.50)	12,70,000.00
जोड़े : (i) भाड़ा (FOB Value का 20%)	(12,70,000x20%)	2,54,000.00
(ii) बीमा व्यय (FOB Value का 1.125%)		14,287.50
लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (CIF Value)		15,38,287.50
जोड़े : जहाज से माल उतारने के व्यय (CIF Value का 1 %)		15,382.88
निर्धारण मूल्य (Assessable Value)		15,53,670.38
पूर्णांकित (Rounded off)		15,53,670.00

माल पर देय सीमा—शुल्क का निर्धारण

	Rs.	Rs.
(i) आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) (निर्धारण मूल्य x 20%)	(15,53,670x 20%)	3,10,734.00
(ii) धारा 3(1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क(CVD) [20,000 x (150–60)]x 14.42%	18,00,000x14.42%	2,59,560.00
(iii) शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर	(570294 x 3%)	5,70,294.00
(iv) धारा 3(5) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (5,87,402.82 + 15,53,670) x 4%		17,108.82
कुल देय सीमा शुल्क		5,87,402.82
पूर्णांकित (Rounded off)		85,642.91
		6,73,045.73
		6,73,045.00

टिप्पणी—

जहाज के बन्दरगाह पर माल उतारने एवं प्रवेश बिल प्रस्तुत करने की तिथि मे जो भी तिथि बाद की होती है, उस तिथि के दिन प्रभावी विनिमय दर जिसकी अधिसूचना बोर्ड द्वारा की गई हो, लागू होती है।

उदाहरण (illustration) 5.

Compute the Customs duty payable from the following data:

Machinery imported from USA by air (FOB)	US\$ 8,000
Accessories Compulsorily Supplied along with the Machine	US\$ 2,000

Air Freight	US\$ 3,000
Insurance	US\$ 100
Local agent's commission to be paid in Indian rupees is Rs. 4,500	
The exchange rate is 1 US Dollar = Indian Rupees 45	
Customs duty on Machinery	: 10% ad Valorem
Customs duty on accessory	: 12.5% ad Valorem
Additional duty of Customs u/s 3(1) CVD	14%
(effective rate is 8% by exemption notification)	
Additional duty of Customs u/s 3(5)	4%
निम्नलिखित आंकड़ों से देय सीमा-शुल्क की गणना कीजिए	US\$
वायुयान से अमेरिका से मशीन आयात की गई (FOB मूल्य पर)	8,000
मशीन के साथ अनिवार्य रूप से पूर्ति की गई सहायक सामग्री	2,000
वायुयान का भाड़ा	3,000
बीमा	100
स्थानीय एजेण्ट का कमीशन भारतीय रूपये में देय	4,500
विनिमय दर : 1 US\$ = 45 रु.	
मशीन पर सीमा-शुल्क की दर	: 10% मूल्यानुसार
सहायक सामग्री पर सीमा-शुल्क की दर	: 12.5% मूल्यानुसार
धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क	: 14%
(कर मुक्ति अधिसूचना द्वारा प्रभावी दर 8%)	
धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क	: 4%

हल (Solution):

मशीनरी के निर्धारण मूल्य (Assessable Value) की गणना

	US \$ (8000 + 2000)	US \$
सहायक सामग्री सहित मशीन का जहाज पर मूल्य (FOB Value)	10,000	
जोड़ो: (i) वायुयान का भाड़ा (FOB मूल्य का 20% से अधिक नहीं हो सकता है)	2,000	
(ii) बीमा की लागत	100	
लागत, बीमा एवं भाड़ा (CIF) मूल्य (एजेण्ट के कमीशन को छोड़कर)	12,100	
विदेशी विनिमय दर 1 अमेरिकी डालर = 45 रु.	Rs.	
अतः लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (रूपयों में)	5,44,500.00	
जोड़ो: स्थानीय एजेण्ट का कमीशन	4,500.00	
लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (CIF Value)	(12,100 x 45)	5,49,000.00
जोड़ो: जहाज से माल उतारने के व्यय (CIF Value का 1%)		5,490.00
निर्धारण मूल्य (AV)		5,54,490.00

देय सीमा शुल्क की गणना

	Rs.	Rs.
(i) आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) (निर्धारण मूल्य का 10%)	5,54,490 x 10%	55,449.00
(ii) धारा 3(1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) (निर्धारण मूल्य तथा आधारभूत सीमा शुल्क का 8.24%)	6,09,939 x 8.24%	50,258.97
(iii) उपयुक्त (i) तथा (ii) का योग		1,05,707.97
(iv) शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (3%)	(1,05,707.57 x 3%)	3,171.24
(v) धारा 3(5) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (5,54,490 + 1,08,879.21) का 4%	(6,63,369.21 x 4%)	1,08,879.21
कुल देय सीमा शुल्क		26,534.77
पूर्णांकित		1,35,413.98
		1,35,414.00

टिप्पणी—

(i) Accessories (Conditions) Rules, 1963 के अनुसार यदि मुख्य मशीन के साथ सहायक सामग्री एवं कल पुर्जे अनिवार्य रूप से आयात करने पड़ते हों तो सहायक सामग्री एवं कल पुर्जे के मूल्य पर भी शुल्क उसी दर से लगाया जायेगा जिस दर से मुख्य मशीन पर लगाया जाता है। अतः सहायक सामग्री पर भी आधारभूत शुल्क की दर 10% ही होगी तथा सहायक सामग्री के मूल्य को भी मुख्य सामग्री के मूल्य में ही सम्मिलित कर लिया गया है।

(ii) यदि माल का आयात वायुमार्ग से किया जाये तो भाड़ा FOB मूल्य के 20% से अधिक नहीं हो सकता है। चूंकि भाड़े की राशि FOB मूल्य के 20% से अधिक है, अतः इसे FOB मूल्य के 20% के बराबर ही लिया गया है तथा शेष राशि को छोड़ दिया गया है।

(iii) भारत में एजेण्ट को दिया गया कमीशन चूंकि क्रय कमीशन की श्रेणी में नहीं आता है, अतः इसे CIF मूल्य में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय एजेण्ट की नियुक्ति विदेशी निर्यातकर्ता द्वारा की जाती है।

(iv) माल के जहाज से उतारने एवं सुपुर्दगी स्थल तक ले जाने के व्यय (Landing charges or handling charges) की प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो तब भी ये CIF मूल्य के 1% के बराबर लगाये जाते हैं।

उदाहरण (Illustration) 6.

Calculate the total customs duty liability from the following data:

Product import from U.S.A. F.O.B. value in US dollars	Articles of Jewellery 2,00,000
Exchange rate	1\$ = Rs. 45
Additional imformation:	
(1) Air freight	50,000\$
(2) Insurance charges	Not Known
(3) Landing charges	Rs. 10,000

- (4) Basic customs duty 10%
- (5) Excise duty chargeable on similar goods in India is 14% as per Tariff rate
- (6) Additional duty of customs under section 3(5) of the Customs Tariff Act is payable as per prescribed rate.
- (7) What amount of refund can be obtained out of the total customs duty paid, if the importer is a trader and collects Value Added Tax from his customers.

निम्नलिखित समको से कुल सीमा-शुल्क दायित्व की गणना कीजिए:

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित उत्पाद जैवलरी की वस्तुएँ

अमेरिका की मुद्रा में FOB मूल्य 2,00,000 डालर

विनिमय दर 1 डालर = 45 रुपये

अतिरिक्त सूचनाएँ:

(1) हवाई भाड़ा 50,000 डालर

(2) बीमा व्यय जानकारी नहीं

(3) उत्तराई व्यय 10,000 रुपये

(4) आधारभूत सीमा-शुल्क 10%

(5) प्रशुल्क (Tariff) दर के अनुसार भारत में ऐसे ही माल पर उत्पाद शुल्क 14% की दर से देय है।

(6) सीमा शुल्क प्रशुल्क (Tariff) अधिनियम की धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क (Special CVD) निर्धारित दर से देय है।

(7) यदि आयातकर्ता एक व्यापारी है तथा अपने ग्राहकों से मूल्य सर्वद्वित कर वसूल करता है तो वह चुकाये गये कुल सीमा शुल्क में से कितनी राशि वापस प्राप्त कर सकता है।

हल (Solution):

जैवलरी के निर्धारण मूल्य (Assessable Value) की गणना

	US \$	US \$
जैवलरी का जहाज पर मूल्य (FOB Value)		2,00,000.00
जोड़ो: (i) वायुयान का भाड़ा (FOB मूल्य का 20% से अधिक नहीं हो सकता है)	40,000	
(ii) बीमा की लागत	2250	
लागत, बीमा एवं भाड़ा (CIF) मूल्य	12,100	
विदेशी विनिमय दर 1 अमेरिकी डालर = 45 रु.	Rs.	
अतः लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (रुपयों में)	1,09,01250.00	
जोड़ो: जहाज से माल उतारने के व्यय (CIF Value का 1%)	1,09,012.50	
निर्धारण मूल्य (AV)	1,10,10,262.50	

देय सीमा शुल्क की गणना

	Rs.	Rs.
(i) आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) (निर्धारण मूल्य का 10%)	1,10,10,262.50X 10%	11,01,026.25
(ii) धारा 3(1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) (निर्धारण मूल्य तथा आधारभूत सीमा शुल्क का 14.42%)		<u>17,46,447.84</u>
(iii) उपयुक्त (i) तथा (ii) का योग		28,47,474.09
(iv) शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (3%)	(28,47,474.09X 3%)	85,424.22
(v) धारा 3(5) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (29,32,898.31+ 1,10,10,262.50) का 1%	(1,39,43,160.81X 1%)	<u>1,39,431.61</u>
कुल देय सीमा शुल्क		30,72,329.92
पूर्णांकित		30,72,330.00

टिप्पणी— (i) वायुमार्ग से माल भेजने पर भाड़ा FOB मूल्य के 20% से अधिक नहीं हो सकता है।

(ii) बीमा व्यय ज्ञात नहीं होने पर FOB मूल्य के 1.1252% की दर से लगाये जाते हैं।

(iii) उत्तराई व्यय (Landing charges) CIF मूल्य का 1% लिया जाता है।

(iv) धारा 3(5) के तहत ज्वेलरी की वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की दर 1% है।

(v) व्यापारी 1,39,432 रु. की सीमा शुल्क की वापसी प्राप्त कर सकता है।

उदाहरण (Illustration) 7.

M/s Balaji Industries Ltd. has imported a machine from Japan at an F.O.B. cost of 1,00,000 Yen (Japanese). The other particulars were as follows:

- (i) Freight from Japan to Indian 10,000 yen;
- (ii) Insurance premium paid to insurer in India Rs. 5,000;
- (iii) Designing charges paid to consultancy firm in Japan 15,000 yen
- (iv) M/s Balaji industries Ltd. spent Rs. 50,000 in India for development work connected with the Machine;
- (v) Transportation cost from Indian port to Factory Rs. 15,000;
- (vi) Board has announced exchange rate of 1 yen = Rs 0.40 by notification under section 14(3). However the exchange rate prevailing in the market was 1 yen = Rs 0.4052
- (vii) M/s Balaji industries Ltd. has made payment to the Bank based on exchange rate of 1 yen = Rs. 0.4150;

- (viii) The commission payable to the agent in India was @ 5% of F.O.B.price in Indian Rupees.
- (ix) The machinery was imported in the month of July, 2008

The rate of Customs duty is 20% . Similar goods are subject to 14% Excise in India. The goods are exempt from additional duty of customs under section 3(5)

Compute the Customs duty payable. Will your answer diffrent if:

- (1) the importer M/s Balaji industries Ltd. is importing goods for captive consumption;
- (2) the importer M/s Balaji industries Ltd. is a trader and imported goods for the purpose of trading or subsequent sale.

मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 1,00,000 येन की जहाज पर मूल्य (FOB) लागत पर एक मशीन आयात की है। अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

- (i) जापान से भारतीय बन्दरगाह तक का भाड़ा 10,000 येन।
- (ii) भारत में बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम चुकाया 5,000 रुपये।
- (iii) जापान में परामर्श देने वाली फर्म को डिजाइनिंग शुल्क के 15,000 येन चुकाये।
- (iv) मैसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने मशीन से सम्बन्धित विकास कार्य के लिये 50,000 रुपये भारत में चुकाये।
- (v) भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक का परिवहन व्यय 15,000 रुपये।
- (vi) धारा 14(3) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा बोर्ड ने विनिमय दर 1 येन = 0.4152 रुपये घोषित की है। परन्तु बाजार में विनिमय दर 1 येन = 0.40 रुपये चल रही है।
- (vii) मैसर्स बालाजी लिमिटेड ने बैंक को 1 येन = 0.4150 रुपये की दर के अनुसार भुगतान किया है।
- (viii) भारत में एजेण्ट को देय कमीशन की दर भारतीय रुपये में FOB मूल्य का 5% थी।
- (xi) मशीन जुलाई, 2008 में आयात की गई थी।

सीमा—शुल्क की दर 20% है। भारत में ऐसे ही माल पर उत्पाद शुल्क 14% की दर से देय है। सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(5) के अन्तर्गत यह माल अतिरिक्त सीमा—शुल्क के लिए कर—मुक्त है।

देय सीमा—शुल्क की गणना कीजिए। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि—

- (1) आयातकर्ता मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने स्वयं के उपयोग के लिये माल आयात किया है।
- (2) आयातकर्ता मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एक व्यापारी है तथा उन्होंने माल व्यापार के लिये अथवा उत्तरवर्ती बिक्री के लिये आयात किया है।

हल (Solution):

मशीनरी के निर्धारण मूल्य (Assessable Value) की गणना

	Yen	Yen
मशीन का जहाज पर मूल्य (FOB Value)		1,00,000
जोड़ो: (i) समुद्री यान का भाड़ा		10,000
(ii) जापान में डिजाइनिंग शुल्क		15,000
लागत, बीमा एवं भाड़ा (CIF) मूल्य		1,25,000
विदेशी विनिमय दर 1 येन = 0.40 रु.	1,25,000x0.40	Rs.
अतः लागत, एवं भाड़ा मूल्य (रुपयों में)		50,000.00
जोड़ो: एजेण्ट का कमीशन		2,000.00
बीमा		5,000.00
लागत, बीमा एवं भाड़ा मूल्य (CIF Value)		57,000.00
जोड़ो: जहाज से माल उतारने के व्यय (CIF Value का 1%)		570.00
निर्धारण मूल्य (AV)		57,570.00

देय सीमा शुल्क की गणना

	Rs.	Rs.
(i) आधारभूत सीमा शुल्क (BCD) (निर्धारण मूल्य का 20%)	57,570 x 20%	11514.00
(ii) धारा 3(1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) (निर्धारण मूल्य तथा आधारभूत सीमा शुल्क का 14.42%)	69,084 x 14.42%	9,961.91
(iii) उपयुक्त (i) तथा (ii) का योग		21,475.91
(iv) शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (3%)	(21,475.91x 3%)	644.28
(v) धारा 3(5) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क		22,120.19
कुल देय सीमा शुल्क		शून्य
पूर्णांकित		
		22,120.19
		22,120.00

टिप्पणी—

(i) आयातकर्ता चाहे अपने कारखाने में प्रयोग के लिये माल अथवा पूँजीगत माल का आयात करे अथवा पुनः बिक्री के लिये माल का आयात करे, दोनों ही दशाओं में समान राशि सीमा शुल्क के रूप में चुकाई जाती है। परन्तु उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्माता को अतिरिक्त सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में सेनेवैट जमा का लाभ मिल सकता है।

(ii) विनिमय की बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर ही लागू होती है।

(iii) मशीन के विकास के लिये भारत में किये गये व्यय एवं मशीन को भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक ले जाने के व्यय शुल्क योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं होते हैं। अतः इनको शुल्क योग्य मूल्य में समिलित नहीं किया गया है।

टिप्पणी— यह माल लिया गया है कि कन्टेनर स्थायी एवं पुनः प्रयोग में आने वाले हैं तथा आयातकर्ता इनको निर्धारित अवधि में वापस करने के लिये सहमत हो गया है। अतः इनकी लागत को सीमा शुल्क की गणना के लिये मूल्य में समिलित नहीं किया गया है। यदि यह पुनः उपयोग के नहीं होते तो इनकी लागत को मूल्य में समिलित किया जाता एवं इन पर शुल्क देय होता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए:

1. आयात शुल्क की गणना के सम्बन्ध मेंकानून के प्रावधानों का अध्ययन करना होता है:

- (अ) आयात किये गये माल के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।
- (ब) विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क के सम्बन्ध में
- (स) विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क की दरों के सम्बन्ध में
- (द) उपर्युक्त तीनों के सम्बन्ध में।

(द)

2. विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क एवं उनसे सम्बन्धित दरों का उल्लेख किया गया है:

- (अ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में
- (ब) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में
- (स) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 में
- (द) उपर्युक्त में कोई भी नहीं।

(ब)

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions):

1. शुल्क की प्रमाणित दर एवं शुल्क की अधिमानी दर में अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
2. सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति-शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रावधानों का विवेचन कीजिए।

(स) व्यावहारिक प्रश्न (Numerical Questions)

1. कुछ पुर्ज वायुमार्ग द्वारा जर्मनी से 2,400 DM के CIF मूल्य (भाड़ा एवं बीमा सहित लागत मूल्य) पर आयात किये गये जिसमें 760DM वायुमार्ग का भाड़ा एवं 40DM बीमा व्यय समिलित

थे। यदि विनिमय दर 23.40 रुपये = 1DM हो, तो सीमा-शुल्क के लिये शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए।

उत्तर— शुल्क योग्य मूल्य 46,323 रुपये।

2. From the following information determine the Customs duty payable:

	Rs.
(i) CIF Value of goods imported	2,00,000
(ii) Ocean freight	50,000
(iii) Insurance charges	5,000
(iv) Rate of Basic Customs duty	10%
(v) Rate of Excise duty on such goods produced in India	Nil
(vi) rate of Additional Customs Duty u/s 3(5)	Nil

निम्न सूचनाओं से देय सीमा-शुल्क का निर्धारण कीजिए:

	रुपये
(i) आयातित माल का CIF (बीमा एवं भाड़ा सहित) मूल्य	2,00,000
(ii) सामुद्रिक भाड़ा	50,000
(iii) बीमा व्यय	5,000
(iv) आधारभूत सीमा-शुल्क की दर	10%
(v) भारत में उत्पादित ऐसे ही माल पर उत्पाद-शुल्क की दर	शून्य
(vi) धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क की दर	शून्य

उत्तर— देय सीमा-शुल्क की राशि 20,806 रुपये।

संकेत— माल का शुल्क योग्य मूल्य 2,02,000 रुपये।

3. From the following information determine the Customs duty payable:

	Rs.
(i) CIF Value of goods imported	4,00,000
(ii) Landling charges	4,000
(iii) Rate of Basic Customs duty	15%
(v) Rate of Excise duty on such goods produced in India	16%
(vi) Additional Duty of Customs u/s 3(5)	Nil
निम्न सूचनाओं से देय सीमा-शुल्क का निर्धारण कीजिए:	रुपये
(i) आयातित माल का बीमा एवं भाड़ा सहित (CIF) मूल्य	4,00,000
(ii) उत्तराई व्यय	4,000
(iii) आधारभूत सीमा-शुल्क दर	15%

(iv) भारत में उत्पादित ऐसे ही माल पर उत्पाद शुल्क की दर	16%
(v) धारा 3(5) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क	4%
कर-देय सीमा शुल्क की राशि – 163092 रुपये	
शुल्क योग्य मूल्य 4,04,000 रुपये।	

4. An actual user imports following goods from England on S.S. Vishal:

(1) Second hand numerically controlled horizontal lathe machine

- Tariff heading- 84.5811
- Value F.O.B.- 1.000 /– Pound Sterling
- (2) A.C.Motors- Tariff heading – 85.0110
- Value FOB – 500 /– Pound Sterling

Other relevant data are:

Exchange rate 1 UK Pound	= Rs. 65
Freight	150 UK Ponuds
Insurance	25 UK Pounds
Rate of duty:	
Basic Customs duty	10%
Additional Duty u/s 3(1) CVD	14%
Additional Duty u/s 3(1) (Special CVD)	4%

Ignore landing charges. It is found that the lathe machine is undervalued. It is proposed to load the FOB value of lathe machine by 25% Party does not want show cause notice and personal hearing.

Compute- (i) Assessable value and

(ii) Total duty payable.

एक वास्तविक उपयोगकर्ता इंगलैण्ड से एस.एस.विशाल जहाज से निम्न माल आयात करता है:

- (1) आंशिक रूप से नियंत्रित पुरानी समतल लैथ मशीन
 - प्रशुल्क शीर्षक– 84.5811
 - जहाज पर मूल्य– 1000 /– पौण्ड स्टरलिंग
- (2) ए.सी.मोटर्स–प्रशुल्क शीर्षक–85.0110
 - जहाज पर मूल्य – 500 /– पौण्ड स्टरलिंग

अन्य संबंधित आंकड़े निम्न प्रकार हैं–

विनिमय दर 1 यू के पौण्ड	= 65 रुपये
भाड़ा	: 150 यू के पौण्ड
बीमा	: 25 यू के पौण्ड

शुल्क दर:

आधारभूत सीमा—शुल्क 10%

धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त शुल्क (CVD) 14%

धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त शुल्क (Special CVD) 4%

उत्तराई व्ययों का ध्यान नहीं रखना है। यह मालम हुआ है कि लैथ मशीन का न्यून मूल्यांकन किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि लैथ मशीन के FOB मूल्य को 25% से बढ़ा दिया जाये। आयातकर्ता पक्ष कारण बताओ नोटिस एवं व्यक्तिगत सुनवाई का इच्छुक नहीं है।

गणना कीजिये— (i) शुल्क योग्य मूल्य एवं

(ii) कुल देय शुल्क की राशि

5. An importer imported raw materials @ 45,000 UK £ FOB, Goods were packed for which packing charges of 2,200 UK £ were charged extra. Goods were stuffed in containers. Price of the containers is 5,000 UK £ Freight charges were 4,600 UK £ Insurance charges of 1,500 UK £ were paid Importer has paid commission of 1,000 UK £ to broker who arranged the transaction. UK £ pound rate is Rs.63.57= 1UK £ Customs duty rate is 20% Excise duty payable on similar goods produced in India is 14% Additional Customs duty payable under section 3(5) is @ 4% Find the total Customs duty payable.

एक आयातकर्ता ने कच्ची सामग्री का आयात 45,000 ब्रिटिश पौण्ड के FOB मूल्य पर किया। माल को पैक करने के लिये 2,200 ब्रिटिश पौण्ड पैकिंग व्यय के रूप में अलग से वूसल किये गये। माल को कन्टेनर्स में भेजा गया। स्थायी कन्टेनर्स का मूल्य 5,000 ब्रिटिश पौण्ड था। समुद्री भाड़ा 4,600 ब्रिटिश पौण्ड था। बीमा व्यय 1,500 ब्रिटिश पौण्ड भुगतान किये गये। आयातकर्ता ने दलाल को 1,000 ब्रिटिश पौण्ड कमीशन दिया जिसने सौदे की व्यवस्था की। ब्रिटिश पौण्ड की दर 63.57 रूपये = 1 ब्रिटिश पौण्ड है। सीमा—शुल्क 20% है। भारत में इसी प्रकार का माल उत्पादित करने पर उत्पाद—शुल्क की दर 14% है। धारा 3(5) के तहत देय अतिरिक्त सीमा—शुल्क की दर 4% है। देय कुल सीमा शुल्क की गणना कीजिए।

6. An importer imported raw materials @ 45,000 UK £ FOB, Goods were packed for which packing charges of 2,200 UK £ were charged extra. Goods were stuffed in containers. Price of the containers is 5,000 UK £ Freight charges were 4,600 UK £ Insurance charges of 1,500 UK £ were paid Importer has paid commission of 1,000 UK £ to broker who arranged the transaction. UK £ pound rate is Rs.63.57= 1UK £ Customs duty rate is 20% Excise duty payable on similar goods produced in India is 14% Additional Customs duty payable under section 3(5) is @ 4% Find the total Customs duty payable.

एक आयातकर्ता ने कच्ची सामग्री का आयात 45,000 ब्रिटिश पौण्ड के FOB मूल्य पर किया। माल को पैक करने के लिये 2,200 ब्रिटिश पौण्ड पैकिंग व्यय के रूप में अलग से वूसल किये गये। माल को कन्टेनर्स में भेजा गया। स्थायी कन्टेनर्स का मूल्य 5,000 ब्रिटिश पौण्ड था। समुद्री भाड़ा 4,600 ब्रिटिश पौण्ड था। बीमा व्यय 1,500 ब्रिटिश पौण्ड भुगतान किये गये। आयातकर्ता ने दलाल को 1,000 ब्रिटिश पौण्ड कमीशन दिया जिसने सौदे की व्यवस्था की। ब्रिटिश पौण्ड की दर 63.57 रूपये = 1 ब्रिटिश पौण्ड है। सीमा—शुल्क 20% है। भारत में इसी प्रकार का माल उत्पादित करने पर उत्पाद—शुल्क की दर 14% है। धारा 3(5) के तहत देय अतिरिक्त सीमा—शुल्क की दर 4% है। देय कुल सीमा—शुल्क की गणना कीजिए।

7. An importer has imported a machine from UK £ at FOB cost of 20,000 UK £ Other details are as follows:

- (i) Design and development charges of 3,500 UK £ were paid to a consultancy firm in UK £
- (ii) Freight from UK £ to Indian port was 1,900 UK £
- (iii) Insurance was paid to insurer in India Rs. 12,000

- (iv) The importer also spent an amount of Rs. 75,000 in India for development work connected with the machinery.
- (v) Rs. 12,000 were spent in transporting the machinery from Indian port to the factory of importer.
- (vi) Rate of exchange announced by CBEC (Board) by notification under section 14(3)
 - (a) (i) Rs. 68.70 = 1 UK £
- (vii) Foreign exporters have an agent in India. Commission is payable to the agent in Indian Rupees @ 5% of FOB price.

Customs duty payable was 10% if similar goods were produced in India, Excise duty payable as per Tariff is 24%. There is an excise exemption notification which exempts the duty as in excess of 16% on such goods Additional duty u/s 3(5) is payable @ 4%.

Find the total Customs duty payable. How much Cenvat credit can be availed under Central Excise Act in respect of Customs duties paid if:

- (a) Importer is manufacturer using the goods himself,
- (b) Importer is a trader who has imported goods for subsequent sale in India.

एक आयातकर्ता ने इंग्लैण्ड से 20,000 ब्रिटिश पौण्ड की FOB लागत पर एक मशीन आयात की। अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

- (i) डिजाइन व विकास व्यय के 3,500 ब्रिटिश पौण्ड इंग्लैण्ड में एक परामर्शदात्री फर्म को चुकाये गये।
- (ii) इंग्लैण्ड से भारतीय बन्दरगाह तक का भाड़ा 1,900 ब्रिटिश पौण्ड था।
- (iii) भारत में बीमार्कर्ता को बीमा व्यय चुकाया 12,000 रुपये।
- (iv) आयातकर्ता ने मशीन से सम्बन्धित विकास कार्य के लिये भारत में 75,000 रुपये व्यय किये।
- (v) भारतीय बन्दरगाह से आयातकर्ता के कारखाने तक मशीन को पहुँचाने का व्यय 12,000 रुपये।
- (vi) उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड (CBEC) द्वारा धारा 14(3)(a)(i) में जारी अधिसूचना द्वारा घोषित दर: एक ब्रिटिश पौण्ड = 68.70 रुपये।
- (vii) विदेशी निर्यातकर्ता का भारत में एक एजेण्ट है। एजेण्ट को माल के FOB मूल्य का 5% कमीशन भारतीय मुद्रा में भारत में दिया गया है।

देय सीमा-शुल्क की दर 10% है। यदि इस प्रकार का माल भारत में उत्पादित किया जाये तो टैरिफ के अनुसार 24% की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। एक उत्पाद-शुल्क मुक्ति अधिसूचना के अनुसार 16% से अधिक का उत्पाद-शुल्क मुक्त है। ऐसे माल पर धारा 3(5) के तहत देय अतिरिक्त सीमा-शुल्क की दर 4% है। सीमा-शुल्क की कुल देय राशि ज्ञात कीजिए।

आयातकर्ता उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत चुकाये गये सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में कितनी राशि की सेनेट जमा प्राप्त कर सकता है यदि:

- (अ) आयातकर्ता माल का स्वयं प्रयोग करने वाला निर्माता है,
- (ब) आयातकर्ता एक व्यापारी है जिसने माल का आयात उत्तरवर्ती विक्रय के लिये किया है।

8. Calculate the total Customs duty liability from the following data:

Product imported from France

Gears

FOB value in French Francs

16,000

Exchange rate

1 FF = Rs. 6.25

Additional information:

- (1) Air Freight: 4,000 FF
- (2) Insurance charges: not Known
- (3) Landing charges: Rs. 800
- (4) Basic Customs duty: 10%
- (5) Excise duty chargeable on similar goods in India is 14% as per tariff rate. However as per exemption notification the effective rate is 8%
- (6) Additional Customs duty u/s 3(5) is payable @ 4%

निम्नलिखित समंको से कुल सीमा-शुल्क दायित्व की गणना कीजिए:

फ्रांस से आयातित उत्पाद

: गियर्स

फ्रांस की मुद्रा में FOB मूल्य

: 16,000 फ्रैंक

विनिमय दर

: 1 फ्रैंक = 6.25 रुपये

अतिरिक्त सूचनाएँ:

- (1) हवाई भाड़ा: 4,000 फ्रैंक (FF)
- (2) बीमा व्यय : जानकारी नहीं
- (3) उत्तराई व्यय: 800 रुपये
- (4) आधारभूत सीमा-शुल्क 10%
- (5) प्रशुल्क (Tariff) दर के अनुसार भारत में ऐसे ही माल पर उत्पाद शुल्क 14% की दर से देय है। परन्तु कर मुक्ति अधिसूचना के अनुसार प्रभावी दर 8% ही है।
- (6) धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा-शुल्क 4% की दर से देय है।

(द) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क कौन कौन में है? प्रत्येक के महत्वपूर्ण प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए।
2. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:
 - (अ) सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिशुल्क
 - (ब) लागत से कम पर बेची गयी वस्तुओं पर राशि पातन विरोध शुल्क।

वर्ग (Section) B

अध्याय (Chapter) 8

अपील एवं पुनर्विचार (Appeals and Revision)

अपील (Appeal)

यदि कोई करदाता सीमा-शुल्क अधिकारी के द्वारा जारी किये गये किसी आदेश अथवा निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह उस आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध निम्न को अपील कर सकता है:

1. सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष;
2. अपीलेट द्रिब्यूनल के समक्ष;
3. उच्च न्यायालय के समक्ष;
4. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील [धारा-128]

[Appeal to the Commissioner (Appeals)]

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी ऐसे सीमा-शुल्क अधिकारी, जो सीमा-शुल्क आयुक्त से नीचे की श्रेणी का हो, द्वारा जारी किये गये किसी आदेश अथवा निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो तो वह ऐसा आदेश या निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन के भीतर सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है। परन्तु आयुक्त (अपील) यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता उचित कारणों से इस 60 दिन की अवधि में अपील नहीं कर सका तो वह इस अवधि में 30 दिन तक की वृद्धि कर सकता है। अपील निर्धारित प्रपत्र (Form "C.A.1.") में की जाती है। यह प्रपत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके साथ उस आदेश या निर्णय की प्रति संलग्न की जाती है जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। इस प्रपत्र में ही अपील के तथ्य एवं आधार देने होते हैं। इसमें सत्यापन का प्रमाण पत्र भी होता है। इस प्रपत्र पर एवं सत्यापन के प्रपत्र पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

यदि आवेदन कर्ता मांग की राशि को अग्रिम रूप से जमा कराने से मुक्ति चाहता है तो उसे अपील के फार्म के साथ एक आवेदन पत्र और प्रस्तुत करना होता है जिसमें ऐसी मुक्ति चाहने के कारण दिये जाते हैं।

अपील की कार्यविधि (Procedure of Appeal) [धारा-128 A]— अपीलकर्ता यदि चाहता है कि उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाये तो आयुक्त (अपील) उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। साधारणतया वे कारण जिनके आधार पर आयुक्त (अपील) को अपील की जाती है, अपील के प्रपत्र में दिये रहते हैं। आयुक्त (अपील) अपील की सुनवाई के समय यदि चाहे तो अपीलकर्ता को वे कारण प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है जो कि अपीलकर्ता ने अपील के प्रपत्र में नहीं दिये हों। परन्तु आयुक्त (अपील) अपील के नये कारण प्रस्तुत करने की अनुमति केवल उसी दशा में देगा जबकि उसे यह विश्वास हो जाये कि अपीलकर्ता ने ये कारण जानबूझ कर नहीं छोड़ थे अथवा ये कारण अनुचित नहीं हैं।

सुनवाई को स्थगित करना:

आयुक्त (अपील) सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी पक्षकार को या सभी पक्षकर्ताओं को सुनवाई का अतिरिक्त समय देने के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ऐसा स्थगन के कारणों का लिखित में उल्लेख किया जावेगा। उसके लिए स्थगन चाहने वाले पक्षकार को पर्याप्त कारण देने होंगे। परन्तु किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्षकार को ऐसा स्थगन तीन बार कर से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अपील के संबंध में आयुक्त (अपील) के अधिकार —

आयुक्त (अपील) अपीलकर्ता को सुनने (यदि उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है) के पश्चात् तथा और अच्छी तरह से आवश्यक जॉच एवं छान-बीन के पश्चात् ऐसा आदेश जारी करेगा, जिसे वह सही तथा उचित समझता है। जिस आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है वह उसकी पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है परन्तु जब्ती के बदले लगाये गये अर्थ-दण्ड में वृद्धि करनी हो अथवा अधिक मूल्य का माल जब्त करना हो अथवा वापसी की राशि को कम करना हो, तो ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर नहीं दे दिया गया हो। इसी प्रकार यदि आयुक्त (अपील) की राय में सीमा-शुल्क की किसी राशि का उद्ग्रहण नहीं हुआ है अथवा भुगतान नहीं किया गया है अथवा कम उद्ग्रहण हुआ है अथवा कम भुगतान हुआ है अथवा गलती से वापस कर दिया गया हो तो ऐसी रकम के चुकाये जाने का आदेश अपीलकर्ता को तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा-28 में निर्दिष्ट समय सीमा में अपीलकर्ता को कारण बताने का अवसर नहीं दे दिया हो। धारा-28 में ऐसा अवसर दिये जाने की निर्दिष्ट समय सीमा सामान्यतः “संबंधित तिथि” से 6 माह की अवधि है परन्तु शुल्क का अपवंचन करने के इरादे से कपट, मिलीभगत, जान बूझकर मित्थावर्णन करना अथवा तथ्यों को दबाने की दशा में निर्दिष्ट समय-सीमा 5 वर्ष होगी।

अपील पर निर्णय की समय-सीमा-

अपील को निपटाने के संबंध में आयुक्त (अपील) का आदेश लिखित में होगा तथा उसमें विचार के बिन्दुओं का, उन पर लिये गये निर्णय का तथा निर्णय के कारणों का भी उल्लेख होगा। यदि संभव हुआ तो आयुक्त (अपील) प्रत्येक अपील के दाखिल किये जाने की तिथि के 6 माह के भीतर उसकी सुनवाई करेगा तथा उस पर निर्णय लेगा। अपील का निपटारा हो जाने के बाद आयुक्त (अपील) अपने द्वारा जारी किये गये आदेश की जानकारी अपीलकर्ता, जिस आदेश अथवा निर्णय के विरुद्ध अपील की गई थी उस आदेश या निर्णय को देने वाले अधिकारी, सीमा-शुल्क के आयुक्त तथा सीमा-शुल्क के मुख्य आयुक्त को देगा।

अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील [धारा-129A]

(Appeal to the Appellate Tribunal)

अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन-

(i) अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 129 के अन्तर्गत किया जाता है। इसे सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित अपील की सुनवाई करता है। इसमें केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में न्यायिक तथा तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति करती है जितने इसके अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिये उसके द्वारा उचित समझे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त करती है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल का सदस्य है। केन्द्रीय सरकार अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों में से एक या एक से अधिक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। उपाध्यक्ष केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा अथवा केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो अध्यक्ष द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा लिखित में उसे प्रदान किये जायें।

(2) आदेश जिनके विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है—

निम्नलिखित आदेशों से प्रभावित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकता है—

(अ) सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा न्यायिक अधिकारी की हैसियत से जारी आदेश अथवा निर्णय।

(ब) धारा-128 (A) के तहत आयुक्त (अपील) द्वारा जारी किया गया आदेश। इस आदेश के विरुद्ध जो अपील की जाती है, उसे द्वितीय अपील कहते हैं।

आयुक्त (अपील्स) द्वारा दिया गया आदेश यदि निम्न से संबंधित है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को उस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा तथा उसके समक्ष कोई अपील नहीं की जायेगी—

(i) यात्री सामान के रूप में आयात किया गया अथवा निर्यात किया गया कोई माल।

(ii) भारत में आयात के लिये किसी वाहन में लादा गया माल जिसको भारत में उसके गन्तव्य स्थान पर नहीं उतारा गया हो और यदि माल को उतारा गया है तो कम उतारे गये माल की मात्रा के संबंध में।

(iii) इस अधिनियम के अध्याय X एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ड्रूटी ड्रा-बैंक का भुगतान।

यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल उचित समझे तो आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध निम्न दशाओं में अपील स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है—

1. जब्त किये गये माल का मूल्य, उस दशा में जब कि माल के मालिक को धारा 125 के अन्तर्गत जब्ती के बदले जुर्माना भरने का विकल्प नहीं दिया गया हो; या
2. किसी विवादित मामले में शुल्क की राशि अथवा शुल्क के अन्तर की राशि (सीमा शुल्क की दर अथवा माल के मूल्यांकन संबंधी विवादों को छोड़कर); या
3. ऐसे आदेश के द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो।

3. आयुक्तों की समिति द्वारा अपील (Appeal by the Committee of Commissioners)—

इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बोर्ड (उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड) सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन कर सकता है जिसमें सीमा-शुल्क के दो मुख्य आयुक्त अथवा दो आयुक्त होंगे।

यदि आयुक्तों की समिति का यह विचार है कि धारा 128 A के तहत आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश कानून-सम्मत अथवा उचित नहीं है तो यह उचित अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध इसकी ओर से अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने के लिये निर्देश दे सकती है।

(4.) अपील की अवधि (Period of Appeal)—

अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करदाता या सीमा-शुल्क आयुक्त को संबंधित आदेश अथवा निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् 3 माह की अवधि के अन्दर की जानी चाहिये। यदि ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि यह अपील उचित कारणों से निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, तो वह अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अपील स्वीकृत कर सकता है।

(5) अपील का प्रारूप (Form of Appeal)—

इस अधिनियम की धारा-129 A (6) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रिब्यूनल को अपील निर्धारित फार्म में प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे निर्धारित विधि से सत्यापित किया जाना चाहिए। करदाता द्वारा यह अपील फार्म नं. 'CA-3' में की जाती है जबकि आयुक्त द्वारा ऐसी अपील फार्म नं. CA-5 में की जाती है। इस फार्म में अन्य विवरण के साथ अपील के कारण अथवा आधार भी दिये जाते हैं तथा इसे भी सत्यापित किया जाता है।

(6) अपील के आवेदन के साथ देय फीस—

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाने वाली अपील के आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क देय होगा जो अपील से संबंधित मामले में किसी भी सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा माँगी गई सीमा-शुल्क एवं ब्याज की राशि तथा आरोपित दण्ड की राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है। परन्तु आयुक्तों की समिति द्वारा अपील करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसी प्रकार प्रति-आक्षेपों के ज्ञापन के साथ भी कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(7) प्रति-आपेक्षों का ज्ञापन (Memorandum of Cross-objections)—

ट्रिब्यूनल को अपील का आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्रस्तुत किये जाने की सूचना विरोधी पक्ष को दी जाती है अर्थात् यदि आयुक्त ने अपील प्रस्तुत की है तो इसकी सूचना करदाता को और यदि करदाता ने अपील प्रस्तुत की है तो इसकी सूचना आयुक्त को दी जाती है। विरोधी पक्ष अर्थात् प्रतिवादी इसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आदेश के किसी भाग के विरुद्ध प्रति-आपेक्षों का ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है। यह

ज्ञापन सूचना की प्राप्ति के पश्चात् 45 दिन के अन्दर दाखिल किया जाना चाहिए। परन्तु उचित कारणों के आधार पर ट्रिब्यूनल चाहे तो 45 दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत ज्ञापन को भी स्वीकार कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रतिवादी पक्ष से प्राप्त किये गये प्रति-आपेक्षों के ज्ञापन का निपटारा भी ठीक उसी प्रकार से किया जाता है, मानो यह इस धारा के तहत निर्धारित समय में प्रस्तुत की गई अपील हो। ऐसे ज्ञापन के साथ कोई शुल्क देय नहीं होता है।

(8) अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश (Order by Appellate Tribunal)[धारा-129 B]—

अपीलेट ट्रिब्यूनल संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकती है। जिस आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है वह उस आदेश या निर्णय की पुष्टि कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है या जिस निर्णय या आदेश पर अपील सुनी हुई है उस निर्णय या आदेश देने वाले अधिकारी को नये निर्णय के लिये उचित निर्देशों के साथ वापस लौटा सकती है।

सुनवाई को स्थगित करना— अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर यदि पर्याप्त कारण बताया जायें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी भी पक्षकार को अथवा अपील से संबंधित सभी पक्षकारों को अतिरिक्त समय स्वीकृत कर सकती है तथा अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकती है। ऐसे स्थगन के कारणों का लिखित में उल्लेख किया जायेगा।

परन्तु किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्षकार को ऐसा स्थगन तीन बार से अधिक के लिये स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ट्रिब्यूनल अपना आदेश देने के उपरान्त 6 माह की अवधि के अन्दर स्वयं अथवा सीमा-शुल्क के आयुक्त द्वारा अथवा अपील के पक्षकारों द्वारा बताये जाने पर कभी भी भूल सुधार कर सकती है। परन्तु किसी भूल-सुधार से करदाता का कर दायित्व बढ़ जाता है अथवा उसको वापस की जाने वाली राशि में कमी आ जाती है तो ऐसी भूल-सुधार करदाता को अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिये गये बिना नहीं की जा सकती। तथ्यों के संबंध में ट्रिब्यूनलका निर्णय अन्तिम होता है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

अपील पर निर्णय की समय सीमा— जहाँ तक सम्भव होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रत्येक अपील की सुनवाई करके उसके सम्बन्ध में अपना निर्णय उस अपील के दाखिल किये जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे देगा।

यदि धारा 129A (1) के तहत प्रस्तुत की गई किसी अपील से संबंधित किसी भी कार्यवाही के दौरान रोक (Stay) आदेश दे दिया जाता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल उस अपील का निपटारा ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन के भीतर करेगा। यदि ऐसी अपील का निपटारा निर्दिष्ट समय में नहीं किया जाये तो उस अवधि की समाप्ति के बाद रोक (Stay) आदेश निरस्त माना जायेगा।

इस धारा के तहत जारी किये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रति सीमा-शुल्क आयुक्त को तथा एक प्रति अपील से संबंधित अन्य पक्ष को ट्रिब्यूनल द्वारा भेजी जायेगी।

(9) अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया (Procedure of Appellate Tribunal)—

अपीलेट ट्रिब्यूनल के कार्यों का निस्तारण एवं अधिकारों का प्रयोग अध्यक्ष के द्वारा ट्रिब्यूनल के सदस्यों में से गठित की गई पीठों के द्वारा किया जायेगा। सामान्यतः एक पीठ में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होगा। यदि किसी बिन्दु पर पीठ के सदस्यों के दृष्टिकोण में अन्तर हो तो उस बिन्दु पर बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। परन्तु यदि प्रत्येक दृष्टिकोण वाले सदस्यों की संख्या समान हो, तो वे ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे जिन पर उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है तथा उसे अध्यक्ष के पास भेज देंगे। अध्यक्ष ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर स्वयं ही सुनवाई करेगा अथवा सुनवाई के लिये उस मामले को अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक या एक से अधिक अन्य सदस्यों के पास भेज देगा। इस प्रकार मतभेद के बिन्दु अथवा बिन्दुओं के संबंध में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा तथा इस निर्णय में वे सदस्य भी सम्मिलित रहेंगे जिन्होंने पहले सुनवाई की थी।

अपीलेट द्विव्यूनल की किसी पीठ को आवंटित किसी भी मामले पर अपीलेट द्विव्यूनल का अध्यक्ष स्वयं उसके द्वारा अधिकृत पीठ का कोई भी सदस्य अकेला ही विचार करके निम्नलिखित दशाओं में उस मामले को निपटा सकता है—

- (अ) यदि किसी विवादित मामले में अंतर्गत शुल्क की राशि अथवा अंतर्गत (involved) शुल्क में अन्तर की राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो (उन मामलों को छोड़कर जिनमें सीमा-शुल्क की दर से संबंधित अथवा कर-निर्धारण के उद्देश्यों के लिये माल के मूल्य से संबंधित किसी तथ्य का निर्धारण अपील का मुददा हो)।
- (ब) यदि किसी मामले में अंतर्गत जुर्माने अथवा दण्ड की राशि 10 लाख रुपयों से अधिक नहीं हो।

उच्च न्यायालय में अपील [धारा-130]

(Appeal to High Court)

यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि किसी मामले में कानून का सारवान प्रश्न निहित है तो अपीलेट द्विव्यूनल द्वारा अपील में दिये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परन्तु उच्च न्यायालय को सीमा शुल्क की दर अथवा कर निर्धारण के लिये माल के मूल्य संबंधी प्रश्न पर अपील नहीं की जा सकेगी। उच्च न्यायालय को अपील के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. अपीलेट द्विव्यूनल के आदेश के विरुद्ध आयुक्त अथवा पीड़ित अन्य पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी अपील संबंधित आदेश की प्राप्ति से 180 दिन के भीतर की जा सकती है। अन्य पक्षकार द्वारा अपील करने पर निर्धारित फीस भी देय होगी। अपील के साथ आवेदक कानून के उस सारवान प्रश्न का भी उल्लेख करेगा जिसके संबंध में अपील की गई है।
2. यदि उच्च न्यायालय सन्तुष्ट है कि मामले में कानून का सारवान प्रश्न निहित है तो वह ऐसे प्रश्न का निर्धारण करेगा।
3. अपील के दौरान ऐसे प्रश्न पर ही विचार किया जायेगा तथा अन्य पक्षकार को यह तर्क करने की अनुमति होगी कि मामले में ऐसा प्रश्न निहित नहीं है। न्यायालय ऐसे प्रश्न पर भी विचार कर सकता है जिसका पूर्व में निर्धारण नहीं किया हो परन्तु न्यायालय बहस के दौरान इस तथ्य से सन्तुष्ट हो कि वैसा प्रश्न भी मामले में निहित हो सकता है।
4. न्यायालय निर्धारित किये गये प्रश्न को तय करेगा तथा इसके संबंध में अपना निर्णय भी देगा। निर्णय में उन आधारों को भी प्रकट किया जायेगा जिन पर निर्णय आधारित है।
5. उच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर भी निर्णय ले सकता है जिनका निर्धारण अपीलेट द्विव्यूनल द्वारा नहीं किया गया हो अथवा गलत निर्धारण किया गया हो।

उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई (Hearing by High Court)[धारा-130 C]—

यदि किसी मामले का प्रेषण उच्च न्यायालय को किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है तथा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से निर्णय किया जाता है। यदि न्यायाधीशों में किसी कानूनी बिन्दु के सम्बन्ध में मतभेद हो तथा किसी भी मत पर बहुमत न हो तो वे उस कानूनी मुद्दे का उल्लेख करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है। इसके बाद मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा केवल मतभेद के बिन्दु पर की जायेगी तथा पुराने एवं नये न्यायाधीशों के संयुक्त बहुमत के आधार पर उस कानूनी बिन्दु पर निर्णय दिया जायेगा।

प्रेषित मामले पर उच्च न्यायालय का निर्णय [धारा-130 D]— इस प्रकार प्रेषित मामले की सुनवाई करने वाला उच्च न्यायालय इसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न को तय करेगा तथा इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देगा। जिन कारणों के आधार पर निर्णय किया जाये उनका भी निर्णय में उल्लेख किया जायेगा। न्यायालय की सील एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के तहत फैसले की एक प्रति अपीलेट द्विव्यूनल को प्रेषित की जायेगी। अपीलेट द्विव्यूनल उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार उचित आदेश जारी करके मामले का निपटारा कर देगा।

यदि उच्च न्यायालय द्वारा इसके समक्ष धारा 130 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई अपील के संबंध में निर्णय दिया जाता है तो निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर उचित अधिकारी अपील में दिये गये आदेश को लागू करने की कार्यवाही करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में अपील [धारा-130 E] (Appeal to the Supreme Court)

निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है—

(अ) धारा-130 अथवा धारा-130A के अन्तर्गत प्रेषित मामले पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित करने पर ही की जा सकती है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र अपना निर्णय देने के तुरन्त बाद अपनी ओर से भी दे सकता है अथवा पीड़ित पक्षकार के आवेदन पर भी दे सकता है।

(ब) कर-निर्धारण के उद्देश्यों के लिये सीमा-शुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण करने के लिये अपीलेट द्रिव्यूनल के द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई (Hearing before Supreme Court)—

सर्वोच्च न्यायालय को की गई अपील के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की व्यवस्थाएँ जिस प्रकार उच्च न्यायालय के किसी निर्णय (Decree) के संबंध में लागू होती हैं, उसी प्रकार वे इस अध्याय में वर्णित धारा-130 E के तहत की गई अपील के संबंध में भी लागू होंगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न होता है अथवा विपरीत होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की सील एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के तहत फैसले की एक प्रति अपीलेट द्रिव्यूनल को प्रेषित की जायेगी। अपीलेट द्रिव्यूनल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार उचित आदेश जारी करके मामले का निपटारा कर देगा।

पुनर्विचार

(Revision)

बोर्ड अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा पुनर्विचार (Revision by Board or Commissioner of Customs)[धारा-129 DA]—

(1) बोर्ड स्वेच्छा से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किसी भी ऐसी कार्यवाही का रिकार्ड मंगवा कर उसकी जाँच कर सकता है जिसमें सीमा-शुल्क आयुक्त ने धारा-129D(5) में वर्णित किसी मुद्रे पर कोई निर्णय अथवा आदेश जारी किया हो। बोर्ड ऐसी कार्यवाही संबंधित निर्णय अथवा आदेश की सत्यता, वैधता अथवा औचित्य के संबंध में स्वयं को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से करता है तथा उक्त निर्णय या आदेश के संबंध में जैसा भी उचित समझे, आदेश जारी कर सकता है।

(2) सीमा-शुल्क आयुक्त स्वेच्छा से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किसी भी ऐसी कार्यवाही का रिकार्ड मंगवा कर उसकी जाँच कर सकता है जिसमें उसके अधीनस्थ किसी निर्णय करने वाले अधिकारी ने धारा-129D(5) में वर्णित किसी मुद्रे पर निर्णय अथवा आदेश जारी किया हो। आयुक्त ऐसी कार्यवाही संबंधित निर्णय अथवा आदेश की सत्यता, वैधता अथवा औचित्य के संबंध में स्वयं को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से करता है तथा उक्त आदेश अथवा निर्णय के संबंध में जैसा भी उचित समझे, आदेश जारी कर सकता है।

(3) इस धारा के तहत कोई भी ऐसा निर्णय या आदेश, जिससे किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा यदि वह व्यक्ति चाहे तो उसे स्वयं के बचाव में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाये।

(4) यदि बोर्ड अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त का विचार है कि किसी सीमा-शुल्क का उदग्रहण नहीं हुआ है अथवा कम हुआ है या कम चुकाया गया है अथवा भूल से वापस कर दिया गया है, तो प्रभावित व्यक्ति को इस प्रकार की राशि को चुकाने का आदेश इस धारा के तहत तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्तावित

आदेश के विरुद्ध उस व्यक्ति को धारा-28 में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाता।

(5) ऐसे निर्णय अथवा आदेश के सूचित किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि बीत जाने के बाद ऐसे आदेश अथवा निर्णय के संबंध में इस धारा के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(6) इस धारा के तहत जारी किये गये किसी निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय या आदेश के विरुद्ध सीमा-शुल्क एवं उत्पाद-शुल्क अपीलेट ट्रिब्यूनल (Customs and Excise Revenues Appellate Tribunal) के समक्ष अपील कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विचार (Revision by Central Government [धारा-129DD]—

(1) धारा 128 A के अन्तर्गत जारी किये गये ऐसे आदेश से, जो धारा 129 A (1) के प्रथम परन्तुक में उल्लेखित प्रकृति का है, पीड़ित किसी व्यक्ति के आवेदन करने पर केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश को निरस्त कर सकती है अथवा संशोधित कर सकती है। परन्तु केन्द्रीय सरकार अपने विवेक से किसी ऐसे आदेश के संबंध में किये गये आवेदन को स्वीकृत करने से मना कर सकती है यदि ऐसे आदेश के द्वारा निर्धारित शुल्क या जुर्माने या दण्ड की राशि 5,000 रु. से अधिक नहीं हो।

(2) यदि सीमा-शुल्क आयुक्त के विचार से धारा-128 (A) के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) द्वारा जारी किया गया आदेश वैध अथवा उचित नहीं हो तो वह अपने मातहत उचित अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह केन्द्रीय सरकार को ऐसे आदेश पुनर्विचार करने के लिये आवेदन करें।

(3) केन्द्रीय सरकार को पुनर्विचार के लिये आवेदन उस आदेश की प्राप्ति के 3 माह की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है जिस आदेश के विरुद्ध आवेदन किया जा रहा है। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि आवेदनकर्ता उचित कारण से 3 माह की अवधि में आवेदन नहीं कर सका तो उसे ऐसी अपील के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के लिये तीन माह का समय और दे सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार को पुनर्विचार के लिये आवेदन फार्म नं. C.A.- 8 में किया जायेगा तथा उसी प्रकार सत्यापित एवं हस्ताक्षरित होगा जिस प्रकार आयुक्त (अपील) को की जाने वाली अपील का फार्म होता है। जिस मामले में पुनर्विचार के लिये आवेदन किया जा रहा है उस मामले में सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गये शुल्क तथा ब्याज की राशि अथवा उद्ग्रहीत जुर्माने अथवा दण्ड की राशि 1 लाख रुपये अथवा इससे कम हो तो ऐसे आवेदन के साथ 200 रुपये का शुल्क तथा ऐसी राशि 1 लाख रुपये से अधिक होने पर 1,000 रुपये का शुल्क देय होगा। पुनर्विचार के लिये आवेदन सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा दिये जाने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(5) इस धारा में सन्दर्भित किसी भी आदेश को केन्द्रीय सरकार अपनी स्वयं की प्रेरणा से भी निरस्त अथवा संशोधित कर सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार का ऐसा विचार है कि सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ है अथवा कम राशि का उद्ग्रहण हुआ है तो वह उस धारा के तहत सीमा-शुल्क का उद्ग्रहण कर सकती है अथवा उद्ग्रहित राशि में घट्टी कर सकती है। परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकेगा जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस धारा-28 में निर्दिष्ट समय-सीमा में जारी नहीं कर दिया जाता। मूल धारा 28 में निर्दिष्ट समय-सीमा सामान्यतः संबंधित मूल आदेश की तिथि से 6 माह की अवधि की है परन्तु कपट आदि से शुल्क कम दिया गया हो तो यह अवधि 5 वर्ष होगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न (Objective Answer Type Questions)

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए

(1) सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है:

(अ) सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष,

(ब) राज्य सरकार के समक्ष,

(स) केन्द्रीय सरकार के समक्ष

(द) उपयुक्त में कोई नहीं। ()

(2) आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित प्रपत्र है:

(अ) फॉर्म CA-3

(ब) फॉर्म C-5

(स) फॉर्म CA-5

(द) फॉर्म C-1 ()

(3) करदाता द्वारा 'अपीलेट ट्रिब्यूनल' के समक्ष अपीलकी जाती है:

(अ) फॉर्म CA-3 में।

(ब) फॉर्म C-5 में।

(स) फॉर्म CA-5 में।

(द) फॉर्म C-1 में। ()

(4) आयुक्तों की समिति द्वारा 'अपीलेट ट्रिब्यूनल' के समक्ष अपीलकी जाती है:

(अ) फॉर्म CA-3 में।

(ब) फॉर्म C-5 में।

(स) फॉर्म CA-5 में।

(द) फॉर्म C-1 में। ()

(5) सीमा शुल्क की दर अथवा कर-निर्धारण के लिए माल के मूल्य संबंधी प्रश्न पर अपील की जा सकती है:

(अ) आयुक्त (अपील) के समक्ष

(ब) उच्च न्यायालय के समक्ष

(स) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

(द) उपयुक्त सभी के समक्ष। ()

उत्तर: [1 (अ) 2 (द) 3 (अ) 4 (स) 5 (अ)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

3. अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कौन कर सकता है ? ऐसी अपील प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है ?
4. वे कौनसे मामले हैं जिनकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Answer Type Questions):

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) को अपील कौन कर सकता है ? अपील की कार्यविधि को समझाइए।
 2. उच्च न्यायालय में अपील से सम्बन्धित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों को समझाइए?
-

वर्ग (Section) C

अध्याय (Chapter) 9

केन्द्रीय विक्रय कर—परिचय एवं परिभाषा (Introduction And Definitions)

परिचय

(Introduction)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् 5 जनवरी 1957 से लागू हुआ। प्रारम्भ में यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ। वर्ष 1958 में जम्मू एवं कश्मीर में, 1963 में गोआ, दमन, डयू व पांडिचेरी में तथा 1972 में कोहिसा में लागू किया गया। इस प्रकार अब यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय—विक्रय पर कर लगाया जाता है। इस अधिनियम में संसद द्वारा आवश्यकतानुसार समय—समय पर आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। इस अधिनियम में 6 अध्याय व 26 धाराएं हैं।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में वर्णित विभिन्न धाराओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय विक्रय—कर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) नियम, 1957 [Central Sales-Tax (Registration And Turn over) Rules, 1957] बनाये गये हैं।

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के उद्देश्य

[Objects Of Central Sales Tax Act]

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. इस संबंध में शर्तें निर्धारित करना कि कब किसी वस्तु का क्रय—विक्रय राज्य के बाहर और कब अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माना जायेगा। साथ ही इस संबंध में भी सिद्धान्त निर्धारित करना कि कब वस्तुओं का क्रय—विक्रय भारत में आयात—निर्यात के दौरान माना जायेगा।
2. अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान बेचे गये माल पर विक्रय—कर लगाने, उसके संग्रह करने एवं राज्यों के मध्य वितरण करने के संबंध में नियम, शर्तें एवं सिद्धान्त बनाना।
3. कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की प्रक्रिया में विशेष महत्व की घोषित करना एवं ऐसी घोषित वस्तुओं पर राज्य सरकारों द्वारा विक्रय—कर लगाने के संबंध में प्रतिबन्ध एवं शर्तें निर्धारित करना।
4. घोषित माल (वस्तुओं) पर राज्य सरकारों द्वारा विक्रय—कर लगाने हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्तों का निर्धारण करना।

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 की मुख्य विशेषताएं

(Important Features of the Central Sales Tax Act, 1956)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं—

1. यह एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) है। यद्यपि यह कर विक्रेता से वसूल किया जाता है परन्तु इसका अन्तिम भार माल के उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है।

2. यह एकल बिन्दु विक्रय—कर रहा है। परन्तु वित अधिनियम, 2002 द्वारा धारा—15 में किये गये संशोधन के अनुसार अब राज्य सरकारों को एक से अधिक बिन्दुओं पर विक्रय—कर लगाने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु व्यवहार में किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक बहु—बिन्दु विक्रय कर नहीं लगाया है।
3. इस अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय—कर केन्द्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है, परन्तु कर का संग्रह उस राज्य के द्वारा किया जाता है, जिसके बाहर माल भेजा जा रहा है।
4. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी राज्य में संग्रहीत धन उसी राज्य सरकार को दे दिया जाता है तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में संग्रहीत धन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है।
5. इस अधिनियम में कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है जिन पर कर लगाने के संबंध में राज्य सरकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।
6. इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय क्रय विक्रय चाहे कितना ही हो, करदाता व्यापारी को उस पर कर चुकाना पड़ता है।
7. इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक करदाता व्यापारी को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकृत व्यापारी के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व्यापार के सभी स्थानों पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।
8. इस अधिनियम में कर—निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत नियम नहीं है। इस संबंध में उस राज्य में लागू विक्रय—कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।
9. इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिये हुए हैं।
10. यह अधिनियम बहुत ही छोटा है तथा इसमें केवल 26 धाराएं हैं।
11. इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत में लागू होते हैं।
12. यह अधिनियम 31 मार्च, 2010 को समाप्त होना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के लागू होने की शर्तें

(Conditions for the Applicability of Central Sales Tax Act)

निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम लागू होगा—

1. एक व्यापारी होना चाहिए, (धारा—2(b))
2. ऐसा व्यापारी केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए, (धारा—7)
3. ऐसा व्यापारी किसी व्यापार का संचालन करता हो, (धारा—2(aa))
4. विक्रय होना चाहिए, (धारा—2(g))
5. विक्रय किसी माल (घोषित अथवा अघोषित) का होना चाहिए, (धारा—2(d))
6. ऐसा विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होना चाहिए, (धारा—3)

शर्तों की आपूर्ति का प्रभाव (Effect of fulfilment of the Conditions):

1. केन्द्रीय विक्रय—कर पूर्व निर्धारित दरों से लागू होता है।
2. यह कर विक्रय—राशि (Turnover) पर लगाया जाता है, जो कि विक्रय मूल्य की कुल राशि है।

3. अन्तर्राजीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान विक्रय करने वाले व्यापारी को वर्ष में किए गए विक्रय राशि पर कर-दायित्व का भुगतान करना होगा।
4. केन्द्रीय विक्रय कर की दरें माल की प्रकृति अथवा ऋता की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गयी है।
5. यह कर उस राज्य के पंजीकृत व्यापारी द्वारा एकत्रित किया जाता है जिस राज्य से माल का अन्तर्राजीय गमन प्रारम्भ हुआ है। सरकारी कोष में कर की राशि भी ऐसे व्यापारी द्वारा ही जमा करवायी जावेगी चाहे उस व्यापारी ने कर वसूल किया हो अथवा नहीं।
6. ऐसे पंजीकृत व्यापारी को उपयुक्त राज्य (Appropriate State) के संबंधित निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित समय के भीतर विक्रय की विवरणी (Return of Sales) प्रस्तुत करनी होगी।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

(Important Definitions)

1. उपयुक्त राज्य (Appropriate State)(धारा-2(a))

उपयुक्त राज्य से आशय निम्नलिखित से है:

(अ) यदि एक व्यापारी के एक से अधिक व्यापार के स्थान एक ही राज्य में स्थित हों, तो वही राज्य उपयुक्त राज्य होगा।

उदाहरण 1.1: यदि एक व्यापारी के व्यापार के स्थान राजस्थान में ही जयपुर, अजमेर, सीकर, लाडनूँ व जोधपुर में हैं तो प्रत्येक व्यापार के लिए राजस्थान को ही उपयुक्त राज्य माना जायेगा क्योंकि ये सभी स्थान राजस्थान में ही हैं।

(ब) व्यापारी के व्यापार के स्थान एक से अधिक राज्यों में हों तो प्रत्येक राज्य उस राज्य में चलने वाले व्यापार के लिए उपयुक्त राज्य माना जायेगा।

उदाहरण 1.2: अंकित के व्यापार के स्थान कमश: दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, जयपुर तथा कोलकाता में हैं। स्वामित्व के एक होते हुए भी केन्द्रीय विक्रय-कर की दृष्टि से दिल्ली में स्थित व्यापार के लिए दिल्ली, मुम्बई में स्थित व्यापार के लिए महाराष्ट्र, चेन्नई में स्थित व्यापार के लिए तमिलनाडु, जयपुर में स्थित व्यापार के लिए राजस्थान तथा कोलकाता में स्थित व्यापार के लिए पश्चिम बंगाल उपयुक्त राज्य होंगे।

प्रत्येक व्यापारी के लिए उपयुक्त राज्य का निर्धारण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को अपना पंजीकरण उपयुक्त राज्य में ही करवाना पड़ता है। केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्रत्येक व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय-कर वसूल करने का अधिकार राज्य सरकार को ही दिया गया है तथा राज्य के भीतर की बिक्री पर कर की दरों में रियायत या कर मुक्ति की छूट अन्तर्राजीय बिक्री पर भी लागू होती है। अतः उपयुक्त राज्य का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

2. व्यवसाय (Business)(धारा-2(aa))

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा-2(aa) के अनुसार व्यवसाय में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है—

1. कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या ऐसा कोई साहसिक कार्य जो व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति का हो, चाहे यह व्यापार, वाणिज्य या निर्माण-कार्य लाभ के उद्देश्य से किया गया हो अथवा नहीं और चाहे इस प्रकार के व्यापार, वाणिज्य या निर्माण से कोई लाभ प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं; एवं
2. उपरोक्त व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या साहसिक कार्य से संबंधित या सहायक (Incidental or ancillary) कोई भी सौदा (Transaction) व्यवसाय की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। उदाहरण के लिये, एक वस्त्र-निर्माता बेकार सूत का विक्रय करता है। बेकार सूत वस्त्र-निर्माण कार्य से संबंधित होने के कारण इसका विक्रय व्यावसायिक किया मानी जाएगी।

व्यवसाय शब्द की उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं—

- (i) व्यवसाय लाभ कमाने के लिये ही किया जाये यह आवश्यक नहीं है।
- (ii) व्यवसाय में उससे जुड़ी हुई सहायक क्रियाएँ भी सम्मिलित मानी जाती हैं।
- (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में दी गई उपर्युक्त परिभाषा अत्यन्त विस्तृत है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या साहसिक कार्य सभी को सम्मिलित माना गया है।
- (iv) व्यवसाय का निरन्तर चलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें एकल साहसिक कार्य को भी सम्मिलित माना गया है।
- (v) इसमें व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या साहसिक कार्य से संबंधित या उसके दौरान किये गये सभी वैध एवं अवैध सौदों या व्यवहारों को सम्मिलित माना जाता है।

3. भारत की सीमा-शुल्क सीमाओं को पार करना

(Crossing the Customs Frontiers of India)[Sec. 2 (ab)]

भारत की सीमा-शुल्क सीमाओं को पार करने से आशय उस सीमा-शुल्क स्टेशन के क्षेत्र की सीमाओं को पार करने से है जहाँ सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मुक्त करने से पूर्व आयातित सामान या निर्यात किया जाने वाला सामान को रखा जाता है।

इस धारा के उद्देश्य से सीमा-शुल्क स्टेशन तथा सीमा शुल्क अधिकारियों का अर्थ वही होगा जो "सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962" में दिया हुआ है।

अतः सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा शुल्क निर्धारण का कार्य पूर्ण होने के पूर्व तक आयातकर्ता स्वामित्व सम्बन्धी प्रलेखों का बेचान करके विक्रय कर सकता है। ऐसा विक्रय आयात के दौरान विक्रय कहलायेगा तथा राज्य सरकार ऐसे विक्रय पर कर नहीं लगा सकेगी। इसके विपरीत यदि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा शुल्क निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है तथा इसके बाद आयातकर्ता ने माल का विक्रय किया है तो यह आयात व्यापार के दौरान विक्रय नहीं माना जायेगा, चाहे वास्तव में माल अभी तक सीमा शुल्क क्षेत्र के द्वार से बाहर नहीं निकाला गया है। राज्य सरकार ऐसे विक्रय पर कर लगा सकती है।

4. व्यापारी (Dealer)[धारा 2(b)]

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो माल को खरीदने, बेचने, पूर्ति करने या वितरण करने का कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नियमित रूप से न करके कभी-कभी कर रहा हो, तो भी व्यापारी माना जायेगा। कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य चाहे नकद में कर रहा हो या उधार में कर रहा हो, चाहे कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में कर रहा हो अथवा नहीं वह व्यापारी माना जायेगा।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है, कि कोई भी व्यक्ति जो माल को खरीदने, बेचने वितरण करने या पूर्ति करने का कार्य कर रहा है, व्यापारी माना जायेगा।

व्यापारी में निम्नलिखित को भी शामिल माना जाता है:-

1. स्थानीय सता, वैधानिक निगम, कम्पनी, सहकारी समिति या अन्य कोई समिति, क्लब, फर्म, हिन्दु अधिभाजित परिवार या व्यक्तियों के समुदाय, जो व्यापार करते हों, को व्यापारी माना जाता है।
2. कोई भी एजेन्ट, दलाल, कमीशन एजेन्ट, डेल क्रेडियर एजेन्ट या व्यापारिक एजेन्ट (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों), जो अपने प्रधान (Principal) की ओर से क्रय, विक्रय, पूर्ति या वितरण का कार्य करता है, व्यापारी माना जाता है।

3. नीलामकर्ता, जो अपने नियोक्ता के लिये वस्तु के विक्रय या नीलामी करने का कार्य करता हो चाहे उसने यह बात बतायी हो या नहीं तथा चाहे इच्छुक ख्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या नियोक्ता द्वारा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाये, व्यापारी माना जाता है।
4. राज्य के बाहर रहने वाले किसी व्यापारी के एजेन्ट के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति अथवा राज्य के बाहर पंजीकृत फर्म की शाखा अथवा स्थानीय कार्यालय भी व्यापारी माना जाता है।
5. सरकार यदि प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय-विक्रय या पूर्ति करती है तो वह भी व्यापारी मानी जावेगी।

सरकार द्वारा अनुपयोगी पुराना फर्नीचर, मशीनरी स्टोर आदि का विक्रय करने पर सरकार को व्यापारी नहीं माना जा सकता है परन्तु सरकार यदि व्यवसाय के दौरान सामान्य विक्रय का कार्य करती है तो सरकार को भी व्यापारी माना जायेगा।

निम्न कों व्यापारी नहीं माना जाता है—

- (i) बैंक अथवा ऋणदाता द्वारा ऋण की प्रत्याभूति (Security) के रूप में रखे गये माल का ऋण वसूली के लिये विक्रय। यह सामान्य व्यापारिक कार्य नहीं है परन्तु परिस्थितिवश किया गया विक्रय है।
- (ii) कृषक द्वारा अपने स्वयं के द्वारा उत्पादित फसल की बिक्री करने पर इस बिक्री के लिए उसे व्यापारी नहीं माना जायेगा।
- (iii) प्राध्यापक, वकील, धोबी आदि व्यापारी नहीं होते हैं क्योंकि ये माल का क्रय-विक्रय पूर्ति या वितरण नहीं करते हैं। सामान्यतः दर्जी भी व्यापारी नहीं है, परन्तु कपड़ा खरीद कर सिले हुये वस्त्र बेचने पर वह व्यापारी माना जाता है।

उदाहरण (Illustration): 1

कारण सहित बताइये कि केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित को व्यापारी माना जाता है अथवा नहीं—

1. ऐसा किसान जो अपनी स्वयं की दुकान खोलकर अपने स्वयं के द्वारा उगाये गये अनाज का विक्रय करता है।
2. एक इस्पात का निर्माण करने वाली कम्पनी जिसने पुरानी मोटरकार का विक्रय किया है तथा कुछ लाभ भी कमाया है।
3. एक डॉक्टर पेटेण्ट दवाओं के बन्द डिब्बों को खोलकर अपने रोगियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी दवा का विक्रय करता है।
4. ऐसा दलाल जो केता और विकेता के मध्य सौदा करवाता है परन्तु जिसे अपने स्वयं के नाम से माल खरीदने या बेचने का कोई अधिकार नहीं होता है।
5. एक बैंक अपने ऋण को वसूल करने के लिये उस माल का विक्रय करता है जो ऋणी ने उसके पास बंधक रखा है।
6. दांतों का एक डॉक्टर रोगियों के नये दाँत लगाने का कार्य करता है।
7. एक मुद्रक जो अपने ग्राहकों के द्वारा दिये गये कागज पर छपाई करता है तथा उनसे केवल छपाई का पारिश्रमिक ही वसूल करता है।
8. एक ठेकेदार ठेके के कार्यों में माल लगाने के लिए स्वयं माल का क्रय करता है

हल (Solution):

1. एक ऐसे किसान को, जो अपनी स्वयं की दुकान खोलकर अपने स्वयं के द्वारा उगाये गये माल का विक्रय करता है, व्यापारी नहीं माना जायेगा, क्योंकि वह माल को बेचने का व्यवसाय नहीं करता है।

परन्तु यदि कोई किसान स्वयं की उपज के साथ—साथ अन्य व्यक्तियों की उपज को भी क्रय करके बेचने लगे तो उसे इस विक्रय के लिए व्यापारी मान लिया जायेगा।

2. इस्पात का निर्माण करने वाली कम्पनी यदि पुरानी कार का विक्रय करती है तो उसे इस विक्रय के लिये व्यापारी माना जायेगा। यद्यपि कम्पनी कार विक्रय का कार्य नहीं करती है,
- परन्तु कार का प्रयोग व्यापार के लिये किया जा रहा है, अतः यह मुख्य व्यवसाय से संबंधित कार्य माना जायेगा।
3. यदि एक डॉक्टर अपने रोगियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों (रोगियों) को दवा का विक्रय करता है तो उसे व्यापारी मान लिया जायेगा, चाहे भले ही यह ब्रिकी पेटेण्ट दवाओं के बन्द डिब्बों में की गई हो अथवा उन्हें खोलकर की गई हो

यदि कोई डॉक्टर अपने स्वयं के रोगियों को दवा का विक्रय करता है तो पेटेण्ट दवाओं के बन्द डिब्बों की ब्रिकी करने पर उसको व्यापारी मान लिया जायेगा। यदि दवा खोलकर दी गयी है तो डॉक्टर को व्यापारी नहीं माना जावेगा।

1. एक ऐसे दलाल को जो क्रेता और विक्रेता के मध्य सौदा करवाता है परन्तु जिसे अपने नाम से माल खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं होता व्यापारी नहीं माना जायेगा क्योंकि वह स्वयं माल का क्रय या विक्रय नहीं करता है।
2. एक बैंक को अपने ऋण की वसूली के लिये ऐसे माल का विक्रय करने पर जो ऋणी ने उसके पास बन्धक रखा है, व्यापारी नहीं माना जायेगा। ऐसी दशा में यह ब्रिकी ऋणी द्वारा की गई ब्रिकी मानी जायेगी तथा ऋणी की विक्रय राशि में ही इस ब्रिकी को भी शामिल किया जायेगा।
3. एक दॉतो के डॉक्टर को जो रोगियों के नये दॉत लगाता है, व्यापारी माना जायेगा क्योंकि वह नकली दांतों की ब्रिकी करता है।
4. एक ऐसे मुद्रक को जो अपने ग्राहकों द्वारा दिये गये कागज पर छपाई करता है तथा उनसे केवल छपाई का ही पारिश्रमिक वसूल करता है, व्यापारी नहीं माना जायेगा।

परन्तु यदि कोई मुद्रक छपाई का कागज अपने स्वयं के पास से काम में लेवे तथा उसकी कीमत एवं छपाई की कीमत ग्राहकों से अलग अलग वसूल करे तो उसको व्यापारी मान लिया जायेगा।

5. यदि कोई ठेकेदार ठेके पर माल लगाने के लिये अपने अनुबन्ध के दायित्व को पूरा करने के लिये स्वयं माल क्रय करता है तो उसे व्यापारी मान लिया जायेगा। परन्तु यदि उसने केवल श्रमपूर्ति का अनुबन्ध किया है तथा माल ठेकादाता के लिये उसके आदेश पर उसकी सहायता करने के उद्देश्य से खरीदता है तो उसे व्यापारी नहीं माना जायेगा।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

1. अवैध माल का विक्रय करने वाले व्यक्ति को व्यापारी माना गया है।
2. सार्वजनिक उपकरण तथा सरकारी कम्पनी सरकार की परिभाषा में नहीं आते हैं इसलिए इनके द्वारा पुरानी कार, फर्नीचर, मशीन आदि का विक्रय किया जाता है तो इन्हें व्यापारी माना जायेगा।
3. व्यापारी के लिए यह आवश्यक नहीं कि माल का क्रय—विक्रय करने वाला ही माल का वास्तविक स्वामी हो अर्थात् वह व्यक्ति जिस माल का क्रय अथवा विक्रय करता है वह माल अन्य व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। वह व्यक्ति उस माल के लिए प्रधान के नाम पर एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन क्रय—विक्रय का कारोबार उसके व्यापार से संबंधित होना चाहिए।

5. माल (Goods)[Sec. 2(d)]

माल से आशय सभी प्रकार की सामग्रियों (Materials), वस्तुओं (Articles), सामान(Commodities) एवं अन्य सभी प्रकार की चल वस्तुओं से है, परन्तु माल में समाचार—पत्र, अभियोग—योग्य दावे (Actionable Claims), स्टॉक (स्कन्ध), अंशों एवं प्रतिभूतियों को समिलित नहीं किया जाता है। अचल सम्पत्तियों माल की परिभाषा में नहीं आती है।

(अ) माल की परिभाषा में सम्मिलित माने गये मदः

माल की परिभाषा में निम्न को शामिल माना गया है—

1. पुराने अखबार एवं पत्र-पत्रिकाओं को यदि रद्दी के रूप में बेचा जाये तो इनको माल की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है।
2. कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिये प्रकाशित पुस्तकें अथवा मैन्यूअल जो पत्र-पत्रिकाओं की श्रेणी में नहीं आती हों, माल होती हैं।
3. उपयोग किया गया माल (Second hand goods), खारिज किया गया माल (Rejected goods) अथवा कटा-फटा माल (Worn-out goods) की ब्रिकी भी माल की ब्रिकी मानी जायेगी।
4. विक्रय के उददेश्य से रखी गयी कोई भी वस्तु जिसमें कार, फर्नीचर, मशीन, खाद्य सामग्री आदि सम्मिलित हैं को माल माना जाता है।
5. माल में खड़ी फसलें, घास-फुस, सूखे हुये वृक्ष (लकड़ी) तथा भूमि से जुड़ी हुई ऐसी वस्तुओं को भी शामिल माना गया है जिनको ब्रिकी से पूर्व अथवा ब्रिकी अनुबन्ध के अन्तर्गत जमीन से अलग कर देने का ठहराव किया गया हो।
6. पशु (चाहे पालतू हों अथवा जंगली) एवं पिंजरे में बन्द पक्षी को भी माल में सम्मिलित माना गया हैं।
7. पुराने सिक्के जो अब प्रचलन में नहीं हैं, विक्रय किये जाने पर माल मान लिये जाते हैं, चाहे इनको धातु के रूप में बेचा जाये अथवा पुरातत्व संग्रह के लिये बेचा जाये।
8. निम्नलिखित अदृश्य वस्तुओं की ब्रिकी को माल में सम्मिलित माना गया है—
 - (अ) लाटरी टिकिट की ब्रिकी
 - (ब) कॉपीराइट (Copyright) की ब्रिकी
 - (स) ट्रेड मार्क की ब्रिकी
 - (द) विभिन्न लाइसेन्सों (Licenses) की ब्रिकी
 - (य) बिजली, भाप एवं गैस की ब्रिकी
 - (र) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की ब्रिकी।
9. हवा एवं पानी को निःशुल्क माल माना गया है (Free goods) परन्तु यदि ग्राहक से इनका मूल्य लेकर ब्रिकी की जाये तो इनको माल मान लिया जायेगा, जैसे—बोतल में भरे हुये पानी की ब्रिकी।
10. अवैध माल (Illegal goods) जैसे—गांजा को माल माना जाता है, तथा इसकी अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर केन्द्रीय ब्रिकी कर देय है।

(ब) माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने गये मदः

माल की परिभाषा में निम्न को शामिल नहीं माना जाता है—

1. खड़ी फसल, घास-फूस एवं वृक्ष आदि यदि भूमि के साथ ही बेचे जायें तो ये माल नहीं होंगे।
2. अचल सम्पत्ति जैसे— भूमि एवं भवन माल में सम्मिलित नहीं माने जाते हैं।
3. ऐसी मुद्रा जो वर्तमान में चलन में है, माल नहीं मानी जायेगी।
4. अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएँ माल नहीं होते हैं। पुराने अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएँ भी यदि अखबार एवं पत्र-पत्रिकाओं के रूप में बेचे जाये तो माल नहीं माने जावेगे। उदाहरण के लिये फरवरी 2009 में प्रकाशित मैगजीन जो 50 रु. में बेची गई थी, जून, 2009 में भी यदि इसे रद्दी में 50 रु. में ही बेची जाये तो यह रद्दी में बेचने पर भी माल मानी जायेगी परन्तु इसे मैगजीन के रूप में बेचा जावे तो माल नहीं माना जावेगा।

5. अंश, ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियाँ (स्टॉक) माल में सम्मिलित नहीं होती है, यद्यपि ये चल सम्पत्तियाँ होती हैं।
6. अभियोग योग्य—दावे का विकल्प कर दिया जाये तो इसे माल की ब्रिकी नहीं माना जायेगा। उदाहरण के लिये किसी ऋणी से 60,000 रु. वसूल करने का अधिकार मात्र 30,000 रु. में अन्य व्यक्ति को बेचना अथवा हस्तान्तरित करना।

नोट:-

बिजली, भाप, एवं गैस को माल माना गया है, क्योंकि इनमें चल सम्पत्ति के सभी गुणः जैसे— उपभोग, विनिमय, स्थानान्तरण आदि मौजूद हैं।

परन्तु केन्द्रीय विकल्प—कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के अनुसार बिजली (Electrical energy or electricity) के अन्तर्राज्यीय विकल्प अर्थात् अन्तर्राज्यीय आपूर्ति को केन्द्रीय विकल्प कर से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार विद्युत शक्ति, यद्यपि माल की श्रेणी में आती है परन्तु इस पर कोई भी राज्य सरकार केन्द्रीय विकल्प कर नहीं लगा सकती है।

उदाहरण (Illustration) : 2

कारण सहित बताइये कि निम्न को माल माना जायेगा अथवा नहीं—

1. साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध—वार्षिक अथवा वार्षिक पत्र—पत्रिकाएँ।
2. पुरानी पत्र—पत्रिकाएँ जो रददी के रूप में बेची जाती हैं।
3. पुराने सिक्कों का विकल्प।
4. न्यायालयों के निर्णयों को प्रकाशित करने वाली कानूनी पुस्तकें।
5. बिजली की पूर्ति या ब्रिकी।
6. परेशान व्यक्तियों की पीड़ा दूर करने के लिये मन्त्रित ताबीज की ब्रिकी।
7. आम के वृक्षों का इस शर्त के साथ विकल्प कि उन वृक्षों को जमीन से अलग नहीं किया जा सकेगा।
8. उगा हुआ गन्ना।

हल (Solution):

1. पत्र—पत्रिकाएँ समाचार—पत्रों की श्रेणी में आते हैं, अतः धारा 2 (d) के अनुसार माल नहीं है।
2. पुरानी पत्र—पत्रिकाओं को रददी में बेचे जाने पर समाचार—पत्र नहीं माना गया है, अतः इनको माल माना जायेगा।
3. पुराने सिक्कों का मूल्य निश्चित नहीं होता है अतः इनको माल माना गया है, जबकि चालू सिक्के जिनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है, माल नहीं है।
4. न्यायालयों के निर्णय को प्रकाशित करने वाली कानूनी पुस्तकों को माल माना गया है, क्योंकि ये समाचार पत्रों की श्रेणी में नहीं आती हैं।
5. बिजली की पूर्ति को माल माना गया है, क्योंकि इसमें चल सम्पत्ति के लगभग सभी गुणः जैसे— उपभोग, विनिमय, स्थानान्तरण आदि मौजूद हैं।
6. मन्त्रित ताबीज को माल नहीं माना जायेगा, क्योंकि इसमें वास्तव में कोई वस्तु नहीं दी जाती है वरन् आध्यात्मिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
7. यदि आम के वृक्षों की ब्रिकी के साथ यह शर्त लगा दी जाय कि इनको जमीन से अलग नहीं किया जायेगा तो इन वृक्षों की ब्रिकी अचल सम्पत्ति की ब्रिकी होगी और इसे माल नहीं माना जायेगा।

8. उगा हुआ गन्ना माल होता है, क्योंकि इसके विक्रय के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार इसको जमीन से अलग करना अनिवार्य होता है।

6. व्यवसाय का स्थान (Place of Business)[Sec. 2(dd)]

व्यवसाय के स्थान में निम्नलिखित स्थानों को शामिल किया जाता है—

1. यदि व्यापारी अपना व्यापार एजेण्ट के माध्यम से कर रहा हो तो ऐसे एजेण्ट के व्यवसाय का स्थान;
2. वेयरहाउस, गोदाम या अन्य कोई स्थान जहाँ व्यापारी अपने माल का संग्रह करता हो, एवं
3. वह स्थान जहाँ व्यापारी अपने हिसाब—किताब की पुस्तकें रखता हो।

व्यवसाय के स्थान की यह परिभाषा विभिन्न स्थानों को सम्मिलित करने वाली परिभाषा है इसलिये व्यापारी के व्यवसाय से संबंधित अन्य स्थानों को भी व्यवसाय का स्थान माना जा सकता है। जैसे— सीकर का व्यापारी, जिसका सीकर में कार्यालय है, विभिन्न देशों से मुम्बई बन्दरगाह में माल का आयात करता है। मुम्बई में सीकर के व्यापारी का एजेण्ट प्रधान के निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों के ग्राहकों को माल भेज देता है। इस व्यापारी के लिये सीकर तथा मुम्बई दोनों ही व्यवसाय के स्थान माने जायेंगे।

व्यापारी के व्यवसाय के स्थान का निर्धारण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योंकि केन्द्रीय विक्रय कर उस राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है जिस राज्य सरकार के क्षेत्र में व्यापारी के व्यवसाय का स्थान स्थित हो।

7. पंजीकृत व्यापारी (Registered Dealer)[Sec.2(f)]

पंजीकृत व्यापारी से आशय यहाँ पर ऐसे व्यापारी से है जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अन्तर्राजीय ब्रिकी करने वाले प्रत्येक व्यापारी के लिए इस धारा के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

8. विक्रय (Sales)[Sec.2(g)]

विक्रय से आशय एक व्यक्ति से नकद, स्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण से होता है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

1. बिना किसी अनुबन्ध के नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किसी भी प्रकार के माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण।
2. एक कार्य-अनुबन्ध (Works Contract) के निष्पादन में काम आने वाले किसी माल के स्वामित्व का माल के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में हस्तान्तरण।
3. किराया—क्रय पद्धति अथवा किस्तों में भुगतान की किसी भी पद्धति के आधार पर माल की सुपुर्दग्दी।
4. नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी भी उददेश्य के लिये माल के प्रयोग करने के अधिकार का हस्तान्तरण, चाहे ऐसे हस्तान्तरण की कोई अवधि निर्दिष्ट की गई हो अथवा नहीं।
5. किसी असमामेलित संघ अथवा व्यक्तियों के समुदाय (body of persons) द्वारा नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यांकन प्रतिफल के बदले अपने सदस्य को माल की आपूर्ति।
6. नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में सेवा के रूप में या अन्य किसी रूप में ऐसे माल की आपूर्ति जो खाद्य पदार्थ हो अथवा मानवीय उपयोग की कोई अन्य वस्तु हो अथवा कोई पेय पदार्थ हो (चाहे वह मादक पदार्थ हो अथवा नहीं)।

माल को गिरवी रखना (Hypothecation), धरोहर (Pledge) के रूप में रखना या बन्धक के रूप में रखना विक्रय नहीं कहलायेगा, क्योंकि इनमें माल का हस्तान्तरण तो होता है परन्तु माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होता है।

विक्रय के आवश्यक तत्व (Essential elements of sales)—

विक्रय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व माने गये हैं—

1. स्वामित्व का हस्तान्तरण
2. प्रतिफल का होना
3. विधि मान्य अनुबन्ध का होना

ऐसे व्यवहार जिन्हें विक्रय माना गया है:

निम्न व्यवहारों को भी विक्रय माना गया है तथा इन पर केन्द्रीय विक्रय कर देय होता है—

1. अवैध माल की ब्रिकी।
2. वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना अर्थात् वस्तु विनिमय अर्थात् अदला—बदली के तहत माल का हस्तान्तरण अथवा विक्रय।
- 3 उधार ब्रिकी भी ब्रिकी ही है। प्रतिफल का तुरन्त भुगतान आवश्यक नहीं है।
4. नीलामी द्वारा विक्रय भी विक्रय ही है।
5. नियन्त्रित माल का अनिवार्य रूप से हस्तान्तरण भी विक्रय ही है।

ऐसे व्यवहार जिन्हें विक्रय नहीं माना गया है:

निम्न व्यवहारों को विक्रय नहीं माना जाता है—

1. वस्तु पर कोई कार्य करवाने के लिए हस्तान्तरण (Job work/processing) विक्रय नहीं होता है।
2. गिरवी अथवा बन्धक अथवा रहन अथवा अन्य प्रकार से प्रभार उत्पन्न करने के लिये वस्तु का हस्तान्तरण विक्रय नहीं होता है।
3. निपेक्ष (Bailment) के रूप में माल का हस्तान्तरण ब्रिकी नहीं होता है।
4. डिपो अथवा शाखा को माल का हस्तान्तरण विक्रय नहीं होता है।

10. विक्रय—मूल्य (Sale Price)[Sec.2(h)]

विक्रय—मूल्य से आशय उस राशि से है जो व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय के प्रतिफल के रूप में देय हो। इसमें वे व्यय भी शामिल होते हैं जो व्यापारी ने माल की सुपुर्दगी के समय या उससे पूर्व माल के संबंध में किये हों। परन्तु भाड़ा या माल की सुपुर्दगी से संबंधित व्यय या संस्थापन (Installation) के व्ययों को विक्रय—मूल्य में शामिल नहीं करते हैं बशर्ते ऐसे व्यय अलग से वसूल किये गये हों। यदि व्यापार में प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार नकद बटटा दिया जाता है तो इसे घटा दिया जाता है।

(अ) विक्रय—मूल्य में सम्मिलित राशियाँ

निम्न राशियां विक्रय मूल्य में सम्मिलित होती हैं—

1. केन्द्रीय विक्रय—कर (चाहे इसे अलग से दिखाया गया हो अथवा नहीं)
2. उत्पाद शुल्क (चाहे इसे अलग से दिखाया गया हो अथवा नहीं)
3. पैकिंग सामग्री की लागत। जैसे— माल कन्टेनर्स में बेचा जाये तो कन्टेनर्स की लागत एवं सामान्य पैकिंग व्यय
4. माल पर भाड़ा यदि माल का मूल्य भाड़ा सहित निर्धारित किया गया हो और उसे पृथक से नहीं दिखाया गया हो।
5. बीमा व्यय, यदि विक्रेता ने अपनी जोखिम कम करने के लिए स्वयं की इच्छा से बीमा कराया हो।
6. माल की सुपुर्दगी के पूर्व अथवा सुपुर्दगी के समय विक्रेता द्वारा किया गया अन्य कोई व्यय जैसे तुलाई व्यय (Weighing Charges) परन्तु धर्मादा व्यय के सम्मिलित किये जाने के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मतभेद हैं, अतः इसे विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ब) विक्रय—मूल्य में सम्मिलित नहीं की जाने वाली राशियाँ—

निम्न राशियाँ विक्रय—मूल्य में सम्मिलित नहीं की जाती है। यदि इन राशियों को विक्रय—मूल्य में सम्मिलित कर लिया गया हो तो इन्हें घटा दिया जाता है—

1. माल की सुपुर्दगी हेतु माल का भाड़ा (यदि इसे अलग से वसूल किया गया है)
2. संस्थापन व्यय (यदि अलग से वसूल किये गये हैं)
3. बीमा प्रीमियम (यदि बीमा विक्रेता ने क्रेता की जोखिम कम करने के लिये क्रेता के अनुरोध पर कराया हो)

(स) विक्रय—मूल्य के निर्धारण में घटाई जाने वाली राशियाँ—

विक्रय मूल्य के निर्धारण में निम्न राशियों को घटा दिया जाता है—

1. नकद बट्टा, यदि यह व्यापार में प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार दिया गया हो। यदि ऐसा बट्टा कुछ विशेष ग्राहकों को ही दिया जाये तो इसे विक्रय मूल्य के निर्धारण में नहीं घटाया जायेगा।
2. क्रेताओं को दिया गया व्यापारिक बट्टा, अतिरिक्त बट्टा, अथवा मात्रा बट्टा भी विक्रय मूल्य के निर्धारण में देय प्रतिफल में से घटा दिया जाता है परन्तु बोनस बट्टा अथवा प्रेस्ड बोनस (Incentive Bonus) जो व्यापारी को अतिरिक्त ब्रिकी करने पर दिया जाता है, नहीं घटाया जायेगा।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

1. विक्रय—मूल्य के निर्धारण में अधिनियम में केवल नकद बट्टे को ही घटाने का उल्लेख किया गया है, व्यापारिक बट्टे को घटाने का नहीं। इसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर घटाया जाता है।
2. यहाँ विक्रय—मूल्य को परिभाषित किया गया है, आवर्त (Turnover) को नहीं। अतः विक्रय वापसी को अथवा अस्वीकृत अथवा खारिज किये गये माल (Rejected goods) के मूल्य को घटाया नहीं जायेगा।

12 विक्रय—राशि (Turnover)

यदि कोई व्यवसायी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी है तो उसके संबंध में विक्रय राशि का आशय उन समस्त विक्रय मूल्यों के योग से है, जो उसने निर्धारित अवधि में अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचे गये माल के संबंध में प्राप्त कर लिये है या जो उसे प्राप्त हो चुके हैं तथा जिनकी गणना इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विधि के अनुसार की गई है। विक्रय राशि की इस परिभाषा की अग्रलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1. विक्रय राशि में केवल उस माल के विक्रय मूल्यों का योग शामिल किया जाता है जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा गया है।
2. यदि कोई व्यवसायी केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर का दायी नहीं है तो ऐसे व्यवसायी के संबंध में किसी भी प्रकार से विक्रय राशि की गणना नहीं की जा सकती।
3. विक्रय राशि में उन समस्त राशियों को शामिल किया जाता है जो एक निर्धारित अवधि में व्यवसायी को प्राप्त हो चुकी है या उसे प्राप्त हो चुकी है। अतः यदि कोई माल उधार बेचा गया हो और विक्रय मूल्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी उसे विक्रय राशि में शामिल किया जायेगा क्योंकि वह राशि व्यवसायी को प्राप्त हो चुकी है।
4. निर्धारित अवधि का अर्थ उस अवधि से माना जाता है जिसके लिए व्यवसायी ने ब्रिकी की विवरणी (Return) प्रस्तुत की है।
5. विक्रय राशि की गणना इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विधि से की जानी चाहिए। इस अधिनियम की धारा 8A में विक्रय राशि की गणना करने की विधि का वर्णन किया गया है। इस धारा के अनुसार कुल अथवा सकल अन्तर्राज्यीय ब्रिकी में से निम्न राशियों को घटाने पर विक्रय राशि (Turnover) ज्ञात हो जाती है—

- ब्रिकी की तिथि के 6 माह के भीतर लौटाये गये माल का विक्रय मूल्य।
- व्यापारिक बट्टे एवं नकद बट्टे की राशि।
- किराया, भाड़ा एवं सुपुर्दगी व्यय अलग से वसूल किये गये हों तथा इन्हें विक्रय मूल्यों में शामिल किया गया हो।
- विक्रय मूल्यों में यदि केन्द्रीय विक्रय कर की राशि सम्मिलित की गई हो तो केन्द्रीय विक्रय कर की राशि

13. कार्य अनुभव (Works Contract)[Sec.2(ja)]

कार्य अनुबन्ध से आशय किसी कार्य को करने के अनुबन्ध से है जिसमें एकत्रीकरण, भवन निर्माण करना, परिवर्तन करना, निर्माण करना, प्रक्रियांकन करना, स्थापना करना, फिटिंग करना, सुधार करना, मरम्मत करना, अथवा किसी चल अथवा अचल सम्पति की स्थापना करने संबंधी कार्य सम्मिलित हैं।

14. वर्ष (Year)[Sec.2(k)]

व्यापारी के संबंध में वर्ष से आशय उस वर्ष से है जो संबंधित राज्य के सामान्य विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यापारी पर लागू होता है। व्यापारी पर जहाँ ऐसा वर्ष लागू नहीं होता वहाँ पर वर्ष से आशय वितीय वर्ष से है। यदि कोई व्यापारी राज्य में करदाता नहीं है तो ऐसे व्यापारी के लिये भी वर्ष से आशय वितीय वर्ष ही माना जायेगा।

घोषित माल (Declared goods)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष महत्व की वस्तुयें घोषित किया गया है। इन वस्तुओं को संक्षेप में घोषित माल या घोषित वस्तुयें (Declared goods) कहते हैं। ये वस्तुयें अधिनियम की धारा—14 में दी गई हैं। इन वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं—

- अनाज
- कोयला (लकड़ी के कोयले को छोड़कर)
- कपास (बैकार कपास को छोड़कर)
- सूती कपड़ा
- सूती धागा
- अशोधित तेल
- चमड़ा एवं खालें
- लोहा तथा इस्पात
- जूट
- तिलहन
- दलहन अथवा दालें
- रेयन तथा कृत्रिम रेशम के कपडे
- चीनी
- तम्बाकू
- ऊनी कपड़े,
- घरेलू उपयोग के लिए लिकिवफाईड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)

घोषित माल पर कर लगाने के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध है:

1. किसी भी राज्य द्वारा घोषित माल पर कर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं लगाया जा सकता है।

2. केन्द्रीय विक्रय कर का भुगतान करने पर ऐसे घोषित माल पर राज्य में चुकाये कर की वापसी उस व्यक्ति को की जाती है जिसने अन्तर्राज्यीय विक्रय किया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिये

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 लागू हुआ था—

(अ) 5 जनवरी, 1956 को

(ब) 5 फरवरी, 1956 को

(स) 5 जनवरी, 1957 को

(द) 5 फरवरी, 1957 को

()

2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में है:

(अ) 26 अध्याय व 6 धाराएं

(ब) 26 धाराएं व 7 अध्याय

(स) 26 धाराएं व 6 अध्याय

(द) 7 धाराएं व 26 अध्याय।

()

3. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के लागू होने की शर्त है:

(अ) पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए

(ब) माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय होना चाहिए

(स) विक्रय केवल घोषित माल का होना चाहिए

(द) उपर्युक्त अ तथा ब दोनों ही।

()

4. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है—

(अ) केवल केन्द्र सरकार को

(ब) केवल राज्य सरकारों को

(स) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को

(द) स्थानीय सत्ता को।

()

उत्तर [1. (स) 2. (स) 3. (द) 4. (स)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions):

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कौन से सन् में पारित हुआ था?

2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में कुल कितनी धाराएँ तथा कुल कितने अध्याय हैं?
3. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के लागू होने की शर्तें क्या हैं?
4. केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम, 1956 के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
5. केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों का नाम बताइये।
6. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
7. सरकार को किस प्रकार की ब्रिकी के लिए ‘व्यापारी’ नहीं माना जाता है ?
8. ऐसी किन्हीं दो चल सम्पत्तियों के नाम लिखिये जिनको केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम के लिये ‘माल’ की परिभाषा में विशेष रूप से सम्मिलित नहीं किया गया हैं।
9. सरकार को व्यापारी कब माना जा सकता है ?
10. ‘कार्य अनुबन्ध’ से आप क्या समझते हैं ?
11. केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम में एक डॉक्टर को कब व्यापारी माना जाता है ?
12. केन्द्रीय विक्रय—कर के उद्देश्यों के लिए ‘माल’ शब्द की परिभाषा लिखिए।
13. माल में क्या सम्मिलित किया जाता है ?
14. माल में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है ?
15. ‘माल’ शब्द का आशय बताइये। क्या निम्नलिखित वस्तुएँ माल की श्रेणी में मानी जा सकती हैं ?
 (i) ख्याति (ii) अखबार की रददी (iii) पुराने सिक्के (iv) जमीन से लगी हुई मशीन व प्लाण्ट (v) विद्युत शक्ति (vi) पिंजरे में रखे हुये पक्षी (vii) भवन (viii) भाप।
16. केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाय के स्थान को परिभाषित कीजिए।
17. केन्द्रीय विक्रय—कर के उद्देश्यों के लिए ‘विक्रय’ शब्द की परिभाषा लिखिए।
18. केन्द्रीय विक्रय कर के उद्देश्यों के लिये ‘व्यापारी’ शब्द की परिभाषा लिखिये।

(स) निबन्धात्मक प्रश्न

(Essay Type Question):

1. केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
 2. केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्नांकित में से किन्हीं चार की परिभाषा दीजिए:
 (i) व्यवसाय (ii) घोषित माल (iii) माल अथवा वस्तु (iv) व्यापारी (v) विक्रय
 3. केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
 (i) उपयुक्त राज्य (ii) पंजीकृत व्यापारी (iii) वर्ष (iv) विक्रय राशि
-

वर्ग (Section) C

अध्याय (Chapter) 10

विभिन्न प्रकार के विक्रय का निर्धारण

(Determining Different Categories of Sales)

बिक्री के प्रकार (Types of Sales)

विक्रय—कर के निर्धारण हेतु क्य एवं विक्रय को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. अन्तर्राज्यीय विक्रय (Inter-State Sales)
2. राज्य के अन्दर विक्रय (Intra state sales or sales within the state)
3. राज्य के बाहर विक्रय (Sales outside the state)
4. आयात—निर्यात व्यापार के दौरान विक्रय (Import and Export Sales)

केन्द्रीय विक्रय कर अन्तर्राज्यीय विक्रय पर लगाया जाता है। अतः केन्द्रीय विक्रय—कर के अध्ययन के लिए अन्तर्राज्यीय विक्रय का सही—सही अर्थ समझना आवश्यक है।

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 से 5 उन सिद्धान्तों का निर्धारण करती हैं जिनके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि किसी वस्तु (माल) का क्य—विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान हुआ है अथवा राज्य के अन्दर या बाहर हुआ है अथवा आयात—निर्यात व्यापार के दौरान हुआ है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का क्रय—विक्रय

(Purchases or Sales in the Course of Inter-state Trade or Commerce)

किसी माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री तब माना जाएगी, जबकि:

- (अ) माल के विक्रय ठहराव के बाद उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाये।
- (ब) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजेन के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों का हस्तान्तरण करके माल का विक्रय कर दिया जाये।
- (अ) माल के विक्रय के बाद उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना[धारा 3 (a)]

जब माल का विक्रय हो जाने के बाद उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो ऐसे विक्रय को धारा 3 (a) के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय कहा जाता है। माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन बिक्री के परिणामस्वरूप ही होना चाहिए। इस प्रकार धारा 3 (a) के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

- (i) माल का क्रय या विक्रय माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही होना चाहिए।
- (ii) माल का क्रय या विक्रय होने के बाद उसका अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होना चाहिए। अन्तर्राज्यीय गमन से अभिप्राय माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने से है।
- (iii) माल का अन्तर्राज्यीय गमन उस माल के क्य या विक्रय के परिणामस्वरूप ही होना चाहिए अर्थात् माल के विक्रय अनुबन्ध एवं उसके अन्तर्राज्यीय गमन के मध्य कारण एवं परिणाम का सम्बन्ध होना चाहिए।

नोट:-

यदि माल के गमन का प्रारम्भ एवं अन्त एक ही राज्य में हो तो उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का गमन केवल इस तथ्य के आधार पर नहीं माना जायेगा कि ऐसे गमन के दौरान माल किसी अन्य राज्य की सीमा से होकर ले जाया गया था। माल के ऐसे गमन को माल का अन्तर्राज्यीय गमन नहीं माना जाता है। ऐसी बिक्री को अन्तर्राज्यीय बिक्री नहीं माना जा सकता है।

दृटान्तः— 1.

यदि उदयपुर (राजस्थान) का व्यापारी मुम्बई के व्यापारियों से माल खरीदते समय यह तय कर ले कि उसके द्वारा खरीदे गये माल को वे उदयपुर भेजने का प्रबन्ध करेगे। इसी के अनुसार मुम्बई का व्यापारी उस माल को उदयपुर भेज दे, तो उस माल के विक्रय अनुबन्ध तथा उसके अन्तर्राज्यीय गमन के मध्य कारण और परिणाम का संबंध होगा तथा यह अन्तर्राज्यीय बिक्री मानी जावेगी।

दृटान्तः— 2.

सीकर (राजस्थान) का एक व्यापारी अहमदाबाद जाता है और वहाँ के विभिन्न व्यापारियों से कपड़ा खरीदता है। वह कपड़ा खरीदकर अपने सामने उसे पैक करवाता है तथा उसे अपने साथ सीकर ले आता है। यहाँ माल के विक्रय अनुबन्ध और उसके अन्तर्राज्यीय गमन के मध्य कारण और परिणाम का संबंध नहीं है। अतः यह अन्तर्राज्यीय बिक्री नहीं मानी जावेगी।

दृटान्तः— 3.

दिल्ली के एक व्यापारी का प्रतिनिधि (एजेन्ट) सीकर (राजस्थान) आता है तथा कुछ व्यापारियों से माल के आदेश प्राप्त करता है। वह इन आदेशों की एक-एक प्रति प्रधान कार्यालय दिल्ली को भेज देता है। प्रधान कार्यालय उन आदेशों के अनुसार माल की पैकिंग करके सीकर के केता व्यापारियों के पास भेजता है तथा माल की बिल्टी अपने प्रतिनिधि के पास भेज देता है। प्रतिनिधि बिल्टी को संबंधित केता के पास पहुँचा देता है। इस दशा में यह अन्तर्राज्यीय बिक्री मानी जायेगी क्योंकि विक्रय अनुबन्ध तथा उसके अन्तर्राज्यीय गमन के मध्य कारण और परिणाम का संबंध है।

लेकिन यदि दिल्ली प्रधान कार्यालय सीकर के विभिन्न व्यापारियों के नाम में माल न भेजकर अपने प्रतिनिधि को ही सम्पूर्ण माल भेजता है तथा प्रतिनिधि माल की सुपुर्दगी लेकर सीकर के विभिन्न व्यापारियों को उनके आदेशानुसार माल की सुपुर्दगी देता है तो वह अन्तर्राज्यीय बिक्री नहीं कहलायेगी, क्योंकि विक्रय का अनुबन्ध सीकर के व्यापारियों एवं सीकर स्थित व्यापारी के प्रतिनिधि के मध्य हुआ है तथा माल की सुपुर्दगी भी प्रतिनिधि द्वारा सीकर में ही दी गई है। अतः इस स्थिति में माल के विक्रय-अनुबन्ध एवं उसके अन्तर्राज्यीय गमन के मध्य कारण और परिणाम का संबंध नहीं माना जावेगा।

विक्रय किये बिना माल का अन्तर्राज्यीय गमन (Inter-state movement of goods without sale)

निम्नलिखित दशाओं में यद्यपि माल का अन्तर्राज्यीय गमन होता है अर्थात् माल एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है परन्तु माल का यह अन्तर्राज्यीय गमन क्रय या विक्रय के परिणामस्वरूप नहीं होता है इसलिए इसे माल का अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय या विक्रय नहीं माना जायेगा—

(i) शाखा को माल भेजना अथवा शाखा से माल मंगवाना—

यदि व्यापारी के द्वारा माल अपने एक व्यापारिक स्थान से दूसरे ऐसे व्यापारिक स्थान पर ले जाया जाता है जो अन्य किसी राज्य में स्थित है तो ऐसे अन्तर्राज्यीय गमन को अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा। जैसे— भीलवाड़ा (राजस्थान) के एक व्यापारी ने कपड़े की 150 गांठें भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित अपने शाखा कार्यालय को भेजी। इसे माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा।

(ii) बेचने के लिए प्रेषण पर माल भेजना—

यदि किसी एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य के किसी व्यापारी को, जो आढ़त या कमीशन पर माल बेचता है, विक्रय या वापसी पर अपना माल बेचने के लिए भेजता है तो इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा। जैसे— गंगानगर के एक व्यापारी द्वारा बड़ौदा (गुजरात) के एक व्यापारी को गेहूं का एक ट्रक विक्रय के लिये भेजा जाना। इसे माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा।

(iii) एक ही राज्य में दूसरे राज्य की सीमा से होकर माल का गमन—

एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजते समय यदि माल किसी दूसरे राज्य की सीमा से होकर ले जाया जाता है तो इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा। जैसे— भीलवाड़ा के एक व्यापारी द्वारा भीवाड़ी (राजस्थान) के एक व्यापारी को कपड़े की 100 गांठे ट्रक द्वारा भेजना। ट्रक धारोहरा (हरियाणा) से होकर भीवाड़ी जाता है। इस स्थिति में इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जायेगा क्योंकि भीलवाड़ा एवं भीवाड़ी दोनों राजस्थान में ही स्थित है।

(ब) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों का हस्तान्तरण करके माल का विक्रय किया जाना [धारा-3 (b)]

जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा हो तथा माल की सुपुर्दगी लेने से पूर्व उसके अधिकार प्रलेखों (Documents of Title) का हस्तान्तरण करके उसे बेच दिया जाये तो ऐसे विक्रय को धारा-3 (b) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय विक्रय माना जावेगा। अतः धारा-3 (b) के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(i) सर्वप्रथम माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होता है, अर्थात् माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाये जाने के उद्देश्य से रेलवे, ट्रांसपोर्ट कम्पनी अथवा अन्य किसी मालवाहक को सुपुर्द कर दिया जाता है।

(ii) जब माल अन्तर्राज्यीय गमन के दौरान होता है, उस समय उसका विक्रय कर दिया जाता है। इस प्रकार माल का विक्रय एक राज्य से माल के रवाना होने के बाद परन्तु दूसरे राज्य में उसकी सुपुर्दगी लेने से पूर्व किया जाता है।

यदि माल दूसरे राज्य में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है, परन्तु मालवाहक से उसकी सुपुर्दगी नहीं ली गई है, तो धारा 3 (b) के उद्देश्यों के लिये माल को अन्तर्राज्यीय गमन के दौरान ही माना जाता है क्योंकि सुपुर्दगी लेने के पूर्व तक अधिकार प्रलेखों पर बेचान करके माल का क्य—विक्रय किया जा सकता है।

(iii) माल का क्य—विक्रय अधिकार प्रलेखों का हस्तान्तरण करके किया जाता है। चूंकि माल अन्तर्राज्यीय गमन के दौरान होता है, अतः उसका क्य—विक्रय रेलवे रसीद, ट्रान्सपोर्ट रसीद आदि का बेचान करके ही किया जा सकता है।

वस्तु विक्रय अधिनियम (Sale of Goods Act) की धारा 2(4) के अनुसार माल का हस्तान्तरण अधिकार प्रपत्रों की सुपुर्दगी अथवा बेचान किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

अतः तकनीकी रूप से एवं कानूनी रूप से अधिकार प्रपत्र बिना बेचान किये केवल सुपुर्दगी द्वारा ही माल का हस्तान्तरण किया जा सकता है। अधिकार पत्रों के बेचान द्वारा माल का हस्तान्तरण करना हस्तान्तरण का एक सुविधाजनक तरीका है। यह विधिवत् रूप से माल के हस्तान्तरण किये जाने का प्रमाण भी होता है।

दृटान्त :— 4.

अहमदाबाद के मै. कलकता फैन्सी स्टोर्स ने लाडनूं (राजस्थान) स्थित अपने प्रतिनिधि को 50 गांठे कटपीस की भेजी। उन्होंने माल को रेलवे को सुपुर्द करके बिल्टी अपने प्रतिनिधि को भेज दी। उनके लाडनूं स्थित प्रतिनिधि ने माल की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही उस बिल्टी का सुजानगढ़ के ही मै. अग्रवाल क्लॉथ स्टोर के नाम बेचान कर दिया। इस प्रकार मै. कलकता फैन्सी स्टोर्स के प्रतिनिधि और मै. अग्रवाल क्लॉथ स्टोर के मध्य जो क्रय—विक्रय हुआ, वह धारा 3 (b) के अन्तर्गत माल का अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान क्रय—विक्रय हुआ माना जावेगा।

राज्य के भीतर माल का क्रय-विक्रय [धारा-4(2)] (Sale or purchase of goods within the State)

निम्नलिखित परिस्थितियों में माल का क्रय-विक्रय राज्य के भीतर क्रय-विक्रय माना जायेगा—

(i) विशिष्ट अथवा निर्दिष्ट माल की दशा में [धारा-4(2)(a)]

यदि बेचा गया अथवा खरीदा गया माल विशिष्ट (Specific) अथवा निर्दिष्ट (Ascertained) माल है तो ऐसा माल विक्रय का अनुबन्ध होने के समय जिस राज्य के भीतर होगा उसका क्रय अथवा विक्रय भी उसी राज्य के भीतर हुआ माना जायेगा।

(ii) भावी अथवा अनिर्दिष्ट माल की दशा में [धारा-4(2)(b)]

जिस माल का विक्रय किया गया है यदि वह भावी (Future) माल अथवा अनिर्दिष्ट (Unascertained) माल है तो ऐसे माल का विक्रय उस राज्य के भीतर हुआ माना जायेगा जिस राज्य के भीतर ऐसा माल अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार केता अथवा विक्रेता के द्वारा निर्दिष्ट अथवा विशिष्ट किये जाने के समय स्थित हो। विक्रय अनुबन्ध के अनुसार माल का निर्दिष्ट अथवा विशिष्ट करने का कार्य केता अथवा विक्रेता दोनों में से कोई भी एक पक्ष कर सकता है तथा दूसरा पक्ष उस पर अपनी सहमति दे सकता है। यह सहमति उस माल को निर्दिष्ट अथवा विशिष्ट किये जाने से पूर्व दी जा सकती है अथवा बाद में दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण—

(i) विशिष्ट अथवा निर्दिष्ट माल का अर्थ —

विशिष्ट अथवा निर्दिष्ट माल से आशय ऐसे माल से होता है जो विक्रय अनुबन्ध के समय केता अथवा विक्रेता द्वारा अलग से छांट लिया गया हो, जिसे दोनों पक्षों द्वारा पहचान लिया गया हो एवं जिसकी सहमति प्रदान कर दी गई हो।

(ii) भावी अथवा अनिर्दिष्ट माल का अर्थ—

जो माल विक्रय अनुबन्ध के समय विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं है परन्तु अनुबन्ध के बाद भविष्य में विक्रेता इसे प्राप्त करेगा, वह माल भावी माल कहलाता है। अनिर्दिष्ट माल अनुबन्ध के समय विक्रेता के पास उपलब्ध तो होता है परन्तु सुपुर्दगी के लिए छांटा हुआ नहीं होता है।

(iii) विक्रय अनुबन्ध के समय माल एक से अधिक स्थानों पर रखा हो—

यदि माल के क्रय-विक्रय का एक ही अनुबन्ध हुआ हो परन्तु माल एक से अधिक स्थानों पर रखा हुआ हो तो यह माना जायेगा कि प्रत्येक स्थान पर रखे हुये माल के विक्रय के लिये अलग-अलग अनुबन्ध हुआ है। यदि ऐसा माल दो या अधिक राज्यों में रखा हुआ हो तो जो स्थान जिस राज्य के भीतर स्थित है वहाँ पर रखे गये माल का विक्रय उसी राज्य के भीतर हुआ माना जायेगा।

राज्य के बाहर माल का क्रय-विक्रय [धारा-4(1)] (Sale or purchase of goods outside the state)

धारा-4 (2) में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार जब किसी माल का क्रय-विक्रय एक बार किसी विशिष्ट राज्य के भीतर हुआ मान लिया जाता है तो वह क्रय-विक्रय शेष अन्य सभी राज्यों के लिये राज्य के बाहर का क्रय-विक्रय माना जाता है। इस प्रकार किसी भी माल का क्रय-विक्रय एक बार में एक से अधिक राज्यों के भीतर हुआ क्रय-विक्रय नहीं माना जा सकता है।

दृटान्त :-5.

झुन्झुनूं (राजस्थान) का एक व्यापारी अहमदाबाद (गुजरात) के एक व्यापारी को कुछ माल बेचता है तथा रेल द्वारा उस माल को अहमदाबाद भेज देता है। यह विक्रय धारा-4 के अनुसार राजस्थान राज्य के भीतर का

विक्रय माना जाता है, क्योंकि माल निर्दिष्ट है तथा विक्रय अनुबन्ध के समय यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरी तरफ यह विक्रय धारा-3 (a) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय विक्रय भी है, क्योंकि पहले माल बेचने का अनुबन्ध हुआ है एवं बाद में उस विक्रय के परिणामस्वरूप माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया गया है। इस स्थिति में यह माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय है इसलिए यह विक्रय न तो किसी राज्य के भीतर का विक्रय माना जावेगा तथा न ही किसी राज्य के बाहर का क्रय विक्रय माना जायेगा।

आयात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय (Purchase or Sale of goods in the course of Import Trade)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-5 (2) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी माल का क्रय या विक्रय आयात व्यापार के दौरान माल का क्रय विक्रय माना जायेगा—

- (i) माल का क्रय या विक्रय हुआ हो तथा उस क्रय-विक्रय के परिणामस्वरूप माल का भारत में आयात हुआ हो।
- (ii) किसी माल को भारतीय सीमा-शुल्क सीमा को पार करने से पूर्व ही उसके अधिकार प्रलेखों (Document of Title) का हस्तान्तरण करके उसे बेच दिया गया हो।

प्रथम परिस्थिति में पहले माल के क्रय विक्रय का अनुबन्ध होता है तथा इसके बाद ही किसी दूसरे देश से माल को भारत भेजा जाता है। परन्तु दूसरी परिस्थिति में माल किसी दूसरे देश से रखाना हो जाता है तथा उसके बाद क्रय-विक्रय का अनुबन्ध किया जाता है। चूंकि दूसरी परिस्थिति में माल मार्ग में होता है तथा भारतीय सीमा-शुल्क सीमा के बाहर ही होता है इसलिए इस माल का क्रय-विक्रय अधिकार प्रलेखों के बेचान के माध्यम से किया जा सकता है।

दूसरी परिस्थिति में यदि माल का विक्रय इसके भारतीय सीमा-शुल्क सीमा को पार करने के बाद किया जाता है तो इसे आयात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय नहीं माना जायेगा।

दृटान्तः-6.

जयपुर की जनरल वॉच कम्पनी ने जापान की प्रिन्स वॉच कम्पनी से 12,000 घड़ियों क्रय की। जापान से घड़ियों जयपुर भेज दी गई। यह क्रय भारत में धारा-5 (2)(i) के अन्तर्गत आयात माना जाता है। यदि जापान की प्रिन्स वॉच कम्पनी माल के विक्रय का सौदा होने से पूर्व ही एक जहाजी कम्पनी को घड़ियों की पेटी भारत भेजने के लिए सुपुर्द कर देती है और माल के भारतीय सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पूर्व ही इसे जयपुर के व्यापारी को अधिकार प्रपत्रों के हस्तान्तरण द्वारा बेच दिया जाता है ऐसी स्थिति में यह क्रय धारा 5(2)(ii) के अन्तर्गत भारत में ‘आयात’ माना जावेगा।

यदि अधिकार प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा विक्रय माल के भारतीय सीमा-शुल्क सीमा को पार करने के बाद किया गया हो तो इसे आयात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय नहीं माना जावेगा।

निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय (Purchase or Sale of goods in the Course of Export Trade)

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(1) एवं धारा-5 (3) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी माल का क्रय या विक्रय निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय माना जायेगा—

- (i) माल के क्रय-विक्रय का अनुबन्ध हुआ हो तथा उस अनुबन्ध के परिणामस्वरूप माल का गमन भारतीय सीमा-शुल्क सीमा से बाहर हुआ हो।
- (ii) माल के भारतीय सीमा-शुल्क सीमा से बाहर चले जाने के बाद संबंधित प्रलेखों का हस्तान्तरण करके उस माल को बेच दिया जाये।
- (iii) धारा-5(3) के अनुसार, निर्यात हेतु किये गये क्रय-विक्रय से पूर्व के अन्तिम क्रय-विक्रय को भी निर्यात के दौरान किया गया क्रय-विक्रय मान लिया जायेगा, यदि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती हो—
 - (अ) इस प्रकार का अन्तिम क्रय-विक्रय निर्यात करने के अनुबन्ध हो जाने या आदेश प्राप्त हो जाने के बाद किया गया हो;
 - (ब) इस प्रकार का अन्तिम क्रय-विक्रय निर्यात के अनुबन्ध अथवा आदेश पूरा करने के लिये किया गया हो।

- (स) निर्यात के पूर्व के क्रय-विक्रय के तहत निर्यातकर्ता ने जिस रूप में माल को क्रय किया था उसी रूप में माल का निर्यात होना चाहिए।
- (द) धारा-5(3) का लाभ प्राप्त करने वाले व्यापारी को निर्यातकर्ता से निम्न दो प्रपत्र भी प्राप्त करने होंगे-
- (क) निर्यात का प्रमाण पत्र (जहाजी बिल्टी की फोटो स्टेट प्रति); तथा ख) फार्म-H में घोषणापत्र।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिये

1. अन्तर्राज्यीय विक्रय माना जायेगा यदि

- (अ) माल को एक राज्य से खरीदकर दूसरे राज्य में ले जाया जावे।
 (ब) माल का गमन दूसरे राज्य के मध्य से हुआ हो।
 (स) माल का गमन एक राज्य से प्रारम्भ होकर उसी राज्य में समाप्त हुआ हो।
 (द) माल का विक्रय के पश्चात् गमन एक राज्य से प्रारम्भ होकर अन्त किसी दूसरे राज्य में हुआ हो। ()

2. एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों का हस्तान्तरण करके माल का विक्रय किये जाने को कहते हैं:

- (अ) निर्यात
 (ब) राज्य के बाहर की बिक्री
 (स) राज्य के भीतर की बिक्री
 (द) अन्तर्राज्यीय बिक्री। ()

उत्तर [1. (द) 2. (द)]

(ब) लघुतात्मक प्रश्न

(Short Answer Type Questions):

1. माल के अन्तर्राज्यीय गमन से आप क्या समझते हैं ?
2. किसी माल का क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कब माना जाता है ? उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइये।
3. ‘भावी माल’ से आप क्या समझते हैं ?
4. किसी माल का क्रय-विक्रय भारत से निर्यात के दौरान कब माना जाता है ?
5. ऐसी ब्रिकी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है जो किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है?
6. उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें माल का अन्तर्राज्यीय गमन होता है परन्तु उसे अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय-विक्रय नहीं माना जाता है।
7. किसी माल का क्रय-विक्रय भारत में आयात के दौरान कब माना जायेगा।
8. विशिष्ट माल या निर्दिष्ट माल से आप क्या समझते हैं ?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. किन परिस्थितियों में वस्तुओं का विक्रय अथवा क्रय एक राज्य से बाहर किया गया माना जायेगा ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये।
2. किन परिस्थितियों में विक्रय अथवा क्रय भारत में आयात अथवा भारत से निर्यात माना जायेगा ? उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइये

वर्ग (Section) C

अध्याय (Chapter) 11

कर-योग्य ब्रिकी एवं कर की राशि की गणना

(Computation of Taxable Turnover And Amount of Taxes)

कर-मुक्त अन्तर्राज्यीय विक्रय

(Exempted Inter-State Sales)

अन्तर्राज्यीय विक्रय की कर-योग्य राशि ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार के विक्रय को कर मुक्त मानते हैं इसलिए ऐसी विक्रय राशि को शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय में से घटाया जाता है:

- (1) उत्तरवर्ती ब्रिकी के सम्बन्ध में कर-मुक्ति
- (2) सामान्य कर-मुक्तियां
- (3) अधिसूचना के आधार पर कर-मुक्तियां
- (4) आयात या निर्यात के दौरान की गयी बिक्री के सम्बन्ध में कर-मुक्ति
- (5) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को की गयी बिक्री के सम्बन्ध में कर-मुक्ति
- (6) भारत में विदेशी कूटनीतिक मिशन अथवा वाणिज्य दूत के कार्यालय अथवा संयुक्त राष्ट्र आदि के अधिकारियों या कर्मचारियों को की गई बिक्री के संबंध में कर-मुक्ति:
- (7) अन्य राज्य में शाखा या प्रतिनिधि को भेजे गये माल के संबंध में कर-मुक्ति:

(1) उत्तरवर्ती ब्रिकी के संबंध में कर मुक्ति

(Exemption of Subsequent Sales U/S 6(2))—

यदि कोई माल इस अधिनियम की धारा—3 (अ) अथवा 3 (ब) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय विक्रय हो तथा उस माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होने के बाद परन्तु अन्तर्राज्यीय गमन समाप्त होने से पूर्व अर्थात् माल की सुपुर्दगी लेने से पूर्व केता व्यापारी द्वारा उस माल को अधिकार प्रलेखों का हस्तान्तरण करके अन्य व्यक्ति को अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बेच दिया जाता है तो उस माल का इस प्रकार किया गया दूसरा विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान उत्तरवर्ती विक्रय कहलाता है।

कर-मुक्त राशि (Exempted Amount)—

यदि कोई व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल का उत्तरवर्ती विक्रय किसी पंजीकृत व्यापारी को करता है तथा उस पंजीकृत व्यापारी के लिये यह माल इस अधिनियम की धारा—8 (3) में वर्णित माल हो तो ऐसा उत्तरवर्ती विक्रय कर-मुक्त होता है बशर्ते कि उत्तरवर्ती विक्रय करने वाला व्यापारी निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में अथवा बढ़ाई गई अवधि में निम्न प्रलेख प्रस्तुत कर दे—

- (i) जिस पंजीकृत व्यापारी से उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले व्यापारी ने माल खरीदा था, उस व्यापारी से फार्म E-I या E-II में प्राप्त प्रमाण पत्र तथा
- (ii) उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले व्यापारी ने जिस पंजीकृत व्यापारी को माल बेचा है, उससे प्राप्त एक घोषणा-पत्र फार्म-C में। परन्तु निम्न परिस्थिति में इस घोषणा पत्र (फार्म-सी) की आवश्यकता नहीं होती है—
 - (क) पंजीकृत व्यापारी को बेचा गया माल राज्य विक्रय कर कानून के अनुसार सामान्य रूप से कर मुक्त है अथवा उस माल पर विक्रय कर की सामान्य दर 2% से कम है अथवा सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र के माध्यम से धारा 8(1) के तहत अधिसूचित घटी हुई दर से कर देय है, तथा

(ख) उत्तरवर्ती विक्रय करने वाला व्यापारी स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि उसने पंजीकृत व्यापारी को जो माल बेचा है वह अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत माल का उत्तरवर्ती विक्रय है।

2. सामान्य कर—मुक्तियां

(General Exemptions)[धारा 8 (2)]

ऐसा माल जिसका विक्रय या क्रय राज्य में साधारणतया कर मुक्त है तो ऐसा विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत भी कर—मुक्त माना जावेगा।

3. अधिसूचना के आधार पर कर—मुक्तियां

(Exemption by Notifications)[धारा 8(5)]

इस प्रकार की कर—मुक्ति के लिये आवश्यक है कि ब्रिकी पंजीकृत व्यापारी को की जाये, क्रेता ने फार्म C में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया हो तथा विक्रेता व्यापारी ने यह घोषणा पत्र निर्धारित अवधि में अपने कर—निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया हो।

4. निर्यात ब्रिकी के संबंध में कर—मुक्ति

[Exemption in respect of export sales]

निर्यात ब्रिकी को कर—मुक्त माना जाता है। भारतीय कैरियर को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए की गई एवियेशन टरबाइन ईंधन की ब्रिकी को भी निर्यात ब्रिकी मान कर केन्द्रीय ब्रिकी कर से मुक्त माना गया है। [धारा-5 (5)]

5. किसी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को की गई बिक्री के संबंध में

कर—मुक्ति [धारा 8(6) से 8(8)]

यदि माल का ऐसी इकाई में प्रयोग करने के लिये विक्रय किया जाये तथा इस संबंध में निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जाये तो ऐसा विक्रय कर मुक्त होता है। ऐसी विक्रय राशि को भी कर—योग्य बिक्री ज्ञात करने के लिए घटाया जायेगा। इसके लिए ऐसी इकाई को फार्म—I में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(6) भारत में विदेशी कूटनीतिक मिशन अथवा वाणिज्य दूत के कार्यालय अथवा संयुक्त राष्ट्र आदि के अधिकारियों या कर्मचारियों को की गई बिक्री के संबंध में कर—मुक्ति: [धारा 6(3) एवं 6(4)]

यदि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री इन अधिकारियों या कर्मचारियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए की गई हो अथवा इनके कार्यालय उपयोग के लिए की गई हो तो ऐसी बिक्री कर—मुक्त मानी जायेगी बशर्ते ऐसे अधिकारी ने फार्म J में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

(7) अन्य राज्य में शाखा या प्रतिनिधि को भेजे गये माल के संबंध में कर—मुक्ति:

[धारा 6A]

यदि माल दूसरे राज्य में स्वयं की शाखा या एजेण्ट को भेजा जाता है तो इसे कर—मुक्त बिक्री नहीं माना जायेगा बशर्ते ऐसी शाखा या एजेण्ट ने फार्म F में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

कर—योग्य अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना (Computation of Taxable Turnover)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—योग्य अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि की गणना निम्नलिखित चार चरणों में की जाती है—

1. सकल विक्रय की गणना (Computation of Gross Turnover)
2. सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना (Computation of Gross Inter-State Sales)
3. शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना (Computation of Net Inter-State Sales)
4. कर—योग्य विक्रय राशि की गणना (Computation of Taxable Turnover)

1. सकल विक्रय की गणना

(Computation of Gross Turnover)—

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—योग्य अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि निकालने के लिये सर्वप्रथम व्यापारी की उस अवधि की सकल विक्रय राशि ज्ञात करनी पड़ती है। इसके लिए व्यापारी के द्वारा उस अवधि में किए गए माल के सभी विक्रय जोड़े जाते हैं, चाहे ऐसा विक्रय राज्य किया गया हो, या राज्य के बाहर किया गया हो। कर मुक्त वस्तुओं के विक्रय और निर्यात के दौरान किए गये विक्रय को भी सकल विक्रय में जोड़ दिया जाता है, परन्तु निम्न लिखित वस्तुओं के विक्रय की राशि को सकल विक्रय में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि इन्हे माल की परिभाषा में नहीं लिया गया है—

- (i) समाचार—पत्र
- (ii) अंश एंव स्कन्ध
- (iii) प्रतिभूतियाँ
- (iv) अभियोग्य योग्य दावे।

2. सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना

(Computation of Gross Inter-State Sales):

सकल विक्रय में से निम्न लिखित विक्रय को घटाकर कुल अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि ज्ञात की जाती है

- (i) राज्य के भीतर बेचा गया माल;
- (ii) राज्य के बाहर बेचा गया माल;
- (iii) निर्यात के दौरान बेचा गया माल।

3. शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना

(Computation of Net Inter State Sales)

उपरोक्त प्रकार से निकाली गई सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि में से निम्नलिखित चार प्रकार की राशियाँ घटाकर शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि ज्ञात की जाती हैं:

(i) विक्रय वापसी अर्थात् विक्रय के 6 माह के भीतर लौटाये गये माल का विक्रय मूल्य—

अन्तर्राज्यीय विक्रय की माल की वापसी की राशि को घटाया जाता है यदि ऐसी विक्रय—वापसी (Sales Return) विक्रय की तिथि के 6 माह के भीतर हुई हो।

(ii) खारिज अथवा अस्वीकृत किये गये माल का विक्रय मूल्य—

इसके लिए कोई निर्धारित अवधि तय नहीं है। खारिज माल की सम्पूर्ण को घटाया जाता है।

(iii) किराया, भाड़ा एवं सुपुर्दगी व्यय—

यदि ऐसा व्यय अन्तर्राज्यीय विक्रय पर विक्रेता व्यापारी द्वारा किया गया हो तथा जिसे बिल में अलग से दिखाकर वसूल किया गया हो और इन्हें ग्राहक से विक्रय मूल्य में शामिल कर वसूल किया गया हो। तब ऐसे व्ययों की सम्पूर्ण राशि को घटाया जावेगा।

(iv) नकद बट्टा (Cash Discount)–

नकद बट्टा की राशि यदि बिल में अलग से दिखायी गयी हो एवं विक्रय मूल्य में से उसे नहीं घटाया गया हो तो उसे घटा दिया जावेगा।

4. कर–योग्य विक्रय राशि की गणना

(Computation of Taxable Turnover)–

अन्तर्राज्यीय विक्रय की शुद्ध राशि में से विभिन्न धाराओं के अनुसार कर मुक्त— माल का विक्रय एवं विक्रय–कर की राशि (यदि यह विक्रय में सम्मिलित हो) को घटाने पर शेष बची राशि कर–योग्य विक्रय राशि कहलाती है।

ग्राहकों से कर के रूप में एकत्रित राशि को घटाना

(Deduction for amount collected as tax from customers)

यदि दी हुई विक्रय की राशि में ग्राहकों से एकत्रित की गई विक्रय कर की राशि भी सम्मिलित हो तो कर–योग्य अन्तर्राज्यीय विक्रय की गणना करने हेतु उसे भी घटाया जाता है।

संग्रहित कर की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है

$$\frac{\text{विक्रय मूल्य का योग } \times \text{कर की दर}}{100 + \text{उपयुक्त कर की दर}}$$

नोट:— यहां कर की वह दर ली जायेगी जिससे कर संग्रहित किया गया है।

कर की दरें (Rates of Taxes)–

अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की गणना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निम्न दरों से की जाती है:

क्रस	विक्रय का प्रकार	कर की दर
1	पंजीकृत व्यापारी को फार्म C पर विक्रय	2 % या राज्य की विक्रय कर की दर, जो भी कम हो।
2	कर मुक्त माल का विक्रय	शून्य
3	अपंजीकृत व्यापारी को अथवा उपभोक्ता को विक्रय या पंजीकृत व्यापारी को फार्म C के बिना विक्रय	राज्य की विक्रय कर की दरें

कर की गणना (Computation of Tax)

सबसे पहले कर–योग्य अन्तर्राज्यीय विक्रय की राशि को कर की निर्धारित दरों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसके पश्चात् कर की गणना निम्न प्रकार की जाती है

(i) यदि प्रश्न में विक्रय राशि सकल दी हुई हो (कर को घटाए बिना) तो कर की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है—

कर की दर

$$\text{देय कर की राशि} = \frac{\text{विक्रय-मूल्य का योग} \times 100}{100 + \text{कर की दर}}$$

(ii) यदि प्रश्न में विक्रय राशि कर योग्य दी गई हो (अर्थात् कर को घटाने के पश्चात् या कर को जोड़े बिना दी गई हो) तो ऐसी दशा में कर-योग्य विक्रय राशि पर निर्धारित दरों से सीधे-सीधे कर की गणना की जायेगी।

देय कर की राशि = (कर-योग्य विक्रय की राशि \times कर की दर)

स्पष्टीकरण—

यदि प्रश्न में दी गई अन्तर्राज्यीय विक्रय पर अलग-अलग दरें लागू होती हों तो अलग-अलग विक्रय पर संबंधित अलग-अलग दरों से कर की गणना की जायेगी एवं इन राशियों का योग ही देय कुल कर होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी

कियात्मक प्रश्नों को हल करते समय निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए

1. यदि प्रश्न में केता की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया हो तो उसे अपंजीकृत व्यापारी ही माना जाना चाहिए।
2. यदि केवल पंजीकृत व्यापारी को विक्रय लिखा जाये तो इसे C फार्म के बिना विक्रय माना जाना चाहिए।
3. प्रश्न में दी गई कर की दर को ही राज्य की विक्रय कर की दर माना जाये क्योंकि केन्द्रीय ब्रिकी कर की अपनी दर नहीं होती है। केन्द्रीय ब्रिकी कर की दर का निर्धारण राज्य की ब्रिकी कर की दर एवं केता की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय विक्रय अधिनियम में केवल एक विक्रय कर की दर दी हुई होती है जो एक पंजीकृत व्यापारी दूसरे पंजीकृत व्यापारी को C फार्म के आधार पर माल बेचता है तब लागू होती है। वर्तमान में यह दर 2 % है।
4. दी गई विक्रय राशि में व्यापारी द्वारा संग्रह किया गया कर सम्मिलित माना जाता है। यदि व्यापारी ने कर संग्रह नहीं किया हो अथवा विक्रय में शामिल नहीं किया हो तो इसकी सूचना अलग से दी जायेगी।
5. व्यापारी ने ग्राहक से किस दर से कर संग्रह किया है, इसकी सूचना सामान्यतः प्रश्न में दी जाती है, जैसे—
(i) राज्य की विक्रय कर की दर से कर संग्रह किया है, या (ii) केन्द्रीय विक्रय कर की लागू होने वाली दर से संग्रह किया है, या (iii) दोनों में कम वाली दर या अन्य किसी दर से कर संग्रह किया है। यदि कर के संग्रह करने की दर नहीं दी गई हो तो राज्य की विक्रय कर की दर से जो प्रश्न में दी गई होगी, कर संग्रह किया गया माना जायेगा।
6. यदि प्रश्न में कोई दर नहीं दी गई है तथा विक्रय पंजीकृत व्यापारी को C फार्म पर किया जाये तो कर की दर 2 % मानी जावे C फार्म पर यह कर की अधिकतम दर है।
7. यदि व्यापारी ने राज्य की दर से ब्रिकी कर वसूल किया है तथा केन्द्रीय विक्रय कर की देय राशि पूछी जाये तो गणना दो बार की जायेगी। एक बार ब्रिकी में शामिल कर को घटाकर कर-योग्य ब्रिकी (Taxable Turnover) ज्ञात करने के लिये तथा दूसरी बार केन्द्रीय ब्रिकी कर की लागू होने वाली दर के आधार पर देय कर की राशि ज्ञात करने के लिए।
8. यदि प्रश्न में केवल कर योग्य ब्रिकी (Taxable Turnover) पूछी गई हो तो कर की गणना नहीं की जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 1 :

30 जून 2009 को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही के लिये सीकर के एक पंजीकृत व्यापारी मैसर्स गुप्ता एण्ड क. के कुल विक्रय का विवरण निम्नलिखित है—

	रूपये
(i) कर—मुक्त वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय विक्रय	17,00,000
(ii) राज्य के भीतर की ब्रिकी	14,00,000
(iii) भारत से निर्यात	15,00,000
(iv) अहमदाबाद में 14,60,000 रु. में कर योग्य माल खरीदाएवं वही पर 15,00,000 रु.में बेच दिया है , एवं ग्राहकों ने 67,500 रु. का माल 6 माह के अन्दर लौटा दिया था)	23,17,500
(vi) अन्तर्राज्यीय विक्रय (इन पर कर की दर 4 % है एवं ग्राहकों ने 62,400 रु. का माल 6 माह के पश्चात् लौटाया था)	22,88,000 रु.

30 जून, 2009 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत इस व्यापारी के कर—योग्य विक्रय की गणना कीजिए।

The particulars of sales of a registered dealer of Sikar M/s Gupta & Co. for the first quarter ending on 30th June, 2009 are given as under:

	Rs.
(i) Inter-State Sales of tax-free goods	17,00,000
(ii) Sales within State	14,00,000
(iii) Exports from India	15,00,000
(iv) Goods purchased in Ahmedabad for Rs.14,60,000 and sold there for Rs. 15,00,000	
(v) Inter- State Sale (The rate of Tax on these goods is 12.5% and the customers returned goods worth Rs.67,500 within 6 Months)	23,17,500
(vi) Inter-State Sale (The rate of tax on these goods is 4% and the customers returned goods worth Rs. 62,400 after 6 Months)	22,88,000

Compute Taxable Turnover of this dealer under the Central Sales Tax Act for the First quarter ending on 30th June, 2009.

हल (Solution):

टिप्पणी :

(i) यदि कुल विक्रय में कर सम्मिलित होने अथवा नहीं होने संबंधी सूचना नहीं हो तो कुल विक्रय को कर सहित माना जाता है तथा कर योग्य विक्रय की गणना के लिए उसमें सम्मिलित कर को घटाया जाता है।

(ii) कर योग्य विक्रय की गणना करते समय प्रश्न में दी गई कर की दर से आशय राज्य विक्रय कर की दर से है। सूचना के अभाव में यह माना गया है कि व्यापारी ने राज्य के विक्रय कर की दर से कर वसूल किया है। इस दर से कुल विक्रय में सम्मिलित कर को सूत्र का प्रयोग करते हुए घटाया गया है।

(iii) अहमदाबाद में कर योग्य माल खरीदकर वहीं बेचा गया माल राजस्थान राज्य के बाहर की बिक्री है। इसे सकल बिक्री में तो सम्मिलित किया गया है परन्तु अन्तर्राज्यीय बिक्री ज्ञात करते समय घटा दिया गया है।

Computation of Taxable Turnover of M/s Gupta & Co.

Under the C.S.T. Act for the quarter ending on 30-06-2009

Gross Turnover:

	Rs.
(1) Sale of Tax-free Goods	17,00,000
(2) Sale within State	14,00,000
(3) Exports from India	15,00,000
(4) Goods purchased and sold in Ahmedabad (Sales out side the state)	15,00,000
(5) Inter-State Sales	46,05,500
(23,17,500+22,88,000)	<hr/>
	Gross Turnover 1,07,05,500

	Rs.
Less: [a] Sale within State	14,00,000
[b] Export from India	15,00,000
[c] Sale outside State	15,00,000
	<hr/>
	Gross Inter-State Sales
	63,05,500
Less: Goods returned within 6 Months	67,500
	<hr/>
	Net Inter-State Sales
Exempted Inter-State Sales	62,38,000
	<hr/>
	17,00,000
	<hr/>
	45,38,000

Less: Amount of sales tax collected from customers:

Sales x Rate of Tax	<hr/>	
	100+Rate of Tax	
(a) <u>(23,17,500-67,500) x 12.5</u>	= Rs.2,50,000	
112.5		
(b) <u>22,88,000x4</u>	= <u>Rs. 88,000</u>	<u>3,38,000</u>
<u>104</u>		
		Taxable Turnover <u>42,00,000</u>

उदाहरण (Illustration) 2.

30 सितम्बर 2009 को समाप्त होने वाली द्वितीय तिमाही के लिए भोड़की (राजस्थान) के एक पंजीकृत व्यापारी मैसर्स मनमोहन एण्ड कम्पनी के कुल विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है—

रु.

(1) नमक (राजस्थान में कर—मुक्त)	3,00,000
(2) अखबार	1,00,000
(3) पुस्तकें (राजस्थान में कर—मुक्त)	25,000
(4) अमेरिका को निर्यात	2,75,000
(5) अंश एवं प्रतिभूतियां	3,00,000
(6) राजस्थान में बेचा गया माल	5,00,000
(7) अन्तर्राज्यीय विक्रय में बेचा गया माल जिस पर कर की दर 1 % है।	9,39,300
(8) अन्तर्राज्यीय विक्रय में बेचा गया माल जिस पर कर की दर 4 % है।	2,08,000

उपर्युक्त (7) में वर्णित विक्रय जिस पर कर की दर 1 % है, इसमें से ग्राहकों द्वारा 30,300 रु. का माल क्रय के 6 माह के भीतर वापिस कर दिया गया था।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर मैसर्स मनमोहन एण्ड कम्पनी की 30 सितम्बर 2009 को समाप्त होने वाली द्वितीय तिमाही के लिये केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—योग्य विक्रय की गणना कीजिये।

The total sales of a registered dealer of Bhorki (Rajasthan) M/s Man Mohan & Co. for second quarter ending on 30th September, 2009 are as under.

	Rs.
(1) Salt (exempted in Rajasthan)	3,00,000
(2) Newspaper	1,00,000
(3) Books (exempted in Rajasthan)	25,000
(4) Export to America	2,75,000
(5) Shares and Securities	3,00,000
(6) Goods Sold in Rajasthan	5,00,000
(7) Inter-State Sale on which rate of Tax is 1%	9,39,300
(8) Inter-State Sale on which rate of Tax is 4%	2,08,000

Goods worth Rs.30,300 were returned by customers within 6 months from the date of purchase, out of goods given in (7), on which the rate of tax is 1%

On the basis of above information, calculate the amount of Taxable Turnover of M/s Man Mohan and Company under the Central Sales Tax Act for the second quarter ending on 30th September, 2009.

हल (Solution):

टिप्पणियाँ—

- (1) समाचार—पत्र, अंश एवं प्रतिभूतियां माल की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए इनके विक्रय को सकल विक्रय में नहीं जोड़ा जाता है।
- (2) राज्य में घोषित कर—मुक्त वस्तुओं अर्थात् नमक एवं पुस्तकों के विक्रय को शुद्ध अन्तर्राज्यीय विक्रय में से घटाया गया है।
- (3) राज्य के अन्दर विक्रय एवं निर्यात विक्रय को घटाया गया है क्योंकि ये अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं हैं।

Computation of Taxable Turnover of M/s Man Mohan & Company Under the C.S.T. Act for the quarter ending on 30-09-2009

Gross Turnover:	Rs.	Rs.
(1) Salt		3,00,000
(2) Books		25,000
(3) Export to America		2,75,000
(4) Goods sold in Rajasthan		5,00,000
(5) Inter State Sales		
(Rs. 9,39,300+Rs.2,08,000)		11,47,300
	Gross Turnover	22,47,300
Less: [a] Exports to America	2,75,000	
[b] Goods Sold in Rajasthan	5,00,000	7,75,000
		14,72,300
Less: Goods returned within 6 months		30,300
		14,42,000
Less: Exempted Sales[a] Salt	3,00,000	
[b] Books	25,000	3,25,000
		11,17,000
Less: Amount of Sales tax collected from customers		
Sales x Rate of Tax		
100xRate of Tax		
[a] $(9,39,300-30,300) = (9,09,000 \times 1) =$		Rs. 9,000
(101)		
[b] $(2,08,000 \times 4)$	=	Rs. 8,000
104		17,000
		Taxable Turnover
		11,00,000

उदाहरण (Illustration) 3 –

मैसर्स राज ट्रेडर्स, ककराना (राजस्थान) की वर्ष 2009–10 की द्वितीय तिमाही में कुल अन्तर्राज्यीय ब्रिकी 5,00,000 रु. थी। इस ब्रिकी के संबंध में अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं—

(i) सरकार को माल की ब्रिकी 80,000 रु. की थी, जिसमें 40,000 रु. की ब्रिकी अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल की उत्तरवर्ती ब्रिकी थी तथा 30,000 रु. की ब्रिकी ऐसे माल की थी जो धारा 8 (5) के तहत कर मुक्त है।

(ii) पंजीकृत व्यापारियों को घोषणा—पत्रों (Form-C) के अन्तर्गत माल की ब्रिकी 1,00,000 रुपयों की थी, जिसमें से 20,000 रुपयों की बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल की उत्तरवर्ती ब्रिकी थी तथा 50,000 रु. की ब्रिकी ऐसे माल की थी जो धारा 8(5) के तहत कर मुक्त है।

(iii) कुल ब्रिकी में से 1,00,000 रुपयों की ब्रिकी ऐसे माल की थी जिसे राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम की धारा—8(5) के अन्तर्गत कर—मुक्त कर दिया गया है।

(iv) शेष ब्रिकी अन्य व्यक्तियों को बिना किसी घोषणा—पत्र के की गई थी।

यह मानते हुये कि मैसर्स राज ट्रेडर्स, बीकानेर द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बेचे गये माल पर राज्य ब्रिकी—कर की सामान्य दर 12.5 % है तथा फर्म द्वारा अपने ग्राहकों से केन्द्रीय बिक्री—कर वसूल नहीं किया गया है। केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस फर्म की वर्ष 2009—10 की द्वितीय तिमाही के लिये कर—योग्य ब्रिकी का निर्धारण कीजिये तथा इस पर देय केन्द्रीय ब्रिकी—कर की राशि ज्ञात कीजिये।

The total Inter-State Sale of M/s Raj Traders of Kakrana (Rajasthan) during the second quarter of the year 2009-10 was Rs. 5,00,000. The other particulars regarding this sale were as under:

(1) Sale of goods to the Government was Rs. 80,000 of which the sales for Rs.40,000 were the subsequent sales in the course of inter-state trade and commerce and sale of Rs.30,000 was of such goods which have been exempted under section 8(5).

(ii) Sale of goods to the registered dealers under the declaration (Form-C) was for Rs. 1,00,000 of which the sales for Rs. 20,000 were the subsequent sales in the course of Inter State trade or commerce and sale of Rs. 50,000 was of such goods which have been exempted under section 8(5).

(iii) Out of the total sales the sales Rs.1,00,000 were in respect of such goods which have been exempted from tax by the Rajasthan Government under section 8(5) of the C.S.T.Act.

(iv) The remaining sales were made to other persons without any declaration.

Assuming that the general rate of state sales tax for the goods sold by M/s Raj Traders, Kakrana, is 12.5% and that the firm has not collected any tax from the customers. Determine the amount of taxable turnover and Central Sales Tax payable thereon for the second quarter of the year 2009-10 under the Central Sales Tax Act, 1956.

हल (Solution):

Computation of Taxable Turnover of M/s Raj Traders Kakrana Under the C.S.T. Act for the second quarter of the year 2009-10

	Rs.	Rs.
Total Inter-State Sales		5,00,000
Less: Sales exempt from tax:		
(1) Subsequent sale to the registered dealers under Declaration forms (Form-C)	20,000	
(2) Sale of goods exempt under section 8 (5) (with declaration form-C)	50,000	70,000
Taxable Turnover		4,30,000

Computation of Central Sales Tax payable by M/s Raj Traders, Kakrana On its Taxable Turnover Under the C.S.T. Act

Rs.		
1.	Tax on sales to Govt. on Rs. 80,000@12.5%	10,000
2.	Tax on sales to Registered Dealers under Form-C @2% on Rs.30,000 i.e.on (1,00,000-70,000)	600
3.	Tax on sales to other persons@ 12.5% on Rs. 4,19,400 i.e. (4,30,000-10,600)	52,425
	Central Sales Tax Payable	63,025

टिप्पणी –

- i) पंजीकृत व्यापारियों को फार्म— C पर उत्तरवर्ती ब्रिकी—कर मुक्त होती है।
- ii) धारा 8 (5) में कर मुक्त घोषित माल की ब्रिकी का लाभ पंजीकृत व्यापारी को C फार्म पर माल का विक्रय करने पर ही मिलता है। बिना ‘C’ फार्म के अथवा अपंजीकृत व्यापारी को अथवा सरकार को माल की ब्रिकी करने पर ऐसी बिक्री कर योग्य मानी जाती है।
- iii) पंजीकृत व्यापारियों को फार्म—C पर की गई ब्रिकी पर कर की दर 2 % ही होती है बशर्ते कि राज्य में विक्रय कर की दर 2 % या अधिक हो।
- iv) अन्य व्यक्तियों को अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर अथवा बिना सी फार्म के अन्तर्राज्यीय ब्रिकी करने पर राज्य की ब्रिकी कर की दर ही लागू होती है।

उदाहरण (Illustration)-4

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर राजस्थान के एक व्यापारी द्वारा किए गए अन्तर्राज्यीय विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 की द्वितीय तिमाही के लिये देय कर की गणना कीजिए। कुल विक्रय की राशि में से विक्रय—कर की राशि घटा दी गई है—

	रु.
(i) पुस्तकों का विक्रय (राजस्थान में कर मुक्त)	12,70,000
(ii) स्लेट का विक्रय (राजस्थान में कर मुक्त)	11,30,000
(iii) मध्य प्रदेश सरकार को मशीनों का विक्रय (राज्य में इस माल पर विक्रय कर की दर 12.5 % हैं)	50,00,000
(iv) पंजीकृत व्यापारी को ऐसे अघोषित माल का विक्रय जो उसके पंजीकरण प्रमाण—पत्र में नहीं दिया हुआ है। राज्य में इस माल पर कर की दर 4 % है।	10,00,000
(v) अपंजीकृत व्यापारी को घोषित माल का विक्रय।राज्य में इस माल पर कर की दर 1 % है	20,00,000
(vi) गुजरात के पंजीकृत व्यापारियों को घोषणा पत्र फार्म— C पर ऐसे अघोषित माल	

का विक्रय जो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। राज्य में कर की दर 4 % (इसमें 10,00,000 रु. के माल का विक्रय फार्म—आई पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के प्रयोग के लिए है)	40,00,000
(vii) पंजीकृत व्यापारी को अघोषित माल का विक्रय जिस पर राज्य में विक्रय—कर की दर 1 % है	30,00,000
(viii) पंजीकृत व्यापारी को पुनर्विक्रय के लिए फार्म—C पर ऐसे माल का विक्रय जो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिया हुआ है (राज्य में इस माल पर कर की दर 12.5 % है)	40,00,000
(ix) पंजीकृत व्यापारी को पुनर्विक्रय के लिए ऐसे माल का विक्रय जो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में नहीं दिया हुआ है। इस पर राज्य में कर की दर 4 % है।	50,00,000

On the basis of the following information of a dealer in Rajasthan calculate the amount of tax payable for the second quarter of the year 2009-10 under Central Sales Tax Act on the inter-state sale made by him during the year. The amount of tax has been deducted from the total amount of sales.

	Rs.
(i) Sale of Books (exempted in Rajasthan)	12,70,000
(ii) Sale of slate (exempted in Rajasthan)	11,30,000
(iii) Sale of Machines to M.P. Govt. (The rate of sales tax on such goods in the state is 12.5%)	50,00,000
(iv) Sale to a registered dealer of such undeclared goods which have not been given in his registration certificate. The rate of tax on such goods in the State is 4 %	10,00,000
(v) Sale of declared goods to an unregistered dealer, the rate of tax on such goods in the State is 1%	20,00,000
(vi) Sale to registered dealers of Gujarat on declaration form-C of such undeclared goods which have been given in their registration certificate. The rate of tax on such goods in the State is 4% (out of it, goods worth Rs.10,00,000 is for the use of an undertaking located in Special Economic Zone on the basis of Form- I)	40,00,000
(vii) Sale of undeclared goods to a registered dealer. The rate of tax on such goods in the State is 1 %	30,00,000
(viii) Sale to a registered dealer for resale on Form-C of such goods which have been given in his registration certificate (The rate of tax on such goods in the state is 12.5%)	40,00,000
(ix) Sale to a registered dealer for resale of such goods which	

have not been given in his registration certificate. The rate
of tax on such goods is 4% in the state 50,00,000

हल (Solution):

Computation of Tax Payable under C.S.T. ACT for the second quarter ending on 30-9-09

	Rs.
(i) Sale of Books (Exempted)	
(ii) Sale of Slates (Exempted)	
(iii) Sale to M.P.Govt. the rate of tax is 12.5% ($50,00,000 \times 12.5\%$) 6,25,000	40,000
(iv) Sale to a registered dealer of such undeclared goods which has not been given in his registration certificate. [The rate of tax in the State ($10,00,000 \times 4\%$)]	20,000
(v) Sale of declared goods to unregistered <u>dealer@ 1% i.e. the</u> state rate ($20,00,000 \times 1\%$)	60,000
(vi) Sale of undeclared goods to registered dealers of Gujarat on C-form ($30,00,000 \times 2\%$)	30,000
(vii) Sale of undeclared goods to registered dealer without Form-C @ 1% i.e. state rate	80,000
(viii) Sale of goods given in registration certificate for resale on Form-C@ 2%	2,00,000
(ix) Sale of goods not specified in the registration certificate (The Rate of tax in the state is 4%)	10,55,000
Tax Payable	

टिप्पणियाँ— (i) चूंकि विक्रय राशि में विक्रय—कर की राशि सम्मिलित नहीं है, अतः कर की गणना साधारण तरीके से की गई है। इसके लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है—

$$\frac{\text{कर की दर}}{\text{विक्रय की राशि} \times \frac{100}{100}}$$

प्रत्येक विक्रय राशि के लिये उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग अलग—अलग किया गया है।

(ii) पंजीकृत व्यापारी को ऐसे अधोषित माल का विक्रय किया जाये जो उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में नहीं दिया गया हो अथवा बिना C फार्म के विक्रय किया जाये तो राज्य की विक्रय—कर दर लागू होती है।

(iii) C फार्म पर बेचे गये माल पर यदि राज्य में कर की दर वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2 % से अधिक हो तो कर का भुगतान 2 % की दर से किया जाता है। राज्य की दर 2% से कम होने पर राज्य की दर से कर का भुगतान किया जाता है।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाईको निर्धारित फार्म—I (आई) पर बेचा गया माल कर मुक्त होता है।

(v) सरकार को की गई ब्रिकी पर भी अंपंजीकृत व्यापारी की तरह राज्य की बिक्री कर की दर लागू होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न
(Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उतर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उतर लिखिये

1. केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कर-योग्य विक्रय राशि ज्ञात करने के लिए विक्रय वापसी को घटाया जाता है—

- (अ) कर-मुक्त माल की बिक्री के 6 माह में विक्रय वापसी होने पर
- (ब) राज्य में की गयी बिक्री के 6 माह में विक्रय वापसी होने पर
- (स) कर-योग्य अन्तर्राज्यीय बिक्री के 6 माह में विक्रय वापसी होने पर
- (द) कर-मुक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री के 6 माह में विक्रय वापसी होने पर

()

2. एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों का हस्तान्तरण करके माल का विक्रय किये जाने को कहते हैं:

- (अ) 4%
- (ब) 3%
- (स) 2%
- (द) राज्य में बिक्री कर की दर

()

3. सी-फार्म के साथ पंजीकृत व्यापारी को माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर होगी:

- (अ) 2%
- (ब) राज्य की बिक्री कर की दर
- (स) राज्य की बिक्री कर की दर या 2% जो दोनों में कम हो।
- (द) राज्य में बिक्री कर की दर या 2% जो दोनों में अधिक हो।

()

4. अपंजीकृत व्यापारी को माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर लागू होगी:

- (अ) 2%
- (ब) राज्य की बिक्री कर की दर
- (स) राज्य की बिक्री कर की दर या 2% जो दोनों में कम हो।
- (द) राज्य में बिक्री कर की दर या 2% जो दोनों में अधिक हो।

()

उतर [1. (स) 2. (द) 3. (स) 4. (ब)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

- विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए नकद छूट को कब घटाया जाता है?
- भाड़ा एवं सुपुर्दगी व्ययों को विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कब नहीं घटाया जाता है?
- केन्द्रीय ब्रिकी कर के उद्देश्यों के लिये विक्रय राशि ज्ञात करने के लिए विक्रय वापसी को कब घटाया जाता है?
- उत्तरवर्ती बिकी से आप क्या समझते हैं ?
- अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर लागू होने वाली केन्द्रीय विक्रय-कर की दरों का उल्लेख कीजिए यदि ब्रिकी अपंजीकृत व्यापारी को की जाये।
- सरकार को की गयी अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर कर की दर क्या होगी ?
- एक व्यापारी का अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान 30 जून, 2009 को समाप्त तिमाही का कुल विक्रय 18,00,000 रु. है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उसके द्वारा देय कर की गणना कीजिये—

विक्रय मूल्य का योग (रु.)	कर की दर
(i) 6,20,000	1%
(ii) 5,60,000	4%
(iii) 3,40,000	12.5%
(iv) 2,80,000	20%

विक्रय मूल्य में विक्रय कर की राशि सम्मिलित नहीं है।

उत्तर— देय कर 1,27,100रु.

- 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त होने वाली द्वितीय तिमाही के लिये कोटा के एक व्यापारी का अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान कुल विक्रय 9,16,500 रु. है। निम्नलिखित सूचनाओंके आधार पर उसके कर योग्य विक्रय की गणना कीजिये—

विक्रय मूल्य का योग (रु.)	कर की दर
(i) 4,16,000	4%
(ii) 4,50,000	12.5%
(iii) 50,500	1%

विक्रय मूल्य में ग्राहकों से उक्त दरों से वसूल की गई कर की राशि शामिल है।

उत्तर— कर योग्य विक्रय 8,50,000 रुपये।

- लाडनूं (राजस्थान) के एक पंजीकृत व्यापारी ने 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त होने वाली

तिमाही के दौरान 6,24,000 रुपये की अन्तर्राज्यीय ब्रिकी की है। विक्रय मूल्यों में ग्राहकों से वसूल की गई विक्रय-कर की राशि सम्मिलित है। सभी अन्तर्राज्यीय विक्रय अघोषित माल का था तथा अपंजीकृत व्यापारी एवं उपभोक्ताओं को किया गया था। व्यापारी ने ग्राहकों से 4 % की राज्य कर की दर से कर वसूल किया था। व्यापारी द्वारा देय कर की राशिज्ञात कीजिये।

उत्तर— व्यापारी द्वारा देय कर 24,000 रुपये।

- सीकर (राजस्थान) के एक पंजीकृत व्यापारी ने 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान 12,12,000 रु. की अन्तर्राज्यीय ब्रिकी की है। विक्रय मूल्यों में ग्राहकों से वसूल की गई विक्रय कर की राशि सम्मिलित है। समस्त ब्रिकी घोषित माल की थी तथा अपंजीकृत व्यापारियों अथवा उपभोक्ताओं को की गई थी। व्यापारी ने ग्राहकों से राज्य की दर से कर वसूल किया है जो 1 % है। व्यापारी द्वारा देय कर की राशि ज्ञात कीजिये।

उत्तर—व्यापारी द्वारा देय कर 12,000 रुपये।

11. अपंजीकृत व्यापारी को 7,50,000 रु. घोषित माल की अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर देय केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ज्ञात कीजियें, यदि—

(i) ब्रिकी की राशि में देय कर शामिल नहीं हों।

(ii) ब्रिकी की राशि में देय कर शामिल हो।

बिक्री जून, 2009 में की गई है तथा राज्य में कर की दर 4 % है।

उत्तर— (i) कर शामिल नहीं होने पर 30,000 रु. तथा

(ii) कर सम्मिलित होने पर 28,846 रु.

12 जयपुर के एक पंजीकृत व्यापारी ने गुजरात के एक अपंजीकृत व्यापारी को मई, 2009 में 2,52,500 रु. का माल बेचा। केन्द्रीय विक्रय कर की देय राशि ज्ञात कीजिये यदि ऐसे माल पर राजस्थान में विक्रय की की दर 1 % है।

उत्तर— केन्द्रीय विक्रय कर की देय राशि 2,500 रु।

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. केन्द्रीय ब्रिकी—कर के उद्देश्यों के लिए कर योग्य विक्रय सांशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइये।

2. ‘कर योग्य अन्तर्राज्यीय ब्रिकी’ पर कर की गणना किस प्रकार की जाती है? यदि—

(i) इसमें केन्द्रीय विक्रय—कर को सम्मिलित नहीं किया गया हो।

(ii) इसमें केन्द्रीय विक्रय—कर को सम्मिलित किया गया हो।

(द) क्रियात्मक प्रश्न (Numerical Questions)

1. 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये मैसर्स गोपीराम रत्नचन्द, जयपुर, जो एक पंजीकृत व्यापारी है, के कुल विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है—

	रु.
(i) अंश एवं प्रतिभूतियों	4,00,000
(ii) अमेरिका को निर्यात	15,00,000
(iii) पुस्तकें	4,00,000
(iv) समाचार—पत्र	8,00,000
(v) राजस्थान राज्य में कर—योग्य विक्रय	5,00,000
(vi) नमक	3,00,000
(vii) बूरा एवं मिश्री	2,00,000
(viii) अन्तर्राज्यीय विक्रय (इस पर कर की दर 12.5 % है एवं ग्राहकों ने 22,500 रु. का माल खरीद के 6 माह के अन्दर लौटाया था)	5,62,500
(ix) अन्तर्राज्यीय विक्रय (इस पर कर की दर 4 % है एवं	

ग्राहकों ने 3,120रु. का माल खरीद के 8 माह पश्चात्
लौटाया था)

3,12,000

पुस्तकें, नमक तथा बूरा एवं मिश्री राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त है। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर मैसर्स गोपीराम रत्नचन्द की केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य विक्रय की गणना कीजिये।

The total sales of M/s Gopi Ram Ratan Chand, Jaipur, a registered dealer, for the quarter ended on 31st December, 2009 are as under:

	Rs.
(1) Shares & Securities	4,00,000
(2) Export to America	15,00,000
(3) Books	4,00,000
(4) Newspapers	8,00,000
(5) Taxable Sales in Rajasthan state	5,00,000
(6) Salt	3,00,000
(7) Bura and Mishri	2,00,000
(8) Inter-State Sales (the rate of tax on these goods is 12.5% and the customers returned goods worth Rs. 22,500 within 6 months of the purchase)	5,62,500
(9) Inter-state Sales (the rate of tax on these goods is 4% and the customers returned goods worth Rs. 3,120 after 8 months of the purchase)	3,12,000

Books, Salt and Bura & Mishri are exempted under the Rajasthan VAT Act. On the basis of above information, calculate the amount of taxable turnover of M/s Gopi Ram Ratan Chand under the Central Sales Tax Act.

उत्तर-कर योग्य विक्रय राशि 7,80,000 रु। (देय-कर की राशि 72,000 रु. घटाने के बाद।)

2. एक व्यापारी की वर्ष 2009–10 की द्वितीय तिमाही की ब्रिकी 22,07,600 रु. थी। निम्न सूचनाओं के आधार पर व्यापारी की केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य आवर्त एवं देय कर की गणना कीजिये—

	रु.
(1) कर मुक्त वस्तुओं की ब्रिकी	4,00,000.
(2) राज्य की ब्रिकी	6,00,000
(3) भारत से निर्यात	3,00,000
(4) फार्म 'सी' पर पंजीकृत व्यापारियों को अन्तर्राज्यीय ब्रिकी (राज्य में ब्रिकी कर की दर 4 % है)	4,28,400
(5) मद सं. (iv) में दी गई ब्रिकी में से 6 माह में माल वापस आया	20,400
(6) अन्तर्राज्यीय व्यापार में पंजीकृत व्यापारियों को 'C' फार्म पर माल की उत्तरवर्ती ब्रिकी	2,50,000

(7) अन्य अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर राज्य ब्रिकी कर की दर 12.5 % है

(8) व्यापारी ने केन्द्रीय ब्रिकी कर की दर से कर वसूल किया है।

उतर— कर योग्य आवर्त 6,00,000 रु.। देय कर 33,000 रुपये।

3. आपके प्रान्त के मैसर्स गुप्ता एण्ड सन्स ने 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही में कुल 4,14,900 रु. की अन्तर्राज्यीय ब्रिकी की थी। लेखा— पुस्तकों की जॉच पड़ताल करने पर निम्नांकित सूचनाएँ प्राप्त हुई—

(i) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचे गये माल पर उपर्युक्त राज्य के ब्रिकी—कर की सामान्य दरें निम्न प्रकार थीं—

माल का विक्रय—मूल्य (रु. में)	ब्रिकी—कर की दर (प्रतिशत)
75,000	50
72,000	20
1,08,000	12.5
62,400	4
50,500	1
47,000	राज्य में सामान्य रूप से कर—मुक्त माल

(ii) मैसर्स गुप्ता एण्ड सन्स ने अपने ग्राहकों से अन्तर्राज्यीय ब्रिकी पर राज्य के बिक्री—कर की सामान्य दरों से, (जिनका वर्णन ऊपर किया गया है) कर वसूल किया था और ग्राहकों से वसूल किया गया बिक्री—कर कुल बिक्री में शामिल था।

(iii) 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत की दर से बिक्री—कर देय माल अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान विशेष महत्व का घोषित माल था।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर मैसर्स गुप्ता एण्ड सन्स की केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—योग्य बिक्री का निर्धारण कीजिए और केन्द्रीय ब्रिकी—कर अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा देय ब्रिकी—कर की गणना कीजिए।

उत्तर: कर—योग्य विक्रय राशि 3,16,000 रु. एवं देय कर 51,900 रु.

4. जयपुर की एक फर्म की वर्ष 2008—09 की द्वितीय, तिमाही की कुल अन्तर्राज्यीय ब्रिकी 10,00,000 रुपये थी। इस बिक्री के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित हैं—

(क) सरकार को ब्रिकी 2,60,000 रुपये की थी जिसमें से 1,00,000 रु. की ब्रिकी उत्तरवर्ती ब्रिकी थी।

(ख) पंजीयत व्यापारियों को फार्म—‘सी’ पर माल की बिक्री 3,00,000 रुपये की गयी थी जिसमें से 60,000 रु. की बिक्री उत्तरवर्ती बिकी थी।

(ग) शेष बिक्री अन्य व्यक्तियों को बिना किसी घोषणा—पत्रों के की गई थी। इसमें से 2,00,000 रु. की बिकी ऐसे माल की थी जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यतया कर—मुक्त है।

यह मानते हुए कि फर्म द्वारा बेचे गये माल पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर की दर 12.5 प्रतिशत है, और फर्म द्वारा ग्राहकों से वसूल किया गया कर विक्रय राशि में शामिल नहीं है, इस फर्म की कर—योग्य ब्रिकी एवं उस पर देय केन्द्रीय बिक्री—कर की गणना कीजिये।

5. 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये भीलवाड़ा के एक पंजीकृत व्यापारी मैसर्स कोठारी एण्ड सन्स की निम्न सूचनाओं के आधार पर केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत देय—कर की गणना कीजिये, यदि ब्रिकी में केन्द्रीय ब्रिकी कर की राशि— (i) शामिल हो (ii) शामिल नहीं हो—

(1) राज्य के बाहर अन्य सरकारों को विक्रय (राज्य में इस माल पर की दर 4% है)	रु.
	10,00,000
(2) अघोषित माल का पंजीकृत व्यापारियों को 'C' फार्म पर विक्रय (ऐसे माल के विक्रय पर धारा-8(5) में सरकार द्वारा घोषित दर 1% है)	1,00,000
(3) अघोषित माल का पंजीकृत व्यापारियों को विक्रय, यह माल उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में नहीं लिखा हुआ है (राज्य में ऐसे माल के विक्रय पर 12.5% विक्रय कर लगता है)	2,50,000
(4) फार्म 'सी' पर पंजीकृत व्यापारियों को विक्रय। माल पुनः विक्रय हेतु दिया गया है जो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखा है।	15,00,000
(5) घोषित माल का अपंजीकृत व्यापारियों को विक्रय (राज्य में ऐसे माल के विक्रय पर 4 % विक्रय—कर लगता है)	5,00,000
(6) पुस्तकों का विक्रय (राजस्थान में कर मुक्त)	1,00,000
(7) कृषि औजारों का विक्रय (राजस्थान में कर मुक्त)	30,000
(8) पंजीकृत व्यापारी को अघोषित माल का विक्रय (राज्य में इस माल पर कर की दर 12.5% है)	76,500

उत्तर— (i) देय कर की राशि 1,24,372 रु. तथा (ii) देय—कर की राशि 1,31,813 रु.।

वर्ग (Section) C
अध्याय (Chapter) 12
व्यापारियों का पंजीकरण
(Registration of Dealers)

पंजीकरण के प्रकार (Types of Registration)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम की धारा—7 के अनुसार व्यापारियों का पंजीकरण दो प्रकार से होता है—

- (1) अनिवार्य पंजीकरण (Compulsory Registration)
- (2) ऐच्छिक पंजीकरण (Voluntary Registration)

1. अनिवार्य पंजीकरण [धारा—7(1)] (Compulsory Registration)

प्रत्येक ऐसे व्यापारी को जो केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कर के लिये दायी हो जाता है, पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

प्रत्येक ऐसा व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय विक्रय करता है अर्थात् उपयुक्त राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में कर—योग्य माल का विक्रय करके प्रेषित करता है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिये उत्तरदायी माना जाता है। ऐसे व्यापारी को प्रथम अन्तर्राज्यीय विक्रय के बाद 30 दिन के भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

चूंकि अन्तर्राज्यीय विक्रय में कर—दायित्व के दृष्टिकोण से कोई कर—मुक्त सीमा नहीं है, अतः इस बात का कोई महत्व नहीं है कि व्यापारी का विक्रय कितना है?

यदि कोई व्यापारी एक बार अपना पंजीकरण करवा लेता है तो, जब तक उसका पंजीकरण किसी कारण से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसको पंजीकृत व्यापारी ही माना जायेगा, चाहे अगले किसी वर्ष में उसका अन्तर्राज्यीय विक्रय शून्य ही क्यों न हो जाये।

2. ऐच्छिक पंजीकरण [धारा—7(2)] (Voluntary Registration)

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई भी व्यापारी स्वेच्छा से केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करवा सकता है यदि उसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य न हो:

(i) ऐसा व्यापारी जिस पर केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देय नहीं हो परन्तु वह संबंधित राज्य के विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी हो तो ऐसा व्यापारी स्वेच्छा से केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करवा सकता है।

(ii) यदि किसी राज्य में अथवा उसके किसी भाग में जहाँ पर राज्य का विक्रय—कर अधिनियम लागू नहीं होता है और ऐसे राज्य में अथवा उसके किसी भाग में किसी व्यापारी का व्यापार का स्थान है, तो ऐसा व्यापारी भी केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आवदेन कर सकता है।

अतः स्पष्ट है कि ऐसे व्यापारी का केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं हो सकता है जो न तो समुचित राज्य के कर—कानून के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायी है तथा न ही जिसने कभी अन्तर्राज्यीय विक्रय किया हो।

पंजीकरण की प्रक्रिया (Procedure of Registration)

- आवेदन करना—प्रत्येक ऐसे व्यापारी को जो अपना पंजीकरण अन्तर्राज्यीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत करवाना चाहता है, उसे समुचित राज्य में राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण के लिये आवेदन Form A में करना पड़ता है।
- आवेदन की समय—सीमा—इस प्रकार का आवेदन—पत्र अनिवार्य पंजीकरण की दशा में केन्द्रीय विक्रय—कर चुकाने के लिए जिस दिन दायित्व उत्पन्न हो पाता है उसके 30 दिन के अन्दर दिया जाना चाहिये। ऐच्छिक पंजीकरण के लिए कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे पंजीकरण के लिए व्यापारी कभी भी आवेदन कर सकता है।
- आवेदन पर हस्ताक्षर—पंजीकरण के आवेदन—पत्र पर एक एकाकी व्यापारी की दशा में व्यापार के स्वामी, साझेदारी फर्म की दशा में कोई भी एक साझेदार, हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के कर्ता, कम्पनी की दशा में उसका डायरेक्टर, मैनेजिंग ऐजेन्ट या मुख्य अधिकारी तथा सरकारी विभाग की दशा में उस सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- एक से अधिक व्यापार के स्थान होने पर—** यदि किसी व्यापारी के एक ही राज्य में एक से अधिक व्यापार के स्थान हैं तो वह समस्त स्थानों के लिए केवल एक ही पंजीकरण आवेदन—पत्र देगा। ऐसे आवेदन—पत्र में एक स्थान को मुख्य स्थान एवं शेष स्थानों को शाखा के रूप में दिखाया जाना चाहिये। केन्द्रीय विक्रय—कर हेतु घोषित मुख्य स्थान राज्य के लिये घोषित मुख्य स्थान से भिन्न नहीं हो सकता है।
- पंजीकरण के लिए फीस—पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित फीस 25 रुपये है। यह फीस प्रार्थना—पत्र पर 25 रुपये के मूल्य के कोर्ट फीस स्टाम्प चिपका कर दी जाती है। गोबा, दमन एवं डयू में रेवेन्यू स्टाम्प भी चिपकाये जा सकते हैं।
- पंजीकरण का प्रमाण—पत्र जारी करना—वह अधिकारी जिसे पंजीकरण के लिए आवेदन—पत्र दिया गया है यदि इस बात से संतुष्ट हो जाये कि पंजीकरण के लिये दिया गया आवेदन—पत्र अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार सही है तो वह अधिकारी आवेदनकर्ता का नाम पंजीकृत कर लेगा एवं उसे निर्धारित फार्म (Form-B) में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) जारी कर देगा। सामान्यतः पंजीकरण उस तिथि से प्रभावी माना जाता है जिस तिथि को पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु प्रथम अन्तर्राज्यीय ब्रिकी करने के बाद यदि पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये तो पंजीकरण प्रथम अन्तर्राज्यीय ब्रिकी करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
- करदाता पहचान पत्र (**Tax Payers Identification Number or TIN**) का जारी किया जाना—सक्षम निर्धारण अधिकारी पंजीकरण कराने वाले नये व्यापारियों को पंजीकरण के प्रमाण—पत्र के साथ इस प्रकार का करदाता पहचान पत्र (**TIN**) जारी करता है।
- प्रार्थना—पत्र को अस्वीकार करना—यदि अधिकारी यह समझता है कि पंजीकरण के आवेदन पत्र में— (i) सभी सूचनायें नहीं दी गई हैं या गलत सूचनायें दी गई हैं अथवा (ii) पूरे मूल्य के स्टाम्प नहीं लगाये गये हैं अथवा (iii) आवेदनकर्ता ने धारा 7(2A) के अन्तर्गत मांगी गई प्रतिभूति जमा नहीं कराई है, तो वह अधिकारी कारण लिखकर प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर देगा। परन्तु प्रार्थना—पत्र अस्वीकार करने से पूर्व व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवेदन—पत्र की कमियों को दूर करने का अवसर दिया जायेगा।
- पंजीकरण प्रमाण—पत्र का प्रदर्शन— पंजीकरण का मूल प्रमाण—पत्र व्यापारी के मुख्य स्थान पर एवं इस प्रमाण पत्र की एक—एक प्रतिलिपि राज्य के भीतर सभी व्यापारिक स्थानों पर रखी जायेगी, जहाँ जहाँ व्यापारी व्यापार करता है।
- प्रमाण—पत्र की डुप्लीकेट कॉपी— यदि पंजीकरण का मूल प्रमाण—पत्र गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है अथवा धुंधंला पड़ जाता है तो मूल्य परिवर्धित कर अधिकारी को प्रार्थना—पत्र देकर प्रमाण—पत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र पर 5 रुपये के कोर्ट—फीस के स्टाम्प लगाना आवश्यक है।
- प्रमाण—पत्र में संशोधन— केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम की धारा— 7 (4)(a) के अनुसार पंजीकरण के प्रमाण—पत्र में दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है।

(अ) व्यापारी द्वारा आवेदन करने पर— यदि व्यापारी अपने पंजीकरण के प्रमाण—पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहता है तो वह इस आशय का आवेदन—पत्र निर्धारित अधिकारी को देगा। आवेदन—पत्र के साथ उसके आवश्यक प्रमाण—पत्र भी नत्थी करने पड़ेगे। यदि निर्धारित अधिकारी आवेदन—पत्र में संशोधन हेतु दिये कारणों एवं प्रमाण पत्रों से संतुष्ट है तो वह पंजीकरण के प्रमाण—पत्र में आवश्यक संशोधन कर देगा।

(ब) निर्धारित अधिकारी द्वारा— यदि निर्धारित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि पंजीकृत व्यापारी के व्यापार का नाम, व्यापार का स्थान या व्यापार की प्रकृति बदल गई है अथवा व्यापार की वस्तुओं में परिवर्तन हो गया है या कोई ऐसा कारण हो गया है जिसकी वजह से प्रमाण—पत्र में संशोधन होना आवश्यक हो गया है तो व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्धारण अधिकारी पंजीयन प्रमाण—पत्र में संशोधन कर सकता है।

पंजीकरण के प्रमाण—पत्र को रद्द करना (Cancellation of Certificate of Registration)

पंजीकरण प्रमाण—पत्र को निम्न दो प्रकार से रद्द किया जा सकता है:

1. कर—निर्धारण अधिकारी द्वारा कुछ दशाओं में आवश्यक रूप से रद्द किया जाना।
2. व्यापारी द्वारा प्रार्थना—पत्र देने पर पंजीकरण को रद्द करना।

1. कर— निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से पंजीकरण रद्द किया जाना—

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा—7(4)(b) के अन्तर्गत कर—निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक व्यापारी का पंजीकरण रद्द कर सकता है—

- (i) यदि व्यापारी ने अपना व्यापार बन्द कर दिया हो।
- (ii) यदि व्यापारी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो अर्थात् एकाकी व्यापारी की मृत्यु हो गई हो अथवा कम्पनी का समापन हो गया हो।
- (iii) यदि व्यापारी बिना उचित कारण के धारा—7 (3—A) में दिये गये प्रतिभूति देने संबंधी आदेशों की पालना नहीं करता है।
- (iv) यदि व्यापारी धारा—7 (3—C) अथवा धारा—7(3—E) के अतिरिक्त प्रतिभूति देने संबंधी प्रावधानों की पालना नहीं करता है।
- (v) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय विक्रय—कर अथवा दण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर।
- (vi) संबंधित राज्य के विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी का पंजीकरण समाप्त हो जाने पर।
- (vii) अन्य किसी उचित कारण के आधार पर।

किसी भी व्यापारी के पंजीकरण रद्द करने से पूर्व कर—निर्धारण अधिकारी के लिए आवश्यक होता है कि वह सम्बन्धित व्यापारी को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे।

2. व्यापारी द्वारा प्रार्थना—पत्र देने पर पंजीकरण को रद्द करना—

यदि किसी पंजीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लगना बन्द हो जाता है तो वह इस अधिनियम की धारा 7(5) के अन्तर्गत कर—निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना—पत्र देकर अपना पंजीकरण रद्द करवा सकता है। पंजीकरण रद्द करवाने का प्रार्थना—पत्र वर्ष समाप्त होने से कम से कम 6 महीने पूर्व दिया जाना चाहिये। प्रार्थना—पत्र के साथ पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रतियोगी नत्थी की जानी चाहिये। यदि कर—निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि व्यापारी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लगना बन्द हो गया है तो वह प्रमाण—पत्र रद्द कर देगा। प्रमाण पत्र उस वर्ष की समाप्ति से रद्द माना जायेगा जिस वर्ष में रद्द करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था।

अभ्यासार्थ प्रश्न (Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न (Objective Answer Type Questions)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिये

(1) अनिवार्य पंजीकरण करवाया जाता है:

- (अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अन्तर्राज्यीय विक्रय करने का इरादा रखता हो।
- (ब) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अन्तर्राज्यीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी हो गया हो
- (स) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो राज्य विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी न हो।
- (द) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो राज्य के कर—कानून के अनुसार कर के भुगतान हेतु दायी हो ()

(2) ऐच्छिक पंजीकरण करवाया जाता है:

- (अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अन्तर्राज्यीय विक्रय करने का इरादा रखता हो।
- (ब) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अन्तर्राज्यीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी होता है।
- (स) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो राज्य विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी न हो।
- (द) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो राज्य के कर—कानून के अनुसार कर के भुगतान हेतु दायी हो। ()

(3) केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है:

- (अ) समुचित राज्य में राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी को
- (ब) समुचित राज्य में केन्द्र सरकार के अधिकारी को
- (स) किसी भी राज्य में उस राज्य सरकार के अधिकारियों को
- (द) उपयुक्त सभी अधिकारियों को। ()

उत्तरः— [1. (ब) 2. (द) 3. (अ)]

(ब) लघुतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions):

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत एक व्यापारी को पंजीकरण करवाना कब अनिवार्य होता है?
2. पंजीकरण की फीस कितनी है। इसका भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
3. किन्हीं दो परिस्थितियों का उल्लेख कीजिये जिनमें निर्धारण अधिकारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 7(4)(b) के अन्तर्गत किसी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त कर सकता है?
4. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रार्थना—पत्र अस्वीकृति के कोई दो कारण दीजिये।
5. अनिवार्य पंजीकरण की स्थिति में आवेदन देने की समय—सीमा बताइये।
6. केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम के अन्तर्गत फार्म—अ (A) का कब उपयोग किया जाता है?
7. एक व्यापारी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत ऐच्छिक पंजीकरण कब करवा सकता है?
8. किन परिस्थितियों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यापारी का पंजीकरण प्रमाण—पत्र रद्द किया जा सकता है?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions):

1. केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन की प्रक्रिया बताइये। किन कारणों से पंजीयन का प्रमाण—पत्र रद्द हो जाता है ?

वर्ग (Section) C

अध्याय (Chapter) 13

कर—निर्धारण की प्रक्रिया एवं कर का संग्रह

(Assessment Procedure and Collection of Tax)

केन्द्रीय विक्रय—कर माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर लगाया जाता है। यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा इसका संग्रह किया जाता है।

कर—निर्धारण की प्रक्रिया (Assessment Procedure)

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर—निर्धारण के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है—

(i) कर—निर्धारण अधिकारी—

केन्द्रीय विक्रय—कर उस राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है जिसकी सीमा से माल बाहर जाता है। उस राज्य सरकार के अधिकारी ही केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम में दिये गये नियमों एवं प्रावधानों का ध्यान रखते हुये, केन्द्रीय सरकार की ओर से कर का निर्धारण, कर तथा अर्थदण्ड की वसूली अथवा कर की वापसी के कार्य उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि वे अपने स्वयं के राज्य के विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हों।

यदि किसी राज्य में सामान्य विक्रय—कर नहीं लगाया जाता है तो उस राज्य के लिये केन्द्रीय सरकार नियम बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

(ii) विक्रय का विवरण दाखिल करना—

प्रत्येक करदाता व्यापारी को केन्द्रीय विक्रय—कर से संबंधित विक्रय का विवरण—पत्र या नकशा (Return) समुचित राज्य में लागू विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय का विवरण पत्र दाखिल करते समय ही प्रस्तुत करना चाहिये। यदि समुचित राज्य की बिक्री के सम्बन्ध में विवरण तिमाही भरा जाता है तो केन्द्रीय बिक्री के सम्बन्ध में भी तिमाही विवरणी भरना होगा। यदि राज्य की बिक्री के सम्बन्ध में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाती है तो केन्द्रीय बिक्री की विवरणी भी वार्षिक प्रस्तुत की जावेगी। विवरण—पत्र उसी विक्रय—कर अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जिसे राज्य से संबंधित विक्रय विवरण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के अधिकारी ही ऐसे व्यापारी पर केन्द्रीय सरकार की ओर से केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं वसूली का कार्य करते हैं।

(iii) विवरणी (Return) में प्रदान की जाने वाली जानकारियां—

केन्द्रीय विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण—पत्र के अनुसार व्यापारी को निम्नलिखित सूचनाएँ एवं जानकारियाँ विवरण—पत्र में देना आवश्यक है:

- (i) व्यापारी का नाम, पता एवं विवरणी की अवधि
- (ii) व्यापारी के आयकर का स्थायी खाता क्रमांक (PAN)
- (iii) व्यापारी की सभी शाखाओं के नाम व पते
- (iv) विवरणी अवधि की सकल विक्रय राशि (Gross Turnover)
- (v) राज्य के अन्दर की बिक्री, राज्य के बाहर की बिक्री एवं निर्यात बिक्री
- (vi) 6 माह के भीतर बिक्री की वापसी, नकद बट्टा, भाड़ा एवं सुपुद्गी व्यय की राशि जो अन्तर्राज्यीय बिक्री से सम्बन्धित हो।

- (vii) धारा 6(2) के अन्तर्गत उत्तरवर्ती बिक्री की कर—मुक्त राशि
 - (viii) धारा 8(2) के अन्तर्गत राज्य में सामान्य कर मुक्त माल की बिक्री की राशि
 - (ix) धारा 8 (5) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी को Form C के आधार पर की गयी कर—मुक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री की राशि।
 - (x) पंजीकृत व्यापारियों का फार्म—सी (Form-C) की घोषणा के आधार पर की गयी अन्तर्राज्यीय बिक्री की राशि।
 - (xi) पंजीकृत व्यापारियों के अलावा अन्य को की गयी अन्तर्राज्यीय बिक्री की राशि।
 - (xii) प्रत्येक बिक्री केसमूह पर केन्द्रीय विक्रय—कर की राशि जो बिक्री कर की विभिन्न दरों में अनुसार दिखायी जावे।
 - (xiii) राज्य विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत समायोजित (Set-off) की गयी राशि।
 - (xiv) केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत चुकाये गये कर की राशि चालानकी तिथि एवं कमांक।
 - (xv) केन्द्रीय विक्रय कर की वापसी योग्य (Refundable) राशि जिसका समायोजन किया जाना है।
- (iv) विवरण—पत्र का सत्यापन एवं हस्ताक्षर करना—** यह कार्य व्यापारी द्वारा किया जाता है।
- (v) विवरण—पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्र—**

व्यापारी को विवरण—पत्र के साथ फॉर्म X तथा फॉर्म VI संलग्न करना पड़ता है। फॉर्म X के साथ कर की जमा की गयी राशि के चालान की प्रति तथा फॉर्म VI के साथ उन पंजीकृत व्यापारियों की सूची देनी होती है जिन्हें अन्तर्राज्यीय बिक्री की गयी है।

(vi) विक्रय की अवधि—

विक्रय की अवधि वही मानी जायेगी, जिसके हिसाब से वह राज्य के विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत अपना विवरण—पत्र दाखिल करता है। परन्तु किसी व्यापारी पर यदि राज्य के विक्रय—कर अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं लग रहा हो तो ऐसे व्यापारी को त्रिमासिक विक्रय का विवरण—पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(vii) कर—निर्धारण की कार्यवाही—

व्यापारी के द्वारा विवरण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् संबंधित विक्रय—कर अधिकारी इस विवरण—पत्र पर उसी प्रकार कार्यवाही करता है जैसे वह सम्बन्धित राज्य के विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरण—पत्र पर करता है।

कर का संग्रह या वसूली (Collection of Tax)

केन्द्रीय विक्रय—कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु इस कर का संग्रह या वसूली उस राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिस राज्य से अन्तर्राज्यीय विक्रय के दौरान माल का गमन प्रारम्भ होता है। केन्द्रीय विक्रय—कर की वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं—

- (i)** एक ही राज्य में विक्रय के स्थान होने पर— कर की वसूली उस राज्य सरकार द्वारा ही की जायेगी जिस राज्य से अन्तर्राज्यीय विक्रय किया जाता है।
- (ii)** जब अलग—अलग राज्यों में व्यापार के स्थान हों—उस राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विक्रय—कर वसूल किया जायेगा जिस राज्य में अन्तर्राज्यीय विक्रय के दौरान माल का गमन प्रारम्भ होता है।

उदाहरण—

जयपुर के व्यापारी की शाखाएँ इन्दौर, अहमदाबाद और लखनऊ मे है। उसे नागपुर (महाराष्ट्र) के एक व्यापारी से क्यादेश जयपुर में प्राप्त होता है। इस आदेश को स्वीकृत किये जाने की सूचना जयपुर से नागपुर

भेजी जाती है, परन्तु माल की सुपुर्दगी इन्डॉर (मध्यप्रदेश) शाखा से की जाती है। इस विक्रय पर मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय विक्रय—कर वसूल करने का अधिकार होगा।

(iii) उत्तरवर्ती विक्रय की दशा में विक्रय—कर का संग्रह—यदि अन्तर्राज्यीय विक्रय या वाणिज्य के दौरान किया गया उत्तरवर्ती विक्रय कर मुक्त नहीं है, तो उस पर केन्द्रीय विक्रय—कर संग्रह निम्न प्रकार होगा—

(क) यदि माल घोषणा—पत्र (**Form-C**) के अन्तर्गत खरीदा गया हो—ऐसे व्यापारी द्वारा जारी किया गया घोषणा—पत्र, जिस राज्य का है उसी राज्य सरकार द्वारा उस माल के उत्तरवर्ती विक्रय पर कर की वसूली की जायेगी।

(ख) यदि माल घोषणा—पत्र (**Form-C**) के अन्तर्गत नहीं खरीदा गया हो—ऐसा व्यापारी उस माल के संबंध में जिस राज्य का घोषणा—पत्र (**Form -C**) जारी कर सकता था, उसी राज्य सरकार द्वारा उस माल के उत्तरवर्ती विक्रय पर कर की वसूली की जायेगी।

(ग) यदि उत्तरवर्ती विक्रय करने वाला व्यापारी पंजीकृत व्यापारी नहीं हो—उस माल के उत्तरवर्ती विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय—कर की वसूली उस राज्य द्वारा की जायेगी जिस राज्य से वह उत्तरवर्ती विक्रय किया गया है।

(iv) केवल पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कर का संग्रह—केता व्यक्ति से केन्द्रीय विक्रय—कर वसूल करने का अधिकार केवल पंजीकृत व्यापारी को ही होता है। यदि अंपंजीकृत व्यापारी अन्तर्राज्यीय विक्रय करते समय केन्द्रीय विक्रय—कर की राशि को माल के मूल्य में ही शामिल कर लेता है तथा अलग से बिल में नहीं दिखाता है तो इसे सही माना जायेगा।

(v) कर की राशि का उपसादन करना—इस अधिनियम के अन्तर्गत देय—कर, ब्याज, अर्थदण्ड, जुर्माना या वापसी को निकटतम रूपयों में उपसादित कर दिया जाता है। इसके लिये यदि कोई राशि पैसों में हो तो 50 पैसों से कम को छोड़ दिया जाता है और यदि 50 पैसे या 50 पैसों से अधिक हो तो उसे बढ़ाकर एक रुपये में परिवर्तित कर दिया जाता है।

परन्तु जब कोई व्यापारी अन्तर्राज्यीय विक्रय के दौरान किसी केता से केन्द्रीय विक्रय—कर वसूल करता है तो उस समय उपसादन का नियम लागू नहीं होता है।

(vi) संग्रहित कर का उपयोग— जो राज्य सरकार केन्द्रीय विक्रय—कर को केन्द्र सरकार की ओर से वसूल करती है, उस राज्य सरकार को ही यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिये दे दी जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल की गई राशि को भारत सरकार की संचित निधि में जमा करा दिया जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न (Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न (**Objective Answer Type Questions**)

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिये

(1) केन्द्रीय विक्रय कर.....लगाया जाता है:

- (अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा
 - (ब) राज्य सरकार द्वारा
 - (स) (अ) तथा (ब) दोनों द्वारा
 - (द) उपयुक्त में कोई नहीं।
- ()

(2) केन्द्रीय विक्रय कर.....वसूल किया जाता है:

- (अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा।
- (ब) जिस राज्य से माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होता है उस राज्य की सरकार द्वारा

(स) जिस राज्य में माल का अन्तर्राज्यीय गमन अन्त होता है उस राज्य की सरकार द्वारा।

(द) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ()

(3) केन्द्रीय विक्रय-कर की एकत्रित राशि का उपयोग किया जाता है:

(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा।

(ब) जिस राज्य से माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होता है उस राज्य की सरकार द्वारा

(स) जिस राज्य में माल का अन्तर्राज्यीय गमन अन्त होता है उस राज्य की सरकार द्वारा।

(द) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ()

(4) केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा संग्रहित की गयी केन्द्रीय बिक्री कर की राशि का उपयोग किया जाता है:

(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा।

(ब) जिस राज्य से माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होता है उस राज्य की सरकार द्वारा

(स) जिस राज्य में माल का अन्तर्राज्यीय गमन अन्त होता है उस राज्य की सरकार द्वारा।

(द) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा। ()

(5) केन्द्रीय विक्रय-कर का कर निर्धारण किया जाता है:

(अ) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा।

(ब) जिस राज्य से माल का अन्तर्राज्यीय गमन प्रारम्भ होता है उस राज्य की सरकार के अधिकारियों द्वारा

(स) जिस राज्य में माल का अन्तर्राज्यीय गमन अन्त होता है उस राज्य की सरकार के अधिकारियों द्वारा

(द) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा।

उत्तर [1 (अ) 2 (ब) 3 (ब) 4 (अ) 5 (ब)]

(ब) लघूतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. केन्द्रीय विक्रय कर किसके द्वारा लगाया जाता है तथा कौन इसकी वसूली करता है ?

2. राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किये गये केन्द्रीय विक्रय-कर की राशि को प्रयोग में लेने का अधिकार किसे प्राप्त है?

3. केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा संग्रहित की गई केन्द्रीय विक्रय-कर की राशि का प्रयोग कैसे किया जाता है?

4. यदि किसी व्यापारी के विभिन्न राज्यों में व्यापार के स्थान हों तब केन्द्रीय ब्रिकी कर वसूली का अधिकार किस राज्य का होगा?

5. केन्द्रीय विक्रयकर के उपसादन से आप क्या समझते हैं?

(स) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण करने एवं कर का संग्रहण करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजियें।

वर्ग (Section) C
अध्याय (Chapter) 14
निर्धारित प्रपत्र
(Prescribed Forms)

केन्द्रीय ब्रिकी-कर (पंजीकरण एवं विक्रय राशि) नियम, 1957 के अन्तर्गत प्रपत्र A,B,C,E-I,E-II, F,G,H,I तथा J निर्धारित किये गये हैं। किस कार्य के लिए कौन-सा प्रपत्र काम में आता है से संबंधित व्यवस्थाओं को इस अध्याय में विस्तार से समझाया जा रहा है।

1. प्रपत्र ‘ए’(Form-A) [पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र]—

इस प्रपत्र में केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराने के लिये आवेदन किया जाता है। यह आवेदन व्यापारी द्वारा किया जाता है। पंजीयन चाहे धारा-7(1) के अन्तर्गत अनिवार्य हो अथवा धारा-7(2) के अन्तर्गत ऐच्छिक, दोनों ही स्थितियों में इसी प्रपत्र में आवेदन किया जाता है।

2. प्रपत्र ‘बी’(Form-B)[पंजीकरण का प्रमाण-पत्र]—

इस प्रपत्र का प्रयोग पंजीयन के प्रमाण-पत्र के रूप में किया जाता है। पंजीयन चाहे अनिवार्य हो अथवा ऐच्छिक, दोनों ही स्थितियों में एक ही प्रकार के प्रपत्र (form-B) पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

3. प्रपत्र ‘सी’(Form-C)[पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल का क्रय करने पर जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र]—

यह घोषणा-पत्र एक पंजीयत व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल को क्रय करने पर विक्रेता व्यापारी को देता है। यह घोषणा-पत्र देने से विक्रेता व्यापारी पर रियायती दर से कर लगता है।

4. प्रपत्र E-I तथा E-II [माल की अन्तर्राज्यीय ब्रिकी करने वाले पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र]—

यह प्रमाण-पत्र अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर पंजीयन व्यापारी द्वारा जारी किया जाता है। प्रपत्र E-I प्रथम अन्तर्राज्यीय विक्रय करने वाले पंजीयत व्यापारी द्वारा केता पंजीयत व्यापारी को जारी किया जाता है।

जब एक व्यापारी प्रथम अन्तर्राज्यीय उत्तरवर्ती विक्रय करता है तब उसके द्वारा माल की प्रथम अन्तर्राज्यीय बिक्री करने वाले से प्रपत्र E-I एवं पंजीयन केता व्यापारी से फॉर्म-C लेने पर उसे केन्द्रीय विक्रय-कर से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या आगे की अन्तर्राज्यीय उत्तरवर्ती विक्रय करने पर प्रपत्र E-I के स्थान पर प्रपत्र E-II उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले पंजीयन व्यापारी से लिया जाता है। प्रपत्र E-I माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री करने वाले प्रथम विक्रेता द्वारा तथा प्रपत्र E-II माल की उत्तरवर्ती विक्रय करने वालों द्वारा जारी किया जाता है।

5. प्रपत्र ‘एफ’(Form-F)[बिना ब्रिकी के माल के अन्तर्राज्यीय गमन पर हस्तांतरिति व्यापारी द्वारा जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र]—

इस घोषणा-पत्र का प्रयोग राज्य के बाहर विक्रय हेतु माल भेजने पर किया जाता है। यह घोषणा-पत्र ऐजेण्ट या शाखा द्वारा माल भेजने वाले मुख्य व्यापारी को जारी किया जाता है। यह राज्य के बाहर माल भेजने का एक प्रमाण है। कर-निर्धारण के समय इसको प्रस्तुत करने पर उस माल के मुख्य व्यापारी पर केन्द्रीय विक्रय कर नहीं लगता है।

6. प्रपत्र ‘जी’(Form-G)[क्षतिपूर्ति बॉण्ड]—

यह प्रपत्र क्षतिपूर्ति बॉण्ड (Indemnity Bond) का प्रारूप है। यदि कोई घोषणा—पत्र अथवा प्रमाण—पत्र (Form-C, E-I, E-II अथवा F) खो जाये तो व्यापारी इस क्षतिपूर्ति बॉण्ड को भरकर कर—निर्धारण अधिकारी को देता है। इस बॉण्ड को भरने वाले व्यापारी द्वारा कर—निर्धारण अधिकारी को यह वचन दिया जाता है कि खोये हुये घोषणा—पत्र या प्रमाण—पत्र का दुरुपयोग किये जाने के कारण सरकार को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी।

7 प्रपत्र ‘एच’(Form-H)[निर्यात का प्रमाण—पत्र]—

यह निर्यात का प्रमाण—पत्र है। भारत की सीमाओं के बाहर माल का निर्यात करने वाले व्यापारी द्वारा यह प्रमाण—पत्र उस व्यापारी को दिया जाता है जिससे उसने इस उद्देश्य के लिए माल क्रय किया था। कोई भी निर्यातकर्ता व्यापारी इस प्रमाण—पत्र को उसी समय जारी कर सकता है जब उसे माल की पूर्ति करने वाला व्यापारी धारा—5 (3) के अन्तर्गत कर—मुक्ति के लिये अधिकृत हो। प्रत्येक सौदे के लिये प्रपत्र एच में अलग—अलग प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।

वह व्यापारी जिसने निर्यात करने वाले व्यापारी को माल बेचा था, अपने कर—निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस प्रपत्र (form-H) को प्रस्तुत कर देता है तो ऐसी बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगाया जाता है।

8 प्रपत्र ‘आई’(Form-I)[विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करने वाले व्यापारी द्वारा जारी किये जाने वाला प्रपत्र]—

धारा—8(8) के अन्तर्गत फार्म—I का उपयोग किया जाता है। यह प्रमाण—पत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई द्वारा अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, संचालन एवं रख—रखाव करने वाले अधिकृत व्यापारी द्वारा माल क्रय करने पर विक्रेता व्यापारी को भेजा जाता है।

इससे विक्रेता व्यापारी को केन्द्रीय बिक्री कर से कर—मुक्ति मिल जाती है।

9 प्रपत्र ‘जे’(Form-J)[विदेशी कूटनीतिक मिशन आदि के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के द्वारा जारी किये जाने वाला प्रपत्र]—

यह प्रमाण—पत्र भारत में किसी विदेशी कूटनीतिक मिशन या वाणिज्य दूत के कार्यालय या संयुक्त राष्ट्र या अन्य इसी प्रकार के किसी अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के पदाधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा वाणिज्य प्रतिनिधि अथवा राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा स्वयं के लिये अथवा मिशन आदि के लिये माल का क्रय करने पर जारी किया जाता है।

इससे विक्रेता व्यापारी को धारा—6(3) के तहत केन्द्रीय बिक्री कर से कर मुक्ति मिल जाती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न (Self Examination Questions)

(अ) वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न

(Objective Answer Type Questions):

प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर लिखिए:

- पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र हेतु प्रयुक्त किया जाता है:
 (अ) Form A (ब) Form B (स) Form C (द) Form J
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र में जारी किया जाता है:
 (अ) Form A (ब) Form B (स) Form C (द) Form J

3. पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल का क्रय करने पर जारी किया जाने वाला घोषणा पत्र.....है
(अ) Form A (ब) Form B (स) Form C (द) Form J
4. विदेशी कूटनीतिक मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा माल क्रय किये जाने के समय
..... जारी किया जाता है:
(अ) Form A (ब) Form B (स) Form C (द) Form J
5. Form H जारी किया जाता है:
(अ) अन्तर्राज्यीय विक्रय करने वाले पंजीकृत व्यापारी द्वारा।
(ब) राज्य में विक्रय किये जाने वाले पंजीकृत व्यापारी द्वारा।
(स) भारत से माल निर्यात करने वाले व्यापारी द्वारा भारत में माल क्रय करने पर।
(द) भारत से निर्यात करने पर पिदेशी क्रेता को
6. Form E-I जारी किया जाता है:
(अ) प्रथम उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले द्वारा।
(ब) प्रथम अन्तर्राज्यीय विक्रय करने वाले द्वारा।
(स) कोई भी उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले द्वारा
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं।
7. Form E-II जारी किया जाता है:
(अ) प्रथम उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले द्वारा
(ब) प्रथम अन्तर्राज्यीय विक्रय करने वाले द्वारा
(स) कोई भी उत्तरवर्ती विक्रय करने वाले द्वारा
(द) उपयुक्त में कोई भी नहीं।

उत्तरः— [1. (अ) 2. (ब) 3. (स) 4. (द) 5. (स) 6. (ब) 7. (स)]

(ब) लघूतरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत प्रयोग किये जाने वाले फार्म E-I तथा फार्म E-II के प्रमुख अन्तर को बताइये।
2. चिम्न पर सक्षिप्त टिप्पणियों लिखिये—
 - (i) फार्म— ‘सी’ (ii) फार्म—‘जी’(iii) फार्म— ‘एच’
3. फार्म F का उपयोग कब किया जाता है ?
4. फार्म ‘आई’ का उपयोग कब किया जाता है ?
5. क्या फार्म ‘जे’ में प्रमाण—पत्र एक व्यापारी द्वारा जारी किया जाता है ? यदि नहीं, तो फिर यह किसके द्वारा जारी किया जाता है ?

खण्ड—डी

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 अध्ययन की रूपरेखा

अध्याय – 1 परिचय एवं परिभाषाएँ

अध्याय – 2 कर भार एवं कर मुक्ति

अध्याय – 3 कर का देय होना एवं कर की दरें

अध्याय – 4 कर योग्य बिक्री का निर्धारण एवं कर की गणना

अध्याय – 5 व्यापारियों का पंजीकरण

अध्याय – 6 विवरणियां प्रस्तुत करना

अध्याय – 7 कर दायित्व का निर्धारण, भुगतान एवं कर की वसूलियां

अध्याय – 8 ब्याज अर्थदण्ड एवं अभियोजन

अध्याय – 9 अपील पुनर्विचार एवं समायोजन

अध्याय – 10 मूल्य परिवर्धित कर प्राधिकारी एवं उनके अधिकार

अध्याय—1 परिचय एवं परिभाषाएँ

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर क्या है, इस अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

मूल्य परिवर्धित कर एक कानून है जिसके द्वारा राज्य में माल के विक्रय एवं क्रय पर कर को लगाने, एकत्रित करने एवं मूल्य परिवर्धन पर कर का प्रभार हेतु जारी किया गया है। मूल्य परिवर्धित कर विक्रय कर का एक संशोधित रूप है, जिसमें उत्पादन एवं विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर कर की गणना की जाती है तथा कर जो पूर्व में भुगतान किया जा चुका है का समायोजन भुगतान किये जाने वाली राशी से किया जाता है। इस प्रकार इस रूप में मूल्य परिवर्धित कर वस्तुओं के मूल्य में शुद्ध की गई वृद्धि पर भुगतान किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भार अन्तोगत्वा उपभोक्ता को वहन करना होता है। मूल्य परिवर्धित कर की गणना बिक्री पर देय कर अर्थात् आगम कर (Output Tax) में से खरीद पर देय कर अर्थात् आदान कर (Input Tax) को घटाकर की जाती है।

उदाहरण के लिए एक पंजीकृत व्यापारी कुछ माल एक हजार रुपये में खरीदता है एवं उस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान करता है। वह इस माल को संवर्धित करने पर 800 रुपये खर्च करता है एवं अपने लाभ का 200 रुपये जोड़कर 2000 रुपये में बेच देता है। यह मानते हुए कि बेचे गये माल पर वैट कर की दर 10 प्रतिशत है, व्यापारी द्वारा भुगतान किये जाने वाली कर की राशि की निम्न प्रकार गणना की जावेगी।

1 – क्रय मूल्य –	रु0	1000
------------------	-----	------

2 – भुगतान किया गया आदान कर	रु0	40
-----------------------------	-----	----

3 – पंजीकृत व्यापारी का विक्रय मूल्य	रु0	2000
4 – उपभोक्ता से वसूल कर की राशि 10 प्रतिशत की दर से	रु0	200
5 – पंजीकृत व्यापारी को सरकार को देय कर की राशि (4–2)	रु0	160

मूल्य परिवर्धित कर का परिचय

राजस्थान सरकार द्वारा विक्रय पर मूल्य परिवर्धित कर के सिद्धांत को लागू करने की सहमति देते हुए 1 अप्रैल 2003 से मूल्य परिवर्धित कर कानून का मसौदा तैयार कर जनता के सामने संशोधन एवं सुझाव हेतु प्रस्तुत किया गया परन्तु इसमें आने वाली कई समस्याओं एवं कठिनाईयों के कारण कई चक्रों की वार्ता की गई एवं प्रत्येक बार राज्य में इसे लागू करने की तिथि आगे बढ़ती रही। अन्त में मूल्य परिवर्धित कर 1 अप्रैल 2006 से संशोधित रूप में राजस्थान में लागू किया गया।

मूल्य परिवर्धित कर प्रणाली राजस्थान में 1 अप्रैल 2006 से लागू हुई, इस हेतु लागू किये गये कानून का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2003 है इसमें 11 अध्याय एवम् 100 धाराएं हैं।

कर की न्युनतम दरें

सामान्य विक्रय कर प्रणाली में कर की अलग-अलग दरें थी, अलग-अलग प्रकार के विक्रय पर कर की दरें भी भिन्न-भिन्न थी यहां तक की एक ही प्रकार की वस्तु के निर्माण के अलग-अलग स्तर पर विक्रय पर भिन्न-भिन्न दरों से कर चुकाना होता था, परन्तु इस अधिनियम में मुख्यतः कर की केवल दो ही दरें प्रस्तावित की गई हैं— (1) 4 प्रतिशत की दर एवं (2) 12•5 प्रतिशत की दर। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में लगभग 550 वस्तुएं इन 2 दरों के अन्तर्गत आती हैं जिसमें से लगभग 270 वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य ने उक्त प्रकार की वस्तुओं पर एक सामान्य दर 4 प्रतिशत की अधिकृत कर रखी है। उपरोक्त वस्तुओं में अधिकतर वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जो सामान्य उपयोग के प्रकार की हैं जैसे दवाईया, कृषि एवं औद्योगिक आदान, पूंजीगत सामग्री एवं घोषित माल।

शेष अन्य वस्तुओं पर 12•5 प्रतिशत कर की दर लागू है। इन दरों के अलावा एक अन्य दर सोने, चॉटी व इनके आभूषण, बहूमूल्य पत्थर एवं नगीनों इत्यादि पर कर की दर 1 प्रतिशत है। कुछ अन्य वस्तुओं पर विशेष दर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक भी अधिसूचित की गई है। इनके अलावा कुछ वस्तुओं पर कर की दर शून्य प्रतिशत भी है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

राजस्थान में मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, दिनांक 1 अप्रैल 2006 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये विभिन्न विशिष्ट शब्दों के अर्थ की जानकारी किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में कुल 45 विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जिसका उपयोग अधिनियम में उसी अर्थ में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं :—

1. व्यवसाय {धारा 2(6)}

व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है—

- (अ) कोई भी व्यापार, वाणिज्य अथवा निर्माण कार्य; अथवा
- (आ) व्यापार, वाणिज्य अथवा निर्माण की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य अथवा व्यवस्था;

इसमें यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य या अन्य कोई साहसिक कार्य या व्यवस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किये जाते हो अथवा ऐसा व्यापार, वाणिज्य निर्माण कार्य, साहसिक कार्य अथवा व्यवस्था से कोई लाभ हो हीं; अथवा

(इ) कोई भी व्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य, साहसिक कार्य अथवा व्यवस्था से संबंधित हो अथवा प्रासंगिक हो अथवा आनुसांगिक अथवा सहायक हो; अथवा

(ई) कोई भी व्यवहार जो ऐसे व्यवसाय के प्रारम्भ होने अथवा बन्द होने से संबंधित हो अथवा प्रासंगिक हो अथवा सहायक हो; अथवा

(उ) कोई भी आकस्मिक व्यवहार जो व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य, साहसिक कार्य अथवा व्यवस्था की प्रकृति का हो। ऐसे कार्य में निरन्तरता, नियमितता, आवृति अथवा मात्रा का होना आवश्यक नहीं है।

व्यवसाय शब्द की उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर व्यवसाय शब्द के निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं:-

(1) कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण अथवा साहसिक कार्य अथवा ऐसा ही कोई अन्य कार्य जो व्यापार, वाणिज्य अथवा निर्माण की प्रकृति का हो इस अधिनियम के तहत व्यवसाय माना जावेगा।

(2) ऐसा कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण अथवा साहसिक कार्य अथवा इसी प्रकार का कोई भी व्यवहार चाहे वह लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो अथवा नहीं अथवा लाभ हुआ हो या नहीं हुआ हो या हानि हुई हो व्यवसायिक किया ही माना जावेगा।

इस अधिनियम के तहत दी गई व्यवसाय की परिभाषा में लाभ या हानि के तत्व से कर निर्धारण का कोई संबंध नहीं है क्योंकि मूल्य परिवर्धित कर का उद्देश्य सभी प्रकार के क्य विक्रय पर कर लगाना है, चाहे उससे लाभ हुआ हो, नहीं हुआ हो अथवा हानि हुई हो। अतः व्यवसायिक कियाओं में लाभ होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं होता है।

(3) कोई भी ऐसा व्यवहार या लेन देन जो किसी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण अथवा साहसिक कार्य या उसके सहायक कार्य से संबंधित हो व्यवसाय माना जावेगा।

उदाहरण:- एक अनाज का व्यापारी धी के बदले अनाज बेचता है तथा बाद में धी को बेच देता है। यद्यपि धी बेचना उसका मुख्य व्यवसाय नहीं है परन्तु यह किया उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित है, अतः इस व्यक्ति द्वारा धी की बिक्री भी व्यवसायिक किया ही मानी जावेगी।

(4) कोई भी व्यवहार किसी व्यवसाय के प्रारम्भ करने अथवा उसके बन्द होने से संबंधित है अथवा किसी भी रूप में उसका सहायक है तो ऐसा व्यवहार भी व्यवसाय की परिभाषा में सम्मिलित होगा।

(5) व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य अथवा साहसिक प्रकृति का कोई भी लेन देन चाहे वह आकस्मिक भी है व्यवसाय माना जावेगा इसमें सौदे का मूल्य, व्यवहार की नियमितता, व्यवहार की निरन्तरता या उसकी आवृत्ति का कोई महत्व नहीं है जैसे एक व्यक्ति कुछ सामग्री निलामी में क्य करता है एवं उसे एक वर्ष में केवल 4 बार में विक्रय कर देता है तथा एक अच्युत स्थान पर निलामी में कुछ सामग्री क्य करता है तो भी यह व्यवहार व्यवसाय की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार व्यवसाय कहलायेगा।

इस अधिनियम में व्यवसाय की परिभाषा में व्यापार, वाणिज्य एवं व्यवसाय तीनों को सम्मिलित कर दिया गया है एवं कर निर्धारण हेतु इन तीनों में कोई अन्तर नहीं किया गया है।

2. पूंजीगत माल { धारा 2 (7) }

पूंजीगत माल से आशय निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाले संयत्र एवं मशीनरी तथा इनके कल-पुर्ज एवं उप साधनों से है।

3. आकस्मिक व्यापारी { धारा 2 (8) }

आकस्मिक व्यापारी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं, अभिकर्ता के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में, किसी विशेष वस्तुओं का, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्दिष्ट की गई हो, क्य, विक्रय, आपूर्ति तथा वितरण अथवा इसी प्रकार की व्यवसाय की प्रकृति के व्यवहार, कभी कभी आकस्मिक रूप से करता है। ये व्यवहार नगद में, स्थगित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले किये जा सकते हैं।

4. ठेकेदार { धारा 2 (10) }

ठेकेदार अथवा अनुबंधकर्ता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो एक कार्य-अनुबंध को निष्पादन करने का कार्य करता है। इसमें उप अनुबंधकर्ता अथवा ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे धारा 77 के अधीन अनुबंध दिया गया है।

धारा 77 के अन्तर्गत चैक पोस्ट पर कर एकत्रित करने का अनुबंध दिया जाता है।

5. व्यापारी { धारा 2 (11) }

व्यापारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चाहे नगद या स्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले माल को खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने अथवा वितरण करने का व्यवसाय करता है अथवा स्वयं के लिए या दूसरों के लिए क्य क्रिय करता है। इसमें निम्न व्यक्ति समिलित है :—

(अ) एक आढ़तिया, दलाल, कमीशन ऐजेंट अथवा अन्य कोई व्यापारिक ऐजेण्ट जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जो किसी प्रधान की ओर से माल को खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने अथवा वितरण करने का व्यवसाय करता है।

(आ) एक निलामीकर्ता, जो किसी प्रधान का माल बेचता है अथवा निलामी करता है इसमें यह भी आवश्यक नहीं कि क्रेता के प्रस्ताव को वह स्वयं स्वीकार करें। सम्भावित क्रेता का प्रस्ताव स्वयं प्रधान अथवा उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है।

(इ) एक अनिवासी व्यापारी का मैनेजर अथवा ऐजेण्ट जो ऐसे व्यापारी के लिए माल का क्रिय-विक्रिय करता है, आपूर्ति करता है।

(ई) कोई क्लब, ट्रस्ट, समिति अथवा समुदाय, चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं, जो सदस्यों से माल खरीदता है अथवा उनको माल बेचता है।

(उ) एक आकस्मिक व्यापारी ।

(ऊ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा इनका कोई विभाग अथवा कार्यालय जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार से माल का क्रिय, विक्रिय, आपूर्ति अथवा वितरण करता है, चाहे यह कार्य व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में किया गया हो अथवा अन्य प्रकार से किया गया हो, ऐसा क्रिय, विक्रिय, आपूर्ति अथवा वितरण नगद अथवा उधार हो, इसके लिए कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक है।

(ए) कोई भी व्यापारिक, वाणिज्यिक अथवा आर्थिक उपकरण जैसे बैंक, बीमा कम्पनी, यातायात कम्पनी अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई उपकरण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल का क्रिय, विक्रिय, आपूर्ति अथवा वितरण करते हो चाहे यह कार्य उनके व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के रूप में किया गया हो अथवा अन्य किसी भी रूप में किया गया हो। ऐसा क्रिय, विक्रिय, आपूर्ति अथवा वितरण नगद अथवा उधार हो, इसके लिए कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण — यदि कोई व्यक्ति स्वयं की भूमि पर या किरायेदार के रूप में भूमि पर उगाई गई कृषि अथवा बागवानी उत्पादन का विक्रिय करता है, तो वह इस अधिनियम के अनुसार व्यापारी की श्रेणी में नहीं है।

6. मुक्त रखा माल { धारा 2 (13)}

मुक्त रखा माल से आशय इस अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया माल है।

7. फर्म , पार्टनर, और भागीदारी { धारा 2 (14)}

फर्म, पार्टनर और भागीदारी से आशय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में परिभाषित अर्थ से है।

8. माल { धारा 2 (15)}

माल से आशय मुद्रा, अखबार, कार्यवाही योग्य दावे, अंश, ऋणपत्र, स्कंध तथा प्रतिभूतियों को छोड़कर समस्त प्रकार की चल सम्पत्तियों से है, चाहे वे मूर्त हो अथवा अमूर्त, तथा इसमें किसी प्रकार के कार्य अनुबंध के निष्पादन में प्रयोग किये जाने वाले सभी पदार्थ, वस्तुएं एवं जिन्स, पशुधन तथा अन्य ऐसी सभी वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हो अथवा भूमि का हिस्सा हो अथवा जिनको बिक्री से पूर्व अथवा बिक्री अनुबंध के तहत पृथक करने का अनुबंध किया गया हो, समिलित किया गया है।

अखबार में समस्त प्रकार के दैनिक सप्ताहिक पाक्षिक मासिक अथवा वार्षिक समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो सामान्य रूची के हो, समिलित हैं अतः यह माल नहीं है, परन्तु अखबार की रद्दी तौल के रूप में बेची जाती है अतः माल है। किसी विषय विशेष अथवा उस विषय के विशेषज्ञ की रूची वाले प्रकाशनों को अखबार नहीं माना जाता है अतः इनको माल माना जावेगा, जैसे वर्कीलों के लिए कानून पत्रिकाओं का प्रकाशन।

निम्न चल सम्पत्तियां माल मानी जाती है :—प्रार्थना पत्र के प्रपत्र, पशु—पक्षी जो पिंजरे में रखे जाते हैं, स्वत्त्वःअधिकार, पुराने सिक्के, जिनका क्य विक्रय धातु के रूप में होता है।

9. आयात कर्ता { धारा 2 (16) }

आयातकर्ता से आशय ऐसे व्यापारी से है जो राज्य के भीतर बिकी करने अथवा बिकी के लिये माल के विधियन अथवा निर्माण में प्रयोग करने के लिये राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाता है अथवा मंगवाता है अथवा जिसे राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल भेजा जाता है।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर आयातकर्ता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है —

- (अ) वह एक व्यापारी होना चाहिये, यदि वह व्यक्ति व्यापारी नहीं है तो उसे आयातकर्ता नहीं कहा जायेगा।
- (आ) उसके द्वारा माल मंगवाने का उद्देश्य या तो ऐसे माल की बिकी करने का होना चाहिये अथवा बिकी के लिये माल के विधियन अथवा निर्माण में प्रयोग करने का होना चाहिये।
- (इ) माल राजस्थान राज्य के बाहर से राजस्थान में आना चाहिये।
- (ई) ऐसा व्यापारी जिसे राज्य के बाहर से किसी स्थान से माल भेजा गया है, आयातकर्ता माना जायेगा, ऐसा माल आदेश के फलस्वरूप अथवा बिना आदेश के भेजा जा सकता है।

10. आदान कर { धारा 2 (18) }

आदान कर अथवा इनपुट टैक्स से आशय ऐसे कर से है जो एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान दूसरे पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदने पर भुगतान किया जाता है या भुगतान किया जाना है। अन्य शब्दों में एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल क्य किया जाता है तो विक्रेता व्यापारी को उस माल के क्य पर जो कर भुगतान किया जाता है, मूल्य परिवर्धन कर प्रणाली में उसे ही आदान कर कहा जाता है।

11. आगम कर { धारा 2 (24) }

आगम कर या आउटपुट टैक्स वह कर है जो एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान माल के विक्रय करने पर इस अधिनियम के तहत वसूल किया गया है अथवा वसूल किये जाने योग्य है। अन्य शब्दों में एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल विक्रय पर कंता से उस माल के विक्रय पर जो कर वसूल किया जाता है, मूल्य परिवर्धन कर प्रणाली में उसे ही आगम कर कहा जाता है।

12. पट्टा { धारा 2 (19) }

पट्टे से आशय किसी ऐसे अनुबंध या प्रबन्ध से है जिसके अन्तर्गत माल को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। ऐसा हस्तान्तरण किसी निश्चित अवधि के लिये नकद, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले होता है परन्तु इसके अन्तर्गत स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होना चाहिये। पट्टे में उप—पट्टा भी सम्मिलित है, परन्तु किराया क्य पद्धति अथवा किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत हस्तान्तरण सम्मिलित नहीं है। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर पट्टे के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार है—

- (अ) यह दो व्यक्तियों के मध्य एक अनुबंध या प्रबन्ध है।
- (आ) इसके अन्तर्गत माल को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- (इ) ऐसा हस्तान्तरण निश्चित अवधि के लिए होता है।
- (ई) ऐसा हस्तान्तरण नकद, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले होता है।
- (उ) इस प्रकार के हस्तान्तरण के अन्तर्गत स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होना चाहिये।
- (ऊ) इसमें उप—पट्टा भी सम्मिलित है।
- (ए) इस प्रकार के हस्तान्तरण में किराया क्य पद्धति अथवा किस्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत किया गया हस्तान्तरण सम्मिलित नहीं है।

13. पट्टेदार { धारा 2 (20)}

पट्टेदार से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसको पट्टे के अन्तर्गत किसी माल के किसी उद्देश्य के लिये प्रयोग करने का अधिकार हस्तान्तरित किया जाता है।

14. पट्टेदाता { धारा 2 (21)}

पट्टेदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा पट्टे के अन्तर्गत किसी माल को, किसी उद्देश्य के लिये, प्रयोग करने का अधिकार पट्टेदार के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाता है।

15. निर्माण { धारा 2 (22)}

निर्माण में माल के विधियन की प्रत्येक विधि सम्मिलित है जिसमें एक व्यावसायिक रूप से भिन्न तथा स्पष्टतया एक अलग ही प्रकार की वस्तु अस्तित्व में आ जाती है। परन्तु इसमें ऐसे निर्माण कार्य अथवा विधियन प्रक्रिया या विधि सम्मिलित नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाये। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार ने किसी भी निर्माण प्रक्रिया को निर्माण की परिभाषा से अलग रखने का अधिकार अपने पास रख लिये है और जब भी वह किसी निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिसूचना निकालेगी, वह प्रक्रिया निर्माण कार्य नहीं मानी जायेगी।

सामान्यतः निर्माण से आशय किसी कच्चे माल पर विधियन के अन्तर्गत श्रम अथवा शक्ति लगाकर प्रयोग के लिये एक नये आकार, गुण या लक्षण वाली एक भिन्न प्रकार की वस्तु के उत्पादन से होता है। परन्तु अधिनियम में इस शब्द के क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक बना दिया गया है। इससे माल के विधियन की प्रक्रिया में या माल को एकत्रित करने, तत्त्व निकालने अथवा तैयार करने की किसी भी विधि या प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये सभी विधियन की विधियाँ हैं। निर्माण कार्य में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है—

(अ) कोई मूल वस्तु होनी चाहिए जिसे कच्चा माल कहा जाता है।

(आ) कोई ऐसी विधि अथवा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जिससे मूल वस्तु में परिवर्तन हो; तथा

(इ) ऐसी प्रक्रिया अथवा विधि के परिणामस्वरूप मूल वस्तु एक नई वस्तु में बदल जाये और उस तैयार वस्तु के गुण व आकार—प्रकार मूल वस्तु से भिन्न हो। यदि उस प्रक्रिया से मूल वस्तु के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रक्रिया को निर्माण कार्य नहीं कहा जायेगा।

16. अनिवासी व्यापारी { धारा 2 (23)}

अनिवासी व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से है जो राज्य के भीतर किसी माल का क्य या विक्रय करता है परन्तु जिसका राज्य में कोई निश्चित व्यापार का स्थान अथवा निवास नहीं है।

इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा व्यापारी जिसका राज्यस्थान राज्य में न तो कोई निश्चित व्यापार का स्थान है तथा न ही राज्य में कोई निश्चित निवास स्थान है परन्तु जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा दलाल या आडतियों के माध्यम से राज्य में माल का क्य या विक्रय करता है तो ऐसे व्यापारी को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये अनिवासी व्यापारी कहा जायेगा चाहे वह सामान्य रूप से राजस्थान राज्य में रहता हो अथवा अन्य किसी राज्य में रहता हो।

17. व्यापार का स्थान { धारा 2 (26)}

व्यापार का स्थान से आशय राजस्थान राज्य में किसी ऐसे स्थान से है जहाँ व्यापारी माल का क्य या विक्रय करता है तथा इसमें निम्न स्थान भी सम्मिलित हैं—

(अ) कोई भी वेयरहाउस, गोदाम या अन्य कोई स्थान जहाँ व्यापारी माल का संग्रह करता है;

(ब) कोई भी ऐसा स्थान जहाँ व्यापारी माल का विधियन करता है, उत्पादन करता है या निर्माण करता है;

(स) कोई भी ऐसा स्थान जहाँ व्यापारी अपने हिसाब—किताब की पुस्तकें, रजिस्टर तथा प्रपत्र रखता है; तथा

(द) कोई भी वाहन अथवा परिवाहक जिसमें माल संग्रह किया जाता है या जिसमें व्यापार चलाया जाता है।

प्रत्येक व्यापारी को अपने पंजीकरण के लिये आवेदन में किसी एक स्थान को व्यवसाय का मुख्य स्थान घोषित करना होगा और उसके अन्तिम खातें, वार्षिक विवरण, रजिस्टर तथा प्रपत्र आवश्यक रूप से इसी स्थान पर रखने होंगे।

18. व्यक्ति { धारा 2 (25) }

व्यक्ति से आशय किसी व्यष्टि, संघ अथवा व्यक्तियों के समुदाय से है जिसमें एक हिन्दू अविभाजित परिवार, संयुक्त परिवार, फर्म, कम्पनी(चाहे सम्मिलित हो अथवा असम्मालित), सहकारी समिति, प्रन्यास, क्लब, संस्था, एजेन्सी, निगम, एक स्थानीय सत्ता, सरकार का एक विभाग अथवा कोई कृत्रिम या न्यायिक व्यक्ति सम्मिलित है।

19. क्रय मूल्य { धारा 2 (28) }

क्रय मूल्य से आशय एक व्यापारी द्वारा खरीदे गये माल के लिये मूल्यवान प्रतिफल के रूप में देय अथवा दी गई राशी से है, जिसमें समस्त सहायक एवं प्रासंगिक खर्च तथा देय कानूनी फीस या शुल्क शामिल है परन्तु इस अधिनियम के तहत देय कर सम्मिलित नहीं है।

19. कच्चा माल { धारा 2 (29) }

कच्चे माल से आशय एक ऐसी वस्तु से है जो अन्य किसी माल के निर्माण में एक अंश के रूप में प्रयोग की जाती है तथा इसमें निर्माण विधि में काम आने वाला विधियन पदार्थ, उपभोग, सामग्री, ईंधन, सुरक्षा करने वाला पदार्थ तथा तेल सम्मिलित है।

20. पंजीकृत व्यापारी { धारा 2 (30) }

पंजीकृत व्यापारी से आशय उस व्यापारी है जिसका इस अधिनियम के तहत व्यापारी के रूप में पंजीकरण किया गया है अथवा करने हेतु आवेदन किया है।

21. पुनःबिकी { धारा 2 (32) }

पुनःबिकी से आशय खरीदे गये माल की ऐसी बिकी से है जो इस पर बिना निर्माण सम्बन्धी किया किये ही की जाती है।

22. प्रति देय कर { धारा 2 (33) }

प्रति देय कर से आशय आदान कर के उस भाग से है जिसकी जमा इस अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों की अवहेलना कर प्राप्त की गई हो।

23. बिकी { धारा 2 (35) }

बिकी से आशय नकद, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के रूप में सम्पत्ति के प्रत्येक हस्तान्तरण से है। इसमें माल का बन्धक, माल का रहन, प्रभार तथा गिरवी के आधार पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्मिलित नहीं है। परन्तु बिकी में निम्न हस्तान्तरण सम्मिलित है –

(अ) किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पत्ति के रूप में माल के हस्तान्तरण को छोड़ कर किसी भी प्रकार नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदलें माल के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण;

(आ) एक कार्य अनुबन्ध अथवा अनुबन्ध के निष्पादन के दौरान माल के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण;

(इ) किराया क्रय पद्धति अथवा किश्त भुगतान पद्धति के आधार पर माल को सुपुर्दगी;

(ई) नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदलें किसी भी उद्देश्य के लिये माल के प्रयोग करने के अधिकार का हस्तान्तरण। ऐसा हस्तान्तरण चाहे निश्चित अवधि के लिये ही क्यों न हो;

(उ) नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी प्रतिफल के बदले किसी असम्मालित संघ अथवा व्यक्तियों के समुदाय द्वारा माल की आपूर्ति;

(ज) नकद, स्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले, सेवा के रूप में, सेवा के भाग के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में, ऐसे माल की आपूर्ति जो खाद्य पदार्थ अथवा मानव उपभोग की अन्य कोई वस्तु अथवा पेय पदार्थ हो। यह आवश्यक नहीं की वह पेय पदार्थ मादक पेय ही हो;

उपर्युक्त वर्णित हस्तान्तरण, सुपुर्दगी अथवा आपूर्ति को बिकी माना जायेगा तथा कय का आशय भी उसी के अनुरूप माना जायेगा। यदि कोई माल पैकिंग कर बेचा गया है तो यह माना जायेगा कि पैकिंग का सामान भी सम्बन्धित माल के साथ ही बेचा गया है एवं उसे भी बिकी का भाग माना जायेगा।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत बिकी शब्द का आशय बहुत ही विस्तृत है एवं परिभाषा के अनुसार बिकी के निम्न लक्षण हैं –

1 – हस्तान्तरित वस्तु का माल होना आवश्यक है चाहे वह माल समझौते के समय अस्तित्व में हो अथवा समझौते के फलस्वरूप उत्पादन किया हो अथवा कय करके विक्रय किया हो। दी गई सेवायें माल की श्रेणी में नहीं आती है।

2 – बिकी पूरा होने के लिए यह आवश्यक है कि माल के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को हो। यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हुआ है तो यह विक्रय नहीं है।

3 – बिकी पूरा होने के लिये माल का स्वामित्व हस्तान्तरण होना आवश्यक है, यदि माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को नहीं होता है तो बिकी नहीं माना जायेगा। किराया कय पद्धति में प्रारम्भ में माल का हस्तान्तरण होता है एवं स्वामित्व का हस्तान्तरण माल की किस्त पूरी होने पर ही होता है परन्तु इसे प्रारम्भ से ही बिकी मान लिया जाता है, इसी प्रकार किस्त भुगतान पद्धति में माल एवं स्वामित्व का हस्तान्तरण साथ-साथ हो जाता है, परन्तु प्रतिफल किश्तों में भुगतान होता है। माल को बन्धक रखना, रहन रखना, गिरवी रखना इत्यादि में स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होता है अतः बिकी नहीं माना जाता है।

4 – बिकी के लिए यह आवश्यक है कि दो पक्ष हो एक क्रेता एवं दूसरा विक्रेता, एक व्यापारी द्वारा स्वयं के एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल का हस्तान्तरण, माल को प्रेषण पर भेजना इत्यादि विक्रय नहीं है, स्वयं के निजी उपयोग हेतु दुकान से माल लेना भी बिकी नहीं माना जाता है।

5 – बिकी के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों के मध्य कय-विक्रय का अनुबंध हो, इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होने चाहियें, यह अनुबंध लिखीत या मौखिक हो सकता है। उचित मूल्यों की दुकानों पर सरकारों द्वारा उपभोक्ता सामग्री का विक्रय के संबंध में यद्यपि वैध अनुबंध के लक्षण यथा स्वतंत्र सहमति आवश्यक नहीं होती है परन्तु फिर भी उसे कय-विक्रय ही माना जाता है।

6 – बिकी के लिए यह आवश्यक है कि माल का हस्तान्तरण मूल्यवान प्रतिफल के बदलें हो। माल को दान में देना, भेंट स्वरूप देना बिकी नहीं माना जाता है।

7 – व्यक्तियों का समूह, समिति (चाहे वह समामेलित हो या नहीं) उसके द्वारा अपने सदस्यों को माल का विक्रय बिकी की श्रेणी में आता है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की बिकीयों पर कर नहीं लगता है, केवल निम्न प्रकार की बिकी ही कर योग्य होती है –

- (अ) ऐसा माल जो इस अधिनियम की धारा 2(35) के अनुसार माल की बिकी हो,
- (ब) वह बिकी व्यापारी के द्वारा की गई हो,
- (स) वह बिकी उस व्यापारी के व्यवसाय से संबंधित हो अथवा सहायक कार्य हो,
- (द) वह बिकी राजस्थान राज्य के अधीन हुई हो अथवा राजस्थान राज्य के अन्दर मानी गई हो,
- (य) अनुबंध माल की बिकी के लिए हो, सेवा के लिए नहीं,
- (र) एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए उपयोग की गई सामग्री को पुराने होने पर बेचने पर बिकी तो है परन्तु व्यापारी द्वारा बिकी न होने के कारण कर योग्य नहीं होती है।

(ल) माल को क्य कर उस पर निर्माण कार्य कर बेचने पर कर योग्य विक्रय माना जाता है परन्तु ग्राहक के माल पर सेवायें देकर कार्य करना बिकी नहीं कहलाता, बल्कि सेवा का अनुबंध कहलाता है, जैसे दर्जी द्वारा ग्राहक के कपड़े सिलाई करना। सेवा का अनुबंध इस अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है।

24. वर्ष { धारा 2(45)}

वर्ष से अभिप्राय 1, अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष की 31, मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है।

अध्यास हेतु प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार निम्न मदों की उपयुक्त व्याख्या किजियें –

- अ. व्यवसाय,
- ब. माल,
- स. निर्माण,
- द. आयात कर्ता।

2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार बिकी से क्या आशय है। बिकी के आवश्यक लक्षण बताते हुए विवेचना किजियें।

3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार व्यापारी से क्या आशय है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित होते हैं।

4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार माल से क्या आशय है। क्या निम्न वस्तुएँ माल में सम्मिलित हैं। यदि हां तो क्यों? व्याख्या किजियें।

- (अ) भाप,
- (ब) विद्युत,
- (स) पत्र पत्रिकाएँ एवं अखबार तथा अखबार की रद्दी,
- (द) पुराने डाक टिकट का संग्रह।

अध्याय— 2 कर भार एवं कर मुक्ति

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगें कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार विक्रय मूल्य एवं विक्रय आवर्त क्या है, इन दोनों में क्या अन्तर है। विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय किन किन खर्चों को जोड़ा जाता है एवं कौनसे खर्चे घटाए जाते हैं। कौन कौन सा माल इस अधिनियम में कर मुक्त घोषित किया गया है एवं क्यों? तथा किन सीमाओं तक विक्रय आवर्त कर— मुक्त है, तथा दोनों अवधारणा में क्या अन्तर है एवं इस अधिनियम में इन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 3 के अनुसार राजस्थान राज्य में किसी भी व्यापारी का कर भार कुल विक्रय राशी पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए अलग—अलग सीमाएँ निर्धारित हैं, निर्धारित सीमा से अधिक विक्रय राशी होने पर ही व्यापारी पर कर के भुगतान का भार उत्पन्न होता है। विक्रय राशी में कुछ समायोजन कर विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। धारा 2 में विक्रय मूल्य एवं विक्रय आवर्त की राशी को परिभाषित किया गया है।

1. विक्रय मूल्य — {धारा—2(36)}

मूल्य परिवर्धित कर सदैव विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है, विक्रय मूल्य से आशय विकी के प्रतिफल के रूप में केता द्वारा विकेता को चुकाई गई अथवा चुकाई जानी वाली राशी से है, जिसमें निम्न समायोजन किये जाते हैं—

(अ) माल के विक्रय के समय अथवा व्यापार की प्रचलित रीति के अनुसार बीजक राशी में से दिया जाने वाला व्यापारिक एवं नगद बट्टा, परन्तु बाद में दिये जाने वाला नकद बट्टा, छूट, पुरस्कार अथवा अन्य किसी राशी को नहीं घटाया जायेगा।

(आ) वे समस्त खर्च जो विक्रेता द्वारा माल के सुपुर्दगी के समय अथवा उसके पूर्व व्यय किये गये हैं एवं केता से वसूल किये गये हैं। इसमें कोई भी कानूनी शुल्क शामिल है परन्तु मूल्य परिवर्धित कर शामिल नहीं है।

(इ) माल के विक्रय की शर्तों के अनुसार माल को ढोये जाने के संबंध में किराया एवं हमाली इत्यादि के खर्च जो विक्रेता व्यापारी द्वारा केता की ओर से व्यय किये गये हो और ऐसी राशी बीजक में शामिल नहीं की जाकर केता से प्रथक से वसूल की गई हो तो इस प्रकार के व्ययों का केता से पुर्नभरण, विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ई) किराया क्रय पद्धति के आधार पर माल के हस्तान्तरण पर माल का विक्रय मूल्य वही माना जावेगा जो हस्तान्तरण के समय माल का नकद विक्रय मूल्य था। इसमें ब्याज की राशी को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

इस प्रकार बिक्री के फलस्वरूप दी जाने वाली राशी से निम्नलिखित समायोजन किये जाते हैं –

(1) सभी प्रकार के बट्टे एवं छूट— व्यापारिक बट्टा तथा व्यापार की प्रचलित प्रथा के अनुसार माल के विक्रय के समय दिया जाने वाला नकद बट्टा व छूट की राशी घटा दी जाती है। परन्तु बिक्री के पश्चात प्रेरणास्वरूप दिये जाने वाली कटौति, छूट, पुरस्कार, शीघ्र भुगतान हेतु दिये जाने वाला नकद बट्टा इत्यादि नहीं घटाये जाते हैं।

(2) सुपुर्दगी के समय अथवा इसके पूर्व किये जाने वाले समस्त व्यय— इस प्रकार के व्यय जैसे तुलाई के खर्च, कांटा लगवाई, आढ़त, दलाली, कमीशन, उत्पाद कर, चूँगी, लदाई व ढुलाई के व्यय इत्यादि चाहे पृथक से वसूल किये गये हो तो भी विक्रय मूल्य का भाग माना जाता है। माल का बीमा प्रीमियम के संबंध में यदि माल का बीमा कराना अनिवार्य है तो विक्रय मूल्य का भाग माना जाता है परन्तु केता की इच्छा पर बीमा कराया है एवं प्रीमियम की राशी पृथक से वसूल की गई हो तो विक्रय मूल्य में नहीं जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार प्राथमिक पैकिंग व्यय विक्रय मूल्य का भाग माना जाता है परन्तु द्वितीयक पैकिंग व्यय बीजक से पृथक से केता से वसूल करने पर विक्रय मूल्य में नहीं जोड़ा जायेगा। कुछ मण्डियों में विक्रय मूल्य के साथ में घमादे की राशी भी वसूल की जाती है, इस संबंध में कुछ न्यायालयों ने धर्मादे को विक्रय मूल्य का भाग माना है जबकि कुछ न्यायालय इसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानते हैं। परन्तु अधिकांशः न्यायालयों का यह मत है कि धर्मादे की वसूली विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। यदि इसे विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाती है तो इसे सदैव ही विक्रय मूल्य का भाग माना जावेगा।

मूल्य परिवर्धित कर, बिक्री मूल्य का भाग नहीं है अतः इसे विक्रय मूल्य में शामिल नहीं करना चाहिये परन्तु यदि विक्रेता मूल्य परिवर्धित कर की राशी को बीजक में पृथक से नहीं दिखाता है तो इसे विक्रय मूल्य का भाग माना जायेगा।

(3) किराया भाड़ा एवं अन्य व्यय — इस प्रकार के व्यय यदि विक्रेता केता की ओर से व्यय करता है या अनुबंध की शर्तों के अनुसार केता से पृथक से वसूल करता है तो विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जायेगा।

(4) स्थापना व्यय — यदि विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के अलावा उस वस्तु की स्थापना व्यय अलग से वसूल करता है अथवा बीजक में पृथक करके दिखाता है तो वह विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जायेगा परन्तु यदि विक्रेता बीजक में स्थापना व्यय पृथक से नहीं दिखाता है तो यह माना जायेगा कि स्थापना व्यय विक्रय मूल्य में सम्मिलित है एवं विक्रय मूल्य का भाग माना जायेगा।

विक्रय मूल्य निर्धारण का प्रारूप		
मूल्य सूची के अनुसार मूल्य		XXXX
घटायें	सामान्य व्यापारिक प्रथा के अनुसार बट्टे व छूट की राशी तथा व्यापारिक व नकद बट्टे की राशी	XXXX
		XXXX

जोडे	1 – तुलाई, कांटा लगाई के व्यय	XXX	
	2 – दलाली, कमीशन, आढत	XXX	
	3 – उत्पाद कर	XXX	
	4 – चुंगी	XXX	
	5 – पैकिंग व्यय	XXX	
	6 – लदाई व ढुलाई व्यय	XXX	XXXX
		विक्रय मूल्य	XXXX
नोट :- मंडी शुल्क , धर्मादा , बीमा व्यय , मूल्य परिवर्धित कर एवं केता से पृथक रूप से वसूल किये गये मूल्य सामान्यतः नहीं जोडे जाते हैं ।			

2. विक्रय आवर्त – { धारा –2(41)}

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 2(41) के अनुसार विक्रय राशी या आवर्त से आशय किसी भी व्यापारी द्वारा धारा 2(36) के अनुसार बिक्री के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य कुल मूल्यों के योग को ही विक्रय राशी या विक्रय आवर्त कहा जाता है, इसमें नकद विक्रय, उघार विक्रय या अन्य किसी प्रतिफल के बदले की गई समस्त बिक्रीयां सम्मिलित की जाती है। इसमें वह क्रय मूल्य भी सम्मिलित है जिस पर धारा 4(2) के अनुसार क्रय कर लगता है परन्तु ऐसा माल का विक्रय मूल्य सम्मिलित नहीं है जिसे व्यापारी ने राज्य में ही अधिकतम खुदरा मूल्य पर पूरी दर से कर का भुगतान करके क्रय किया था अथवा ऐसे माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर राज्य के भीतर पहले ही कर का भुगतान कर दिया था। यदि विक्रय आवर्त में ऐसे माल के विक्रय मूल्य को शामिल कर लिया है तो उसे वापस घटा दिया जायेगा।

3. कर का भार {धारा— 3(1)}

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अन्तर्गत व्यापारियों के कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है। कोई भी व्यापारी कर के लिए दायी उसी समय माना जायेगा जब उसकी विक्रय आवर्त वर्ष में किसी भी समय इस धारा में निर्धारित सीमा से अधिक हो जायेगी। इस धारा में निर्धारित सीमायें निम्न प्रकार हैं—

- (1) (अ) आयातकर्ता – बिक्री की कोई सीमा नहीं,
- (ब) निर्माणकर्ता— जिसकी वार्षिक बिक्री 2 लाख रूपये से अधिक है,
- (स) कोई भी व्यापारी – जिसकी वार्षिक बिक्री 5 लाख रूपये से अधिक है ।
- (2) ऐसा कोई भी व्यापारी जो निर्माणकर्ता नहीं है, जिसकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है तथा जो केवल राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से ही माल खरीदता है, वह चाहे तो इस अधिनियम की धारा 4(3) के अन्तर्गत अधिसूचित दर (जो अधिकतम 2 प्रतिशत तक हो सकती है) का विकल्प ले सकता है। वर्तमान में यह दर 0.25 प्रतिशत अधिसूचित की गई है।
- (3) आकस्मिक व्यापारी के लिए बिक्री की छूट की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है अर्थात् उसे इस अधिनियम के तहत कर देना होगा।
- (4) आकस्मिक व्यापारी व पंजीकृत व्यापारी को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो अस्थाई रूप से वर्ष में 120 दिन अथवा उससे कम अवधि के लिए व्यवसाय करता है तो उसे भी अधिनियम के द्वारा निर्धारित विधि से कर देना होगा।

(5) यदि कोई व्यापारी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत एक पंजीकृत व्यापारी है परन्तु उपरोक्त (1) से (4) में वर्णित प्रावधानों के तहत मूल्य परिवर्धित कर भुगतान के लिए दायी नहीं है तो भी वह इस अधिनियम के तहत कर चुकाने के लिए दायी होगा।

(6) पंजीकृत व्यापारी, जब तक उसका पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रभाव में है तब तक कर भुगतान के लिए दायी है, चाहे विक्रय राशी न्यूनतम छूट सीमा से कम ही क्यों न हो।

4. कर से मुक्ति धारा— 8}

यदि राज्य सरकार की राय में यह जरूरी है या जनता के हित में ऐसा करना उचित है तो सरकार गजट में अधिसूचना जारी कर कुछ विशिष्ट वस्तुओं को कर मुक्ति के लिए अधिसूचित कर सकती है परन्तु इस हेतु यदि सरकार चाहे तो कुछ निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही कुछ विशिष्ट वस्तुओं को कर मुक्त कर सकती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 8 में कर मुक्ति के प्रावधान किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैः—

(1) अधिनियम की अधिसूची एक में उल्लेखित वस्तुएँ पूर्णतया कर मुक्त घोषित की गई हैं, परन्तु ऐसे वस्तुओं के संबंध में यदि कोई शर्त निर्दिष्ट की गई है तो उसकी पूर्ति होने पर ही कर मुक्त होगी। 1 अप्रैल 2006 को इस अनुसूची में 58 मर्दे थीं जिसमें से कुछ प्रमुख मर्दे निम्न प्रकार हैं—

(अ) साधारण कृषि औजार जैसे खुरपा, फावडा, गन्डासा, खुदाली, दांतली, बेलचा, तगारी, गेंती, कूट इत्यादि।

(आ) पशु चलित कृषि उपकरण जैसे हल, गाडी, भूमी समतल करने के औजार इत्यादि।

(इ) शक्ति से चलित कृषि उपकरण जैसे थ्रेसर, कलटीवेटर, ट्रैक्टर ट्रौली इत्यादि।

(ई) अंग व्यक्तियों के काम में आने वाले उपकरण जैसे बैले टाइपराटर, कृत्रिम सुनने का उपकरण, बैले घड़ी इत्यादि।

(उ) मुर्गी एवं पशुआहार जैसे घास, भूसा, ग्वार की चूरी इत्यादि।

(ऊ) पुस्तकें मैंगजीन एवं पंत्रिकाएँ।

(ए) मक्का, ज्वार, बाजरा एवं इनका आटा।

(ऐ) चरखा, अम्बर चरखा, हाथकर्धा एवं इनके उपकरण।

(ओ) विद्युत शक्ति, मिट्टी के बरतन, नमक, स्लेट एवं स्लेट पेंसिल।

(औ) ताजा फल एवं सब्जीयाँ।

(2) यदि राज्य सरकार जनता के व्यापक हित में आवश्यक समझती है तो राजस्थान गजट में अधिसूचना जारी कर अनुसूची—प्रथम में और अतिरिक्त वस्तुएँ जोड़ सकती हैं अथवा आवश्यक समझने पर कुछ वस्तुओं को हटा सकती हैं अथवा उचित समझे तो कुछ शर्त निर्दिष्ट कर सकती हैं। किसी भी संशोधन को संशोधन जारी करने की तिथि, भूतलक्षी प्रभाव से अथवा भावी तिथि से लागू किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार जनता के व्यापक हित में आवश्यक समझती है तो राजस्थान गजट में अधिसूचना जारी कर किन्हीं व्यक्तियों अथवा किन्हीं श्रेणी के व्यक्तियों जिनका उल्लेख अनुसूची द्वितीय में किया गया है के द्वारा किये गये क्य —विक्रय को कर से मुक्त कर सकती है। यह कर मुक्ति सर्वान्तर अथवा बिना शर्त हो सकती है। किसी भी संशोधन को संशोधन जारी करने की तिथि, भूतलक्षी प्रभाव से अथवा भावी तिथि से लागू किया जा सकता है।

वर्तमान में अनुसूची—द्वितीय में निम्न व्यक्तियों द्वारा किये गये क्य विक्रय को कर से मुक्त घोषित किया गया हैः—

(अ) संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इससे संबंधित संस्थाएँ।

(आ) विदेशी कूटनीतिक मिशन तथा उनके राजदूत।

(इ) राज्य में हब स्थापना करने वाली हवाई कम्पनियों को एविएशन टरबाईन फ्लूल, यह हब स्थापना से एक वर्ष तक के लिए कर मुक्त है।

(4) राज्य सरकार जनता के व्यापक हित में आवश्यक समझती है तो राजस्थान गजट में अधिसूचना जारी कर किसी भी श्रेणी की ऐसी बिकी अथवा क्रय को जो विशेष आर्थिक क्षैत्र की योजना को अथवा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई हो, इस अधिनियम के तहत देय कर की सम्पूर्ण राशी से कर-मुक्ति प्रदान कर सकती है, यह कर-मुक्ति सशर्त अथवा बिना शर्त हो सकती है।

(5) उपर्युक्त उपधारा 4 में जारी की गई अधिसूचना को इस के जारी करने के बाद शीघ्र से शीघ्र राज्य की विधान सभा के सम्मुख ऐसे सत्र में प्रस्तुत करना होगा जिसकी अवधि अकेले उस सत्र की अथवा उसकी और उसके बाद वाले सत्र की मिलाकर 30 दिवस से कम की नहीं हो। यदि विधान सभा में इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो उस संबंध में जैसी भी स्थिति हो वह अधिसूचना संशोधित रूप से प्रभावी होगी अथवा उक्त अधिसूचना विधान सभा द्वारा पारित न होने पर अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी परन्तु अधिसूचना जारी करने की तिथि से पारित होने या पारित न होने की तिथि के मध्य अधिसूचना के आधार पर किये गये कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभ्यास हेतु प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार बिकी मूल्य से क्या आशय है, इसमें कौन कौन से खर्चे सम्मिलित किये जाते हैं तथा कौन-कौन से नहीं ? विवेचना किजियें।
2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार कर भार से क्या आशय है, अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या किजियें।
3. कर मुक्ति के संबन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किजियें।
4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार कौन-कौन सी वस्तुएं कर मुक्त घोषित की गई हैं, इनका कारण बताते हुए व्याख्या किजियें।
5. विक्रय मूल्य एवं विक्रय आवर्त को समझाइये एवं अन्तर स्पष्ट किजियें।
6. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार करभार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझाइयें।

अध्याय – 3 कर का उद्ग्रहण एवं कर की दरें

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में कर का उद्ग्रहण के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था दी गई है। कर निर्धारण के बिन्दु से क्या अभिप्राय है। प्रथम बिन्दु कर, अंतिम बिन्दु कर, एवं बहु बिन्दु कर क्या है। अधिनियम में कर के सम्बन्ध में कितनी दरें बताई गई हैं एवं किन किन वस्तुओं पर कर की दरें क्या हैं। इसके अलावा कर की दरों के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अनुसार इस अधिनियम के तहत देय कर व्यापारियों के बिकी की शृंखला में ऐसे बिन्दुओं पर देय होगा जो इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों अथवा केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जावें।

इस कर पर उद्ग्रहण अनुसूची-तृतीय से अनुसूची-छः तक में निर्दिष्ट मालों की बिकी करने पर किसी व्यापारी के कर योग्य बिकी राशि पर किया जायेगा। कर की दर उक्त संबन्धित अनुसूचियों में दिये गये प्रत्येक ऐसे माल के लिए वर्णित दर होंगी।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम संख्या 11(4) के अनुसार देय कर, बिकी की शृंखला में अनेक बिन्दुओं पर लगाया जाता है, इस प्रकार यह बहुबिन्दु कर है। जो बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर लगाया जाता है। इस कर से संबन्धित अन्य प्रावधानों के अध्ययन करने से पूर्व इन कर बिन्दुओं का अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है—

- (1) प्रथम बिन्दु कर
- (2) अन्तिम बिन्दु कर
- (3) बहुबिन्दु कर

प्रथम बिन्दु कर से आशय एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा की गई बिकी से है एवं बिकी के प्रथम बिन्दु पर ही कर लगाया जाता है अर्थात् यदि माल को पंजीकृत व्यापारी द्वारा अन्य पंजीकृत व्यापारी को बेचा जाता है तो दूबारा कर देने की जरूरत नहीं है केवल प्रथम विक्य पर ही कर दिया जायेगा, यदि विक्य अपंजीकृत व्यापारी से अपंजीकृत व्यापारी को ही किया जाता है तो प्रत्येक अपंजीकृत व्यापारी को इस प्रकार बिकी का प्रथम बिन्दु माना जायेगा। अन्तिम बिन्दु कर से आशय मध्यवर्ति विक्य पर कर नहीं लगता है बल्कि माल के अन्तिम उपयोग से पूर्व बिकी पर अथवा पंजीकृत व्यापारी से अपंजीकृत व्यापारी को विक्य पर ही कर दिया जाना होता है।

बहुबिन्दु कर से अभिप्राय उत्तरोत्तर व्यापारियों द्वारा की गई बिकी की शृंखला में प्रत्येक बिन्दु पर कर देय होगा।

मूल्य परिवर्धित कर की दरें {धारा 4 }

मूल्य परिवर्धित कर की सामान्य दरें — राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 में मूल रूप से तीन प्रकार की दरें निर्धारित हैं जो निम्न प्रकार से हैं :—

- (1) 1% की दर — अनुसूची तीन में उल्लेखित वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है ऐसे वस्तुएं निम्न है :—
 - (अ) सोना,
 - (ब) चॉदी,
 - (स) सोना, चॉदी तथा प्लेटिनम से बने गहने,
 - (द) मूल्यवान एवं अर्द्धमूल्यवान पत्थर,
 - (य) जवाहरात,

(र) मोती, वास्तविक व निर्मित,

(ल) सुलेमानी नग तथा हीरे,

(2) 4% की दर –

अनुसूची चार, अनुसूची चार(भाग—अ), अनुसूची चार(भाग—ब) में उल्लेखित वस्तुओं, जो की समस्त आवश्यक वस्तुएँ एवं प्रारम्भिक कच्चे माल है, इन पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

मूल रूप से अनुसूची चार में 152 वस्तुएँ है। अनुसूची 4(भाग—अ) में 28 वस्तुएँ है जो सूचना एवं प्रायोगिकी से संबंधित है। अनुसूची चार(भाग—ब) में 219 वस्तुएँ है जो औद्योगिक आदानों से संबंधित है।

(3) 12•5 % की दर – अन्य सभी वस्तुएँ [अनुसूची तीन, अनुसूची चार, अनुसूची चार (भाग—अ), अनुसूची चार(भाग—ब) एवं अनुसूची छः में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर] शेष समस्त वस्तुओं पर कर की दर 12•5 % है।

मूल्य परिवर्धित कर की विशेष दरें – अनुसूची छः में वर्णित वस्तुओं पर कर की विशेष दरें निर्धारित की गई हैं। ऐसी वस्तुएँ एवं उन पर निर्धारित दरें निम्न प्रकार हैं:-

20 % विदेशी शराब, उच्च एवं निम्न स्पीड डीजल आयल, शीरा।

28 % एविएशन स्प्रिट, पैट्रोल।

50 % भांग, अफीम।

क्य—मूल्य पर कर (धारा 4 (2))

धारा 4(2) के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यापारी जो अपने व्यवसाय के दौरान कर मुक्त मालों को छोड़कर अन्य कोई माल ऐसी परिस्थितियों में क्य करता है जिनमें उनके विक्रय मूल्य पर धारा 4(1) के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं है तथा उसने ऐसे माल का निपटारा धारा 18(1) के वाक्यांश (क) से (छ) में उल्लेखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से किया है तो उसे उस माल के क्य—मूल्य पर कर चुकाना होगा।

ऐसी परिस्थिति में कर की दर वह होगी जो ऐसे माल के सम्बन्ध में अधिनियम की अनुसूची—तीन से अनुसूची—छः में दी गई है।

धारा 18 (1) के उद्देश्य निम्न हैं:-

(अ) राजस्थान राज्य में विक्रय के लिये,

(आ) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री के लिये,

(इ) भारत के बाहर निर्यात के लिये,

(ई) कर—मुक्त माल के अलावा अन्य बेचे गये माल की पैकिंग में काम में लेने के लिये,

(उ) कर—मुक्त माल को छोड़ कर अन्य माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिये, बशर्ते निर्मित माल राजस्थान राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाये,

(ऊ) भारत के बाहर माल की बिक्री हेतु माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिये,

(ओ) राज्य में ही पूँजीगत माल के रूप में प्रयोग के लिये।

यदि क्य किये गये माल का प्रयोग आंशिक रूप से उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये किया हो तथा आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिये किया हो तो आनुपातिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये गये माल के क्य—मूल्य पर देना होगा। ऐसे माल का क्य मूल्य धारा 2(41) के तहत व्यापारी की विक्रय—राशि में सम्मिलित किया जायेगा।

धारा 4(3) में अधिसूचित कर की दर (धारा 3(2))

धारा 3(2) के अनुसार निर्माणकर्ता को छोड़कर अन्य कोई भी व्यापारी जिसकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो तथा जो राज्य में पंजीकृत व्यापारी से ही माल खरीदता है तो वह धारा 4(3) में अधिसूचित दर से कर के भुगतान के विकल्प को अपना सकता है। ऐसी दर किसी भी दशा में 2प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में यह दर 0.25 प्रतिशत है।

पैकिंग माल पर कर की दर {धारा 4(4)}

यदि कोई माल किसी सामग्री में पैकिंग करके बेचता है तो चाहे पैकिंग सामग्री की लागत अलग से वसूल की गई हो अथवा नहीं, ऐसी पैकिंग सामग्री पर कर दायित्व तथा कर की दर वही होगी जो पैक किये गये माल के सम्बन्ध में निर्धारित है। इस पर धारा 4(1) का प्रभाव नहीं होगा।

अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान {धारा 5 (7)}

यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य में ऐसे माल का आयात करता है अथवा निर्माण करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो तो ऐसे माल के विक्रय-मूल्य पर कर देने के बदले ऐसे माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर पूरी दर से कर देने के विकल्प को अपना सकता है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित विधि का पालना करना आवश्यक है।

परन्तु यदि एक व्यापारी ने उपर्युक्त आयातकर्ता अथवा निर्माता से—

(अ) अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर देकर माल खरीदा है, अथवा

(आ) अन्य किसी पंजीकृत व्यापारी जिसने ऐसे माल पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर राज्य में पहले से ही कर का भुगतान कर दिया है।

तो ऐसे क्रय करने वाले व्यापारी चाहे वह पंजीकृत हो अथवा नहीं, ऐसे माल की पुनः बिक्री करते समय केता से, उसके द्वारा माल को क्रय करते समय जो क्रय कर चुकाया था, को वसूल करने का अधिकारी होगा। परन्तु ऐसी वसूली सरकार द्वारा निर्धारित विधि एवं समय में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही की जा सकती है।

कर के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान {धारा 5}

इस अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार वे व्यापारी जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये अधिक नहीं हैं तथा जो निर्माता नहीं है। विकल्प देकर धारा 4(3) में अधिसूचित कर की दर, जो अधिकतम 2 प्रतिशत तक हो सकती है, उनकी बिक्री के आधार पर एक मुश्त कर अदा करने का विकल्प दे सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके किसी भी श्रेणी के माल की बिक्री पर अथवा किसी भी वर्ग के व्यापारियों के द्वारा की गई बिक्री अधिसूचित कर सकती है। वर्तमान में ऐसी अधिसूचित बिक्री पर कर की अधिसूचित दर 0.25 प्रतिशत है।

भार, परिमाण, मात्रा अथवा इकाई के आधार पर कर लगाना {धारा 6}

1. धारा 3 और 4 में कुछ भी क्यों न दिया हो, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में कुछ मालों अथवा किसी श्रेणी के मालों के क्रय विक्रय पर उनके भार, परिमाण, मात्रा, नाप अथवा इकाई के आधार पर देय कर की राशि निर्धारित कर सकती है।
2. उपर्युक्त वाक्यांश (1) में देय कर राशि का निर्धारण ऐसे माल को ढोने वाले वाहन या गाड़ी की किसी के सन्दर्भ में अथवा उस माल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में किया जा सकता है।
3. उपर्युक्त वाक्यांश (1) तथा (2) में निर्धारित कर राशि धारा 4(1) में निर्धारित कर दायित्व की राशि से अधिक नहीं होगी।
4. राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रसारित करके निर्धारित शर्तों के अधीन ऐसी शक्ति को आयुक्त को दे सकते हैं।

पशुधन पर कर लगाना

(1) धारा 3, 4 तथा 6 मे कुछ भी उल्लेखित क्यो न हो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य के पशुधन का क्रय या विक्रय करता है, पशुधन के क्रय विक्रय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से (जो क्रय या विक्रय मूल्य जैसी भी स्थिति हो के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) तथा अधिसूचित बिन्दु पर कर देना होगा। ऐसे कर दायी व्यापारी पर आकस्मिक व्यापारियो से सम्बन्धित कर वसूली के प्रावधान जिनका उल्लेख धारा 28 मे किया गया है, आवश्यक परिवर्तनो के साथ लागू होगे।

(2) उपर्युक्त उपधारा (1) मे चाहे कुछ भी उल्लेखित हो यदि किसी भी श्रेणी के पशुधन के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट कर दिया जाये तो अधिसूचना मे दी गई दर से प्रति पशु अधिसूचित दर 500रु से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओ पर अलग-अलग कर की दर निर्धारित कर सकती है अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओ पर अलग-अलग प्रति पशु दर निर्धारित कर सकती है।

कर देय न होने पर कर संग्रह करने पर रोक {धारा 5 }

(1) कोई भी ऐसी व्यक्ति जो पंजीकृत व्यापारी नहीं है अथवा जो किसी भी क्रय विक्रय के सम्बन्ध मे कर चुकाने के लिये दायी नहीं है, किसी माल की बिक्री पर किसी व्यक्ति से कर के रूप मे कोई राशि संग्रहीत नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई भी पंजीकृत व्यापारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उसके द्वारा देय कर राशि से अधिक राशि कर के रूप मे संग्रहीत नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यापारी ऐसे मालो की बिक्री पर कर के रूप मे कोई राशि संग्रहीत नहीं करेगा जिन पर इस अधिनियम की धारा-8 के अनुसार कोई कर देय नहीं है।

(3) एक ऐसा व्यापारी जो धारा 5 के अन्तर्गत कर के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान करता है अथवा जो धारा 3(2) के क्षेत्र मे आता है, कर के बदले किसी प्रकार का कर अथवा अन्य राशि संग्रहीत नहीं करेगा।

अध्यास हेतु प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम के तहत कर बिन्दु से आप क्या समझते हैं। इस अधिनियम के तहत किस बिन्दु पर कर लगाने के प्रावधान है।
2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम के तहत कर निम्न मदों को समझाईयें –
 - (अ) पैकिंग माल पर कर की दर
 - (ब) अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान
 - (स) क्रय कर
 - (द) पशुधन पर कर

अध्याय – 4 कर योग्य बिक्री का निर्धारण एवं कर की गणना

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगें कि राजस्थान मूल्यपरिवर्धित कर अधिनियम में कर योग्य बिक्री का निर्धारण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। कर योग्य बिक्री की गणना किस प्रकार की जाती है। कर योग्य बिक्री की राशि की गणना करते समय कौनसी बिक्री धटाई जाती है एवं कर देयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। कर योग्य बिक्री का निर्धारण एवं कर देयता की गणना के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दो का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दो को किन अर्थो में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अन्तर्गत एक व्यापारी का कर दायित्व धारा-3 मे उल्लेखित कुल वार्षिक बिक्री की सीमाओ के आधार पर निर्धारित होता है। इन सम्बन्ध में अध्याय 2 मे हम अध्ययन कर चुके हैं।

कर-योग्य आवर्त {धारा 2(40)}

सामान्य अर्थ मे कर योग्य बिक्री या कर योग्य आवर्त से आशय किसी व्यापारी की कुल बिक्री या कुल आवर्त के उस भाग से है, जिस पर व्यापारी को वास्तव मे कर देना होता है या जिस पर कर की गणना की जाती है। धारा 2(40) के अनुसार कर योग्य आवर्त से आशय कुल बिक्री के उस भाग से है जो इसमे से निर्धारित कटौतियों घटाने के बाद शेष बचती है तथा जिस पर व्यापारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देना होता है।

कर योग्य आवर्त का निर्धारण

(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमो के नियम 22 के अनुसार कर लगाने के उद्देश्य से कर योग्य आवर्त का निर्धारण करने के लिये आवर्त में से निम्नलिखित राशिया घटाई जाती हैं-

(क) ऐसे मालों की बिक्री की राशी जिन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं हैं, अर्थात् जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर आरोपित नहीं हो सकता है। इसमें निम्न बिक्रीयाँ आती हैं :-

(अ) राज्य के बाहर बिक्री,

(ब) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान बिक्री,

(स) निर्यात व्यापार के दौरान बिक्री।

(ख) ऐसे मालों की बिक्री जो कर मुक्त घोषित कर दिये गये हैं।

(ग) वेट बीजक की तारीख से 6 माह के भीतर क्रेता द्वारा विक्रेता को लौटाये गये माल का विक्रय मूल्य।

(2) एक कार्य अनुबंध में कर योग्य बिक्री राशी का निर्धारण करते समय उपर्युक्त उपनियम (1) से दी गई कटौतियों के अतिरिक्त अनुबंध के कुल मूल्य में से श्रम की राशी भी घटाई जावेगी, यदि श्रम की राशी का लेखा पृथक से नहीं किया गया है तो कर निर्धारण अधिकारी नियम 22 के अन्तर्गत दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित सीमा तक श्रम की राशी की कटौति स्वीकार करेगा एवं अधिक दर्शाई गई श्रम राशी को अस्वीकार कर सकता है। इस तालिका में विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के सकल मूल्यों के प्रतिशत के रूप में श्रम की राशी निर्धारित की गई है। इस तालिका में कुल 20 मर्दें हैं, प्रथम 19 मर्दें विशिष्ट ठेकों के लिए विशिष्ट श्रम दरे प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई है। अन्तिम मर्द अर्थात् 20 वीं मर्द में अन्य ठेकों के लिए, जो 1 से 19 में नहीं आते हैं, के लिए यह दर 25 प्रतिशत है।

(3) धारा 4(2) के तहत कर लगाने के लिए क्रय मूल्य की गणना धारा 2(28) के अनुसार की जायेगी और वही राशी कर योग्य आवर्त में जोड़ दी जायेगी।

(4) पंजीकृत प्रधान की ओर से उसके कमीशन एजेण्ट द्वारा बेचे गये माल की बिक्रीमूल्य प्रधान के कर योग्य आवर्त में जोड़ दिया जायेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये उपकर को कर योग्य आवर्त ज्ञात करते समय घटा दिया जायेगा।

कर योग्य आवर्त ज्ञात करते समय रखी जाने वाली सावधानियों -

1- ऐसी बिक्री जो इस अधिनियम के तहत माल के रूप में नहीं मानी जाती यदि विक्रय मूल्य में ऐसी राशी सम्मिलित है तो उसे घटा दिया जायेगा।

2- अधिकतम खुदरा मूल्य पर पूरी दर से कर चुका कर खरीदे गये माल की राशी यदि विक्रय मूल्य में शामिल है तो उसे भी घटा दिया जायेगा।

3- नकद बट्टे की छूट, खुदरा मूल्य में से व्यापारिक बट्टा घटा कर, शेष राशी पर दी जाती है।

4- कर चुका माल यदि खरीदा गया है एवं उस पर आदान कर जमा की छूट नहीं मिलती है तो उस पर कर भी देय नहीं होता है, अतः कर योग्य आवर्त में से हटा दिया जाता है।

5- पंजीकृत व्यापारियों अथवा निर्माताओं को कच्चे माल व निर्मित माल की बिक्री अथवा अपंजीकृत व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को बिक्री कर योग्य होती है अतः इसे नहीं घटाया जायेगा।

कर योग्य आवर्त की गणना :-

आवर्त एवं कर योग्य आवर्त की गणना			
विक्रय मूल्यों का योग			XXXX
घटाईये	1— व्यापारिक बट्टा एवं नकद बट्टा पूर्व में नहीं घटाया है	XXXX	
	2— खुदरा मूल्य पर पूरी दर से कर चुका कर खरीदे गये माल की बिक्री	XXXX	XXXX
			XXXX
जोड़ें	घारा 4(2) के तहत क्रय किये गये माल का क्रय मूल्य		XXXX
		आवर्त	XXXX
घटाईये	1— कर मुक्त मालों की बिक्री	XXXX	
	2— राज्य के बाहर की बिक्री	XXXX	
	3— अन्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री	XXXX	
	4— निर्यात व्यापार के दौरान बिक्री	XXXX	
	5— निर्यात कर्ताओं को माल की बिक्री	XXXX	
	6— छःमाह में बिक्री वापसी	XXXX	
	7— ऐसे आवर्त जिस पर आगम कर जमा की छूट नहीं हो	XXXX	XXXX
		कर योग्य आवर्त	XXXX

उदाहरण:—

31 दिसम्बर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये मैसर्स नरेश एण्ड कम्पनी की पुस्तकें 50लाख रुपये की आवर्त प्रदर्शित करती है, जिसमें 6 लाख रुपये की बिक्री कर मुक्त मालों की तथा 7 लाख रुपये की बिक्री, बिक्रीकर चुकता मालों की शामिल है। विक्रय वापसी खाते अनुसार इस तिमाही में कुल 4 लाख रुपये की वापसी हुई जिसमें से 50 प्रतिशत भाग वेट बीजक तिथि से छः माह से अधिक पुरानी है। विक्रय वापसी में कर योग्य बिक्री एवं कर मुक्त माल का अनुपात 1:1 है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स नरेश एण्ड कम्पनी का कर योग्य आवर्त ज्ञात किजिये।

हल:—

Computation of Taxable Turnover of M/s Naresh & Co.

For the Quarter ending 31.12.2008

Turn over		Rs. 50,00,000
Less	1. Sale of exempted goods	6,00,000
	2. Sale of tax paid goods	7,00,000
	3. Sales Return within 6 month from	1,00,000
Taxable turnover		Rs. 14,00,000
		RS. 36,00,000

उदाहरण 2— मैसर्स श्री विकास एण्ड सन्स ने 30 सितम्बर 2008 को समाप्त होने वाली द्वितीय तिमाही के लिये 16,00,000 रु. की बिक्री का विवरण प्रस्तुत किया। बिक्री में निम्न मर्दं सम्मिलित हैं—

		₹
1	कर मुक्त माल की बिक्री	1,60,000
2	कर चुकाये गये माल की बिक्री	1,70,000
3	राज्य के बाहर माल सप्लाई किया	1,40,000
4	उपभोक्ताओं को कर-योग्य माल की बिक्री	2,00,000
5	नियार्त व्यापार के दौरान बिक्री	70,000
6	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री	60,000
7	पंजीकृत व्यापारियों को राज्यों में ही पुनर्विक्षय के लिये माल की बिक्री	2,50,000
8	अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य अंकित माल की बिक्री जिसे पूरी दर से कर चुका कर खरीदा गया	4,00,000

ग्राहकों द्वारा वापस लौटाये गये माल का कुल विक्रय मूल्य 40,000 रु. था। इसमें से 30,000 रु. का माल बिक्री की तिथियों से 6 माह के भीतर लौटा दिया गया था। समस्त वापसी कर-योग्य माल से सम्बन्धित है। मैसर्स श्री विकास एण्ड सन्स की आवर्त तथा कर-योग्य आवर्त का निर्धारण कीजिए।

Solution-

Computation of taxable turnover of

M/s Vikas and Sons. For the year ending of 30.09.2008

Total of sales price		Rs. 16,00,000
Less	Sale of goods purchased after paying full rate of tax on MRP	Rs. 4,00,000
Turnover		Rs. 12,00,000
Less	1. Sales of outside the state	140000
	2. Sales in the export trade	70000
	3. Sales in the courses of inter state trade and commerce	60000
	4. Sale of exempted goods	160000
	5. Sales of taxpaid goods	170000
	6. Sales return within 6 months	30000
Taxable turnover		Rs. 6,30,000
		Rs. 5.70.000

उदाहरण 3 :— मैसर्स मोहनलाल एण्ड सन्स की 30 सितम्बर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये बिक्री 40,000 रु. की थी। इसमें निम्न सम्मिलित हैं—

	₹
नियार्त व्यापार के दौरान बिक्री	7.50.000

अन्तर्राजीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान बिक्री	5,00,000
कर मुक्त मालों की बिक्री	2,50,000
राज्य के बाहर की बिक्री	2,50,000
कर चकाये हये माल की बिक्री	4,00,000
अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य अंकित माल की बिक्री जिसे पूरी दर से कर चुका कर	3,50,000

मैसर्स मोहनलाल एण्ड सन्स के व्यापार के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं –

1— विक्रय वापसी जो 6 माह के भीतर की गई 50,000 रु. की थी। सम्पूर्ण वापसी कर—योग्य माल से सम्बन्धित थी।

2— मैसर्स मोहनलाल एण्ड सन्स ने सम्बन्धित तिमाही में घोषणा –पत्र देकर 3,00,000रु. का माल खरीदा था, जिसमें से 2,00,000रु. के मूल्य के माल को धारा 18(1)के वाक्यांश (अ) से (ल) तक में घोषित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के काम में ले लिया।

30 सितम्बर 2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये मैसर्स मोहनलाल एण्ड सन्स की राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आवर्त एवं कर—योग्य आवर्त ज्ञात कीजियें।

Solution:-

Computation of turnover and taxable turnover of M/s Mohan Lal and Sons
For the quarter ending on 30.09.2008

Total sales	40,00,000	
Less Sale of goods purchased after paying full rate of tax on MRP	3,50,000	
	36,50,000	
Add: Purchase price of goods purchased under declaration, but not used for specified purpose, hence included in turnover u/s 4(2)	2,00,000	
	Turnover 38,50,000	
Less 1. Sales during export trade	7,50,000	
	2. Sales during interstate trade and commerce	5,00,000
	3. Sale of exempted goods	2,50,000
	4. Sale outside the state	2,50,000
	5. Sale of taxpaid goods	4,00,000
	6. Sales return within six months	50,000
	Taxable turnover 22,00,000	
	16,50,000	

कर की गणना

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 3(2)तथा धारा 5 के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों को छोड़कर अन्य व्यापारियों द्वारा वेट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है—
 $T = (O+R+P) - I$

सूत्र में प्रयोग किये गयें संकेतों का आशय निम्न है—

T = Tax (इस अधिनियम के तहत देय कर)

O=Reverse Tax (प्रतिदेय कर अर्थात् अवैध रूप से प्राप्त की गई आगम कर जमा)

P= Purchase Tax (धारा 4(2)के अन्तर्गत देय कर्य—कर)

I= Input Tax (आदान कर अर्थात् जो कर व्यापारी ने पंजीकृत व्यापारी से माल कर्य करते समय चुकाया है)

इस प्रकार व्यापारी द्वारा देय शुद्ध कर ज्ञात करने के लिये पहले कर की निम्न तीन राशियों का योग किया जाता है—

(अ) व्यापारी द्वारा माल की बिक्री पर वसूला गया कर,

(ब) व्यापारी द्वारा अवैध रूप से प्राप्त आदान कर जमा,

(स) धारा 4(2)के अन्तर्गत देय कर्य—कर

उपर्युक्त तीनों मदों के योग में से व्यापारी के द्वारा माल कर्य करते समय भुगतान की गई कर की राशि को घटाने पर व्यापारी द्वारा देय कर की राशि ज्ञात हो जायेगी।

उदाहरण — एक पंजीकृत व्यापारी ने कोई माल 1,50,000रु.में कर्य किया एवं उस पर 4 प्रतिशत की दर से मूल्य परिवर्धित कर का भुगतान किया। व्यापारी ने अपने खर्चों एवं लाभ के लिए 75,000रु. जोड़ कर इस माल को 2,25,000रु. में बेच दिया तथा केता से 4प्रतिशत कर वसूल किया। पंजीकृत व्यापारी द्वारा देय शुद्ध कर की राशि ज्ञात किजियें।

हल— आगम कर (Out put Tax) = विकर्य मूल्य X कर की दर

$$2,25,000 \times 4\% = \text{Rs.}9000$$

आदानकर (InPut Tax) = कर्य मूल्य X कर की दर

$$1,50,000 \times 4\% = \text{Rs.}6000$$

व्यापारी द्वारा शुद्ध भुगतान किया जाने वाला कर

= आगम कर — आदान कर

$$\text{रु.}9000 - \text{रु.}6000 = \text{रु.}3000$$

उदाहरण— एक निर्माता ने 8,00,000 रु. का कच्चा माल 4प्रतिशत की दर से मूल्य परिवर्धित कर चुका कर खरीदा। उसने इस पर 16,00,000 रु. अतिरिक्त व्यय करके 16,000 ईकाई का निर्माण किया एवं इसमें से 8,000 ईकाईयों रूपये 14,40,000 रु. में एक पंजीकृत व्यापारी को बेच दिया एवं 12.5 प्रतिशत की दर से मूल्य परिवर्धित कर वसूल किया। केता व्यापारी द्वारा उक्त 8,000 ईकाईयों को अपना लाभ जोड़ कर 16,00000 रु. में बेच दिया तथा 12.5 प्रतिशत की दर से मूल्य परिवर्धित कर वसूल किया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माता एवं पंजीकृत व्यापारी का शुद्ध कर दायित्व ज्ञात किजियें।

Solutions-

Tax payable by manufacturer	
T	= O – I
	= Output Tax – Input Tax
	= Rs.1,80,000 – 32,000
	= Rs.1,48,000
	Output Tax= Sale price X Rate of Tax
	= 14,40,000 X 12.5%
	= 1,80,000
	Input Tax = Purchases Price X Rate of Tax
	= 8,00,000 X 4 %
	= 32,000

Tax payable by Dealer	
T	= O – I
	= Output Tax – Input tax
	= 2,00,000 – 1,80,000
	= 20,000
	Output Tax= Sale price X Rate of Tax
	= 16,00,000 X 12.5%
	= 2,00,000
	Input Tax = Purchases Price X Rate of Tax
	= 14,40,000 X 12.5%
	= 1,80,000

अभ्यास हेतु प्रश्न

(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत कर योग्य आवर्त से आप क्या समझते हैं ? कर योग्य आवर्त का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, काल्पनिक उदाहरण सहित विवेचना किजिये।

(2) मैसर्स इकबाल एण्ड सन्स जयपुर ने 30 जून 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये कुल बिकी का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है, इससे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत व्यापारी की आवर्त एवं कर योग्य आवर्त ज्ञात किजियें।

1. पुस्तकों के विक्रय से प्राप्त राशि (कर मुक्त)	3,50,000
2. अखबार की रद्दी की बिकी	50,000
3. समाचार पत्र पत्रिकाओं की बिकी	2,50,000
4. कापियों एवं स्टेशनरी की उपभोक्ताओं को बिकी	2,00,000
5. कर चुकाये गये माल की बिकी	1,50,000

(3) मैसर्स अजमेरा बुक कम्पनी की 30 जून 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही की कुल बिकी 25,00,000 रु. थी जिसमें निम्न मद्दें भी सम्मिलित थी।

1. पुस्तकों के विक्रय से प्राप्त राशि (कर मुक्त)	1,50,000
2. कर चुकाये गये माल की बिकी	1,75,000
3. अपंजीकृत निर्माताओं को कच्चे माल की बिकी	50,000
4. राज्य के बाहर बिकी	25,000
5. कापियों एवं स्टेशनरी की उपभोक्ताओं को बिकी	30,000
6. अंश एवं प्रतिभूतियों की बिकी	25,000
7. पंजीकृत निर्माताओं को कच्चे माल की बिकी	1,50,000
8. पंजीकृत व्यापारियों को राज्य में पुनःविक्रय हेतु बिकी	60,000
9. स्लेट पेन्सिलों की बिकी (कर मुक्त)	15,000
10. अधिकतम खुदरा बिकी मूल्य अंकित मालों की बिकी	
जिससे पूरी दर से कर चुका कर खरीदा था	85,000

व्यापारी ने उक्त तिमाही में घोषणा पत्र जारी करके बिना कर चुकाये 2,00,000 रु.का माल खरीदा था, इसमें से 60,000 रु.का माल को धारा 18(1) के निर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों में काम ले लिया।

उपरोक्त सूचनाओं से मैसर्स अजमेरा बुक कम्पनी की 30 जून 2009 को समाप्त होने वाली तिमाही की राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त एवं कर योग्य आवर्त ज्ञात किजियें।

अध्याय – 5 व्यापारियों का पंजीकरण

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगें कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में व्यापारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। किस प्रकार एवं कब एक व्यापारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना होता है। किन परिस्थितियों में पंजीयन प्रमाण—पत्र निरस्त किया जा सकता है एवं यदि पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन किस प्रकार करवाया जाता है। पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम उन्हीं व्यापारियों पर लागू होता है, जिन्हें इसके विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन करना या तो अनिवार्य है या वे स्वयं पंजीयन कराना उचित समझते हैं। ऐसे व्यापारियों को ही पंजीकृत व्यापारी कहते हैं। पंजीयन सम्बन्धी सभी प्रावधान अधिनियम की धाराएँ 11 से 17 तक और इनके सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों के अनुसार राजस्थान में व्यापारियों के पंजीकरण की निम्न प्रकार की व्यवस्था है—

1. अनिवार्य पंजीयन

2. ऐच्छिक पंजीयन

अनिवार्य पंजीयन { धारा –11 }

धारा 11(1) के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिये जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराने तथा कर के भुगतान के लिये दायी है, अर्थात् जिसकी वार्षिक बिक्री धारा 3(1)में उल्लेखित सीमाओं (जिसे हम अध्याय–2 कर चुके हैं) से अधिक है, के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। उनको इसके लिये निर्धारित विधि से, निर्धारित समय में आवेदन करना होगा। अनिवार्य पंजीयन की विधि निम्न प्रकार है—

1— पंजीकरण के लिये आवेदन

(1) प्रत्येक ऐसे व्यापारी को पंजीकरण के लिये आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण एवं समस्त संलग्नों के साथ राजस्थान में अपने प्रमुख व्यापार के स्थान के संदर्भ में करदाता सेवा कार्यालय में अथवा उस निर्धारण प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा, जो पंजीयन स्वीकृत करने के लिये सक्षम है। ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा निम्न प्रकार है—

(अ) जिस दिन व्यापारी की विक्रय—राशि या आवर्त धारा—3 में उल्लेखित सीमाओं से अधिक हो जाती है, उस तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर, दोनों में से जो भी तिथि बाद में आती है।

(ब) एक कार्य अनुबन्धकर्ता की दशा में जिस दिन उसको कार्य अनुबन्ध के निष्पादन के लिये आदेश या सूचना प्राप्त हुई है, उस तिथि से 30 दिन के भीतर ऐसे अनुबन्ध के पूरा होने पर समाहित माल की विक्रय राशि अधिनियम की धारा—3 में निर्धारित सीमा से अधिक होने की सम्भावना है।

(2) पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र वेट VAT 01 दो प्रतियों में भरा जाता चाहिये इसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(अ) प्रपत्र VAT 02 में व्यापार के प्रबन्धक की घोषणा,

(ब) साझेदारी व्यवसाय की स्थिति में साझेदारी संलेख, कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम एवम् आर्टीकल, न्यास के लिये न्यास संलेख, समिति के लिये समिति का पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं मेमोरेन्डम।

(स) यदि पंजीयन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया है तो लेटर ऑफ ऑथरिटी की प्रति।

(द) धारा 15 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति निर्धारित प्रति में।

(य) राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हस्ताक्षर युक्त फोटो—एकल व्यापार की दशा में स्वयं स्वामी की, साझेदारी की दशा में प्रत्येक साझेदार की, हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में कर्ता की, अन्य सभी मामलों में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की।

(र) मतदाता पहचान पत्र अथवा स्थाईखाता संख्या प्रमाण—पत्र अथवा वाहन चालक लाईसेंस अथवा पासपोर्ट की प्रति।

(ल) किराये चिट्ठी, किराया की रसीद अथवा सम्पत्ति के दस्तावेजों की प्रति पते के प्रमाण के लिये।

ऐसे व्यापारी जो पूर्व में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, उन्हें भी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जायेगा, उनको वापस पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी किया जाना

यदि सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है की पंजीकरण के लिये दिया गया आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है, सही सूचनाएँ भरी गई हैं एवं उनसे वह सन्तुष्ट है, आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज, प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न की गई हैं एवं आवेदन पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार हर दृष्टि से पूर्ण हैं तो वह ऐसे आवेदन पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर प्रपत्र संख्या VAT 03 में पंजीयन प्रमाण—पत्र जारी कर सकता है।

सक्षम अधिकारी, पंजीयन प्रमाण—पत्र जारी करने के 45 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में लिखे तथ्यों तथा अभिकथनों को सत्यापित करने के लिये, जाँच पड़ताल करेगा।

पंजीकरण प्रमाण—पत्र व्यापार के मुख्य स्थान पर रखा जावेगा तथा यह अहस्तान्तरणीय होगा एवं तब तक वैद्य माना जावेगा जब तक रद्द नहीं किया जावेगा। यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के एक से अधिक स्थान हैं तो भी पंजीकरण प्रमाण—पत्र मुख्य स्थान के लिये जारी होगा एवं पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति प्रत्येक शाखा को दी जावेगी।

पंजीकरण प्रमाण—पत्र में सक्षम अधिकारी मुख्य व्यापार स्थल के नाम के साथ उन स्थानों का भी पूरा नाम व पता लिखेगा एवं वे स्थान उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर हैं तो 7 दिवस के भीतर उपायुक्त प्रशासन को जिसके क्षेत्राधिकार में आता है, को भेजेगा। यह प्रमाण पत्र तब तक वैद्य रहेगा जब तक की मूल प्रमाण पत्र वैद्य रहता है।

पंजीकरण कराना किनके लिये अनिवार्य नहीं है—

निम्न श्रेणी के व्यापारियों के लिये पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है—

(अ) ऐसे व्यापारी जो केवल कर मुक्त मालों का ही व्यापार करते हैं।

(ब) ऐसे व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार नहीं करते तथा जिनके वार्षिक विक्रय आवर्त 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(स) ऐसे व्यापारी जो निर्माणकर्ता है एवं जिनका वार्षिक विक्रय आवर्त 2 लाख रुपये से अधिक का नहीं है।

ऐच्छिक पंजीकरण { धारा-12 }

ऐसा व्यक्ति जो व्यापार प्रारम्भ करना चाह रहा है अथवा जिसने व्यापार प्रारम्भ कर दिया है इस अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी उसे निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ति करने पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देता है, इसे ही ऐच्छिक पंजीकरण कहा जाता है।

इस प्रकार यदि एक व्यापारी धारा 12 के अन्तर्गत पंजीकरण करा लेता है तो वह तब तक करदाता माना जावेगा जिस अवधि के लिये उसका पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रभावी रहता है।

स्वतः पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना {धारा-11(1)}

यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम के तहत कर के लिए दायी है परन्तु उसके द्वारा न तो पंजीकरण कराया गया है एवं न ही कर का भुगतान किया गया है तो सक्षम अधिकारी उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उस तिथि से उसे पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी कर देगा, जिस तिथि से वह इस अधिनियम के प्रावधानों

के तहत प्रथम बार कर चुकाने के लिए दायी हुआ था। इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण—पत्र धारा 11(2)में जारी प्रमाण—पत्र के तरह ही प्रभावी होता है।

पंजीकरण सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

1. कर संग्रह का अधिकार

जब एक व्यापारी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक पंजीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो वह आवेदन की तिथि से ही अपनी बिक्री पर कर संग्रह करना प्रारम्भ कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस अधिनियम के सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पंजीकृत व्यापारी पर लागू होते हैं।

2. पंजीकरण के लिये जमानत देना

(1)पंजीकरण स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी अथवा निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यापारी से पंजीकरण स्वीकृत करने की शर्त के रूप में अथवा पंजीकरण स्वीकृत करने के बाद किसी भी समय प्रारम्भिक जमानत अथवा अतिरिक्त जमानत, जैसा वह आवश्यक समझें प्रस्तुत करने के लिये कहेगा, यह जमानत निर्धारित समय एवं अधिनियम में निर्धारित विधि के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। साधारणतया ऐसी जमानत अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अथवा अन्य राशि अथवा लेखा पुस्तकों अथवा आवश्यक दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मौगी जाती है।

धारा 3(1) एवं 3(5) के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के अनिवार्य पंजीकरण के समय भी ऐसे दो व्यापारियों की जमानत देनी होती है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, यदि कोई व्यापारी ऐसी जमानत देने में असमर्थ है तो उसे निर्धारित राशि राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में या राष्ट्रीकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए स्थाई जमा अथवा बैंक गारण्टी के रूप में देनी होती है। धारा 12 के अन्तर्गत ऐच्छिक पंजीकरण कराने वाले व्यापारी के लिये प्रारम्भिक जमानत 10 हजार रुपये है, जो राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में या राष्ट्रीकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए स्थाई जमा अथवा बैंक गारण्टी के रूप में दी जा सकती है। यदि किसी व्यापारी ने अन्य पंजीकृत व्यापारी से जमानत दिलवाई है एवं वह जमानत देने वाला व्यापारी दिवालिया हो जाता है या मर जाता है तो ऐसी घटना घटित होने के 30 दिन के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को सूचित करना होगा तथा 90 दिन के भीतर नई जमानत दिलवानी होगी। यदि किसी व्यापारी की जमानत राशी सम्पूर्ण या आंशिक किन्हीं कारणों से जब्त कर ली जाती है तो उसे 30 दिन के भीतर—भीतर राशि जमा करानी होगी।

पंजीकरण प्रमाण—पत्र में संशोधन

ऐसी स्थिति जिसमें व्यापारी की मौलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण प्रमाण—पत्र में व्यापारी के आवेदन पर तदनुरूप संशोधन किया जाता है। जैसे व्यापार के नाम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, नये स्थानों पर व्यापार प्रारम्भ करना, पुराने स्थान पर व्यापार बन्द करना, अन्य व्यापार का अधिग्रहण करना, बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, कमी अथवा परिवर्तन, फर्म का समापन किये बिना उसके संविधान में संशोधन।

पुराना पंजीकरण प्रमाण—पत्र निरस्त कर नया जारी किया जाना—

ऐसी स्थिति जिसमें व्यापारी की मौलिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो पुराने प्रमाण—पत्र को निरस्त कर नया प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है, जैसे एकाकी व्यापार का साझेदारी में परिवर्तन या साझेदारी का एकाकी व्यापार में परिवर्तन, फर्म का समापन अथवा फर्म का कम्पनी में परिवर्तन या कम्पनी का फर्म में परिवर्तन।

पंजीकरण प्रमाण—पत्र निरस्त किया जाना—

व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी निर्धारण अधिकारी इस बात से सहमत है कि पंजीकरण प्रमाण—पत्र निरस्त किया जाना उचित है तो वह व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण—पत्र को निरस्त कर सकता है, सामान्यतः यह निम्न परिस्थितियों में निरस्त किया जाता है—

(1) व्यापारी ने विधि विरुद्ध कार्य किया हो,

(2) व्यापारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरित पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया हो,

(3) यदि व्यापारी ने पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु छल, कपट का सहारा लिया हो तथा दी गई सूचनाएँ गलत एवं मिथ्या हो।

- (4) यदि व्यापारी ने व्यापार स्थाई रूप से बन्द कर दिया हो,
- (5) यदि व्यापारी ने व्यापार का हस्तान्तरण कर दिया हो,
- (6) यदि व्यापारी द्वारा निर्धारित समय में जमानत मँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की हो,
- (7) यदि व्यापारी ने झूँठे अथवा जाली बिल जारी किये हो।

अभ्यास हेतु प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार व्यापारियों के पंजीकरण की विधि समझाइयें।
2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार पंजीकरण प्रमाण—पत्र में संशोधन सर्वपण एवं निरस्तीकरण के संबंध में क्या प्रावधान है, विस्तार से समझाइयें।
3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार पंजीकरण के सम्बन्ध में मुख्य—मुख्य प्रावधानों को समझाइयें।

अध्याय – 6 विवरणियां प्रस्तुत करना

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में व्यापारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। किस प्रकार एवं कब एक व्यापारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियां प्रस्तुत करना होता है। घोषणा पत्र क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है एवं ऐसे घोषणा पत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विवरणी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

1. विवरणियां प्रस्तुत करना (धारा-21)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 21 के अनुसार पंजीकृत व्यापारी को अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य हैं, अपंजीकृत व्यापारी की दशा में कर निर्धारण अधिकारी के विशेष आदेश पर एवं उनके मांगे जाने पर विवरणियां प्रस्तुत करना होता है, इस धारा के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं—

(अ) प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर दायित्व को निर्धारित अवधि के लिये निर्धारित करना होता है तथा निर्धारित किये गये प्रारूप में, निर्धारित समय में, निर्धारित विधि से अपने कर निर्धारण अधिकारी को अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी को अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

(आ) ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा व्यापारी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी आवश्यक समझता है, एक नोटिस देकर विवरणी प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को भी निर्धारित किये गये प्रारूप में, निर्धारित समय में, निर्धारित विधि से अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

(इ) उपर्युक्त उपधारा (अ) में चाहे कुछ भी वर्णित हो, यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा करना सार्वजनिक हित में उचित है तो गजट में अधिसूचना जारी कर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि को आगे बढ़ा सकती है अथवा आवश्यक समझने पर किसी व्यापारी के लिये अथवा वर्ग विशेष के व्यापारियों के लिये कोई एक विवरणी अथवा समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर सकती है।

2. बिक्री विवरणी प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान

(1) उन सभी व्यापारियों जिनको इस अधिनियम में विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्ति दी गई है, को छोड़कर, शेष सभी पंजीकृत व्यापारियों को प्रत्येक तिमाही की एक बिक्री विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी विवरणी तिमाही समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। अधिनियम की धारा 2(45) में वर्ष से आशय 1,अप्रैल से प्रारम्भ होकर आने वाले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है। प्रथम तिमाही एक अप्रैल से प्रारम्भ होती है।

तिमाही	तितराजी ग्रन्ति करने की तारीख
प्रारम्भ 1 अप्रैल ते 20 जून	20 जून
द्वितीय 1 जुलाई ते 30 सितम्बर	30 सितम्बर
तीसरी 1 अक्टूबर ते 21 दिसेंबर	20 दिसेंबर
चौथी 1 जनवरी ते 21 मार्च	20 अप्रैल

(2) विवरणी के साथ विवरणी में दर्शाये गये विवरणों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण एवं सबूत प्रस्तुत करने होते हैं इन समस्त नत्यों किये गये प्रपत्रों पर स्वयं व्यापारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, यदि अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत की गई है तो यह माना जावेगा कि विवरणी प्रस्तुत ही नहीं की गई है।

(3) ऐसे व्यापारी जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है तथा उन्होंने इस अधिनियम के तहत एक निश्चित दर से अथवा एक मुश्त कर चुकाने का विकल्प दिया है, उन्हें अपनी विवरणी वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों में, कर का भुगतान कर, भुगतान की रसीद एवं आवश्यक विवरण एवं सबूत, जो व्यापार के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो, सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(4) पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपने बिक्री की विवरणी अपने क्षेत्राधिकार वाले कर निर्धारण अधिकारी को व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर देनी चाहियें। ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार का स्थान एक से अधिक जगह हो तो मुख्य व्यवसाय स्थान के क्षेत्राधिकार वाले कर निर्धारण अधिकारी को मुख्य व्यवसाय के स्थान एवं अन्य स्थानों के व्यवसाय की सम्मिलित विवरणी प्रस्तुत करनी चाहियें। साथ ही उसको प्रति प्रत्येक ऐसे स्थान जो मुख्य व्यापार स्थान के अलावा हो के क्षेत्राधिकार वाले करदाता सेवा केन्द्र को भेजनी चाहियें।

(5) यदि किसी व्यापारी को विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि विवरणी प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की त्रुटि, भूल अथवा अशुद्धि रह गई है तो आगामी विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

3 . अपंजीकृत व्यापारी से विवरणी मांगना

सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी अथवा सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित प्रपत्र में नोटिस जारी कर किसी भी अपंजीकृत व्यापारी से नोटिस में निर्दिष्ट समय में निर्धारित प्रपत्र में ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित है के सम्बन्ध में विवरणी मांग सकता है। परन्तु यह अवधि जिसके लिये विवरणी मांगी है, नोटिस जारी होने की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं हो सकती। ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिये यह अनिवार्यता है कि वह निर्धारित समय में निर्धारित विधि से विवरणी प्रस्तुत कर दें।

रियायतें एवं घोषणा—पत्र

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में कई ऐसे रियायती एवं घोषणा—पत्र निर्धारित किये गये हैं, जिसके तहत एक व्यापारी को कर भुगतान में रियायत प्राप्त हो सकती है। ऐसे रियायती घोषणा—पत्र केता व्यापारी द्वारा, विक्रेता व्यापारी को, माल क्रय करते समय भर कर देना होता है, जिससे विक्रेता व्यापारी निम्न दरों या शुन्य दरों से कर वसूल करता है, विक्रेता व्यापारी को उक्त घोषणा—पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है, जिससे उसे भी रियायत प्राप्त हो जाती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम एवं नियमों में ऐसे घोषणा—पत्रों को प्राप्त करने, उनका उपयोग करने, अभिरक्षा करने एवं कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान दिये गये हैं।

(1) घोषणा—पत्रों के खाली फार्म प्राप्त करना— इस अधिनियम के तहत घोषणा—पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्व मूद्रित, 25—25 फार्म की पुस्तिका में होते हैं। जो व्यापारी ऐसे घोषणा—पत्र प्राप्त करना चाहता है कर निर्धारण अधिकारी को शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है।

(2) घोषणा—पत्रों का निर्गमन— यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि व्यापारी जिसके द्वारा ऐसे घोषणा—पत्र प्राप्त करने का आवेदन दिया है, उसे वास्तव में उसे आवश्यकता है या जिस प्रकार का वह व्यवसाय करता है उसके क्रम में उसे इन घोषणा—पत्रों की आवश्यकता है तथा यदि उसे पूर्व में ऐसे पत्र जारी किये गये हैं तो उसने उन घोषणा—पत्रों का सही उपयोग किया है, तो कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय की मोहर लगाकर व्यापारी का नाम, पंजीकरण संख्या, जारी करने की तिथि एवं वैधता अवधि अंकित कर घोषणा—पत्र जारी कर देता है। यह घोषणा—पत्र जारी करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहते हैं जिसे एक वर्ष के लिये ओर बढ़ाया जा सकता है।

(3) घोषणा—पत्रों को प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र को रद्द करना— यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि, व्यापारी द्वारा पूर्व में जारी किये गये घोषणा—पत्रों का सही उपयोग नहीं किया है अथवा उसे इन घोषणा—पत्रों की आवश्यकता नहीं है अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं अथवा जमानत या अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत नहीं की है अथवा पूर्व जमानतदाता की मृत्यु होने के पश्चात् निर्धारित समय में नई जमानत प्रस्तुत नहीं की है अथवा अन्य कोई आदेशों की पालना करने में असमर्थ रहा है तो, वह ऐसे व्यापारी के प्रस्तुत आवेदन को लिखित में कारण बताते हुए रद्द कर सकता है एवं घोषणा—पत्र जारी करने से मना कर सकता है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी चाहे तो सूचना प्राप्त होने, बकाया मांग राशि के भुगतान तक अथवा बकाया विवरणी प्रस्तुत करने तक आवेदन पत्र लम्बित कर सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे लिखित में कारण बताना होगा।

यदि कर निर्धारण अधिकारी न तो आवेदन रद्द करने को इच्छुक है, न ही आवेदन को लम्बित करने को इच्छुक है एवं इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि राज्य हित में घोषणा—पत्र के फार्म जारी करना उचित है तो मांगी गई मात्रा अथवा उससे कम संख्या में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित संख्या में घोषणा—पत्र के फार्म जारी कर सकता है।

(4) घोषणा—पत्र जिस पंजीकृत व्यापारी को जारी किया गया है केवल वही इसका उपयोग कर सकता है, यह अहस्तान्तरणीय होता है।

घोषणा—पत्रों के प्रयोग की विधि—

(1) **केता व्यापारी द्वारा—** केता व्यापारी द्वारा घोषणा—पत्र स्वयं द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा भरा जाना चाहियें, घोषणा—पत्र में सही एवं स्पष्ट सूचना भर कर, हस्ताक्षर कर, प्रपत्र का मूल भाग एवं अनुलिपि विकेता को देनी चाहियें एवं प्रतिपर्ण भरकर अपने पास रखना चाहियें।

(2) **विकेता व्यापारी द्वारा—** विकेता व्यापारी द्वारा, केता व्यापारी से प्राप्त भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित घोषणा—पत्र का मूल भाग विवरणी के साथ कर निर्धारण अधिकारी को निश्चित समय में प्रस्तुत कर देना चाहियें जिससे उसे कर मुक्ति अथवा कर रियायत मिल सकें एवं अनुलिपि को अपने पास रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखना चाहियें ताकि भविष्य में मांगे जाने पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकें। विकेता व्यापारी से मूल भाग एवं अनुलिपि यदि खो जाती है तो वह केता व्यापारी से डुप्लीकेट घोषणा—पत्र निर्धारित प्रमाण—पत्र लालस्याही से अंकित कराकर प्राप्त कर सकता है।

नकली, जाली, समायातीत, खोये हुए, नष्ट घोषित किये या राज्य सरकार द्वारा अप्रचलित अवैध घोषित किये गयें घोषणा—पत्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। यदि किसी व्यापारी द्वारा अपना व्यापार स्थायी रूप से बन्द कर दिया है तो अप्रयुक्त घोषणा—पत्र ऐसी तिथि के 30 दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को वापस लौटाकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहियें।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केता व्यापारी को जारी किये गये घोषणा—पत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं केता व्यापारी की होती है एवं यदि इन घोषणा—पत्रों के दुरुपयोग से राज्य सरकार को हानि होती है तो उसके लिए ऐसा व्यापारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जबाबदेह है, यदि ऐसे घोषणा—पत्र खो जाते हैं अथवा चोरी चले जाते हैं तो, ऐसे घोषणा—पत्रों को नष्ट करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना, जैसा कर निर्धारण अधिकारी निर्देश दे, केता व्यापारी के खर्च पर प्रकाशित की जावेगी। कर निर्धारण अधिकारी किसी खाली अथवा भरे हुए घोषणा—पत्रों के खो जाने, चोरी चले जाने, नष्ट होने की सूचना व्यापारी से प्राप्त होने पर ऐसे प्रत्येक घोषणा—पत्र के लिए प्रथक—प्रथक इन्डेमन्टी बॉण्ड व्यापारी से प्राप्त करेगा एवं यदि किसी भी प्रकार से इन प्रपत्रों का दुरुपयोग अथवा राज्य सरकार को हानि होती है तो उसकी भरपाई ऐसे व्यापारी से करेगा, जिसे ये जारी किये गये थे।

अभ्यास हेतु प्रश्न

- 1 . राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत विवरणी प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान एवं विधि का सविस्तार वर्णन किजियें।
- 2 . किन परिस्थितियों में निर्धारण अधिकारी घोषणा पत्र निर्गमन से मना कर सकता है अथवा आवेदन को रद्द कर सकता है। विस्तार से समझाईयें।
- 3 . निम्न पर टिप्पणीयां लिखियें —
 - (अ) घोषणा पत्रों का निर्गमन,
 - (ब) घोषणा पत्रों के प्रयोग की विधि,
 - (स) घोषणा पत्रों की सुरक्षा।

अध्याय – 7 कर दायित्व का निर्धारण, भुगतान एवं कर की वसूलियाँ

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में अन्तर्गत व्यापारियों कर दायित्व का निर्धारण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। किस प्रकार एवं कब एक व्यापारी का इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण किया जाता है एवं वे कोनसी परिस्थितियाँ हैं जब एक व्यापारी का सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण किया जाता है। कर के भुगतान एवं वसूली के सम्बन्ध में इस अधिनियम में क्या प्रावधान है। कर निर्धारण के सम्बन्ध प्रयुक्त विभिन्न तकनीकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

कर निर्धारण से आशय किसी भी पंजीकृत व्यापारी की कर अवधि के लिये विक्रय आवर्त एवं कर योग्य विक्रय राशी की गणना करने तथा उस पर देय कर की गणना करने से है। कर निर्धारण की विधियाँ निम्न प्रकार हैं—

- (1) स्वयं कर निर्धारण,
- (2) संशोधित विवरणी के आधार पर कर निर्धारण,
- (3) कर नहीं जमा करने पर कर निर्धारण,
- (4) कर की अपवंचना और परिवर्जना पर कर का निर्धारण,
- (5) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण,
- (6) छूटा हुआ कर निर्धारण,
- (7) आकस्मिक व्यापारियों पर कर निर्धारण,
- (8) विशेष मामलों में कर निर्धारण।

1— **स्वयं कर निर्धारण**— राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, में व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की गई बिक्री विवरणियों के आधार पर स्वयं कर निर्धारण प्रणाली लागू की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी प्रस्तुत करते समय, स्वयं कर निर्धारण करके, निश्चित समय में अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी चाहियें, धारा 23 के अनुसार इस प्रकार प्रस्तुत की गई विवरणी जिस अवधि की है उस अवधि के लिये उस व्यापारी का कर निर्धारण मान लिया जाता है।

2— **संशोधित विवरणी के आधार पर कर निर्धारण**— व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की जाँच करने पर यह पाया जाता है कि उसमें कुछ गलती हो गई है तो कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के एक वर्ष के भीतर व्यापारी को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देकर संशोधित विवरणी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, व्यापारी द्वारा संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने पर संशोधित विवरणी के आधार पर कर निर्धारण माना जाता है।

3— **कर नहीं जमा करने पर कर निर्धारण**— यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में किसी भी अवधि का कर जमा करने में असमर्थ रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी आवश्यक पूछताछ कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उस अवधि के लिये सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण कर सकता है।

4— **कर की अपवंचना और परिवर्जना पर कर का निर्धारण**— यदि किसी व्यापारी ने इस अधिनियम के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया है अथवा गलत तरीके से आदान कर की छूट का लाभ प्राप्त कर रहा है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर छूट का दावा कर रहा है एवं कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी इससे सन्तुष्ट नहीं है तो व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए किसी भी समय अथवा किसी भी अवधि के उस कर योग्य विक्रय का निर्धारण कर सकता है जिसके सम्बन्ध में कर-वर्जना की है अथवा कर-वंचना की है अथवा प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया है अथवा गलत आदान कर की छूट प्राप्त कर ली है। इस आधार पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी।

5— **सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण**— राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन निम्न परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी को सर्वोत्तम कर निर्धारण के आधार पर कर निर्धारण का अधिकार है —

- (अ) करदाता द्वारा किसी अवधि के लिये देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि नहीं करने पर,
- (आ) व्यापारी द्वारा किसी अवधि की विवरणी निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करने पर,
- (इ) निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस देने के बावजूद निर्धारित अवधि में संशोधित विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर,
- (ई) व्यापारी द्वारा कर-वर्जना अथवा कर-अपवंचना किये जाने पर अथवा कानून के अनुसार कर भुगतान नहीं करने पर अथवा गलत तरीके से आदान कर की छूट लेने पर अथवा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर छूट का दावा करने पर।

उपरोक्त प्रकार के मामलों में कर-निर्धारण करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी उचित जॉच पड़ताल करेगा एवं व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण करेगा।

6. छूटा हुआ कर निर्धारण— निम्न परिस्थितियों में किया गया कर निर्धारण छूटा हुआ कर निर्धारण माना जावेगा—

- (अ) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई व्यापारी पंजीयन के लिये दायी होते हुये भी जानबूझ कर अथवा अज्ञान वश पंजीकरण नहीं करवाता है, अथवा
- (आ) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर, शुल्क अथवा अन्य कोई राशी किसी भी कारण से कर लगाने से छूट गई हो, अथवा

(इ) किसी भी कारण से अथवा किसी भी परिस्थिति के कारण कर की राशी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्धारित करने से रह गई है अथवा कम निर्धारित हुई है।

इस प्रकार छूटे हुये कर निर्धारण को कर निर्धारण अधिकारी अपने पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अथवा आवश्यक जॉच पड़ताल के पश्चात् तथा व्यापारी को सुनवाई का उचित मौका देने के पश्चात् कर निर्धारण को पूरा कर सकता है परन्तु ऐसा कर निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर अवधि की समाप्ति के 5 वर्ष बाद नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है तथा अधिकतम सम्बन्धित कर अवधि के 8 वर्ष बाद ऐसा कर निर्धारण पूरा नहीं किया जायेगा।

7— आकस्मिक व्यापारियों पर कर निर्धारण—

(1) प्रत्येक आकस्मिक व्यापारी का यह दायित्व है कि वह अपने द्वारा किये गये क्य विक्रय के सौदे के पूरे होते ही उस सौदे के मूल्य तथा उस पर देय कर की सूचना अपने कर निर्धारण अधिकारी अथवा निकट के चैक पोस्ट प्रभारी को देवें एवं उनके द्वारा निर्देशित विधि से एवं निश्चित की गई अवधि में कर को जमा करा दे।

(2) यदि ऐसा आकस्मिक व्यापारी ऐसी सूचना नहीं देता है तो कर निर्धारण अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी उसे उक्त सूचना देने का आदेश दे सकता है एवं यदि उसके आदेशों की पालना न किया जावे तो सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये ऐसे आकस्मिक व्यापारी पर सर्वोत्तम कर निर्णय के आधार पर देय कर का निर्धारण किया जा सकता है, एवं ऐसे आकस्मिक व्यापारी को निर्धारित विधि एवं निर्धारित समय में राशि जमा कराने का निर्देश दे सकता है।

(3) यदि आकस्मिक व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी के उक्त आदेश की पालना नहीं करता है तथा निर्देशानुसार कर जमा कराने में असमर्थ रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी ऐसे आकस्मिक व्यापारी के माल को तब तक रोक लेगा जब तक की ऐसा व्यापारी कर का भुगतान न कर दे अथवा पर्याप्त जमानत जमा नहीं करा दे।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आकस्मिक व्यापारी द्वारा देय कर, पंजीकृत व्यापारी द्वारा देय मांग राशि के समान ही माना जावेगा तथा उसी अनुरूप अधिनियम में निर्धारित प्रावधान उसकी वसूली के लिए लागू होंगे।

(5) यदि आकस्मिक व्यापारी पंजीकृत है तो वह पंजीकृत व्यापारी के सामान कर का भुगतान करेगा। यदि वह अपंजीकृत है तो चैक पोस्ट अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य कोई अधिकारी को कर का भुगतान नकद करेगा एवं VAT 28 में रसीद प्राप्त करेगा।

8— विशेष मामलों में कर निर्धारण—

(1) अवयस्क या असमर्थ व्यक्तियों के मामले में कर निर्धारण— यदि किसी अवयस्क या असमर्थ व्यक्ति की ओर से उसके संरक्षक, प्रन्यासी, अथवा ऐजेण्ट द्वारा व्यापार चलाया जाता है तो ऐसे संरक्षक, प्रन्यासी अथवा ऐजेण्ट

पर ही कर निर्धारण किया जायेगा एवं कर वसूल किया जायेगा जैसे कि वह अवयस्क व्यक्ति अथवा असमर्थ व्यक्ति अपना व्यापार चलाता एवं उस पर कर निर्धारण किया जाता।

(2) **कोर्ट ऑफ वार्ड्स का कर निर्धारण—** जब किसी व्यापारी की सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग कोर्ट ऑफ वार्ड्स, प्रशासक, सरकारी प्रन्यासी अथवा सरकारी धारक या प्रबन्धक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसकी नियुक्ति उसके द्वारा या न्यायालय के आदेशों से हुई हो, के नियंत्रण में है तथा वही उनकी ओर से व्यापार का प्रबन्धक करता है तो ऐसे व्यक्ति पर ही कर निर्धारण किया जायेगा। यह कर निर्धारण उसी प्रकार एवं उन्हीं नियमों के तहत किया जायेगा जैसे कि वह उस व्यापारी पर किया जाता, यदि वह स्वयं अपने व्यापार को चलाता तथा अधिनियम के समस्त प्रावधान व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम भी उसी पर लागे होंगे।

(3) **फर्म का व्यापार बन्द होना अथवा फर्म के विघटन होने पर कर निर्धारण—** यदि किसी फर्म का व्यापार बन्द कर दिया जाता है अथवा फर्म का विघटन हो जाता है तो उस पर कर निर्धारण उसी प्रकार किया जायेगा मानों कि उस फर्म का विघटन हुआ ही न हो। उस फर्म के समस्त साझेदार व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से कर दायित्व के लिए दायी होंगे।

त्रुटि सुधार { धारा-33 }

यदि किसी व्यापारी के कर निर्धारण में किन्हीं भी कारणों से कोई गलती रह गई है जो अभिलेखों से ज्ञात हो जाती है अथवा बाद में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से ज्ञात हो जाती है तो ऐसी दशा में न्यायाधिकरण, आयुक्त, अपील अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी अथवा इस अधिनियम में अधिकृत **अन्य** अधिकारी अपने आदेश को स्व-विवेक से, सुनवाई का पर्याप्त मौका देते हुये संशोधित कर सकता है। इसमें ऐसा संशोधन भी शामिल है जो आदेश जारी करते समय वैध था परन्तु भूतलक्षी प्रभाव से कानून में संशोधन के कारण अथवा न्यायालयों अथवा राजस्थान कर मण्डल के किसी निर्णय के कारण अवैध हो गये हों।

जिस आदेश में संशोधन किया जाना हो, उसके जारी होने के 3 वर्ष की अवधि समाप्ति से पूर्व आवेदन किया जा सकता है। यदि कोई व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी अथवा कर मण्डल को सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे ऐसे आवेदन की रसीद प्राप्त कर लेनी चाहियें, ऐसे आवेदनों को प्राप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर निपटा देना चाहियें यदि कर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी अथवा कर मण्डल ऐसे आवेदन पत्रों को एक वर्ष के भीतर नहीं निपटाते हैं तो उन्हें स्वीकृत हुआ मान लिया जाता है। जिस आदेश में संशोधन किया जाना है उसके जारी होने की तिथि के 4 वर्ष पश्चात् उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी संशोधन आदेश के फलस्वरूप किसी व्यापारी का कर दायित्व बढ़ जाता है तो ऐसे व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही संशोधन आदेश जारी किया जा सकता है।

एक तरफा कर निर्धारण के पश्चात् सुनवाई का पुनः मौका दिया जाना

यदि किसी व्यापारी पर इस अधिनियम की धारा 22 अथवा धारा 24 (2)(ब) अथवा धारा 25 अथवा धारा 26 अथवा धारा 27 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर एक तरफा कर निर्धारण कर दिया जाता है तो ऐसे कर निर्धारण के मांग पत्र तामील होने के 30 दिन के भीतर ऐसा व्यवसायी ऐसे कर निर्धारण की पुनः खुलवाई हेतु, निर्धारित फीस सहित, उपायुक्त (प्रशासन) को आवेदन करेगा एवं उपायुक्त (प्रशासन) एक आदेश जारी कर कर निर्धारण अधिकारी के ऐसे कर निर्धारण आदेश को निरस्त करने के लिए तथा कानून के अनुसार नये कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की निर्देश दे सकता है, परन्तु ऐसे निर्देश उस दशा में जारी किये जाएं जब उपायुक्त(प्रशासन) इस बारे में सन्तुष्ट हो जाता है कि करदाता को सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया है अथवा किन्हीं पर्याप्त कारणों की वजह से नोटिस की पालना करने में असमर्थ रहा है। उपायुक्त(प्रशासन) के द्वारा जारी आदेश प्राप्त करने के 60 दिन के भीतर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नया कर निर्धारण किया जायेगा।

मांग का नोटिस जारी करना-

जब किसी व्यापारी का कर निर्धारण पूरा हो जाता है तो उसे प्रपत्र संख्या VAT 17 में चुकाई जाने वाली राशि जमा कराने की अवधि एवं विधि बताते हुए एक मांग का नोटिस जारी किया जाता है जिसके साथ कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न होती है करदाता का दायित्व है कि वह समय पर मांग के नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करें। सामान्यतः यह मांग राशि नोटिस तामील होने के 30 दिन के भीतर जमा करना होता है।

कर का भुगतान एवं वसूली

(अ) कर का भुगतान— धारा 20

1— कर जमा कराने की समय सीमा

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की राशि सरकारी खजाने में अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंक में जमा कराई जाती है, ऐसी राशि व्यापारी के खातों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित विधि से निर्दिष्ट समयान्तरालों से जमा कराई जानी होती है। अलग-अलग श्रेणी के व्यापारियों के लिए पृथक-पृथक अन्तराल अधिसूचित किये जा सकते हैं। इस धारा के अन्तर्गत जमा कराई गई राशि अथवा कर के बदले काटी कई कोई राशी, अग्रिम भुगतान ही माना जाता है एवं जिसका बाद में कर निर्धारण पर देय कर दायित्व में से समायोजन कर दिया जाता है।

(2) यदि राज्य सरकार लोक हित में उचित मानती है तो वह गजट में अधिसूचना जारी कर व्यापारियों के किसी वर्ग द्वारा कर के भुगतान को ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित किसी भी अवधि के लिये सशर्त अथवा शर्तरहित स्थगित कर सकती है।

(3) एक कार्य अनुबंध की दशा में ठेकेदाता, ठेकेदार को किये गये भुगतान के प्रत्येक बिल में से, अधिकतम ठेके के कुल मूल्य के 6 प्रतिशत की दर से भुगतान के बदले कटौति कर सकता है। यह कटौति ऐसे विधि से तथा ऐसी परिस्थितियों में की जावेगी जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के द्वारा निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार की गई कटौति की राशी निर्दिष्ट समय तथा निर्धारित विधि से सरकारी खाते में जमा कराई जावेगी।

धारा 20 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गई सकितयों का प्रयोग करते हुयें दिनांक 31 मार्च 2006 को एक अधिसूचना जारी कर तुरन्त प्रभाव से लागू की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न वर्गों के व्यापारी निम्नलिखित अन्तराल पर कर का भुगतान करेंगे।

व्यापारियों की श्रेणी	भुगतान का अन्तराल
1 — ऐसे व्यापारी जिनका चालू कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वर्ष के लिये वार्षिक कर दायित्व 40 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो।	महिने के प्रथम दिन से दसवें दिन तक एकत्रित किये गये कर को उसी महिने की 15 तारीख तक, ग्यारहवें से बीसवें दिन तक एकत्रित किये गये कर को उस महिने के अन्तिम दिन तक तथा इक्कीसवें दिन से महिने की समाप्ति तक एकत्रित किये गये कर को आगामी माह के 5 तारीख तक जमा कराना होगा।
2 — ऐसे व्यापारी जिनका चालू कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वर्ष के लिये वार्षिक कर दायित्व 60 लाख रुपये से अधिक परन्तु 40 करोड़ रुपये से कम हो।	महिने के पन्द्रहवें दिन तक एकत्रित किये गये कर को उसी महिने की 20 तारीख तक, तथा सोहलवें दिन से उस महिने के अन्तिम दिन तक एकत्रित किये गये कर को आगामी माह की 7 तारीख तक जमा कराना होगा।
3 — ऐसे व्यापारी जिनका चालू कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वर्ष के लिये वार्षिक कर दायित्व 20 हजार रुपये से अधिक परन्तु 60 लाख रुपये से कम हो।	मासिक आधार पर माह समाप्ति के 14 दिन के भीतर जमा कराना होगा।
4 — ऐसे व्यापारी जो सभी प्रकार के पत्थरों में उनके समस्त रूपों में (मार्बल, ग्रेनाईट आदि को सम्मिलित करते हुये) चाहे उसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से हुआ हो।	क्रय या विक्रय का सौदा पूरा होते ही भुगतान करें तथा यह भुगतान धारा 76 के अन्तर्गत स्थापित चैक पोर्ट पर माल के गुजरते समय तुरन्त किया जायेगा।
5 — ऐसे व्यापारी जिन्होंने अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया है।	त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि के 14 दिवस के भीतर भुगतान करेंगे।

6. उपर्युक्त वर्ग 1 से 5 में नहीं आने वाले व्यापारी।

त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि के 14 दिवस के भीतर भुगतान करेंगे।

मांग के भुगतान का नोटिस—

कर निर्धारण पूरा हो जाने पर अथवा अधिनियम के अन्तर्गत अन्य आदेश पारित हो जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी प्रपत्र VAT 17 में एक मांग का नोटिस जारी करता है इस नोटिस के साथ कर निर्धारण आदेश अथवा अर्थदण्ड आदेश की प्रति संलग्न की जाती हैं। नोटिस में दी गई कर, ब्याज अथवा दण्ड की राशि का भुगतान नोटिस प्राप्ति के 30 दिन में कराना अनिवार्य है। यदि कर-निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझें तो राज्य हित में नोटिस की अवधि 30 दिन से कम भी कर सकता है।

किस्तों में भुगतान—

यदि एक व्यापारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अन्तर्गत बकाया मांग की सम्पूर्ण राशि एक साथ चुकाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की तिथि के बारह माह तक की अवधि में किस्तों में भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, यदि—

(अ) मांग की राशि 50 हजार रुपये तक है तो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा, अथवा

(आ) मांग की राशि 50 हजार रुपये से अधिक परन्तु 2 लाख रुपये तक है तो सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा, यदि मामले को देखते हुए राशि 12 माह की अवधि अपर्याप्त है तो सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर अधिकारी 2 लाख रुपये तक की मांग हेतु किस्त की अवधि बढ़ा सकते हैं।

(इ) यदि मांग राशि 2 लाख रुपये से अधिक है परन्तु 10 लाख रुपये से कम है तो सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर अधिकारी, उपायुक्त (प्रशासन) जिसके क्षेत्राधिकार का मामला है, की अनुमति से प्रस्तावित अवधि 24 माह तक बढ़ा सकते हैं।

(ई) यदि मांग की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो सहायक आयुक्त अथवा वाणिज्य कर अधिकारी आयुक्त की अनुमति से 36 माह तक उक्त अवधि बढ़ा सकते हैं। किसी भी मामले में 36 माह से अधिक किस्त में भुगतान के लिये स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(उ) यदि मांग की राशि को किस्तों में भुगतान किया जाता हो और एक महिने से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है तो व्यापारी को दो जमानत दारों सहित, जो निर्धारण अधिकारी स्वीकार करें, जमानती बाण्ड VAT 64 में भरकर देना होगा।

भुगतान की विधि—

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी बकाया राशि का भुगतान प्रपत्र VAT 37 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंक में जमा कराना होता है। यदि कोई व्यापारी राजस्थान का निवासी नहीं है तो भी उसे ऐसे देय राशि का भुगतान निर्धारित चालान प्रपत्र VAT 37 में भरकर राजस्थान में स्थित अधिकृत बैंक में जमा कराना होता है यह चालान प्रपत्र 5 भागों में होता है एवं पॉर्चों भाग सही एवं स्पष्ट रूप से भरकर बैंक में देने होते हैं यह चालान कार्बन प्रति में मान्य नहीं है। बैंक इन चालान के प्रथम तीन भाग अपने पास रख लेता है एवं राशि जमा कराने के प्रमाण के रूप में भाग चार एवं पांच रोकड़ प्राप्ति की मोहर लगाकर जमा कराने वाले व्यापारी को लौटा देता है। तीन भाग जो बैंक रखता है उसमें से, प्रथम भाग सरकारी खजाने के लिए, द्वितीय भाग महालेखाकार राजस्थान के लिए, एवं तीसरा भाग कर निर्धारण अधिकारी के लिए होता है। व्यापारी को जो भाग चार एवं पांच दिया जाता है उसमें से भाग पांच व्यापारी के लिए एवं भाग चार व्यापारी अपनी बिक्री विवरणी के साथ लगाकर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करता है। बैंक से खजाने के माध्यम से प्राप्त भाग तीन तथा करदाता के माध्यम से प्राप्त भाग चार का मिलान कर निर्धारण अधिकारी करता है।

इन नियमों के तहत भुगतान तिथि वह मानी जावेगी जिस तिथि को वह राशि वास्तव में राज्य सरकार के खजाने में जमा हुई।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर, मांग या अन्य राशि, चैक पोस्ट प्रभारी या उडन-दस्ता प्रभारी को भुगतान की गई है तो ऐसा अधिकारी भुगतान प्राप्त कर प्रपत्र संख्या VAT 38 में इसकी रसीद जारी करेगा।

यदि अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत किसी ठेकेदार को कर के बदले एक निश्चित राशि एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है तो पंजीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे ठेकेदार के पास राशि जमा कराकर रसीद प्राप्त करने पर, उपरोक्त प्रावधानों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ठेकेदारों द्वारा भुगतान—

(1) यदि कोई ठेकेदार, किसी ठेकेदाता से, किसी कार्य अनुबंध निष्पादन के दौरान माल के रूप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण का समझौता करता है एवं ठेकेदाता का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है तो ठेकेदाता द्वारा प्रपत्र VAT 40 में समस्त विवरण समझौता होने के 1 माह के भीतर वाणिज्य कर अधिकारी को भेजा जायेगा।

(2) यदि ऐसा ठेका, सरकार के किसी विभाग, निगम, राजकीय उपकम, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय या सत्ता अथवा स्वयंसेवी निकाय, प्रन्यास या निजी या सार्वजनिक कम्पनी द्वारा दिया गया है, जो ठेकेदार को अनुबन्ध को पूरा करने के बदले भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे ठेकेदाता द्वारा ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व ऐसे भुगतान में से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राशि की कटौति करेगा और प्रपत्र VAT 41 में ठेकेदार को कटौति प्रमाण पत्र जारी करेगा, उक्त प्रपत्र सहायक आयुक्त अथवा वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय से राशि का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त प्रकार से काटी गई राशि को सम्बन्धित ठेकेदाता द्वारा चालान प्रपत्र VAT 37 में निर्धारित तरीके से राज्य सरकार से अधिकृत बैंक में 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी तथा इसकी विवरणी VAT 40 प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(4) उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने पर ठेकेदाता, इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा तथा भुगतान करने की तिथि से निर्धारित दरों से ब्याज सहित कर राशि का भुगतान करना होगा।

संग्रहणों का सत्यापन—

सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी या अन्य अधिकारी जो कर संग्रहण को सम्भलता है, मासिक तौर पर जमा हुए कर का विवरण तैयार कर कोषाधिकारी कार्यालय से मिलान करवायेगा एवं यदि कोई अन्तर ज्ञात होता है तो मिलान हेतु आवश्यक अभिलेखों से सत्यापन कर अन्तर के कारणों को ज्ञात करेगा एवं समाधान करेगा।

कर की वसूली की विधि—

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यापारी जिस पर कर, जुर्माना, शुल्क, ब्याज आदि के सम्बन्ध में कोई बकाया है एवं ऐसा व्यापारी जमा कराने में असमर्थ रहता है तो धारा 49 एवं 50 में वसूली की विधि बताई गई है। धारा 51 में ब्याज एवं अर्थदण्ड को कम करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा धारा 52 में मांग को अभिलिखित करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(1) वसूली की सामान्य विधि [धारा 49]

यदि कोई व्यापारी बकाया कर राशि का भुगतान निर्धारित समय में, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं करता है तो कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार है कि वह दोषी व्यापारी से वह राशि बकाया भू-राजस्व की भाँती उसकी चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क करवाकर कर एवं बकाया अन्य राशि वसूल कर सकता है।

(2) वसूली की विशेष विधि [धारा 50]

अधिनियम की धारा 49 में वसूली के प्रावधान होते हुए भी यदि पूर्ण राशि की वसूली नहीं हुई है अथवा कर निर्धारण अधिकारी चाहे तो धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अथवा समय समय पर लिखित में नोटिस देकर दोषी व्यापारी की ओर से सरकारी कोष में कर एवं अन्य बकाया राशि जमा कराने का आदेश दे सकता है यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दोषी व्यापारी को कोई राशि देय है अथवा देय हो सकती है अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोषी व्यापारी की कोई धन-राशि जमा या उसके अधिकार में दोषी व्यापारी की कोई सम्पत्ति है।

कर निर्धारण अधिकारी धारा 50 में जारी किये गये इस प्रकार के नोटिस की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित दोषी व्यापारी के पते पर भेजेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को ऐसे दोषी व्यापारी की बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है, उसे उसके द्वारा दोषी व्यापारी की धारीत सम्पत्ति या राशि के भुगतान का दायित्व है, परन्तु उक्त राशि नोटिस राशि से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसे व्यक्ति के पास धारीत राशि या सम्पत्ति नोटिस में उल्लेखित राशि से कम है तो वह केवल उतनी ही राशि देने के लिए दायी है जितनी

की उसे दोषी व्यापारी को भुगतान की जानी होती। ऐसा व्यक्ति यदि नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी उक्त नोटिस की अवहेलना कर दोषी व्यापारी को भुगतान कर देता है एवं राजकोष में राशि जमा नहीं करता है तो उक्त राशी के एवं जुर्माने के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से दाढ़ी होगा एवं उससे यह राशि उसी प्रकार वसूल की जावेगी जिस प्रकार एक करदाता से वसूल की जा सकती है, उस पर भी धारा 49 एवं धारा 50 में उल्लेखित विधि से बकाया राजकीय राशी वसूली जावेगी।

धारा 51 में आयुक्त को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह ऐसे दोषी व्यापारी के मामले में आवश्यक जॉच पड़ताल कर एवं कारणों को अभिलिखित करते हुए देय व्याज या अर्थदण्ड में कमी कर सकता है या समाप्त कर सकता है परन्तु धारा 51 में मूल कर की राशि को अपलिखित करने का अधिकार नहीं है।

मांग को अपलिखित करने का अधिकार—

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यापारी के विरुद्ध बकाया राशी जो दस वर्षों से अधिक अवधि से बकाया हो चाहे वह एक वर्ष की हो या एक से अधिक वर्ष की हो एवं अब वसूली योग्य न हो तथा धारा 49 एवं धारा 50 की कार्यवाही करने के उपरान्त भी वसूल नहीं हुई हो तो उस मांग राशि को अपलिखित करने के सम्बन्ध में निम्न नियम है—

1. 10 हजार रुपये तक मांग राशि — सहायक वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा
2. 25 हजार रुपये तक मांग राशि — सहायक आयुक्त या वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा
3. 25 हजार से अधिक परन्तु एक लाख तक मांग राशि — उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा
4. एक लाख से अधिक परन्तु 10 लाख तक मांग राशि — आयुक्त द्वारा
5. 10 लाख से अधिक मांग राशि — राज्य सरकार द्वारा

अभ्यास के लिये प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अनुसार सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या हैं। यह किन परिस्थितियों में किया जाता है।
2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अन्तर्गत आकस्मिक व्यापारियों पर कर निर्धारण सम्बन्धि प्रावधानों का सविस्तार वर्णन किजिये।
3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा देय राशि को किस प्रकार वसूल किया जा सकता है, वसूली की विधि सविस्तार समझाईयें।
4. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, में कर के भुगतान की विधि पर प्रकाश डालिये तथा बताईयें कि जमा कराये गये कर का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है।
5. एक ठेकेदार द्वारा कर के भुगतान के सम्बन्ध में अधिनियम में बताई गई विधि पर प्रकाश डालियें।
6. क्या मांग राशि को अपलिखित किया जा सकता है यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? विभिन्न अधिकारियों को मांग राशि के अपलेखन के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों को बताईयें।
7. निम्न मदों को सविस्तार समझाईयें—
 - (अ) छूटा हुआ कर निर्धारण,
 - (आ) एक तरफा कर निर्धारण की पुनःखुलवाई,
 - (इ) त्रुटि सुधार,
 - (ई) स्वयं कर निर्धारण एवं संशोधित विवरणी के आधार पर कर निर्धारण,
 - (उ) आकस्मिक व्यापारी द्वारा कर का भुगतान,
 - (ऊ) मांग का किस्तों में भुगतान।

अध्याय–8 ब्याज अर्थदण्ड एवं अभियोजन

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगें कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में अन्तर्गत बनाए गये प्रावधानों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर अथवा अवहेलना पर ब्याज, अर्थ–दण्ड एवं अभियोजन के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। किस प्रकार एवं कब एक व्यापारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज, अर्थ–दण्ड से दण्डित किया जा सकता है एवं वे कौनसी परिस्थितियां हैं जब एक व्यापारी को अभियोजन का सामना करना पड़ता है। ब्याज, अर्थ दण्ड एवं अभियोजन के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा अवहेलना पर ब्याज, अर्थ दण्ड एवं अभियोजन सम्बन्धी प्रावधान धारा 55 से 67 तक दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(अ) ब्याज {धारा–55}

यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी उसके द्वारा देय कर की राशि अथवा निर्धारित कर, शुल्क ब्याज अथवा अर्थ–दण्ड की राशि अथवा अन्य किसी मॉग की राशि का इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि में भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उस राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई दर के आधार पर ब्याज चुकाने के लिये दायी होगा। ऐसे ब्याज की गणना भुगतान के लिये निर्दिष्ट तिथि के तुरन्त बाद वाली तिथि से भुगतान की तिथि के लिये की जायेगी। इस धारा की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान का दायित्व एक महीने से कम की अवधि के लिये भी होगा।

(ब) अर्थ–दण्ड {धारा–56 से 66}

1. पंजीकरण के लिये आवेदन न करने पर अर्थ–दण्ड {धारा–56}—यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के निर्धारित समय में अपना पंजीकरण कराने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर पंजीकरण शुल्क के अलावा प्रथम 30 दिन के लिए रु 2000 एवं उसके बाद चूक जारी रहने पर प्रतिदिन 20 रु तक का अर्थ–दण्ड लगाया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत अर्थ–दण्ड उस वाणिज्य कर अधिकारी अथवा उस अधिकारी द्वारा लगाया जायेगा जो पंजीकरण करने के लिए सक्षम है।

2. जमानत या अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत न करने पर अर्थ–दण्ड{धारा–57}—यदि कोई व्यापारी धारा 15 में निर्देशित जमानत की राशि अथवा अतिरिक्त जमानत की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करता है तो पंजीकरण के लिये सक्षम अधिकारी अथवा निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति पर प्रथम 30 दिन के लिए रु 2000 तक का अर्थ दण्ड लगा सकता है। यदि ऐसा अपराध लगातार चालू रहता है तो अपराध चालू रहने की अवधि में 50 रु प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थ–दण्ड लगाया जा सकता है।

3. विवरणी प्रस्तुत न करने पर अर्थ–दण्ड{धारा–58}—यदि कोई व्यापारी बिना उचित कारण के धारा 21 में स्वीकृत अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्धारण अधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत सहायक वाणिज्य कर अधिकारी उस व्यापारी पर उसके द्वारा देय कर की राशि के अतिरिक्त निम्न राशि अर्थ–दण्ड के रूप में लगा सकता है—

(अ) यदि धारा 20 की व्यवस्थाओं के अनुसार कर भुगतान निर्धारित समय में किया जाता है परन्तु विवरणी की प्रस्तुति में चूक करता है तो प्रथम 30 दिन के लिए रु 2000 एवं उसके बाद चूक जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रु तक का अर्थ–दण्ड लगाया जा सकता है परन्तु अर्थ दण्ड की अधिकतम राशि उस पर निर्धारित कर के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ब) अन्य सभी दशाओं में कर भुगतान निर्धारित समय में किया जाता है परन्तु विवरणी की प्रस्तुति में चूक करता है तो प्रथम 30 दिन के लिए रु 2000 अथवा कुल कर दायित्व का 5 प्रतिशत दोनों में से जो अधिक हो एवं उसके बाद चूक जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रु तक का अर्थ–दण्ड लगाया जा सकता है परन्तु अर्थ दण्ड की अधिकतम राशि उस पर निर्धारित कर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. लेखे न रखने पर अर्थ दण्ड{धारा–59}—यदि कोई व्यापारी धारा 71(1) तथा(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत चाहे गये लेखे, रजिस्टर, प्रपत्र आदि नहीं रखता है अथवा इन लेखों, रजिस्टरों एवं प्रपत्रों को व्यवसाय के स्थान पर

नहीं रखता है तो उस व्यापारी पर प्राधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत अन्य कोई प्राधिकारी जो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के नीचे के पद का न हो तो 5000 रु तक का अर्थ-दण्ड लगा सकता है तथा चूक चालू रहने की अवधि में 100रु प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त अर्थ-दण्ड लगा सकता है।

5. अनाधिकृत कर संग्रह करने पर अर्थ-दण्डधारा-60}—यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत डीलर न होते हुए भी अनाधिकृत रूप से कर का संग्रह करता है तो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कर अधिकारी या वाणिज्य कर अधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी उस व्यक्ति पर इस प्रकार संग्रहीत की गई राशि तक का अर्थ दण्ड लगा सकता है। इसके अलावा उसके द्वारा संग्रहीत की गई राशि को भी जब्त कर लेगा।

निम्न परिस्थितियों में संग्रहीत किया गया कर अनाधिकृत रूप से संग्रहीत किया गया माना जायेगा—

(अ) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न होते हुये भी अथवा पंजीकृत हो पर कर का भुगतान नहीं करता हो परन्तु कर के रूप में कोई राशि संग्रह करता है; अथवा

(आ) एक पंजीकृत व्यापारी उसके द्वारा देय कर की राशि से अधिक कर का संग्रह करता है; अथवा

(इ) अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के विरुद्ध कर का संग्रह करता है।

6. कर परिवर्जना या अपवंचना के लिये अर्थ-दण्डधारा-61}—यदि किसी व्यापारी ने चाहे वह पंजीकृत हो अथवा नहीं उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई विवरण छिपाया है अथवा विवरणी में जान बूझ कर गलत विवरण दिया है अथवा अधिनियम के अन्तर्गत रखे जाने वाले लेखों रजिस्टरो या प्रपत्रो से क्रय या विक्रय के किसी सौदे को छिपाया है अथवा अन्य किसी प्रकार से कर की परिवर्जना या अपवंचना की है तो निर्धारण प्राधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत सहायक वाणिज्य कर अधिकारी उस पर कानूनन रूप से देय राशि के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचित कर की राशि के दो गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है। यदि गलत रूप से आगम कर की छूट लेने पर यह दण्ड छूट राशि के 4 गुने के बराबर तथा अन्य दशाओं यह दण्ड राशि के 2 गुने के बराबर होगा।

7. संमक प्रस्तुत न करने पर अर्थ दण्डधारा-62}—यदि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा चाहे गये समंक अथवा मॉगी गई अन्य कोई सूचना निर्धारित समय में बिना किसी उचित कारण के प्रस्तुत करने से असमर्थ रहता है तो उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त वाणिज्य कर अधिकारी अथवा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति पर 1000 रु तक का अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

8. ठेकेदाताओं पर अर्थ-दण्डधारा-63}—यदि किसी कार्य अनुबन्ध का ठेकादाता निर्धारित प्रावधानो के अनुसार किसी ठेकेदार के बिल से कर के बदले राशि नहीं काटे अथवा ऐसे बिल में से राशि की कटौती करने के बाद निर्धारित समय में कटौती की राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराये तो वह प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिये काटे जाने वाले कर की राशि एवं उस पर 20 प्रतिशत के अर्थ-दण्ड को जमा कराने के लिये तो दायी होगा। यदि कटौती किया गया हुआ कर निधारित समय पर जमा नहीं कराया जाता है तो वह चूक चालू रहने की अवधि में 3 प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से ब्याज के भुगतान के लिये भी दायी होगा। इस उपधारा के तहत काटी गई रकम की वसूली के लिये एवं अर्थ-दण्ड लगाने के लिये सम्बन्धित ठेकेदार का निर्धारण प्राधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत सहायक वाणिज्य कर अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

9. अन्य उल्लंघनों के लिये अर्थ दण्ड [धारा-64]}— यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालना न करें अथवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करें एवं यदि वह उल्लंघन धारा-55 से 63 तक के अन्तर्गत न आता हो तो कमिश्नर द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से नीचे के पद का न हो, 2000 रु0 तक अर्थ-दण्ड लगा सकता है यदि चूक जारी रहती है जो चूक की अवधि के दौरान 50 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड और लगाया जा सकता है।

10. धारा 65 के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर ही किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड का आदेश जारी किया जायेगा।

11. अर्थ-दण्ड अथवा ब्याज लगाने की समय सीमा [धारा 66]}—अर्थ-दण्ड एवं ब्याज लगाने के आदेश की समय सीमा निम्न प्रकार है— (अ) सम्बन्धित निर्धारण आदेश या त्रुटि सुधार का आदेश जिस वर्ष जारी किया गया है, उसकी समाप्ति के दो वर्ष तक, (आ) यदि निर्धारण आदेश या त्रुटि सुधार आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की गई है तो ऐसे कार्यवाही के आदेश जारी होने के वर्ष के समाप्ति के दो वर्ष तक। मांग की वसूली के सम्बन्ध में ब्याज का कोई आदेश, जिस वर्ष में ऐसी मांग की पूरी वसूली हुई है या मांग की राशि का पूर्णतः सामायोजन हुआ है अथवा अंशतः समायोजित हुई है, उस वर्ष की समाप्ति के 2 वर्ष बाद तक। इस

धारा के अधीन समय सीमा की गणना करते समय वह अवधि घटा दी जावेगी जिसमें दण्ड या ब्याज लगाने की कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत स्थगित रही थी।

12. अभियोजन [धारा 67]—

1 — धारा 67(1) के अनुसार एक व्यक्ति पर निम्न दशाओं में अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है—

- (अ) यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत न होते हुये भी झूठा प्रदर्शन करें की वह पंजीकृत व्यापारी है,
- (आ) जानबूझ कर हिसाब—किताब की झूंठी पुस्तकें, झूंठेVAT बीजक, झूंठे रजिस्टर अथवा कोई प्रपत्र बनाता है या इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली घोषणाओं में झूंठा प्रगटीकरण करता है,
- (इ) कपटपूर्ण तरीके से कर परिवर्जना अथवा करवंचना करता है या कर दायित्व को छिपाता है,
- (ई) नोटिस राशि के भुगतान में असमर्थ रहता है एवं नोटिस जारी किये हुये 6 माह से अधिक अवधि बीत गई है,
- (उ) धारा 50 के अन्तर्गत विशेष वसूली के लिये दिये गये नोटिस अथवा धारा 91 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा जारी किये गये नोटिस की अवहेलना करता है,
- (ऊ) यदि कोई व्यक्ति सक्षम अधिकारी को व्यवसाय में किसी स्थान पर प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने से रोकता है तथा किसी भी तरह से कार्य में बाधा पहुंचाता है अथवा ऐसे अधिकारी को माल, बहीखाते, रजिस्टर, अथवा प्रपत्र जब्त करने से रोकता है एवं बाधा पहुंचाता है।
- (ए) यदि वह माल ढोने वाले वाहन का मालिक चालक, या प्रभारी है एवं इस अधिनियम की व्यवस्थाओंके अनुसार जॉच किये जाने को रोकता है अथवा चैक पोस्ट के प्रभारी अथवा अन्य अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं करता है अथवा कार्य में बाधा डालता है।
- (ऐ) राजस्थान के अन्दर अथवा बाहर माल का आयात निर्यात करते समय भेजने वाले या पाने वाले व्यक्ति का नाम व पता झूंठा व गलत बताता है या झूंठे या गलत नाम से बिल्टी बनवाता है या माल का झूंठा विवरण देता है।
- (ओ) धोखे से आदान कर की छूट प्राप्त करता है,
- (औ) उपर्युक्त अपराधों को करने में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है अथवा सहायता करता है।

उपर्युक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) की अनुमति लेने के बाद शिकायत करने पर तथा न्यायालय के समक्ष दोषी ठहराने पर 3 वर्ष तक साधारण कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। परन्तु वांक्याश (आ), (इ), (ऊ), (ऐ) एवं (ओ) में वर्णित अपराधों की दशा में, जो की गम्भीर प्रकृति के हैं की दशा में सजा कम से कम 12 माह के साधारण कारावास के बराबर होगी। यदि न्यायालय विशेष परिस्थितियों में चाहें तो इन गम्भीर अपराधों की सजा 12 माह से कम भी कर सकता है।

2 — यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई अपराध किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में हुआ हो जिसके लिये ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर कार्यवाही होगी एवं इस धारा के तहत सजा दी जावेगी जो ऐसे अपराध किये जाने के समय उस व्यवसाय के संचालन के लिये उत्तरदायी था।

3 — यदि उपधारा (2) में वर्णित अपराध एक फर्म अथवा कम्पनी द्वारा किया गया है और यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध किये जाने में फर्म के साझेदार अथवा कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्ध संचालक अथवा अध्यक्ष अथवा अन्य कोई अधिकारी की सहमति या लापरवाही रही है तो वह भी दोषी माना जावेगा और उसके विरुद्ध भी अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

4 — इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कोई भी कार्यवाही जिसमें कर निर्धारण, त्रुटि सुधार अथवा वसूली की कार्यवाही (अर्थ—दण्ड की कार्यवाही को छोड़कर) भी शामिल है, इस धारा के अन्तर्गत अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी रहेगी।

अभ्यास के लिये प्रश्न

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की प्रक्रिया समझाइयें।

2. अर्थ—दण्ड अथवा ब्याज लगाने के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत क्या व्यवस्थायें हैं? समझाइयें।
3. अर्थ—दण्ड अथवा ब्याज लगाने के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थाओं का वर्णन किजियें।

अध्याय 9 अपील एवं पुर्जविचार

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में अन्तर्गत अपील के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है। किस प्रकार से एवं किस प्राधिकारी के समक्ष एक व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील की जा सकती है एवं अपील की कार्यविधि क्या है? उच्च न्यायालय के समक्ष कब एवं किस प्रकार से पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अपील के सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

1. अपीलेट प्राधिकारी के समक्ष अपील { धारा 82 }

- (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत एक व्यापारी को सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अथवा चैक पोस्ट अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है।
- (2) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है, उसकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। यदि अपीलेट अधिकारी समय पर अपील न करने के बताये गये कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह इस अवधि के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है।
- (3) चाहे धारा 38(4) में कुछ भी दिया हो, इस धारा के अन्तर्गत अपील उसी दशा में स्वीकार होगी, जब उस अपील ज्ञापन के साथ अपीलकर्ता द्वारा देय कर या अन्य राशी, जो उसने मंजूर कर ली है, अथवा ऐसी किस्त जो देय हो गई है, अथवा एक तरफा निर्धारण आदेश की दशा में निश्चित कर की राशी का 5 प्रतिशत अथवा अन्य दशाओं में मंजूर की गई राशी से अधिक्य वाली राशी के 10 प्रतिशत का भुगतान करने का सन्तोषनक प्रमाण संलग्न कर दिया हो।
- (4) बिना इस बात को ध्यान में रखते हुयें की अपीलेट अधिकारी को अपील कर दी गई है, कर एवं अन्य राशि उस आदेश के अनुसार ही चुकाई जावेगी जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, परन्तु कर के भुगतान में धारा 38(4) एवं (5) के प्रावधानों को ध्यान में रखा जावेगा।
- (5) अपील का ज्ञापन निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा निर्धारित विधि से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (6) अपील की सुनवाई के समय दोनों पक्षों को, अपीलकर्ता को, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जावेगा।
- (7) अपीलेट अधिकारी अपील के निपटारें से पूर्व यदि आवश्यक समझता है तो जॉच पड़ताल कर सकता है अथवा उस अधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है को अतिरिक्त जॉच पड़ताल कर परिणाम से अपीलेट अधिकारी को अवगत कराने का निर्देश प्रदान कर सकता है। अपीलेट अधिकारी को ऐसी अपील के निपटारे के सम्बन्ध में निम्न अधिकार है—
 - (अ) वह निर्धारण आदेश, ब्याज, अर्थ—दण्ड की पुष्टि कर सकता है अथवा उसमें कमी कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है।
 - (आ) वह निर्धारण आदेश, ब्याज, अर्थ—दण्ड को निरस्त कर निर्धारण अधिकारी को नये सिरे से जॉच पड़ताल कर, कर निर्धारण के नये आदेश जारी करने का निर्देश दे सकता है।
 - (इ) यदि अन्य कोई आदेश हो तो उसकी सम्पुष्टि कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(8) अपीलेट अधिकारी अपने आदेश की प्रति अपीलकर्ता, निर्धारण अधिकारी, उपायुक्त (प्रशासन) एवं आयुक्त को भेजेगा।

अपीलेट प्राधिकारी के समक्ष अपील की कार्य विधि— नियम-30

(1) अपील का ज्ञापन प्रपत्र VAT 27 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके साथ कर या अन्य राशि भुगतान के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(2) अपील प्रस्तुत करने में निर्धारित समय से विलम्ब हुआ है तो VAT 28 में क्षमा आवेदन पत्र देना होगा।

(3) अपील का ज्ञापन अपीलेट अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के रूप में या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।

(4) यदि अपील ज्ञापन में कोई त्रुटि है तो अपीलेट अधिकारी द्वारा इसकी सूचना अपीलकर्ता को दी जावेगी जिसे अपीलकर्ता को ज्ञापन प्रस्तुत करने की तारीख के 60 दिन के भीतर संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

(5) अपीलेट अधिकारी ज्ञापन का पंजीकरण कर एक प्रति सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के पास भेजेगा एवं उस विवादित आदेश पर, रेकार्ड के आधार पर टिप्पणी सहित भेजने के लिए निर्देश देगा।

(6) अपीलेट अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख निश्चित कर उसकी सूचना अपीलकर्ता एवं संबंधित निर्धारण अधिकारी को देगा। उक्त सूचना व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी जा सकती है। अपीलकर्ता एवं संबंधित निर्धारण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर अपने तथ्य पेश करेंगे।

(7) यदि अपीलेट अधिकारी, निर्धारण अधिकारी को मामला पुनर्निरीक्षण के लिये भेजता है तो वह तिथि भी निर्दिष्ट करेगा जिस दिन अपीलकर्ता को ऐसे निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है।

2 .कर मण्डल के समक्ष अपील {धारा 83 }

(1) कर मण्डल के समक्ष निम्न आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है—

(अ) धारा 26(2), धारा 36, धारा 77 अथवा धारा 85 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश,

(आ) इस अधिनियम के तहत उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा दिया गया आदेश,

(इ) अपीलेट अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश,

(ई) राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा जारी ऐसे आदेश जो इस अधिनियम की धारा 8 अथवा धारा 20 (3) के अन्तर्गत अधिसूचित प्रोत्साहन योजना अथवा स्थगन योजना के अन्तर्गत जारी किये गये हो।

(2) धारा 83(1) के वांक्यांश (अ), (आ), (इ) में दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध आदेश प्राप्ति के 90 दिन के भीतर कर मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) चाहे उपधारा (2) में कुछ भी लिखा हो, उपधारा(1) के वांक्यांश (अ), (आ), (इ) में दिये गये किसी भी आदेश से पीड़ित होने पर आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत उपायुक्त (प्रशासन) जिसके क्षेत्राधिकार का मामला है, किसी अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने के निर्देश दे सकता है। ऐसा अधिकारी तथा प्रभारी कर मण्डल के समक्ष अपने हस्ताक्षरों से अपील करेगा। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी है, उस आदेश के आयुक्त या उपायुक्त(प्रशासन) को लिखित में प्राप्त होने की तिथि से 180 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी।

(4) कर मण्डल के पास किसी पक्षकार द्वारा अपील करने पर कर मण्डल दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा एवं कर मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में उस अपील के सम्बन्ध में अपना ज्ञापन पेश करने को कहेगा। वाणिज्य कर विभाग सूचना प्राप्त करने के 120 दिन के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है परन्तु व्यापारी के लिये यह अवधि 60 दिन ही निर्धारित की गई है।

(5) कर मण्डल इस बात से सन्तुष्ट है कि अपील, प्रति आक्षेपों का ज्ञापन पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है तो निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद भी अपील या प्रति आक्षेपों का ज्ञापन स्वीकार कर सकता है।

(6) कर मण्डल को अपील इस अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में सत्यापित कर प्रस्तुत की जानी होती है।

(7) कर मण्डल को की गई अपील में विलम्ब होने की सम्भावना पर सामान्यतः कर मण्डल किसी विवादित राशि अथवा उसकी वसूली पर रोक नहीं लगाता है परन्तु व्यापारी के लिखित आवेदन पर पर्याप्त जमानत प्रस्तुत कर देने पर कर मण्डल वसूली अथवा उसके किसी भाग पर स्थगन दे सकता है।

(8) कर मण्डल को किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर देने मात्र से ही किसी आदेश की वसूली स्थगित नहीं हो जाती उनकी वसूली जारी रहती है परन्तु कर मण्डल ने वसूली पर रोक लगा दी है तो इन्हें जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(9) कर मण्डल राज्य सरकार की अनुमति से गजट अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के लिये आवश्यक नियम बना सकता है जो इस अधिनियम के विरोधाभास में नहीं होने चाहियें। इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्यों का पालना करने एवं अधिकारों का प्रयोग करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के मामले में कर मण्डल की प्रक्रिया एवं उसकी पीठों की प्रक्रिया नियमन करेंगे।

(10) अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर मण्डल जैसा उचित समझता है आदेश जारी कर सकता है जिसकी प्रति अपीलकर्ता, निर्धारण अधिकारी तथा आयुक्त को दी जाती है।

कर मण्डल के समक्ष अपील की कार्यविधि नियम 31—

(1) कर मण्डल के समक्ष धारा 82(2) एवं (3) में की जाने वाली अपील प्रपत्र VAT 29 में प्रस्तुत की जावेगी तथा धारा 82(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन पत्र प्रपत्र संख्या VAT 30 में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना होता है, ऐसी अपील पर एवं प्रतिआक्षेपों के ज्ञापन पर भी नियम 30 की प्रक्रिया लागू होती है।

(2) कर मण्डल को प्रस्तुत की गई अपील कर मण्डल के अध्यक्ष अथवा सदस्य की एकल पीठ अथवा दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाकर निपटाया जाता है परन्तु निम्न मामलों में यह अपील कर मण्डल के दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा ही सुनवाई जाता अनिवार्य है।

(अ) राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय स्कीनिंग कमेटी द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा धारा 20(3) के अन्तर्गत अधिसूचित प्रोत्साहन योजना अथवा स्थगन योजना के अन्तर्गत जारी आदेश,

(आ) कर की दर अथवा कर मुक्ति के उद्देश्यों से मालों के वर्गीकरण को अन्तर्ग्रस्त करने वाले मुददे।

(इ) यदि मांग की विवादित राशी 5 लाख रुपये से अधिक हो,

(3) चाहे उपनियम 2 में कुछ भी दिया हो, यदि कर मण्डल की किसी खण्ड पीठ के दोनों सदस्य किसी न्यायिक प्राथमिकता के कारण ऐसी पीठ द्वारा अपील की सुनवाई न कर सकते हो तो अध्यक्ष ऐसी अपील को निर्णय हेतु दूसरी पीठ को हस्तान्तरित कर देगा।

(4) उप नियम 2 में वर्णित अपीलों को छोड़कर शेष सभी अपीलों कर मण्डल के अध्यक्ष अथवा सदस्य की एकल पीठ में सुनी जाकर निपटाई जायेगी।

(5) चाहे उप नियम 4 में कुछ भी दिया गया हो मामले के किसी पक्षकार द्वारा लिखित अनुरोध पर अथवा एकल पीठ द्वारा संदर्भित किये जाने पर अथवा स्वविवेक से अध्यक्ष किसी अपील के मामले में महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष निहित होने के आधार पर दो या दो से अधिक सदस्य की पीठ को भिजवा सकता है।

(6) कर मण्डल द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता को तथा धारा 83(10) में वर्णित प्राधिकारियों को भेजी जाती है।

अपीलेट अधिकारी अथवा कर मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य करते हुये कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं करेगा जो उसके स्वयं के द्वारा अन्य किसी पद पर रहते हुये जारी किया गया था। (नियम 34)

3— उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण {धारा 84}—उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये अपील प्रपत्र VAT 31 में प्रस्तुत की जाती है—

(1) कर मण्डल द्वारा जारी कोई आदेश अथवा धारा 33(1) के अन्तर्गत जारी त्रुटि सुधार आदेशों से यदि कोई व्यापारी पीड़ित होता है तो ऐसे आदेश के प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण हेतु

आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस के साथ इस आधार पर प्रस्तुत कि जा सकती है कि, ऐसे आदेश में कानूनी मुद्दा निहीत है।

(2) कर मण्डल द्वारा दिये किसी आदेश से यदि आयुक्त पीड़ित होता है, एवं यदि ऐसे मामले में कानूनी मुद्दा निहीत है तो वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी को पुनरीक्षण हेतु उच्च न्यायालय में अपील हेतु निर्देश दे सकता है। ऐसा अधिकारी अथवा चैक पोस्ट प्रभारी आयुक्त के ऐसे आदेश कि तिथी से 180 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को निर्धारित तरीके से अपील प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) अथवा (2) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में निहीत कानूनी मुद्दे का उल्लेख होगा तथा न्यायालय चाहे तो अन्य कोई कानूनी मुद्दा उठाने की अनुमति दे सकता है।

(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण में दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कानूनी मुद्दे को तय करेगा एवं आवश्यक आदेश जारी करेगा।

4- दोषी होने पर अपील खारिज करना नियम 33- नियम 30 अथवा 31 में प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो अपीलेट अधिकारी अथवा कर मण्डल अपील में दोष के आधार अपील को खारिज कर सकता है। ऐसा आदेश जारी कोने के 30 दिन के भीतर यदि अपीलकर्ता प्रपत्र संख्या VAT 32 में आवेदन कर सम्बन्धित प्राधिकारी या कर मण्डल को उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण से सन्तुष्ट कर देता है तो ऐसी अपील पुनर्जीवित हो जाती है।

5- अपील या पुनरीक्षण के आदेश को लागू करना नियम 35- धारा 82, 83, 84 अथवा 85 के अन्तर्गत किसी अपील के सम्बन्ध में दिये गये आदेश में निर्धारण प्राधिकारी पालना करेगा एवं यदि करदाता से अधिक वसूली की गई है तो लौटाने की कार्यवाही करेगा अथवा यदि करदाता से राशि वसूल की जानी है, कमी की वसूली करेगा।

6- आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण ध्यारा 85} आयुक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के अभिलेखों को मंगवा सकता है, उनकी जाँच कर सकता है अथवा यदि वह ऐसा समझता है कि सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा दिया गया आदेश त्रुटि पूर्ण है एवं राज्य के राजस्व हित के विपरित है तो व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त मौका देने के पश्चात् मामले की परिस्थिति के अनुसार उचित आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है परन्तु ऐसा पुनरीक्षण किये जाने वाले आदेश की जारी करने की तिथि के 5 वर्ष से अधिक समय बाद नहीं किया जा सकता।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अपीलेट अधिकारी कौन होता है अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील करने के प्रवधानों को विस्तार से समझाईयें।
2. कर मण्डल क्या है, कर मण्डल की अपील प्रक्रिया को समझाईयें।
3. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के प्रावधानों की विवेचना किजियें।

10— मूल्य परिवर्धित कर प्राधिकारी एवं उनके अधिकार

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप यह जान पाएंगें कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में अन्तर्गत कौन कौन से प्राधिकारी होते हैं एवं इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार इन प्राधिकारीयों के क्या क्या अधिकार हैं। इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार इनके सम्बन्ध में प्रयुक्त विभिन्न तकनिकी शब्दों का क्या अर्थ है एवं इस अधिनियम में उन शब्दों को किन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।

राजस्थान राज्य मे करदाताओं अथवा व्यापारियों पर मूल्य परिवर्धित कर का निर्धारण एवं वसूली “राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003” तथा “राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006” के तहत की जाती है। मूल्य परिवर्धित कर सम्बन्धी मामलों के सूचारू रूप से संचालन करने के उद्देश्य से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है जिसे “वाणिज्य कर विभाग” का नाम दिया गया है।

वे सभी अधिकारी, जो इस अधिनियम में तहत कर्तव्य निष्पादन हेतु नियुक्त या पदस्थापित किये गये हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हो, उन्हे भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाता है। इसमें कर बोर्ड के सदस्य भी शामिल हैं।

इस विभाग मे कार्यरत प्राधिकारों को निम्नलिखित दो वर्गों मे बांटा जा सकता है—

(अ) प्रशासनिक प्राधिकारी

(ब) न्यायिक प्राधिकारी

(अ) प्रशासनिक प्राधिकारी –वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख प्रशासनिक प्राधिकारी निम्न है—

1. कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी
2. सहायक वाणिज्य कर अधिकारी
3. वाणिज्य कर अधिकारी
4. सहायक वाणिज्य कर आयुक्त
5. वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रशासन)
6. वाणिज्य कर आयुक्त

1. **कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी**—राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा नियुक्त यह इस विभाग का सबसे निम्न स्तर का पदाधिकारी है, जो अपने क्षेत्र के निर्धारण प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करता है। यह अपने क्षेत्र के निर्धारण प्राधिकारी के सहायक अथवा सहयोगी की भूमिका अदा करता है। इसका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र मे, नये करदाताओं का पता लगाना तथा करदाताओं द्वारा की जाने वाली कर वचना का पता लगाना है। अपने कार्य की रिपोर्ट यह अपने क्षेत्र के निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिये इसको कुछ अधिकार तो इसके क्षेत्र के निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त होते हैं तथा कुछ अधिकार आयुक्त से प्राप्त होते हैं। आयुक्त द्वारा अधिकृत होने पर अपने कर्तव्यों का पालन करने मे निम्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है—

(अ) किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान की जाँच या सर्वे करना जहाँ इसको व्यापार किये जाने का अथवा बहीखाते रखे जाने का विश्वास है।

(आ) व्यापारी को बहीखाते, रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्रों को जाँच के लिये प्रस्तुत करने के लिये निर्देश देना।

(इ) व्यापारी अथवा व्यापारी की ओर से अन्य किसी व्यक्ति के कब्जे मे जो माल हो उसका निरीक्षण करना।

(ई) यदि व्यवसाय से सम्बन्धित तथ्यों को छिपाने की आशंका हो तो वह उस स्थान की तथा उस स्थान पर मौजूद व्यक्तियों को तलाशी ले सकता है।

(उ) यदि व्यापारी द्वारा किसी कमरे मे आलमारी में अथवा सन्दूक में माल को अथवा बहीखाते रजिस्टरो एवं अन्य प्रपत्रों को छिपाने की आशंका हो और व्यापारी उस कमरे आलमारी या सन्दूक का निरीक्षण करने मे रुकावट डाले अथवा इन्कार कर दे तो वह कमरे का दरवाजा तोड़कर अथवा आलमारी अथवा सन्दूक को तोड़कर निरीक्षण कर सकता है।

(ज) वह व्यापारी उसके प्रबन्धक प्रतिनिधि अथवा कर्मचारी के बयान दर्ज कर सकता है अथवा बहीखाते रजिस्टर एवं अन्य प्रपत्रों से किसी भी रिकोर्ड की नकल कर सकता है अथवा बहीखाते रजिस्टरों एवं प्रपत्रों पर दरवाजा आलमारी एवं सन्दूक पर पहचान विन्ह अंकित कर सकता है।

वाक्यांश (ई) एवं (उ) में वर्णित अधिकार का प्रयोग वह किसी उच्च अधिकारी की मौजूदगी में ही करेगा। ऐसा अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए।

(ए) धारा 75 के लिये कमिशनर द्वारा जो क्षेत्र इसको दिया जाता है उस क्षेत्र में यह धारा 76 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार अपने क्षेत्र के किसी भी चैक-पोस्ट पर आने जाने वाले वाहन के प्रभारी से माल के सम्बन्ध में बिल बिल्टी चालान घोषणा-पत्र इत्यादि प्रपत्र निरीक्षण के लिये मांग सकता है अथवा माल के सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है।

2. सहायक वाणिज्य कर अधिकारी – सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अपने क्षेत्र का निर्धारण अधिकारी ही होता है। इसके क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है जिसका निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। अपने वार्ड में भी एक निश्चित आर्थिक आकार वाले व्यापारियों के लिये ही यह निर्धारण अधिकारी होता है। उस सीमा से बढ़े आकार के व्यापारियों के लिये यह निर्धारण अधिकारी नहीं होगा अर्थात् वे व्यापारी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आयेंगे। निर्धारण अधिकारी के रूप में व्यापारी के लिये वह एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, क्योंकि उनका सम्पूर्ण कार्य इसी पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्न होता है। व्यापारी का पंजीकरण करना, उसे मुक्त प्रमाण पत्र जारी करना, उसका कर निर्धारण करना, उससे कर, ब्याज, दण्ड आदि की वसूली करना, उससे इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन करवाना तथा उनका उल्लंघन करने पर उन्हें दण्डित करना आदि सभी कार्य निर्धारण अधिकारी की हैसियत से इसी को करने पड़ते हैं।

अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये अथवा व्यापारियों से अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालन कराने के लिये, इसको मुख्य रूप निम्न अधिकार प्राप्त है—

1. धारा 75 एवं 76 के वे सभी अधिकार इसे भी प्राप्त हैं जो कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी को है, इसके अतिरिक्त धारा 75 में ही यह बहीखातों व रजिस्टर आदि को 6 महीने की अवधि के लिये कब्जे में भी ले सकता है।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही किसी भी कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में इसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी मुकदमे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त है—

(अ) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति का पालन करवाना एवं शपथ दिलाकर उसकी जाँच करना।

(आ) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना।

(इ) गवाहों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना।

इसके समक्ष चल रही कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 196 तथा 228 के आशय के अनुसार न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

3. अपने क्षेत्र के व्यापारियों पर अधिनियम की अनुपालन नहीं करने पर विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में अर्थ-दण्ड लगाने का भी अधिकार है।

4. यदि किसी व्यापारी पर मांग की राशि 50000 रुपये से अधिक नहीं हो तो यह उसे 12 किश्तों में भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकता है।

5. अपने सहायक अधिकारियों से अपने अधिकारों के प्रयोग व कर्तव्य की पालना में सहायता लेने का अधिकार है।

3. **वाणिज्य कर अधिकारी**— वाणिज्य कर अधिकारी भी अपने क्षेत्र के व्यापारियों के लिये निर्धारण अधिकारी ही होता है। इसके क्षेत्र को उसका सर्किल कहा जाता है। सर्किल का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सर्किल में एक वाणिज्य कर अधिकारी को निर्धारण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसके सर्किल के किसी वार्ड के व्यापारी का कर निर्धारण यदि इसके द्वारा कर दिया जाये तो वह वैध होगा, यद्यपि वह सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के क्षेत्र में होता है। एक निर्धारण अधिकारी के रूप में वे सभी कार्य जो सहायक वाणिज्य अधिकारी के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, इसके द्वारा भी सम्पन्न किये जाते हैं। इसको भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सहायक वाणिज्य अधिकारी को हैं। इसके अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त हैं—

(अ)यदि किसी व्यापारी पर कर की कोई राशि 10वर्षों से अधिक अवधि से अदत्त है तथा सम्पत्ति के अभाव में उस व्यापारी से यह वसूल नहीं हो सकती है तो उसे ऐसी मॉग की राशि को रद्द करने का अधिकार है बशर्ते मॉग की राशि 10000 रु से अधिक हो परन्तु 25000 रु से अधिक नहीं हो।

(आ)यदि किसी व्यापारी द्वारा देय मांग की राशि 200000 रु से अधिक नहीं हो तो यह उसके 12 माह की किश्तों में भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4. सहायक वाणिज्य कर आयुक्त—वाणिज्य कर अधिकारी की तरह अपने सर्किल का यह भी निर्धारण अधिकारी ही होता है। इसके कर्तव्य एवं अधिकार भी वाणिज्य कर अधिकारी के समान है।इसके क्षेत्र अर्थात् सर्किल का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्य कर आयुक्त के सर्किल मिन्न होगे जिससे एक व्यापारी एक ही अधिकारी के क्षेत्र में होगा।

5 वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रशासन)—वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रशासन) की नियुक्त राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख कार्य वाणिज्य कर आयुक्त की प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना तथा अपने क्षेत्र में कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारियों के कार्यों पर नियन्त्रण रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सम्पूर्ण प्रान्त कई क्षेत्रों में बाटों गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रशासन) की नियुक्ति की गई है। यह प्रत्यक्ष रूप से आयुक्त के नियन्त्रण में होता है तथा उसी के निर्देशानुसार कार्य करता है। इसके क्षेत्र के वाणिज्य कर अधिकारियों को इसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। वास्तव में यह निर्धारण अधिकारी एवं आयुक्त के बीच की कड़ी है।

वाणिज्य कर उपायुक्त(प्रशासन) के प्रमुख अधिकार निम्न हैं—

(1) व्यापारी पर बकाया मॉग राशि को अपलिखित करना— समस्त प्रयास किये जाने के पश्चात् भी यदि किसी व्यापारी द्वारा देय कोई मॉग की राशि 10 वर्षों से भी अधिक समय से अदत्त चल रही है तथा उसे वसूल किया जाना संभव नहीं है तथा ऐसी राशि 25000 रु से अधिक परन्तु एक लाख रूपये तक हो तो वह लिखित में आदेश जारी करके ऐसी राशि को अपलिखित कर सकता है।

(2) व्यापारी को मॉग की राशि को किश्तों में चुकाने की अनुमति देना— यदि किसी व्यापारी पर मॉग की राशि 200000 रु से अधिक है परन्तु 10,00,000 रु तक है तो, व्यापारी के आवेदन पर, उपायुक्त(प्रशासन) की पूर्व अनुमति मिलने पर वाणिज्य कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त उसे किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दें सकते हैं। ऐसी किश्तों अधिकतम 24 हो सकती है।

(3) समझौता करना एवं समझौता राशि स्वीकर करना—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कर—अपवंचना का दोषी पाया जाता है तथा वह अपना अपराध स्वीकार करके दण्ड एवं अभियोग के बदले समझौते के लिये आवेदन करना चाहता है तो ऐसा आवेदन वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रशासन)को किया जाता है तथा यही अधिकारी दोषी व्यक्ति से नियमानुसार समझौता राशि स्वीकार करता है।

(4) बही खातें, रजिस्टर व प्रपत्रों को 6 माह से अधिक अवधि के लिये रोकना— यदि कोई वाणिज्य कर अधिकारी जाँच एवं तलाशी के दौरान उपलब्ध बहीखातें, रजिस्टर व प्रपत्रों को, जिसे उसने धारा 75(2) अथवा 75(3) के तहत जब्त किये हैं, 6 माह से अधिक अवधि के लिये रोकना चाहता है, तो वह आयुक्त अथवा उपायुक्त (प्रशासन) की पूर्व अनुमति लेकर ही 6 माह से अधिक अवधि के लिये रोक सकता है। आयुक्त द्वारा अधिकृत होने पर उपायुक्त को ऐसी अनुमति देने का अधिकार है।

(5) दण्ड एवं अभियोग की कार्यवाही के पूर्व उपायुक्त (प्रशासन) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना— यदि कोई व्यक्ति धारा 67 में वर्णित किसी अपराध के लिये दोषी पाया जाता है तथा निर्धारण अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी इस दोषी व्यापारी के विरुद्ध न्यायालय में दण्ड एवं अभियोग के लिये कार्यवाही करना चाहता है तो उसे ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(6) जब्त माल को बेचने से पूर्व उपायुक्त(प्रशासन) की अनुमति प्राप्त करना

(7) वाहन को जब्त करने से पूर्व उपायुक्त(प्रशासन) की अनुमति प्राप्त करना

5. वाणिज्य कर आयुक्त- आयुक्त से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इसमे अतिरिक्त वाणिज्य कर आयुक्त भी शामिल है। सम्पूर्ण राज्य के लिये सामान्यतः एक ही वाणिज्य कर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह वाणिज्य कर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वाणिज्य कर विभाग के अन्य सभी पदाधिकारी इसके अधीन होते हैं। मुख्य रूप से आयुक्त प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी होता है तथा उसके अधिकाशं कार्य एवं अधिकार विभाग के प्रशासन से ही सम्बन्धित होते हैं। इसके अलावा इसको कुछ न्याय सम्बन्धी कार्य भी करने पड़ते हैं। अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिनियम मे इसको विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। प्रशासन सम्बन्धी कुछ प्रमुख अधिकार निम्न हैं—

(1) मामलों के हस्तान्तरण का अधिकार [धारा 37]— प्रशासनिक कारणों की वजह से आयुक्त किसी भी समय किसी भी मामले को एक अधिकारी अथवा प्राधिकारी से दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है।

(2) ब्याज एवं अर्थ—दण्ड को कम करने का अधिकार [धारा 51]— किसी व्यापारी के ब्याज या अर्थ—दण्ड को कम करने अथवा माफ करने के लिये आवेदन किया जाता है तो यदि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि व्यापारी मॉग की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर सकता है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय ब्याज अथवा अर्थ—दण्ड अथवा दोनों की राशियों को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकता है, उसे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करना होगा।

(3) देय राशि को अपलिखित करना [धारा 52]— ऐसी मांग राशि जो 1,00,000 रु से अधिक परन्तु दस लाख रुपये तक हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया हों तथा दोषी व्यापारी के विरुद्ध धारा 49 व 50 की कार्यवाही करने के उपरान्त भी न वसूल हो सके एवं जिसे अवसुलनीय घोषित कर दिया हो, तो आयुक्त ऐसी मॉग की राशि को अपलिखित कर सकता है।

(4)अपराधों की जांच का अधिकार [धारा 70]—इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों की जांच के लिये आयुक्त सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष मामलों मे किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। ऐसा अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से निम्न स्तर का नहीं होगा।

(5) प्रविष्टि, निरीक्षण अथवा बहीखाते को कब्जे मे लेने का अधिकार [धारा 75]—आयुक्त, निर्धारण अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी को, जो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से निम्न स्तर का न हो, किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान पर प्रविष्ट होने, उपलब्ध माल व बहीखाते का निरीक्षण करने, वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने, माल एवं बहीखातों को कब्जे मे लेने आदि कार्यों के लिये अधिकृत कर सकता है।

(6) चैक पोस्ट की स्थापना एवं आवागमन के दौरान माल के निरीक्षण का अधिकार [धारा 76]—कर के परिवर्जन एवं अंपवचना को रोकेने के उद्देश्य से आयुक्त सरकारी गजट मे अधिसूचना के द्वारा चैक पोस्ट की स्थापना के लिये निर्देश दे सकता है। चैक पोस्ट पर आने—जाने वाले माल का एवं प्रपत्रों का निरीक्षण करने के लिये किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। इस अधिकारी को चैक पोस्ट का प्रभारी कहते हैं। यह माल ले जाने वाली गाड़ी या वाहन के चालक अथवा माल के स्वामी से माल का चालान, बिल, बिल्टी घोषणा—पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने के लिये कहता है।

(7) बिल मे कम रकम दिखाने पर माल को क्य करने का अधिकार [धारा 81]— आयुक्त किसी भी ऐसे अधिकारी को जो सहायक वाणिज्य का अधिकारी से निम्न स्तर का न हो अधिकृत कर सकता है कि यदि उसके विचार से किसी व्यापारी द्वारा क्य अथवा विक्य बिल मे दिखाई गई रकम उसके बाजार मूल्य से कम है तो वह उस माल को व्यापारी द्वारा दिखाई गई कीमत मे 10 प्रतिशत राशि जोड़कर क्य कर ले। व्यापारी द्वारा व्यय किये गये गाड़ी भाड़ा चुंगी की राशि का भी पुर्नभरण किया जायेगा।

(8) आयुक्त के सामान्य अधिकार [धारा 91]— इस अधिनियम एवं नियमो के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आयुक्त को सामान्य रूप से अथवा विशिष्ट रूप से कार्य प्रणाली निर्धारित करने एवं प्रशासनिक निर्देश जारी करने का अधिकार है। आयुक्त समाचार पत्रों मे सूचना देकर अथवा अन्य किसी उचित तरीके से समस्त व्यापारियों के किसी वर्ग को नोटिस मे निर्देशित सूचना विवरण अथवा विवरणी प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है।

(9) गवाहों की उपस्थिति आदि के सम्बन्ध मे अधिकार [धारा 92]

(10) करदाता के बारे में सूचना देना {धारा 94}— सामान्यतः करदाता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कि सूचनाएं जैसे पंजीकरण, उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी, इत्यादि न्यायालय, पुलिस विभाग, अथवा सरकारी विभाग के किसी अधिकारी के अलावा अन्य किसी को नहीं दी जा सकती है परन्तु आयुक्त यदि संतुष्ट है तो ऐसी सूचनाएं दी जा सकती है ।

(11) निर्धारण प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार निर्धारित करना—वाणिज्य कर अधिकारी एवं सहायक आयुक्त दोनों ही निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं परन्तु उनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है इनके क्षेत्र को सर्किल कहते हैं। इसी प्रकार सहायक वाणिज्य कर अधिकारी सर्किल के किसी भाग के लिये जिसे वार्ड कहते हैं निर्धारण अधिकारी का कार्य करता है। इस वार्ड का निर्धारण भी आयुक्त द्वारा ही किया जाता है ।

(12) एक ही सर्किल में विभिन्न निर्धारण अधिकारियों में कार्य का वितरण— यदि एक सर्किल में एक से अधिक निर्धारण अधिकारी हो तो उनमें कार्य का वितरण आयुक्त द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा ।

(13) किश्तो में भुगतान की अनुमति देना—यदि किसी व्यापारी पर देय 10 लाख रु से अधिक मांग की राशि होने पर निर्धारण अधिकारी व्यापारी को किश्तो में भुगतान की सुविधा देने से पूर्व आयुक्त से लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा। प्रस्तावित किश्तो की संख्या अधिकतम 36 हो सकती है ।

(14) रजिस्टर एवं फर्म निर्धारित करने का अधिकार— अधिनियम एवं नियमों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्रों विवरणों एवं रजिस्टरों का निर्धारण आयुक्त के द्वारा ही किया जायेगा ।

(15) अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता लेने का अधिकार— अपने कर्तव्यों का पालन करते समय एवं अधिकारों का प्रयोग करते समय आयुक्त अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों से सहायता ले सकता है ।

(16) विक्रय—कर सलाहकारों का नाम रजिस्टर में लिखना—विक्रय कर सलाहकार के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति आवश्यक विवरण से सन्तुष्ट होने पर सलाहकारों के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर लेता है। ऐसा नामांकन 5 वर्षों के लिये किया जाता है तथा 5 वर्ष बाद सलाहकारों को नवीनीकरण कराना पड़ता है ।

(17) विक्रय—कर सलाहकारों को अयोग्य घोषित करना—यदि आयुक्त किसी विक्रय कर सलाहकार को विक्रय कर सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान दुराचरण का दोषी पाता है तो नियमानुसार जॉच करवाने के बाद उसे अयोग्य घोषित कर सकता है तथा ऐसा करने पर उसका नाम सलाहकारों के रजिस्टर में से हटा दिया जायेगा ।

अभ्यास के लिये प्रश्न

1. निर्धारण अधिकारी कौन कौन होते हैं एवं इनके अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में क्या अधिकार है ।
2. वाणिज्य कर आयुक्त कौन होता है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती हैं। इसके प्रमुख अधिकारों को समझाइयें ।
3. वाणिज्य कर उपायुक्त के प्रमुख अधिकारों का सक्षेत्र में वर्णन किजियें ।